अष्टम माला, खंड 52, अंक 11

Wednesday, 16th August, 1989

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौदहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 52 में अंक 11 से 22 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

[मूल्य : चार रुपये]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 52, चौदहवां सत्र, 1989/1911 (शक)

अंक 21, बुधवार, 16 अगस्त, 1989/25 श्रावण, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
यूनाइटेड किंगडम के हाउस आफ कामन्स के स्पीकर का स्वागत	1
सभा पटल पर रखे गए पत्र	6—9
राज्य सभा से सन्देश	9—10
नियम 377 के अधीन मामले	10—13
(एक) युवा वैज्ञानिकों में निराशा के कारणों की जांच किए जाने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त किए जाने की आवश्यकता	
डा० फूलरेणु गुहा	10
(दो) समुद्री उत्पादों के निर्यात और विकास को बढ़ावा देने के लिए पुरी (उड़ीसा) में एक अनुसंधानोन्मुखी संगठन स्थापित किए जाने और "समुद्री उत्पाद परामर्शदात्री निकाय" में उड़ीसा से प्रतिनिधि मनोनीत किए जाने की आवश्यकता	
श्री बृजमोहन महन्ती	10
(तीन) जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग किए जाने के लिए देश की विभिन्न नदियों को जोड़े जाने की आवश्यकता	
श्री एम० एल० झिकराम	11
(चार) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए राज्य स्तर पर निगरानी कक्ष स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम प्यारे पनिका	11
(पांच) दिल्ली से कांडला पत्तन को रेलवे लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता	
श्रीमती ऊषा ठक्कर	12
(छः) उड़ीसा में कोल इण्डिया लिमिटेड के अधीन एक सहायक कोयला कम्पनी स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	12

(सात) राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ तहसील के गांवों के आसपास सेना के लिए चांदमारी क्षेत्र बनाए जाने का विचार त्याग देने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह यादव	13
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) विधेयक	13—74
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जनक राज गुप्त	13
डा० गौरी शंकर राजहंस	15
श्री राम प्यारे पनिका	18
चौधरी सुन्दर सिंह	21
श्री काली प्रसाद पांडेय	23
डा० फूलरेणु गुहा	25
श्री राम स्वरूप राम	26
श्री जगन्नाथ पटनायक	29
श्री राम सिंह यादव	30
श्री महावीर प्रसाद यादव	32
कुमारी कमला कुमारी	34
श्री के० कुन्जम्बु	36
श्री बिपिन पाल दास	37
श्री बीर सेन	40
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	43
श्री केयूर भूषण	45
श्री नन्दलाल चौधरी	48
चौधरी लच्छी राम	49
श्री राम भगत पासवान	50
श्री कम्मोदीलाल जाटव	52

विषय	पृष्ठ
श्री मानकूराम सोडी	54
श्री के० प्रधानी	55
श्री उत्तम राठौड़	57
श्री राम श्रेष्ठ खिरहर	57
श्री चिन्तामणि जेना	58
डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी	60
खण्डवार विचार	66—74
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी	73
श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक	74—99
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बिन्देशवरी दुबे	74—76 और 94—97
श्री जी० एम० बनातवाला	76
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	79
श्री अजीज कुरेशी	81
श्री दामोदर पांडे	83
श्री सैयद शाहबुद्दीन	85
श्री गिरधारी लाल व्यास	87
श्री शांताराम नायक	90
श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक	92
श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर)	92
खण्डवार विचार	97—99
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बिन्देशवरी दुबे	99
संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक	99—100
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० के० एल० भगत	99
खण्डवार विचार	100
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० के० एल० भगत	100

विषय	पृष्ठ
नियम 193 के अधीन चर्चा	100—122

कृषि ऋणों को माफ किए जाने की मांग	
डा० गौरी शंकर राजहंस	100
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	102
श्रीमती ऊषा चौधरी	105
श्री रामदेव राय	106
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	108
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	110
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	112
श्री लाल विजय प्रताप सिंह	113
श्री आशुतोष लाहा	115
श्री एस० बी० चव्हाण	117

लोक सभा

बुधवार, 16 अगस्त, 1989/25 श्रावण, 1911 (शक)

लोक सभा 11.00 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यूनाइटेड किंगडम के हाउस आफ कामन्स के स्पीकर का स्वागत

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है ।

अपनी ओर से तथा इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से मैं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामन्स के अध्यक्ष माननीय बर्नार्ड वैदहिल का हार्दिक स्वागत करता हूं । वह इन दिनों हमारे माननीय अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर हैं ।

वह सोमवार, 14 अगस्त, 1989 को दिल्ली पहुंचे थे । वह इस समय विशेष कक्ष में बैठे हैं । हम कामना करते हैं कि उनकी भारत यात्रा शुभ और लाभप्रद हो । हम उनके माध्यम से ब्रिटेन की महामहिम सम्राज्ञी, संसद, सरकार और वहां की भिन्न जनता को अपना हार्दिक अभिनन्दन और शुभ कामनाएं प्रेषित करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : महोदय, यह उस पत्र की प्रतिलिपि है जो श्री वी० पी० सिंह ने श्री हाजी मस्तान को लिखा था और इससे स्पष्ट···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं । मैं आपका नाम पुकारूंगा ।

श्री शान्ताराम नायक : क्या आप हम में से प्रत्येक को अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं । मैं आप में से प्रत्येक का नाम पुकारूंगा ।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टीपालयम) : महोदय, माननीय अध्यक्ष ने हमसे यह वायदा किया था कि हम यहां श्रीलंका की समस्या के बारे में चर्चा करेंगे और सरकार ने भी यह वायदा किया था कि वह एक वक्तव्य देगी । अभी तक उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया और सदन की इस सप्ताह की कार्य सूची में भी श्रीलंका के बारे में कोई चर्चा नहीं है । यह चर्चा कब होगी ? हमें मुश्किल से शुक्रवार का एक दिन

मिलता है। शुक्रवार भी गैर-सरकारी सदस्यों का दिन होता है। क्या हम इस पर चर्चा कर पाएंगे या नहीं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : गैर सरकारी सदस्यों के लिए उस दिन कुछ नहीं होगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : क्या हम इस पर चर्चा करेंगे या नहीं ?

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं आपको पता करके बताऊंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पता करके हमें बताएंगी।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : हमारा यह विचार था कि श्रीलंका के बारे में चर्चा होगी। वह अब सदन में दिए गए अपने आश्वासन से पीछे हट रहें हैं **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदया ने आपकी बात नोट कर ली है। वह हमें पता करके बताएंगी।

(व्यवधान)

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं पता करके आपको बताऊंगी **(व्यवधान)** महोदय, यदि माननीय सदस्यगण शाम को देर तक बैठने को तैयार हैं तो हम सभी मदें जिनके बारे में हमने निर्णय किया है, समाप्त कर लेंगे, यदि सदस्यगण दोपहर का भोजनावकाश छोड़ने को तथा देर तक बैठने को तैयार हैं तो हमें कोई समस्या नहीं होगी।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : महोदय, यह वह रिपोर्ट है जिसमें श्री वी० पी० सिंह जो मूल्यों पर आधारित राजनीति, नैतिकता तथा अन्य बातें करते है, वे इलाहबाद चुनाव में वित्तीय योगदान के लिए हाजी मस्तान को धन्यवाद दिया है। **(व्यवधान)**

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, यह भ्रष्टाचार का अत्यन्त गम्भीर मामला है।

श्री टी० बशीर : श्री वी० पी० सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भ्रष्टाचार, कालाधन और जमाखोरी के विरुद्ध मूल्यों पर आधारित राजनीति की बात करते हैं आप जानते हैं कि इस देश में हाजी मस्तान की क्या स्थिति है। समाचार में बताया गया है कि हाजी मस्तान को श्री वी० पी० सिंह से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इलाहाबाद चुनाव में वित्तीय योगदान और अन्य सहायता की बात कही गई है। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इसमें कोई सच्चाई है, तो निर्वाचन आयोग इस ओर ध्यान देगा। वह इसकी जांच करेंगे।

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, आप भी इस पर गौर करें। चुनाव सम्बन्धी कानून इस सदन द्वारा पास किए गए हैं··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सदन का समय बर्बाद न करें। मेरा यह निर्णय है कि अब इसके लिए आग्रह न करें। इस पर निर्वाचन आयोग विचार करेगा।

(व्यवधान)

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, क्या आप मुझे अनुमति दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नायक जी, जो कुछ भी कहा गया है, यदि वह सही है, तो निर्वाचन आयोग इस पर विचार करेगा। निर्वाचन आयोग इस बारे में कार्यवाही करेगा।

(**व्यवधान**)

श्री शान्ताराम नायक : चुनाव सम्बन्धी कानून इस सदन द्वारा पास किए गए हैं। हमारे अनुरोध पर क्या आप यह मामला निर्वाचन आयोग के पास ले जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री शान्ताराम नायक : हमारी सभा देश की सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था है। आप मुख्य चुनाव आयुक्त से कम नहीं हैं। आप देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था की अध्यक्षता कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री तरुण कान्ति घोष (बारसाट) : पश्चिम बंगाल में चार नगरपालिकाएं कांग्रेस के नियंत्रण में हैं। कांग्रेस के नियन्त्रणाधीन एक नगरपालिका का पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बिना किसी कारण अतिक्रमण किया गया। इस अलोकतांत्रिक कार्य के विरुद्ध जब मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ कांग्रेसी कार्यकर्त्ता हावरा में प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया। गोली भी चलाई गई और कई लोग जख्मी हुए। मैं यह बात प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री की जानकारी में लाना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप गृह मन्त्री को लिखें। यह राज्य का विषय है। हम इस पर यहां विचार नहीं कर सकते।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी स्वतन्त्रता दिवस बड़े व्यापक पैमाने पर मनाया गया। यह एक गम्भीर स्थिति है जिससे इस महान देश की एकता और अखण्डता को भारी खतरा है। मेरा अनुरोध है कि गृह मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सरकार को इस सब की जानकारी है। राज्य सरकार भी है, और वह भी इस पर कार्यवाही करेगी।

(**व्यवधान**)

श्री कावम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवली) : महोदय, स्वतन्त्रता दिवस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का भाषण केन्द्र सरकार को धमकी लगता था। मुख्य मंत्री जिन्होंने पंचायती राज्य पर सेमिनार में भाग लेने के लिए प्रधानमन्त्री के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, द्वारा वह जुमला इस्तेमाल किया गया था, राज्यों का सम्मान करना सीखें।

कवि भारती दासन की सुन्दर कविता **विदुथालैयम कतुथालाई आयम का एक मनमानवादी** नारे की भान्ति गलत अर्थ निकाला गया…(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की धमकियों से काम नहीं चलेगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : वह केन्द्र सरकार को धमकी दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी किसी को धमकी नहीं दे सकता । वैसे भी हमें यह पता लगाना है कि यह समाचार सही है या नहीं । कोई भी किसी को धमकी नहीं दे सकता ।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : स्वतन्त्रता दिवस को कुछ इमारतों पर पाकिस्तानी झण्डा फहराया गया । यह अत्यन्त गम्भीर मामला है । क्या आप माननीय गृह मंत्री महोदय से वक्तव्य देने को कहेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : महन्ती जी द्वारा पहले ही यह बात कही जा चुकी है । कृपया आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : अमरनाथ जी की यात्रा में जाते समय पांच आदमियों की मृत्यु हो गई । मैंने आदरणीय मंत्री जी को दरख्वास्त की थी कि आप बजट पास कर दें ताकि वहां रास्ता बनाया जा सके । वहां लाखों आदमी जाते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि वहां इससे लोगों को फायदा होगा । इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप हां कर दें, कोई ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, चालीस-पचास लाख लगेगा । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : स्वतन्त्रता दिवस समारोह के शुभ अवसर पर बोलते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने अपनी प्रादेशिक पार्टी का नारा दिया । इससे इस देश में फूट और विघटन की स्थिति पैदा हो जाएगी । माननीय गृह मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह उनके भाषण के संदर्भ में एक वक्तव्य दें । अन्यथा इससे पूरे देश में हमारी रक्षा सेवाओं का मनोबल टूट जाएगा । इसके अलावा जैसाकि मैंने कहा इससे विघटन की स्थिति भी पैदा होगी । नारा उनकी अपनी प्रादेशिक प्रार्टी के बारे में है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान जेना, सब लोग संवैधानिक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं । यदि कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है तो केन्द्रीय सरकार निश्चय ही उस पर कार्यवाही करेगी । केन्द्र सरकार का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि क्या राज्य सरकार संवैधानिक ढांचे के अनुरूप कार्य कर रही है या उससे हट कर । राष्ट्रपति भी यही देखते हैं । वे मामले पर विचार करेंगे ।

श्री चिन्तामणि जेना : लेकिन सत्र समाप्त होने में केवल एक दिन शेष है । मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है । गृह मन्त्री को इस मामले पर चर्चा करानी चाहिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए ।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : महोदय, मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं । हरियाणा सरकार तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुड़गांव के उपायुक्त की सहायता से···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है । आप यह मामला यहां कैसे उठा सकते हैं ?

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : गवाल पहाड़ी, जिला गुड़गांव में हजारों बीघा जमीन बेची गई है । यह भूमि ग्राम पंचायत ने खरीदी है लेकिन अब उपायुक्त की सहायता से यह भूमि कुछ कालोनाइजरों को दी जा रही है । मेरे पास इसके लिखित प्रमाण भी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं । यह राज्य का विषय है और मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों को यह मामला हरियाणा विधानसभा में उठाना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां डोगरी जुबान लाखों लोगों द्वारा बोली जाती है, उस जुबान का काफी रिच लिटरेचर मौजूद है, यहां तक कि यूनिवर्सिटी लेवल तक उस जुबान को पढ़ाया जाता है, परन्तु आज तक उसे आठवीं अनुसूची में जगह नहीं दी गयी है । मैं चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस तरफ तवज्जह दे ।

[شری محمد ایوب خان (اودھم پور) : جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ میں سینٹرل گورنمنٹ کی توجہ اسطرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ڈوگری زبان لاکھوں لوگوں کے ذریعہ بولی جاتی ہے اس زبان کا کافی لٹریچر موجود ہے یہاں تک کہ یونیورسٹی لیول تک اس زبان کو پڑھایا جاتا ہے لیکن آج تک اسے آٹھویں شیڈیول میں جگہ نہیں دی گئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ سینٹرل گورنمنٹ اسطرف توجہ دے]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप गृह मन्त्री को लिखिए ।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनू) : दूसरा निवेदन मैं यह कहना चाहूंगा कि एक साल से वैष्णोदेवी आने जाने के लिए जो हैलीकाप्टर सर्विस चलती थी, उसे बन्द कर दिया गया है । मैं माननीय मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उस हैलीकाप्टर सर्विस को फिर से चालू किया जाए ।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[شری محمد ایوب خان: دوسری درخواست میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک سال سے ویشنو دیوی آنے جانے کیلئے جو ہیلیکاپٹر سروس جاتی تھی اسے بند کر دیا گیا ہے۔ میں محترم منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس ہیلی کاپٹر سروس کو پھر سے چالو کیا جائے]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सम्बन्धित मंत्री को लिखिए।

[हिन्दी]

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर, सर, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि डोगरी जुबान हमारे जम्मू कश्मीर में ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान में बोली जाती है इसलिए उसे आठवीं अनुसूची में जगह मिलनी चाहिए ताकि उन लोगों के हक हकूक की रक्षा हो सके। मैं इससे भी सहमत हूं कि वैष्णोदेवी के लिए जो हैलीकोप्टर सर्विस बन्द की गयी है, उसे फिर से चालू किया जाए क्योंकि इसमें लोगों को खासकर तीर्थ यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। तीसरे, मैं यह भी चाहता हूं कि अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को उनकी सुविधा के लिए ज्यादा से ज्यादा फण्ड्स गवर्नमेंट से अलॉट कराये जाने चाहिए ताकि उन्हें यात्रा में दिक्कतें न रहें और वहां रोड्स बनायी जा सकें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सम्बन्धित मन्त्री को लिखिए, वह इस पर विचार करेंगे।

11.16 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वास्तुविद (वृत्तिक आचरण) विनियम, 1989, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र) बम्बई के वर्ष 1987-88 के लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग के वर्ष 1983-84, 1984-85, 1985-86, और 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं श्री पी० शिव शंकर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वास्तुविद

(वृत्तिक आचरण) विनियम, 1989, जो 11 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० सीए/1/89 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8268/89]

(2) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र) बम्बई के वर्ष 1987-88 के लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8269/89]

(4) (एक) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा, अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8270/89]

(6) (एक) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8271/89]

(8) (एक) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8272/89]

(10) (एक) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8273/89]

वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत अधिसूचना

पर्यावरण मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 53 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 741(अ), जो 7 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 9 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 350(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8274/89]

भारतीय पोत परिवहन निगम के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखा आदि

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं भारतीय पोत परिवहन निगम के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8275/89]

पंजाब कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1988 और तमिलनाडु उपज मंडी (संशोधन और विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 1988

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : मैं श्री जनार्दन पुजारी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पंजाब राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पंजाब कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 10), जो 16 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8276/89]

(2) तमिलनाडु राज्य विधानमण्डल (शक्तियों को प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तमिलनाडु कृषि उपज मंडी (संशोधन और विशेष उपबन्ध) संशोधन अधिनियम, 1988 (1988 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 11), जो 5 दिसम्बर 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजो संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सख्या एल० टी० 8277/89]

एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं, श्रीमती कृष्णा साही की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एशियाटिक-सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रख गए। देखिए संख्या एल० टी० 8278/89]

उर्वरक (नियन्त्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1989

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (नियन्त्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1989, जो 27 जुलाई, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 581(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8279/89]

11.17 म० पू०

राज्य सभा में संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त दो संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे कर्नाटक विनियोग विधेयक, 1989 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 7 अगस्त, 1989 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 11 अगस्त, 1989 को हुई बैठक में पोत परिवहन अभिकर्ता (अनुज्ञापन) विधेयक, 1987 सम्बन्धी संयुक्त समिति में लोक सभा के सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है :—

"यह सभा लोक सभा से यह सिफारिश करती है कि लोक सभा परिवहन अभिकर्ता (अनुज्ञापन) विधेयक, 1987 सम्बन्धी संयुक्त समिति में प्रो० पराग चालिहा, डॉ० सुधीर राय, श्री एच० ए० डोरा, श्री एच० एन० नन्जे गौडा, श्री सत्यगोपाल मिश्र, श्री एच० एम० पटेल, श्री बी० बी० रमैया और श्री इन्द्रजीत गुप्त के लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने के कारण जोकि इस संयुक्त समिति के सदस्य थे, हुए रिक्त स्थानों पर लोक सभा से आठ सदस्य नियुक्त किए जायें और उस संयुक्त समिति में लोक सभा द्वारा नियुक्त किए गए सदस्यों के नामों की सूचना इस सभा को दी जाए।"

11.18 म० पू०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) युवा वैज्ञानिकों में निराशा के कारणों की जांच किए जाने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त किए जाने की आवश्यकता

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण पर बड़ी धनराशि व्यय की जाती है परन्तु यह देखा गया है बहुत से वैज्ञानिक, विशेषकर युवा वैज्ञानिकों में निराशा विद्यमान है।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस मामले की जांच के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति भी नियुक्त की जाए और उस पर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(दो) समुद्री उत्पादों के निर्यात और विकास को बढ़ावा देने के लिए पुरी (उड़ीसा) में एक अनुसन्धानोन्मुखी से गठन स्थापित किए जाने और "समुद्री उत्पाद परामर्शदात्री निकाय" में उड़ीसा से प्रतिनिधि मनोनीत किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रजमोहन महन्ती (पुरी) : उड़ीसा का समुद्र तट काफी लम्बा है तथा यहां से मछली सहित अन्य समुद्री उत्पादों के विकास की काफी क्षमता है। उड़ीसा की मछली तथा अन्य समुद्री उत्पादों का निर्यात करने की क्षमता कम नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार ने उड़ीसा के समुद्री उत्पादों के विकास की क्षमता को ध्यान में नहीं रखा है, और समुद्री उत्पादों तथा मछली के विकास के लिए कोचीन के सामान कोई अनुसंधान यहां संगठन स्थापित नहीं किया गया है। समुद्र सलाहकार समिति में भी उड़ीसा का कोई प्रतिनिधि नहीं है। इसीलिए, मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि मछली समेत समुद्री उत्पादों के निर्यात और विकास को बढ़ावा देने के लिए पुरी में एक अनुसंधान

संगठन की स्थापना करें। सरकार से यह अनुरोध है कि वह समुद्र सलाहकार समिति में भी उड़ीसा के प्रतिनिधियों को मनोनीत करे।

(तीन) जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग किए जाने के लिए देश की विभिन्न नदियों को जोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री एम० एल० झिकराम (मांडला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि हमारे देश में अतिवृष्टि के कारण नदियों के बाढ़ से हजारों एकड़ की फसलें नष्ट होकर बह जाती हैं, कटाव के कारण जमीन बर्बाद होती है, सैंकड़ों हजारों लोग भारी वर्षा और बाढ़ के कारण बेघरबार हो जाते हैं। देश का बहुत सारा पानी बेकार बहकर समुद्र में चला जाता है तथा उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। दूसरी ओर, अनावृष्टि के कारण प्रान्त का प्रान्त सूखे की चपेट में आ जाता है, जिसके कारण लाखों नर-नारी और पशुधन अन्न और घास के अभाव में भूखे-प्यासे अकाल में ही काल के गाल में समा जाते हैं। इस प्रकार देश अतिवृष्टि और अनावृष्टि से हमेशा प्रभावित रहता है। वह जल जो जीवन कहलाता है, बेकार समुद्र में बहकर चला जाता है। यदि भारत सरकार अपने देश में नहरों का जाल बनाकर भारत की नदियों को एक दूसरे से जोड़ दे तो यह समस्या हल हो सकती है। इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए, जिससे भविष्य में हमारे देश में नहरों का जाल उसी प्रकार फैल जाए, जैसाकि हमारे देश में रेलों का जाल बिछा है। इससे जो पानी बहकर बेकार समुद्र में चला जाता है उसका सदुपयोग होगा साथ ही इन नहरों से आवागमन में भी सहायता प्राप्त होगी। अतः इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर भारत शासन अपने हाथों में ले।

(चार) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए राज्य स्तर पर निगरानी कक्ष स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद देश के विभिन्न भागों में भारत सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दुकानें नहीं खोली जा रही हैं।

स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है, राज्यों को 14 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित करने का निदेश दिया था। यह बहुत ही हैरानी की बात है कि बहुत से परिवारों, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक कस्बों में जिला अधिकारियों द्वारा यहां तक कि उन्हें राशन कार्ड भी जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं में बहुत ही असन्तोष व्याप्त है।

उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तथा देश के अन्य अनेक भागों में लगातार दो साल सूखा पड़ने को दृष्टि में रखते हुए, यह आवश्यक हो गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्देश दिए जाएं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली उसके दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करे, और यदि आवश्यकता हो, तो

उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्य स्तर पर निगरानी कक्ष स्थापित किए जायें।

मैं खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री से इन सुझावों को कार्यान्वित करने का अनुरोध करता हूं।

(पांच) **दिल्ली से कांडला पत्तन को रेलवे लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा ठक्कर (कच्छ) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना सदन में देना चाहती हूं :—

"मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला सदन में प्रस्तुत कर रही हूं। मैं कच्छ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं। कच्छ क्षेत्र में कांडला एक मेजर पोर्ट है। यह उत्तर भारत का एक ही मेजर पोर्ट है, इस क्षेत्र में इफ्को प्लांट का फ्री ट्रेड जोन है। कच्छ क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए यहां मिलिट्री के लोगों का आना-जाना लगा रहता है।

भारत के सभी मेजर पोर्ट दिल्ली राजधानी से रेलवे द्वारा जुड़े हुए हैं, परन्तु मुझे अत्यन्त दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांडला पोर्ट अभी भी दिल्ली से डायरेक्ट रेलवे द्वारा नहीं जोड़ा गया है।

अत: भारत सरकार से प्रार्थना करती हूं कि कांडला पोर्ट को शीघ्र ही दिल्ली राजधानी से रेलवे द्वारा जोड़ा जाए और एक सुपरफास्ट ट्रेन दिल्ली से कांडला तक अविलम्ब चलाई जाए।"

(छ:) **उड़ीसा में कोल इण्डिया लिमिटेड के अधीन एक सहायक कोयला कम्पनी स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : हमारे देश का कुल एक तिहाई कोयले का भण्डार अकेले उड़ीसा में पाया जाता है। लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उड़ीसा में अभी तक किसी कोयला कम्पनी की स्थापना नहीं की गई है। वास्तव में, आज यह देश में बड़ी मात्रा में कोयला उत्पादन करने वाला एक राज्य है जिसकी यहां ऐसी कोई कम्पनी नहीं है।

देश के व्यापक हित में, बड़ी मात्रा में वहां पाए जाने वाले कोयला भण्डार का उचित उपयोग करने के लिए, जोकि अन्य कोयला उत्पादन राज्यों की तुलना में बहुत ही सस्ता पड़ता है, और श्रमिकों तथा लोगों के हितों को देखते हुए उनकी विभिन्न स्थानीय और क्षेत्रीय समस्याओं को सन्तोषजनक ढंग से निपटाने के लिए, उड़ीसा के कोयला क्षेत्र में किसी उचित स्थान पर कोल इण्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत एक सहायक कोयला कम्पनी की स्थापना यथाशीघ्र की जानी चाहिए। इसके अलावा, राज्य में निदेशक का कार्यालय खोले जाने के कथित निर्णय के रूप में, उस दिशा में पहले निश्चित कदम के रूप में यथाशीघ्र कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

(सात) राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ तहसील के गांवों के आसपास सेना के लिए चांदमारी क्षेत्र बनाए जाने का विचार त्याग देने की आवश्यकता

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ तहसील के नीमला, मोतीवाड़ा, राजपुर सकट, रतनपुर बरला और आसपास के अन्य गांवों की सीमा के आसपास एक चांदमारी स्थल बनाये जाने का प्रस्ताव है।

जिला राजस्व अधिकारियों द्वारा एक दर्जन से अधिक गांवों की कृषि भूमि को अधिग्रहण करने के नोटिस जारी किए गए थे। जिन किसानों की भूमि और आवासीय सम्पत्ति का इस कार्य के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है, उनमें से अधिकतर जनजाति के लोग हैं। जनजाति लोगों के अलावा जिन लोगों की कृषि भूमि और रिहायशी सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया जा रहा है, वे सीमान्तिक और छोटे किसान हैं। उनके पास अपनी आजीविका कमाने के कोई साधन नहीं हैं और उनके पास सिर छुपाने का कोई स्थान भी नहीं है। यदि उनकी कृषि भूमि और रिहायशी घरों को अधिग्रहण कर लिया जाता है तो वे लोग बेघर हो जाएंगे।

मैं, इसलिए, भारत सरकार के रक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन राजस्व गांवों की सीमा के आसपास चांदमारी क्षेत्र न बनाया जाए और कृषि भूमि और रिहायशी मकानों का अधिग्रहण करने के लिए जिला राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी किए गए नोटिस वापस लिए जायें।

11.25 म० प०

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) विधेयक—[जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी द्वारा 14 अगस्त, 1989 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :

> "कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों के अपराध करने का निवारण करने के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए, विशेष न्यायालयों का उपबंध करने के लिए और ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने और उनके पुनर्वास तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री जनक राज गुप्ता अपना भाषण जारी रखेंगे। आप केवल तीन मिनट लीजिए।

[हिन्दी]

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : मान्यवर डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो शैडयूल कास्ट और शैडयूल ट्राइब का बिल मन्त्री महोदय इस सदन में लाए हैं, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनके जरिए अपने अजीम रहनुमा प्रधानमन्त्री जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ऐन वक्त पर वे इस बिल को सदन में लाए। उन गरीब, बेबस अवाम की बेहतर के लिए और उनको

प्रोटैक्शन देने के लिए जो काफी अरसे से जुल्मों के शिकार होते आए हैं। इसमें मैंने उस दिन एक बात पाइंट आउट की थी। यह दुरुस्त है कि कोई भी किसी शैडयूल कास्ट या शैडयूल ट्राइब को तंग नहीं करेगा लेकिन फिर भी मुझे अंदेशा है कि अगर कहीं कोई तंग करे तो उसके लिए यहां पर कोई प्रोविजन नहीं है। मैंने यह सजेस्ट किया था कि सैक्शन 3 और 4 में यह जो अल्फाज हैं :

[अनुवाद]

"कोई लोक सेवक, हैं किन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करता है, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।"

[हिन्दी]

मुझे यह अंदेशा है कि अगर किसी शैडयूल कास्ट या शैडयूल ट्राइब को कोई आफिसर तंग करे तो यह इसमें कवर नहीं होता। मैं यह समझता हूं कि यह जो बिल है इसमें कोई भी आदमी या कोई भी आफिसर किसी शैडयूल कास्ट या शैडयूल ट्राइब को तंग करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। यह जो बिल है, आप जानते हैं कि शुरू से ही आजादी से पहले और आजादी मिलने के बाद हमारे कांग्रेस के रहनुमा महात्मा गांधी जी ने भी यह हमेशा कोशिश की और वे काफी हद तक कामयाब भी हुए कि इस देश से छूआछूत खत्म हो और कोई भी शैडयूल कास्ट के लोगों को तंग न करे। वे जब भी किसी गांव में जाते थे तो शैडयूल कास्ट लोगों की बस्तियों में रहते थे। उसके बाद ऐसी आर्गनाइजेशन्स भी बनीं जैसे गांधी स्मारक निधि और दूसरी आर्गनाइजेशन्स जिससे कि यह कोशिश की गई कि इस किस्म का वातावरण बनाया जाए कि यह सोच ही खत्म हो जाए कि यह हरिजन है या दूसरा है। उसके बाद हमारे नेता पं० जवाहर लाल नेहरू, जिनके दिल में हमेशा ही यह तड़प रही कि हमारे पसमांदा जाति के लोगों की हालत बेहतर की जाये, उन्होंने ऐसे बहुत से इक्दामात उठाये जिससे उनकी इकनामिक और इक्तसादी हालत बेहतर हो, कोई उनके साथ जबर्दस्ती न करे और उनको तंग न कर सके।

इन्दिरा गांधी जी ने गरीब लोगों की बेहतरी और उनको इक्तसादी तौर पर दूसरे लोगों के बराबर लाने के लिए और उनकी हालत बेहतर बनाने के लिए 20-सूत्री प्रोग्राम बनाये और काफी उनका फायदा हुआ और उससे काफी लोगों की हालत बेहतर हुई। इसके अलावा उनके दिल में इतनी तड़प थी, इतना वह काम करती थीं कि उन्होंने अपोजिशन की परवाह नहीं की, आज भी लोग बड़ी अपोजिशन करते हैं, लेकिन उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया ताकि गरीब तबकाजात के लोगों और पसमांदा लोगों को फायदा हो सके। उन्होंने राजा-महाराजाओं के भत्ते बन्द किए ताकि हरिजन बस्तियों को डैवलप किया जा सके और उनकी हालत बेहतर हो सके। यही बात उनके दिल में थी। यहां तक कि जब जनता पार्टी के रिजीम में 20 हरिजनों को बेलछी में जिन्दा जला दिया गया तो इन्दिरा जी उस समय बड़ी मुश्किल से बेलछी गईं, क्योंकि वहां जाने के लिये रास्ता नहीं था, रास्ते में पानी था, तो वह हाथी पर बैठकर वहां पहुंची और वहां जाकर उन्होंने उनकी हालत पूछी और उनको हौसला दिया और उनके लिए लड़ीं।

इस बिल की जो स्प्रिट है, इसको वाकई अगर हमें लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना

है और यह है ही उन लोगों की बेहतरी के लिए, तो आज जो हमारे अजीम प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, उन्होंने जो इक्दामात उठाए हैं, मैं समझता हूं कि वह असली बात है।

जवाहर रोजगार योजना, पंचायती राज के तहत और नगरपालिका बिल पास कर के ऐसे जो इक्दामात प्रधानमन्त्री जी ने उठाये हैं, इससे यह वाजे है कि उन्होंने किस ढंग से हर बस्ती में जाकर, हरेक गरीब हरिजन आदिवास से पूछकर कि आपकी क्या तकलीफ है, आपको किस ढंग से फायदा हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन से सलाह-मश्विरा करके सारी रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स से सलाह-मश्विरा करके ये इक्दामात उठाये हैं। इससे उनकी इकनामिक पोजीशन बेहतर होगी। जब किसी की इकनामिक पोजीशन ठीक होगी तो ना तो कोई दूसरा आदमी उसको तंग करने की कोशिश करेगा और न वह खुद ही उसको बर्दाश्त करेगा। मैं इसके लिए प्रधानमन्त्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं और मुझे यह कहने में कोई एतराज नहीं है कि इसी वजह से अपोजिशन के लोगों ने इस्तीफे दिए क्योंकि वे प्रधानमन्त्री जी के चेलेंज को फेस नहीं कर सकते थे। अब लोग उनको देखेंगे, ऐसा हमें भरोसा है।

इस बिल में एट्रोसिटीज को डिफाइन किया गया है। मैं चाहूंगा कि गरीबों की मदद के लिए, गरीब हरिजन और आदिवासयों की इमदाद के लिये और उनको बड़े-बड़े लोगों के जुल्म और सितम से बचाने के लिये और भी कुछ करना चाहिए। मैं मौतरमा मन्त्री महोदय को सजैस्ट करना चाहूंगा कि जब किसी के खिलाफ कोई एक्शन होगा, जब कोई एक्ट होगा तो जो जबर्दस्त आदमी है, उसके खिलाफ एवीडेंस की जरूरत होती है। लेकिन गरीब आदमी जिस पर जुल्म होता है, उसकी कोई शहादत भी देने नहीं जाता। इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई सीक्रेट एजेन्सी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए जो सीक्रेटली इन्क्वायरी करे, उनका जो एविडेंस हैं; उसको ही पूरी तरह से मानना चाहिए। इसके लिए अगर कानून में संशोधन करने की आवश्यकता हो तो वह किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस सिलसिले में बर्डन ऑफ प्रूफ ऐक्यूज्ड पर होना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि गरीब आदमी की शाहदत के लिए कोई नहीं आता है।

दूसरी बात यह है कि सम्मरी ट्रायल होनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी फैसला हो जाये। इस सिलसिले में टाइम लिमिट भी होनी चाहिए। जिस ढंग से प्रधानमन्त्री जी ने यह बिल बनाया है और जिस ढंग से वह गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, मुझे यकीन हैं, उससे उनकी इकोनमिक पोजिशन अच्छी होगी।

अक्सर इलेक्शन के समय बूथ कैपचरिंग होती है। गरीब हरिजन और शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता है, जैसाकि अभी आपके सामने हरियाणा में हुआ, इसलिए जरूरी है कि उनको आर्म्स फ्री ऑफ कास्ट देने चाहिए और ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे वे अपने आप को डिफेंड कर सकें। इतना ही नहीं गरीब हरिजनों की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है और उन्हें गंदी चीजें खाने के लिए मजबूर किया जाता है। इस सिलसिले में कोई कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।

अन्त में मैं अपने प्रधानमन्त्री और मोहतरमा मिनिस्टर श्री वाजपेयी जी को यह बिल लाने के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि इससे गरीब अवाम को काफी फायदा होगा और जो लोग जुल्मे-सितम करते हैं उनको इस बिल से काफी समझ आएगी। अब वह वक्त नहीं रहा कि वह गरीब हरिजनों को सताये जाने पर बच जाएंगे। मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल शैड्यूल्ड कास्ट और

शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के हित में लाया गया है। यह वाकई बहुत प्रशंसनीय है। मैं 2-1 बात इसमें कहना चाहता हूं। इसके पहले भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए प्रावीजन थे, लेकिन उनका पालन कड़ाई से नहीं हुआ। आपने इस बिल में एट्रोसिटिज को डिफाइन किया है, यह बहुत तारीफ की बात है। जैसाकि इसमें लिखा है :

[अनुवाद]

"कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है— अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबन्धित भिन्न रीति से मतदान करने के लिए बल प्रयोग करता है या धमकी देता है।"

[हिन्दी]

लेकिन कौन देखेगा ?

जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो बूथ पर एक छोटी सी लाठी लिए हुए होमगार्ड का आदमी रहता है। जो दादा लोग रहते हैं वे शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को वोट नहीं देने देते हैं। इम्पलीमेंटेशन एजेंसी आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आपने बिल बना दिया लेकिन आप इन्शोर कैसे करेंगे कि ये लोग वोट दे सकेंगे। यह अपने आप में बड़ी गम्भीर समस्या है। कानून बना देने से कानून का पालन नहीं होता है। आप इस कानून के दसवें हिस्से का पालन करा दीजिए यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसके बाद यह है कि

[अनुवाद[

"अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के विरुद्ध मिथ्या विद्वेषपूर्ण, या तंग करने वाला वाद या दाण्डिक या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करता है।"

[हिन्दी]

यह तो रोज होता रहता है। फिर आपने लिखा है :

[अनुवाद]

"जन साधारण के सामने किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसका अपमान करता है या धमकी देता है।"

[हिन्दी]

फिर आपने लिखा है :

[अनुवाद]

"किसी स्रोत, जलाशय या किसी अन्य उद्‌गम के जल को जो आमतौर पर अनुसूचित जातियों या अनुसूजित जनजातियों के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, गंदा या मैला

करता है जिससे कि वह उस प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए उसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है।"

इस विषय में मैं कहूंगा कि एक चीज पर, जिनको कि व्यापारिक अनुभव है, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए चापाकल लगाये जाते हैं। हम लोग बार-बार सरकार को लिखते हैं, सरकार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हमारी एप्लीकेशन को भेज देती है कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के मौहल्लों में चापाकल लगाया जाए। एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर बगैर किसी हिचक के कहता है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम लगाएं क्या और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जितने ठाठ-बाट से रहता है, उसका कहना ही क्या। हम तो कहते हैं कि पानी को खराब करेगा, पीने नहीं देगा, आप समूचे प्रोवीजन को एक किनारे कर दीजिए, नेहरू सैण्टीनरी ईयर में बस एक ही काम कर दीजिए कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के टोलों में, बस्तियों में पीने के पानी का इन्तजाम हो जाए, उनकी आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं गांव-गांव में घूमता हूं, मैंने देखा है कि पानी के बिना लोग तड़प जाते हैं। वह उसी तालाब से पानी पीते हैं, जिससे मवेशी नहाते हैं, जिसमें लोग शोच को जाते हैं, जिसमें हजार तरह की गन्दगी रहती है, जिस पानी के पीने से कालाजार होता है, मलेरिया होता है, टाईफाइड होता है, कोलरा होता है और 50 तरह की बीमारियां होती हैं और हरिजन लोग उसी पानी को पीते हैं। जहां चापाकल लगना चाहिए, कोई चापाकल नहीं लगने देता है। हमने देखा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूं कि हरिजन के नाम पर चापाकल सवर्णों के यहां लगा दिया जाता है और कह देते हैं कि हरिजन के यहां लग गया। मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि आप हरिजनों के लिए चापाकल का, पीने के पानी का इन्तजाम कर दीजिए और यह इन्तजाम कर दीजिए कि जब भी उनका चापाकल खराब हो तो उन्हें पीने का पानी मिल जाए...

चौधरी सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : पीने का पानी कहां नहीं मिलता है?

डा० गौरी शंकर राजहंस : बिहार में नहीं मिलता है।

मैं एक बात और कहूंगा कि आपने कहा है कि ओफेंस करेगा तो उसे भारी सजा होगी। सजा कैसे होगी? गवाही देने कौन आयेगा? मैंने पहले भी इस सदन में कहा है कि लोग दादागिरी से इतने डर रहे हैं, अब क्रिमिनल्स हर एक फिल्ड में आ गये हैं, क्रिमिनल्स पोलिटिक्स में आ गए हैं, क्रिमिनल्स बिजनेश में आ गए हैं, क्रिमिनल्स लीगल प्रोफेशन में आ गये हैं, एक हरिजन को यदि सताया जाय तो गवाही देने के लिए कौन सामने आयेगा कि इसको सताया गया है। और सताने वाले पर मुकदमा चलाइए, उसको पनिशमैण्ट दिलाइए। मैंने इस पर एक सवाल भी इसी सदन में, इसी सैशन में पूछा था, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि लोग सामने नहीं आते हैं, सच पूछिए कि यह हरिजनों सवर्णों की इतनी नहीं है, जितनी लड़ाई हैव्स और हैव नॉट्स की है, जिसके पास पैसा है वह गरीब को रौंद देता है और हम लाचार होकर देखते रहते हैं तो व्यवस्था ऐसी कीजिए कि 2-4 आदमियों को भी पनिशमैण्ट मिले, इस ओफेंस में और जिसे पनिशमैण्ट मिले, उसका चेहरा आप टी० वी० पर दिखाइए, पूरा देश जाने कि इसने यह अत्याचार किया था, इसको यह सजा हुई है, अखबारों में उसकी फोटो छापिए, जिससे लोग उसका सोशल बायकाट करें, यह हमारी बहुत बड़ी देन होगी कि यदि हम कुछ भी ऐसा कर सकें जिससे कि उनको सही अर्थ में न्याय मिल सके। कल प्रधानमन्त्री जी ने बहुत अच्छा कहा कि हम शीघ्र

ही लोगों को सस्ता न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। इस दिशा में हम यदि पहल अभी से करें, कम से कम हरिजन और जनजाति के लोगों को न्याय मिल सके, हमने तो देखा है कि यह जो एंट्रासिटीज की बात कहते हैं, झारखण्ड मूवमैण्ट बिहार में हो रहा है, जहां पर आदिवासियों को कैजुअल की नौकरी मिलनी चाहिए, वहां पर दूसरे जिले के लोग आकर भर गये हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, वह लाचार होकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो जो काम आदिवासियों के लिए है, जो काम हरिजनों के लिए सुरक्षित है, उसमें तो उनको स्थान मिलना चाहिए। यह बड़ी चालाकी से होता है, लोग उसको कैजुअल में रखवा देते हैं और 5-7 साल कैजुअल में रह गया तो लोग कहते हैं कि अब तो इसका क्या होगा, अब तो इसी को रहने दो, दूसरे आदमी को इसकी जगह पर मत लाओ। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी है, हम शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की मदद करना चाहते हैं लेकिन हम यह भी देखें कि राज्यों में उनको मदद मिल रही है या नहीं मदद मिल रही है। यदि नहीं मिल रही है तो हम राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर जरूर आकर्षित करें कि देखिये आपके यहां हरिजनों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। कोई भी राज्य सरकार इसको केजुअली न ले। जब हरिजनों पर बहुत अत्याचार होते हैं तो आपको पता है कि कई जगह पर वे नक्सलाईट हो गए हैं। क्योंकि उन्हें जोब अपोरच्युनिटीज नहीं हैं, उनके साथ इन्सान की तरह ट्रीटमेंट नहीं होता है। जब वे लाचार हो जाते हैं और सामाजिक व्यवस्था में वे कुछ नहीं कर पाते तो वे ऐसा करते हैं। तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वह दोषपूर्ण है और इस सारी व्यवस्था को ठीक कराएं।

अभी दुनिया में स्लेवरी के बारे में एक स्टडी हुई थी कि कहां-कहां अभी भी स्लेवरी है। उसमें बताया गया कि हिन्दुस्तान में भी अभी स्लेवरी बोण्डेड लेबर के रूप में है। बोण्डेड लेबर में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं जिनसे पीढ़ी दर पीढ़ी जबरन काम लिया जा रहा है। आप उन सबको निकालने की कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे। दुनिया के दूसरे भाग अफ्रीका के हैं। मैं कहूंगा कि हमारा इन्टेशन बहुत अच्छा है और हमने एक अच्छी शुरूआत की है कि जिस पर भी अत्याचार हो उसको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाएं और सारी दुनिया को बताएं कि इसने अन्याय किया था इसलिए इसको सजा हुई। जो हमारा इन्टेशन है कि हम हरिजनों और जनजातियों को न्याय दिलाना चाहते हैं; उनको उनका उचित स्थान दिलाना चाहते हैं वह हम करके दिखावें। मेरी इतनी ही प्रार्थना है।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) विधेयक, 1989 का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, पिछले पांच वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए सरकार ने लगातार नये नये उपाय किए हैं और मैं इस बिल को एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बिल मानता हूं। क्योंकि मान्यवर, इसके पहले अत्याचारों से निपटने के लिए जो कानून थे उनके बारे में हम समय समय पर सदन में चर्चा करते थे और यह तय हो गया था कि जो कानून विद्यमान हैं उनसे उनकी समस्या का निदान नहीं होता है। इस बिल को लाने के लिए, मैं खास कर माननीया कल्याण मंत्री जी को बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। अपनी सरकार और अपने प्रधानमंत्री को भी साधुवाद देना चाहता हूं।

मान्यवर, यह सही बात है कि कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए कई साल से लगातार प्रयत्न हो रहे हैं। हमारे देश में लोकतन्त्र है और विरोधपक्ष भी है। अभी दो-तीन महीने पहले विरोध

पक्ष के एक नेता ने यह आन्दोलन करने की धमकी दी कि यदि शेड्यूल ट्राइब्ज को सर्विसिज में पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो वे आंदोलन चलायेंगे। मुझे सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार ने बेकलोग को पूरा करने के लिए प्रक्रिया आज से दो-ढाई साल पहले शुरू कर दी थी। माननीया मंत्री जी ने कई अवसरों पर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्ज के लोगों को ही नहीं बल्कि एम० एल० ए० और एम० एल० सी० की अन्य कई अवसरों पर बैठकें और सम्मेलन बुला कर के इस बेकलोग को समाप्त करने का निर्णय लिया था जोकि हमारे प्रधानमन्त्री जी की आकांक्षा के अनुरूप था और आज यह कार्यवाही सारे देश में चल रही है। इसका इम्पेक्ट बहुत अच्छा है और जो आन्दोलन करने वाले थे उनको पता चल गया है कि सरकार केवल शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्ज की बात नहीं करती है। यह चरित्र है अपने देश के विरोध पक्ष का। इसलिए वे यह सब चलाना चाहते थे कि शायद गवर्नमेंट देर कर दे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़े सामयिक ढंग से आपने कार्यवाही की, इसका बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ा है। आज जो बिल सामने आया है, इसके लिए मैं मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके उद्देश्यों और कारणों में सारे प्वाइन्ट्स का जिक्र किया गया है।

हरिजन आदिवासियों पर जो अत्याचार होते हैं, उसके कई मुख्य कारण हैं। आजादी के 42 वर्षों के बाद देश में जो सामाजिक स्तर पर सुधार हुआ है, उसके परिणामस्वरूप हरिजन-आदिवासियों में जागृति आई है और वे अब उन अत्याचारों का विरोध करने लगे हैं। जिन लोगों में सहृदयता नहीं है, वे आज भी इन लोगों पर अत्याचार करते हैं। यह बात सही है कि जमीन के मामले में, छुआछूत के मामले में, महिलाओं के सम्मान के मामले में सवर्णों द्वारा हरिजन-आदिवासियों पर अत्याचार किए जाते हैं, ताकतवर लोगों द्वारा अत्याचार ढाए जाते हैं, लेकिन इस बिल में कोई ऐसा विषय नहीं है जो छूटा हो, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार ने स्वीकार किया है कि मौजूदा कानूनों से इन अत्याचारों को रोकने में सफलता नहीं मिल पा रही थी, इसलिए यह बिल लाया गया है।

एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी नीयत साफ है, सरकार की नीयत साफ है और हमारी आइडियालाजी क्लीयर है, लेकिन इन कानूनों का पालन प्रदेश सरकारों द्वारा करवाना होता है, जोकि उत्तरदायित्व से इन कानूनों का पालन नहीं करतीं। हम कानून बना कर दे देते हैं, लेकिन उसका पालन ठीक तरह से नहीं हो पाता। जैसाकि अभी हमारे सम्माननीय साथी ने कहा, हम वीकर-सेक्शन के लिए कानून बनाते हैं लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। हरिजन-आदिवासियों के उत्थान का कार्य केन्द्रीय सरकार का है, इसलिए इसके लिए मानेटरिंग सेल प्रदेश लेवल पर नहीं बल्कि जिला लेवल पर होने चाहिए और निगाह रखी जानी चाहिए कि किस क्षेत्र में किन वर्गों पर अत्याचार हो रहा है, इसकी सूचना बराबर मिलती रहनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति कमिश्नर और कमीशन हैं जोकि सारा विवरण प्रस्तुत करते हैं। कभी-कभी इनकी रिपोर्ट पढ़कर बहुत विचित्र स्थिति होती है, जब यह देखने को मिलता है कि इस वर्ष में हरिजनों पर इतने हजार केसेस अत्याचार के हुए। ये जो अत्याचार होते हैं, इनका सबसे बड़ा कारण यह है कि सम्बन्धित थाने का एस० ओ० एफ० आई० आर० ही दर्ज नहीं करता। जहां पर इस तरह के केसेस ज्यादा होते हैं वहां के एस० ओ० की शायद खराब एंट्री होती है, उस खराब एंट्री से बचने के लिए वह शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के लोगों की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करता। मेरा निवेदन है कि कहीं न कहीं ऐसा प्रावधान होना चाहिए

कि अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति की दरख्वास्त को ही एफ० आई० आर० के समान माना जाना चाहिए और उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। सम्बन्धित एस० ओ० पर इस बात की बाध्यता होनी चाहिए कि वह उसके प्रार्थना पत्र को एफ० आई० आर० माने। अगर कोई जन प्रतिनिधि उसका प्रार्थनापत्र फार्वर्ड करता है या वह एस० पी० को या अन्य अधिकारी को प्रार्थनापत्र देता है तो उसको भी एफ० आई० आर० माना जाना चाहिए, जिससे पुलिस अधिकारी अपने कर्त्तव्य निर्वहन से बच न सकें।

एक और महत्वपूर्ण सुझाव मैं देना चाहता हूं, जिसके बारे में और भी कई माननीय सदस्यों ने कहा है। कौन साहस करेगा कि वह हरिजन-आदिवासी के पक्ष में गवाही दे और ताकतवर लोगों से दुश्मनी करे। आज आवश्यकता इस बात की है, जिस तरह से महिलाओं के बारे में है। जो अपराध करता है उस पर ओनस आफ प्रूफ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस विधेयक का जो परपज है, वह हल नहीं होगा। किसी पर अत्याचार करने की कभी रिपोर्ट आती है तो उसका जिसने अत्याचार किया है अपने को निर्दोष साबित करने का मौका मिलना चाहिए कि उसने अत्याचार नहीं किया। आजादी के 42 वर्षों बाद भी हमारा हरिजन-आदिवासी अभी भी कमजोर वर्ग है, उसकी ऐसी ताकत नहीं है कि वह अपनी शक्ति के बल पर लोगों की सदभावना प्राप्त कर सके और गवाह जुटा सके। इसलिए ऐसी धारा आप जोड़ दें कि जिसके ऊपर अपराध है वह निर्दोष होने का सबूत पेश करे। मैं सन् 62 में उत्तर प्रदेश विधान सभा में आया था। हमारी माननीय मंत्री जी भी उसी समय आई थी। इनका करूणामय हृदय है। हमें मालूम है कि इन्होंने किस प्रकार अपने क्षेत्र के लिए और आदिवासियों के लिए अपने स्तर से उनके कल्याण की योजनाएं बनाई थीं। मैं व हमारे बहुत से साथी पिछले दस-पन्द्रह सालों से यह मांग करते आ रहे हैं कि जो एस० सी० एस० टी० लिस्ट में छूट गये हैं, उनके साथ अत्याचार होता है, उनको कानूनी सहायता भी नहीं मिलती, उन्हें भी लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं क्यों पिछले तीन चार सालों में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और हमें पता चला है कि उस लिस्ट को केबीनेट ने भी क्लीयर कर दिया है। एनोमेलीज भी दूर होनी चाहिए। भाई मोतीलाल जी यहां बैठे हैं। इनके यहां बियार आदिवासी हैं लेकिन मेरे क्षेत्र में वे आदिवासी नहीं हैं। मध्य प्रदेश के आठ जिलों में आदिवासी हैं और इसी प्रकार पनिका ट्राइब भी बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में बीस लाख के करीब है। आज हम किसी एम० पी० को खुश करने के लिए कोई जाति शामिल कर सकते हैं लेकिन बीस लाख पनिका जाति के साथ अन्याय नहीं कर सकते। जब एरिया रीजस्ट्रेशन बिल पास कराया गया था तो इस जाति को भी शामिल करना चाहिए था। नेताम जी ने व अन्य साथियों ने मांग की है कि पूरे राज्य की पनिका जाति को ट्राइब में शामिल किया जाए। अगर वहां की सरकार किसी प्रकार न करे तो पार्लियामेंट सुप्रीम है और आपको निर्णय करना है कि कौन सी जाति ट्राइब है और कौन सी एस० सी०। यह जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार माने या न माने। लेकिन यह गलत बात है कि एक जगह तो एस० सी० है लेकिन दूसी दूसरी जगह पर नहीं। आप पर दबाव पड़ा है और हम भी कई बार डेपुटेशन लेकर गए हैं, जो लिस्ट आपने तैयार की है और जहां संशोधन की जरूरत पड़े वह अवश्य होना चाहिए। इस सेशन में नहीं तो जो अगला सैशन बुलाया जा रहा है, उसमें किया जा सकता है। आप सक्षम हैं और अगले सैशन में एक दिन में इसको पास कराया जा सकता है। कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं है। कई करोड़ गरीब लोग हैं जो इस सूची में जुड़ जायेंगे। माननीय मंत्री जी के पास करूणा की भावना है और उसी भावना से इस इम्पसी-

मेंटेशन की मशीनरी इसी बिल के माध्यम से तैयार करने की कृपा करें। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

12.00 म० प०

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा का विचार जानना चाहता हूं जो सदस्य बोलना चाहते हैं इनकी लम्बी सूची है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम मध्याह्न भोजन के समय को छोड़ सकते हैं। यदि आप सब को यह स्वीकार हो तो हम मध्याह्न भोजन के समय को छोड़ सकते हैं और वाद-विवाद जारी रख सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : जी हां महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : साथ ही मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बहुत संक्षेप में कहें और प्रत्येक केवल 5 से 6 मिनट लें।

श्री सुन्दर सिंह।

[हिन्दी]

चौधरी सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : हमारी बहन जी ने जो यह विधेयक यहां पेश किया है वह बहुत अच्छा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के ख्यालात बड़े साफ हैं। अगर उनकी मौजूदगी में हम लोगों का भला नहीं हो सकता तो फिर कभी नहीं हो सकता। आप कानून तो बहुत बनाते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की भलाई के लिए, लेकिन उनका इम्पलीमेंटेशन नहीं हो पाता है। जो विधान सभाओं के सदस्य हैं और संसद सदस्य हैं उनको चाहिए कि इसे कार्यान्वित करें। विधायकों को इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। वह किस लिए हैं। हम लोग सदस्य बन जाते हैं और यही कहते हैं कि केन्द्र सरकार यह करे, वह करे, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है। खास कर जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनकी। आप कहते हैं कि पुलिस में एस० सी० और एस० टी० के लोगों की भर्ती नहीं होती, तो यह आपको देखना चाहिए कि क्यों नहीं होती। पंजाब में आज डी० एस० पी० और डी० आई० जी० हरिजन हैं। जहां पर पुलिस में हरिजन लोगों को नहीं लिया जाता है तो यह किसका कुसूर है, आपका कुसूर है। आप बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन कहते यही हैं कि सेन्टर गवर्नमेंट को करना चाहिए।

[अनुवाद]

गिड़गिड़ाने से किसी भी आदमी को अपना अधिकार नहीं मिलता है। अधिकार तो अनिच्छुक लोगों से छीने जाते हैं।

महात्मा जी ने कहा था :

"मैं दुबारा जन्म नहीं लेना चाहता हूं। यदि मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं हरिजन के रूप में जन्म लेना चाहूंगा ताकि मैं उनके उन दुखों और प्रताड़नाओं को महसूस कर सकूं जो उन्हें दी

जाती हैं। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं दुबारा जन्म लूं तो मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं बनू बल्कि आदि शूद्र बनूं।"

[हिन्दी]

मैं बड़ा हैरान होता हूं जब इस तरह की बातें सुनता हूं कि हरिजनों पर फलां अत्याचार हुआ या यह हुआ। उस वक्त आप क्या करते हैं। पंजाब में भी ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि हमारे गांव से लड़कियां ले जाते थे साथ वाले गांव के, हमने उसी समय अपने आदमियों को शराब पिलाकर कहा कि इनकी लड़की उठा लाओ तो वह उसी वक्त हमारी लड़की वापस दे गए। इसलिए यह आपकी ही जिम्मेदारी है, केन्द्र सरकार की नहीं है। अगर कोई एम० पी० या एम० एल० ए० जो हरिजन हो वह अपने लोगों की रक्षा न कर सके तो उसे बाहर कर दो। जो हरिजन निर्वाचन क्षेत्र हैं वहां हमें एहतियात बरतनी चाहिए और उनकी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा था कि आप इनके बारे में सोच-समझ कर कोई ठोस कदम उठायें"'इसमें किसी तरह का ऑब्जैक्शन तो होना ही नहीं चाहिए। यदि किसी जगह हरिजनों का होल्ड हो तो वहां सब काम अपने आप ठीक हो जाते हैं। जब मैं असैम्बली में हुआ करता था तो उन दिनों जो व्यक्ति भी हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार की बातें करता था, मैं उसे एक ही सलाह दिया करता था कि अत्याचार के खिलाफ जब तक हरिजन खुद आवाज नहीं उठाएगा, उसकी सुनेगा कौन, उस पर होने वाला अत्याचार खत्म कैसे होगा। सभी मुझसे सहमत थे। इसलिए आदमी में लीडरशिप होनी चाहिए, वैसे ही हरिजनों की लीडरशिप होनी चाहिए। लोग वैसे ही इधर-उधर घूमते फिरते हैं, कहते हैं कि हरिजनों पर अत्याचार होता है, लेकिन मेरा कहना है कि आप चाहे कितने ही कानून बना लो, जितने मर्जी लैजिस्लेशन बना लो, जब तक हरिजन खुद सामने नहीं आयेंगे, अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलन्द नहीं करेंगे, सारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। सवाल यह है कि कानून तो पहले भी बने हुए हैं, लेकिन उन्हें इम्पलीमैंट कौन करे, स्टेट गवर्नमैंट या सैंट्रल गवर्नमैंट : बिना लोगों के सहयोग लिए, कोई कानून ठीक तरह से इम्पलीमैंट नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

गिड़गिड़ाने से किसी भी आदमी को अपना अधिकार नहीं मिलता है। अधिकार तो अनिच्छुक लोगों से छीने जाते हैं।

[हिन्दी]

राइट लेने के लिए खुद लड़ना पड़ता है और आदमी जब तक खुद आगे नहीं आएगा, यह सिलसिला चलता रहेगा। लोग कहते हैं कि बड़ी इन्जस्टिस हो रही है, मैं पूछता हूं कि भाई खुद में वह ताकत पैदा करो कि कोई इन्जस्टिस करने ही न पाये, दूसरों को ब्लेम करने से कोई काम नहीं होने वाला, हमें हर इन्जस्टिस का डटकर मुकाबला करना चाहिए। मैं बड़ा हैरान हूं कि हरिजनों पर इन्जस्टिस रोकने के लिए यह कानून बना दो, वह कानून बना दो, जब तक हरिजनों में खुद ताकत नहीं होगी, कोई कानून ठीक तरह से इम्पलीमैंट नहीं हो सकता। हरिजनों को अपनी रक्षा खुद करनी होगी, कोई उनकी रक्षा करने नहीं आएगा। पंजाब सबसे ज्यादा टैररिस्टस अफेक्टिड इलाका है, मैं वहां भी यही कहता हूं कि टैररिस्टस के खिलाफ सारे अकाली, कम्यूनिष्ट सब इकट्ठे हो जाओ, तभी

पार पा सकते हो, कानून बना देने से कोई काम नहीं निकलने वाला है। मुझे नये-नये कानूनों की बात सुनकर बहुत तकलीफ होती है। हर आदमी को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। हरिजनों के जितने एम० एल० ए० या दूसरे रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, कानून तो पहले से बहुत बने हैं, लेकिन उन्हें इम्पलीमैंट करने का सवाल है। उन्हें खुद कानूनों को इम्पलीमैंट कराना होगा, दूसरा कोई यह काम करने नहीं आएगा, खुद हरिजनों को लड़ाई करनी पड़ेगी। इन शब्दों के साथ, मैं आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए, इतने सुन्दर विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण विधेयक लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इससे पहले कि मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार रखूं, इससे पहले के बने कानूनों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इससे पहले बने कानूनों में हरिजनों पर अत्याचार रोकने के लिए अनेके प्रावधान मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि उनके प्रभावी होने से इन लोगों पर होने वाले अत्याचारों में कमी आयी है। फिर भी मंत्री महोदया ने वस्तुस्थिति को समझकर, यह ऐतिहासिक विधेयक सदन में उपस्थापित किया है, जिसके लिए हमारे प्रधानमन्त्री जी और डा० बाजपेयी जी दोनों बधाई के पात्र हैं। जैसा यहां राजहंस जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा कि इस सम्बन्ध में हम सदन में एक नहीं अनेकों कानून बना चुके हैं, लेकिन जब उन्हें राज्यों के पास भेजा जाता है, तो जिला स्तर तक पहुंचते-पहुंचते वे कानून पंगु होकर रह जाते हैं। जहां तक आपने इस विधेयक में अत्याचार निवारण के लिए प्रावधान किए हैं, अत्याचारों की रोकथाम की व्यवस्था की है, प्रावधान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में जितने कानून पहले बने हैं, उनकी ओर दृष्टिपात करें, संविधान में जो व्यवस्थाएं की हैं, उनकी ओर देखें या आई० पी० सी० की ओर देखें तो सब में आपको एक व्यवस्था यह मिलेगी कि अत्याचारों से सम्बन्धित केस में अधिक से अधिक 90 दिनों में चार्जशीट तैयार करके अदालतों में पेश हो जानी चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि पुलिस अधिकारी चार्जशीट को अदालतों में पेश करने में साल-साल या डेढ़-डेढ़ साल तक लगा देते हैं, जिससे ऐसे मामले प्रूफ के बिना, फाइनल रिपोर्ट के बिना छूट जाते हैं। मैं चाहूंगा कि 90 दिन में चार्जशीट प्रस्तुत करने वाले प्रावधान पर कड़ाई से अमल किया जाना चाहिए और इस विधेयक में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां हरिजनों पर अत्याचार का प्रकरण सामने आए, उसकी चार्जशीट अधिक से अधिक 90 दिनों में अदालतों में पेश हो जानी चाहिए। यदि आप विधेयक में ऐसी व्यवस्था कर देते हैं तो निश्चित रूप से अत्याचार के मामलों में कमी आएगी। दूसरे मैं चाहूंगा कि जिस स्थान पर अत्याचारों की संख्या ज्यादा है, हरिजनों और आदिवासियों पर ज्यादा अत्याचार होते हैं, वहां एक नहीं अनेक अदालतें गठित करके उन केसेज को निपटवायें तभी हम इन लोगों को सही अर्थ में न्याय दे पायें तभी इस विधेयक के प्रावधानों का सही रूप में कार्यान्वियन हो पाएगा।

महोदय, होता यह है कि जब कानून बनता है, किसी पर अत्याचार हुआ, वह गरीब बेचारा न्यायालय में अब कानून की शरण में गया और जब न्याय मिलने में विलम्ब होता है, तो बड़े-बड़े लोग उसे ही और अत्याचारों का शिकार बनाते हैं और वह बेचारा फिर असहाय होकर उनकी शरण में जाता है।

सबसे ज्यादा यह बात मैंने बिहार में देखी है। बिहार प्रदेश में आप जहानाबाद से लेकर अगर

रांची साइड में भी जाएं, तो हालत सबसे ज्यादा खराब है। वहां जो समस्याएं हैं, उनमें सबसे मुख्य समस्या भूमि विवाद की है। यह भूमि विवाद ही अत्याचार का कारण है और दिन ब दिन यह बनता जा रहा है। बड़े-बड़े जमींदारों ने क्या किया है कि सीलिंग एक्ट से बचने के लिए उसकी नौकरी में यदि कोई हरिजन है, तो उसके नाम पर ही दो चार एकड़ जमीन उसने करवा ली है। अन्य जातियों के नाम पर ही दो-चार एकड़ जमीन करवा लेता है। वे लोग पढ़े-लिखे न होने के कारण जानते भी नहीं हैं कि हमारे नाम पर इतनी जमीन इन्होंने लिखवा ली है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैंने इस सदन में पूर्व में भी कई बार कहा है और मंत्री महोदय से मिलकर पत्र भी दिया और अनेकों बार यह सवाल उठाया कि अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में जब तक पूर्णरूपेण उन वर्गों को भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जो वर्ग आज इस लाभ से वंचित हैं, तब तक आपकी यह समस्या हल नहीं होगी। जैसे चम्पारण में आप देखें, बिहार सरकार ने आपके पास रिकमेंडेशन भेजी है कि "थारू जाति को भी अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाए। हम इन्तजार कर रहे थे कि उन लोगों को भी सम्मिलित करने का प्रावधान होगा, लेकिन उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। इसी प्रकार से यदि आप अनुसूचित जनजाति की सूची को देखेंगे, तो उसमें बहुत विशेषताएं हैं। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में अनुसूचित जनजाति का जो क्राइटीरिया है, उसमें आप देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि "गोंड" शब्द को अनुसूचित जनजाति मान लिया गया है और वहीं "गौड" शब्द को उपेक्षित रखा गया है। सिर्फ एक शब्द के अन्तर के कारण हमारे पूरे बिहार में और उत्तर प्रदेश में उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग में रखने जाने से वंचित रखा गया है। सिर्फ अनुस्वार शब्द से वे लोग वंचित हैं। मंत्री महोदया आपमो ताज्जुब होगा—माननीय सदस्य श्री कृष्ण प्रताप सिंह ने जिलाधीशों को सिवान, गोपालगंज और छपरा में लिखा था कि इन जिलों में कितने लोग गौंड जाति के निवास करते हैं, लेकिन वहां से समाहर्ता का जवाब आया कि गौडों को अनुसूचित जनजाति में नहीं रखा गया है। हमारे जिले में एक भी आदिवासी नहीं है। लेकिन सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि वहीं उसी क्षेत्र में दस-पन्द्रह पेट्रोल पम्पों के मालिकों को आप देखें, तो वे पेट्रोल पम्प उन्हीं जातियों के लोगों के नाम पर लिए गए हैं। जब तीनों जिलों में एक भी आदमी आदिवासी नहीं है, तो फिर ये पेट्रोल पम्प उन जातियों के नाम पर कैसे स्वीकृत हुए। जब हम पूछते हैं और यहां से रिपोर्ट जाती है तो कहते हैं कि इस जाति का कोई नहीं है और जब कोई पेट्रोल पम्प की स्वीकृति ली जाती है, तो उसी जाति के व्यक्ति के नाम ले ली जाती है। सरकार की नीति है कि आदिवासी और हरिजनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये पेट्रोल पम्प स्वीकृत होते हैं। लेकिन संगठित गिरोह द्वारा चाहे वे बड़े-बड़े लोगों का है, उनके द्वारा आदिवासी और हरिजनों के नाम पर पेट्रोल पम्प स्वीकृत करवा लिए जाते हैं। हमारे प्रधानमन्त्री जी की नीति है और इस सरकार की यह नीति है। आज कोई भी आदिवासी और हरिजन इन पेट्रोल पम्पों के मालिक नहीं हैं। जब ये एजेंसी निकलती हैं, तो पूर्व में ही उनके नाम पर जमीन रजिस्ट्री करते हैं, जो उनका नौकर होता है, उन्हीं के नाम पर बैंक बैलेंस जमा करते हैं। उनके नाम पर ही खाता खोल लेते हैं। वह बेचारा जानता भी नहीं है कि मेरे नाम पर यह पेट्रोल पम्प चल रहा है। जब यहां से पूछा जाता है तो समाहर्ता लिख देते हैं कि हमारे यहां इन जातियों के आदमी नहीं हैं। तो इसी तरह का चार सौ बीसी का काम पूर्व में होता रहा है।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : आप एग्जाम्पल दीजिए।

श्री काली प्रसाद पांडेय : एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आलरेडी विजिलेंस को लिखकर दे चुका हूं और उम्मीद है कि पेट्रोलियम मंत्रालय उसकी जांच कर रहा है । मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूं । आप सारण डिस्ट्रिक्ट में जाएं, पूरे पटना की बात मैं कहता हूं, पूरे बिहार की बात मैं चुनौती भरे शब्दों में कहता हूं कि जो पेट्रोल पम्प का लाइसेंस दिया गया है, एक भी आदिवासी यह नहीं जानता है कि मेरे नाम पर पेट्रोल पम्प चल रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक विशेष न्यायालय की स्थापना है, दस जिलों में मिलाकर हाजीपुर में पहले हरिजनों के केस से सम्बन्धित मुकदमे दायर होते थे । जो हरिजन यह समझता है कि यहां पर उसको न्याय नहीं मिला गोपालगंज और चंपारन से किसी 150 मील जाकर अगर अपना केस करना हो तो उसके लिए भारी परेशानी है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर जिला मुख्यालय में एक ऐसे सैल की स्थापना की जाए जिसमें इन्सपैक्टर या थाना प्रभारी रैंक के आफिसर हों जो हर हरिजन आदि पर हो रहे अत्याचारों को देखें और उस पर ऐक्शन लें । राजहंस जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि अगर आदिवासियों को आप रांची या अन्य साइड में देखें तो पाएंगे कि न्यूनतम मजदूरी जो लिखी गई है, वह जगह आज भी इससे वंचित हैं । सबसे पहले जब कानून हम बनाते हैं वह कानून आम लोगों तक पहुंचे । जो पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, वे भी कानून के प्रति वाकिफ हो सकें । आप ऐसा भी प्रावधान करें कि जिला मुख्यालय में जो भी कमेटियां हों वहां के लोकल विधायकों, एम० पी० को कम से कम उसमें जगह मिले । अब तो जवाहर रोजगार योजना का प्रधानमन्त्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है । अगर ऐसी पंचायतों में इन पर अत्याचार होता है तो उस पंचायत के मुखिया को भी इंप्लूव करें तो निश्चित रूप से कुछ हद तक हम काबू पाने में सफल हो सकते हैं । मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस नए ऐतिहासिक विधेयक से निश्चित रूप से हम इन अत्याचारों पर काबू पाने में सक्षम हो गए हैं ।

[अनुवाद]

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी को यह विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देती हूं । मैं इस विधेयक को अपना पूरा समर्थन देती हूं ।

मुझे बहुत दुख है कि 20वीं सदी के अन्त में भी इस तरह के विधेयक की जरूरत है—यह बहुत ही खेद की बात है । तथाकथित सवर्ण जाति के लोग तथा जमींदार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचारों को ढाने के मुख्य अपराधी हैं । जहां तक अत्याचारों के निवारण की बात है यह एक अच्छा विधेयक है । लेकिन इसमें पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं है । ऐसा कुछ न कुछ प्रावधान अवश्य होना चाहिए जिससे दोषी पुलिस अधिकारियों को उचित दण्ड दिया जा सके ।

यह वास्तव में बहुत दयनीय स्थिति है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संवैधानिक संरक्षण होने के बावजूद देश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने में असमर्थ रहा है । यहां मैं कहना चाहती हूं कि इन अत्याचारों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में भी महिलायें ही सबसे अधिक पीड़ित होती हैं ।

यह बहुत ही स्वागत योग्य बात है कि इन अत्याचारों से पीड़ित लोगों को पुनर्स्थापित करने के

लिए प्रावधान किया गया है। पुर्नस्थापित किए जाने वाले लोगों की संख्या और मुआवजे की राशि के बारे में केन्द्रीय सरकार को निर्णय लेना चाहिए अन्यथा यह राज्य में अलग-अलग हो जाएगी। दुर्भाग्य से कई स्थानों में अभी तक अस्पृश्यता मौजूद है। इस अस्पृश्यता को हटाने के लिए काफी कार्य करने की आवश्यकता है। जब तक सभी वर्गों के लोगों का रवैया नहीं बदलेगा तब तक मात्र एक विधेयक से इस तरह की समस्या हल नहीं हो सकेगी। यह सही है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति तथा उनमें निरक्षरता काफी हद तक इन अत्याचारों के लिए जिम्मेदार है।

भूमि इन अत्याचारों का दूसरा मुख्य कारण है। यह सधन और निर्धनों के बीच की लड़ाई भी है। कोई भी व्यक्ति, शिक्षित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर और जो काफी समृद्ध हैं उन पर, अत्याचार करने का साहस नहीं कर पाता है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग सचेत होते जा रहे हैं और अपने अधिकार जताना चाहते हैं। लेकिन जब भी वे अपने अधिकार जताना चाहते हैं तभी शक्ति सम्पन्न वर्ग सक्रिय हो जाता है और वे अपनी स्थिति का फायदा उठाते हैं तथा यह भी अत्याचारों का एक और कारण है। विधेयक का बहुत स्वागत हुआ है। लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक दशा और शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। सुधार न केवल पुरुषों के लिए भी आवश्यक है बल्कि महिलाओं के लिए भी आवश्यक है क्योंकि जैसे मैं पहले कह चुकी हूं निःसंदेह महिलायें ज्यादा पीड़ित हैं। जब सारे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग आर्थिक रूप से और शैक्षिक स्तर पर अन्य समुदायों के बराबर हो जाएंगे तो वे मुख्य धारा के समान आ जायेंगे और फिर जमींदार या सवर्ण लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों से अन्याय नहीं कर पायेंगे। मैं भारत में ऐसे समाज के बारे में सोचता हूं जहां सब लोगों को समान समझा जायेगा और अनुसूचित जातियों तथा अन्य जातियों के बीच कोई भी अन्तर नहीं रह जाएगा तथा देश में कोई भी निर्धन नहीं रह जाएगा।

मुझे पूर्ण आशा है कि इस विधेयक का कार्यान्वयन उचित ढंग से किया जाएगा। मुझे सभा के ध्यान में यह बात लाते हुए दुख है कि इस सभा में कई पारित किए गए लेकिन ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं होने के कारण लोगों को उचित राहत नहीं दी जा सकी।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम (गया): उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों में कमी करने के लिए जो बिल सदन में उपस्थित है, उसका मैं हार्दिक समर्थन करते हुए उसे ऐतिहासिक बिल मानता हूं। इस बिल को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हरिजनों पर एट्रोसिटीज के बारे में इस सदन में बहुत चर्चा हुई है, तरह-तरह के उपाय केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के पास भेजे, चाहे कहीं की भी राज्य सरकार हो, वहां पर इन उपायों पर कोई अमल नहीं हो पाया और दिन-ब-दिन एट्रोसिटीज की घटनाएं घटती रहीं।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरी समझ में एट्रोसिटीज के 5 मुख्य कारण हैं।

पहला भूमि विवाद, दूसरा सामाजिक शोषण, तीसरा आर्थिक शोषण, चौथा अस्पृश्यता से उत्पन्न तनाव, और पांचवां सामाजिक व राजनीतिक चेतना जो कि आज गरीबों में आई है ।

ज्यादातर देखा जाता है कि 60 परसेंट केसेज ऐसे हैं जहां पर भूमि से सम्बन्धित मामले हैं। आपने 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीनों को जमीन दी। जमीन के साथ उसे पट्टे जरूर दिए हैं, लेकिन उसे कहां पर जमीन मिली, किस प्लाट में जमीन मिला, किस खाते का जमीन मिला उसे बताया नहीं गया। अगर आप आंकड़ों में जायेंगे तो यही पायेंगे कि बिहार में भूमि विवाद नाम की चीज नहीं है और सारा लैंड रिफार्म हो गया है, लेकिन दरअसल आंकड़ों के जाल से निकलने पर आप पायेंगे कि 25 परसेन्ट पोजेशन भी उनको नहीं मिला है। आपने लैंड रिफार्म मूवमेंट 1975 से शुरू किया था उस समय से लेकर आज तक वे गरीब बेचारा पर्चा लेकर घूम रहे हैं। जब वे बेचारे अपना हक मांगते हैं तो वहां की पुलिस भूस्वामियों से मिलकर उनको डराती-धमकाती है। जिस इलाके से मैं आता हूं वह मध्य बिहार है। मध्य बिहार में जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा और पलामू में जितनी अत्याचार की घटनायें घटी हैं उतनी अत्याचार की घटनायें देश के किसी भी दूसरे प्रदेश में नहीं हो पायी है। वहां के हजारों नौजवान चाहे एम० ए० पास हों या बी० ए० पास हों, वे बिहार की गया, नवादा और औरंगाबाद जेलों में बन्द पड़े हुए हैं।

अभी पनिका जी ने कहा कि पुलिस एफ० आई० आर० दर्ज नहीं करती है और सही मामले में भी एफ० आई० आर० दर्ज नहीं करती है। जहां आपने पुलिस गरीबों की रक्षा के लिए रखी हो, वहां वह अगर भूस्वामियों से मिली होगी तो वह कैसे उन गरीबों की रक्षा कर सकेगी। आपने कहा था कि हरिजनों या आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों को हम सेंट्रल सेक्टर में रखेंगे। मेरी राज्य सरकार से उम्मीद टूट गई है। टूटने की वजह यह है कि इन गरीबों की रक्षा सही तरीके से नहीं कर पायी है। आपके इरादे नेक हैं और आप चाहते हैं कि शोषणहीन समाज बने, सबको बराबर का हक मिले, लेकिन दिल्ली में बैठ कर आप गया, जहानाबाद और बिहार के दूसरे गांवों की स्थिति को जान नहीं पाते हैं।

यहां पर सम्मरी ट्रायल की बात हुई और स्पेशल कोर्टस की बात हुई लेकिन बहुत खूबसूरत बिल, बहुत क्रांतिकारी बिल और बहुत ऐतिहासिक बिल है जब धरातल पर उतरेगा तो उसका कचूमर निकल जायेगा। फिर आपको एक एमेंडमेंट बिल लेकर आना पड़ेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि जहां पर भी अत्याचार हरिजनों पर हों वैसी जगहों को पहले आप सर्वे कीजिए, फिर उनको डिस्टर्ब एरिया घोषित कीजिए और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से उसका प्रोटेक्शन कराइए, नहीं तो मैं समझता हूं कि इस बिल का जो मकसद है वह पूरा नहीं हो पायेगा। स्टेट गवर्नमेंट इसको ठीक प्रकार से अमल नहीं करा पायेगी। इसलिए इसकी जिम्मेवारी केन्द्र सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिए। हमें केन्द्रीय सरकार और राजीव गांधी पर पूरा भरोसा है और देश के तमाम हरिजनों को भी उन पर भरोसा है। प्राइम मिनिस्टर ने बार-बार इस बात को कहा है कि बिचौलियों को बीच में से निकालेंगे। उन्होंने बराबर इस बात को माना है कि केन्द्र से जो पैसा गरीबों पर खर्च करने के लिए आता है वह उन तक पहुंच नहीं पाता है। पहले गांवों में अनपढ़ हरिजन आदिवासी रहते थे, लेकिन आज हर हरिजन गांव में कम से कम बी० ए० और एम० ए० पास लोग हैं, आप ही ने रोशनी दी है कि अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो, आप अस्पर्शयता निवारण के लिए संघर्ष करो, आप जमीन के लिए संघर्ष करो, आप सामाजिक उत्थान के लिए संघर्ष करो, वह बेचारा पढ़ा लिखा नौजवान गांव में संगठित होकर जब संघर्ष करता है

तब उसे कहा जाता है तुम नक्सलाइट हो। मैं कहना चाहता हूं कि मध्य बिहार के इलाके में कोई नक्सली नहीं है, कोई आर० पी० एफ० का नहीं है। हर नौजवान चाहता है कि नेशनल स्ट्रीम में आये, सुकून से जिये लेकिन सामन्तवादी और पुलिस के बीच में बेचारा सैन्डविच बनकर पिस रहा है। मैं औरंगाबाद की घटना बताता हूं, एक बिरजू मिस्त्री के घर में 125 आदमी मीटिंग कर रहे थे, मामूली मिनिमम वेजिज के सवाल पर 125 आदमी जब मीटिंग कर रहे थे, सामन्तवादी व्यवस्था के पोषक किसी ने या हरिजनों को आतंकित करने की जिनकी हैबिट बन गयी है, उन्होंने पुलिस को जाकर कहा कि अब तो बिरजू मिस्त्री के घर बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। 125 व्यक्ति थे, पुलिस जाती है, घेराबन्दी करती है, बिना किसी वैरीफिकेशन किए हुए गोली चार्ज करती है और 6 व्यक्ति मारे जाते हैं, यह स्थिति है। तो आप कैसे कह रहे हैं हमसे संगठित होने के लिए, आप यहां पर रोशनी दे रहे हैं कि हम स्पेशल कोर्ट्स स्थापित करेंगे। हम स्पेशल कोर्ट्स में कैसे करने जायेंगे, ले जायेंगे तो रास्ते में पकड़ लेंगे, संगठित होंगे तो आप कहोगे कि यह तो नक्सलाइट है। वहां पर एक सामाजिक संगठन है, यह मैं मानता हूं, अत्याचार सहते-सहते वहां का तमाम गरीब सामाजिक रूप से संगठित होकर अत्याचारियों की मुखालफत में आज तैयार है। यह नहीं है कि वह कांग्रेस के खिलाफ है या किसी दूसरी पार्टी में ही है, वोट देने की बात आती है तो वह कांग्रेस को वोट देता है और यही कारण है कि मध्य बिहार की, बिहार की जितनी भी सीट्स हैं, वहां कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर है। हमारे गया जिले में एक सीट सिर्फ लोकदल की है बाकी सारी सीटें कांग्रेस की हैं। मुल्क में गरीबों की आबादी 90 परसेंट है, लेबरर की आबादी 43 परसेंट है, वह आपके खिलाफ जाते तो आपके इतने कैन्डीडेट्स कैसे जीतकर आते। लोग वोट देते हैं लेकिन मुझे रिकगनाइज नहीं किया जा रहा है। आज गया जिले में एक हजार पढ़े-लिखे नौजवान नैक्सलाइट के नाम पर जेलों में बन्द हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक स्पेशल टीम भारत सरकार की, माननीय मन्त्री जी, बिहार की विभिन्न जेलों में जाएं और जाकर सर्वे रिपोर्ट तैयार करें कि किन-किन निर्दोष व्यक्तियों को जेलों में रखा गया है और उनको आप गांधी जन्म दिवस के अवसर पर, पण्डित जी के जन्म दिवस के अवसर पर और इन्दिरा जी के जन्म दिवस के अवसर पर, राजीव जी के जन्म दिवस के अवसर पर 20 तारीख को ऐसे निर्दोष लोगों को छोड़ दें, दोषी लोगों को जेल में रखिए, इसके लिए मैं कभी अनुरोध नहीं करता लेकिन यह जो महत्वपूर्ण स्थिति है, जो निर्दोष नौजवान जेल में बन्द हैं, उनको तत्काल छोड़ने का निर्देश जारी करना चाहिए।

[अनुवाद]

चरित्र की जांच करने के पश्चात्।

[हिन्दी]

तीसरा निवेदन यह है कि जहां तक पेयजल का सम्बन्ध है, राजहंस जी ने कहा कि जब पेयजल की बात आएगी तो आपको आंकड़ों को देखने से मिलेगा कि एक भी हरिजनों का गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां ड्रिंकिंग वाटर नहीं है लेकिन मैं बताऊं, मैं अपने क्षेत्र में गया था, एक एम० एल० ए० साहब मेरे साथ थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बिहार सरकार ने हर एम० एल० ए० को हर पंचायत में 10 चापाकल देने की बात की है, हम लोगों को तो है नहीं, वहां एक हरिजन आया और उसने कहा कि भइया हमको चापाकल की व्यवस्था करो, मैं इस बता रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि कहां मर्ज है और कहां दवा दी जा रही है, जब एम० एल० ए० साहब को हमने कहा कि इसको एक

चापाकल दे दो तो कहा कि हमने बांट दिया। इतने में एक दूसरा व्यक्ति आ गया तो कहा कि मेरे दालान में तो चापाकल हो गया है लेकिन मेरी मालकिन कह रही है कि अन्दर हवेली में नहीं है तो यह हालत है, भारत सरकार का पैसा, बिहार सरकार का पैसा, बाजपेयी जी का नेक इरादा, इसमें कितना कन्ट्राडिक्शन है। आप पेयजल की बात करते हैं, यह एक हास्यास्पद बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पेयजल की व्यवस्था के लिए आप डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को इंस्ट्रक्शंज दीजिए कि वह गांव में पेयजल की व्यवस्था करे ताकि गांवों में कुछ सुधार हो सके।

जहानाबाद एरिया जहां से मैं आता हूं वहां पर काफी अत्याचार होते हैं। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि मैंने यह देखा है कि ज्यादातर हरिजनों पर अत्याचार हिन्दुओं के गांव में होते हैं। हमारे बिहार में मुसलमानों के जो गांव हैं उनमें एक में भी आपको हरिजनों पर अत्याचार नहीं मिलेगा। अगर आप हरिजनों की अत्याचारों से हिफाजत नहीं कर पाते हैं तो उन्हें मुसलमानों के गांवों के इर्द-गिर्द बसा दीजिए या एक जगह सबों को पास बसा दीजिए। ताकि वे जहानाबाद में अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें और राजीव गांधी जिंदाबाद कह सकें। इस तरह से यह माहौल पैदा कीजिए। नहीं तो वे बेमौत मारे जाएंगे।

इन शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि इसकी स्पष्ट इंक्वायरी करके स्पष्ट जजमेंट आना चाहिए। यही मेरा सुझाव है।

इन शब्दों के साथ मैं इस क्रांतिकारी बिल का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहांडी) : मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के लिए यह बड़ी शर्म की बात है कि आजादी के 42 वर्ष के बाद हमको यह बिल लाना पड़ रहा है।

सर, हरिजनों पर जो एट्रोसिटीज का सवाल है वह इनकी इकोनोमिक डवलपमेंट से दूर होंगी। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हमारा इतना पुराना और सम्पन्न देश है। जहां कि हर जाति और हर भाषा के लोगों को समानाधिकार प्राप्त हैं वहां सामंतवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था में हमारी मूल संस्कृति का लोप हो रहा है। आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने सोशल रिवोल्युशन चलाया। सैद्धान्तिक और व्यावहारिक सब तरह से छुआछूत की भावना को खत्म करने के लिए हरिजनों को भगवान का दर्जा दिया। लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है। एक तरफ हम हरिजनों की पोलिटिकल अवेयरनेस, इकोनोमिक डवलपमेंट कर रहे हैं वहां दूसरी तरफ सामंतवादी तत्वों ने उन्हें बोन्डेड लेबर बनाकर रखा है। अब सामंतवादी लोग इस बात को समझने लगे हैं कि आज जो नयी क्रांति, नया विप्लव आ रहा है, जिसको खत्म करने की वे हिम्मत नहीं रखते हैं लेकिन साजिश जरूर करते हैं। वे यह सोचते हैं कि यदि हरिजन अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लेंगे तथा अपने अधिकारों को मांगने लग जाएंगे तो वे अपनी सामंतवादी व्यवस्था को चला नहीं पायेंगे। इसीलिए वे जानबूझ कर हरिजनों पर अत्याचार कर रहे हैं।

दुःख की बात है कि जो हमारी कांस्टीच्युशनल व्यवस्था है, लीगल व्यवस्था है, पुलिस है, ज्युडिशियरी है, ब्यूरोक्रेसी है, इनमें जो लोग काम करते हैं वे ठीक भावना से काम नहीं करते। जब कोई हरिजन या आदिवासी अत्याचार के खिलाफ शिकायत करने के लिए उनके पास आता है तो उनसे

जस्टिस नहीं पाता है। जहां तक उनकी सुरक्षा का सवाल है पुलिस उसकी सुरक्षा को सीरियसली नहीं लेती है और समाज का कोई भी व्यक्ति उसकी मदद के लिए नहीं आता है। यह परिस्थिति हो गई है। इस स्थिति को नजर में रखते हुए राजीव गांधी जी ने हरिजन-आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए जवाहर रोजगार योजना बनाई है और उनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, ताकि इस देश के निर्माण में वे भी अपने आपको भागीदार समझें। इसके लिए स्पेशल फण्ड, ट्राइबल सब प्लान, स्पेशल कंपोनेंट प्लान स्थापित किए गए हैं, जिससे कि देश के विकास में उनकी पूरी हिस्सेदारी रहे। आज की सामाजिक व्यवस्था में उनको सामाजिक और संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए पंचायत, असेंबली और पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व ही नहीं बल्कि पंचायती राज और नगरीय राज में भी उनके लिए व्यवस्था है, यह एक क्रांतिकारी कदम है।

इसके साथ-साथ यह देखना है कि इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा। इसके पहले भी कई बिल लाए गए हैं, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन जिस प्रकार से होना चाहिए, उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। स्पेशल कोर्ट बनाने के साथ-साथ समरी ट्रायल भी होना चाहिए। हरिजनों की सामाजिक सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर किसी जगह पर हरिजन पर अत्याचार होता है और दूसरे लोग उसका प्रतिवाद नहीं करते हैं तो सामाजिक और नैतिक स्तर पर उनकी जिम्मेदारी मानी जानी चाहिए और उनको पूरा मुआवजा दिलवाया जाना चाहिए। पंचायत का या रेवेन्यू विलेज का एक यूनिट बनाया जाना चाहिए और सब आदमियों पर फाइन लगाकर उसमें से कुछ हिस्सा जिस पर अत्याचार होता है, उसको दिया जाना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई आदमी इस तरह के केसेस में कन्विक्ट पाया जाए तो उसको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि आज समाज के युवा वर्ग, शिक्षित वर्ग और राजनीतिक नेताओं के लिए यह एक चुनौती है। अगर हम समाज में एक ऐसी भावना पैदा नहीं कर सके और इस कानून को इंप्लीमेंट करवाने में रुचि नहीं ले सके तो हम हरिजन-आदिवासियों को आर्थिक, सामाजिक और संवैधानिक सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। आज देश में नई-नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, नेहरू जन्मशताब्दि मनाई जा रही है, आजादी की 42वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, ऐसे अवसर पर प्रत्येक देशवासी के लिए इस तरह की घटनाएं शर्म की बात हैं। इसलिए सबको एक आह्वान करना चाहिए और इस कार्य को चुनौती समझ कर पूरा करना चाहिए।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण विधेयक जो माननीय श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जिनके दिल में गरीब लोगों के लिए, विशेष रूप से हरिजन-आदिवासियों के दुःख निवारण की लगन है और उनकी नीति है, उसके अनुसार उन्होंने इस विधेयक को इस वर्ष सदन में प्रस्तुत किया है, यह अपने आप में एक नया कीर्तिमान है, समाज में समानता लाने के लिए इसको यहां पर प्रस्तुत किया गया है।

मान्यवर, आप जानते हैं कि वर्ष 1989 राष्ट्र के प्रथम प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू की जन्मशताब्दि के रूप में मनाया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने का प्रयत्न किया और भारत के संविधान

के आमुख में इस बात को लिखा कि भारत के नागरिकों को सोशल, इकनामिक और पोलीटिकल न्याय मिलेगा। इसमें सबसे पहले सोशल शब्द को रखा और वह इसलिए रखा क्योंकि सबसे पहले भारत के नागरिकों में सामाजिक समानता आवश्यक है। और सामाजिक समानता के आधार पर समाज में जो आज गरीब, अमीर, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों से भेदभाव या छुआछूत बरती जाती है उसको समाप्त किया जा सकता है।-उसी भावना और प्रेरणा के साथ आदरणीय राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी ने हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की नीतियों के अनुरूप जो विधेयक पेश किया है, उसके लिए वे विशेष रूप से धन्यवाद की पात्र हैं। सदन का प्रत्येक सदस्य और राष्ट्र के लोग जानते हैं कि श्रीमती बाजपेयी साक्षात रूप में देवी की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने अपने इस सार्वजनिक जीवन में गरीबों के लिए जो कुछ किया है वह इतिहास में सदैव चिरस्मरणीय रहेगा। आज भी यह श्रेय इनको और प्रधानमंत्री जी को जाता है कि इन्होंने गरीबों के अत्याचार और उत्पीड़न को दूर करने के लिए सदन में विधेयक रखा है। उपाध्यक्ष जी, आपने भी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की हैसियत से इस विधेयक को यहां पर चर्चा करने की अनुमति दी है, यह भी प्रशंसनीय है। विपक्ष के लोग आज यह कहते हैं कि हम गरीबों के समर्थक हैं और गरीबों को अधिक से अधिक ऐसे कानून बनाकर न्याय दिलाना चाहते हैं और वे लोग जानते थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी व हमारे केबीनेट के मिनिस्टर्स ने यह तय किया था कि इन-इन बिलों को लाया जाएगा, उसके बावजूद भी वे सदन में नहीं आए और सदन की सदस्यता से त्यागपत्र इस बात का संकेत करता है कि गरीबों और अनुसूचित जाति व जन-जनजाति के लोगों की पीड़ा दूर करने का कार्य संसद का है तो उस कर्तव्य का पालन करने में उन्होंने सहयोग नहीं दिया। पूरा राष्ट्र इस बात को जानता है कि विरोध पक्ष के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि सन् 77 से लेकर सन् 80 तक जब मोरारजी भाई या चरण सिंह की सरकार थी उस समय भी हरिजन-आदिवासियों के लिए संविधान में जो आरक्षण किया हुआ था वह समाप्त होने वाला था। उन्होंने जानबूझकर उस आरक्षण की अवधि नहीं बढ़ाई। श्रीमती गांधी ने सन् 80 में चुनाव के बाद सर्वप्रथम कार्य हरिजन और आदिवासियों के लिए संविधान में आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए किया था। उस समय मैं भी पहली बार लोक सभा में चुनकर आया था। उसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कल लालकिले के ऊपर अपने भाषण में इस बात को कहा कि मैंने अपनी माता से एक ही काम, एक ही कार्य और एक ही शिक्षा ली कि राष्ट्र के लिए कुर्बानी देना और राष्ट्र के गरीबों के लिए जो भी अधिक से अधिक कर सकता हूं, वह करूंगा। इस विधेयक के माध्यम से उन्होंने इस बात को साबित किया है कि वे वास्तव में गरीब हरिजन आदिवासियों के लिए अधिक से अधिक कुछ करना चाहते हैं। मैं श्रीमती बाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस बात का भी प्रावधान किया है कि जो लोग अत्याचार करते हैं उनको सजा दी जाएगी ओर जो लोग प्रोबेशन आफ आफेन्डर्स एक्ट 58 और क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 60 का जो प्रोबेशन लेते थे, फायदा माफी लेते थे, वह उनको नहीं मिलेगा वरना जुल्म करने वाले अदालत से बचकर आ जाते थे। इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने इस वर्ग को विशेष रूप से जो सेवाएं दी हैं, वह प्रशंसनीय हैं। अनुसूचित जाति और जन-जाति के अलावा बहुत सी जातियां ऐसी रह गई हैं जो अभी तक इसमें शामिल नहीं हो सकी हैं। हमारे राजस्थान के अन्दर जोगी नाम की एक ऐसी जाति है इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की जरूरत है। इसलिए आप सूची को दुबारा देखें और जो जातियां रह गई हैं उनको शामिल करें। सन् 1968 तक अनुसूचित जाति और जन-जाति और बैकवर्ड क्लासेज के लड़के-लड़कियों के लिए केन्द्र

सरकार से वजीफा दिया जाता था। आप इस पुरानी व्यवस्था को देखें और 1968 तक भारत सरकार जो उनको वजीफा देती थी, सहायता देती थी, पाठ्य पुस्तकें देती थी, उसको फिर लागू करें जिससे हरिजनों के लड़के-लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल सके और जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उनको लाभ मिले। ये लोग आवासीय समस्या से भी बहुत पीड़ित हैं। क्योंकि इनको शहर या नगर में उस जगह मकान अलाट किया जाता है जहां सारी गन्दगी होती है। आप इस सम्बन्ध में जो हमारी नेशनल हाउसिंग पालिसी है जो प्रधानमंत्री जी ने बनाई है उसके अन्तर्गत शहरों में हरिजन और आदिवासी या जनजाति के लोग रहते हैं उनको क्राउन एक्ट के अन्तर्गत मालिकाना अधिकार देने के लिए पट्टे जारी करें और जहां नई कालोनियां बनायें वहां कम से कम 25 प्रतिशत प्लाट या मकान उनके लिए आरक्षित करें और उन्हें ही आवंटित करें। गांव में एक ही छप्पर के अन्दर, एक ही शैल्टर के अन्दर उसकी मां, बहन, बीवी और बेटी रहती हैं। इसके लिए आप ग्राम सभाओं से कहकर उन्हें जमीन एक्वायर करवाकर मकान बनाने के लिए दें।

श्री महावीर प्रसाद यादव (माधीपुरा) : उपाध्यक्ष जी, सरकार की ओर से हरिजनों के ऊपर अत्याचार को रोकने के लिए जो विधेयक लाया गया है उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हरिजनों के ऊपर अत्याचार रोकने के लिए अगर सजा की मात्रा को और बढ़ाने की जरूरत हो तो श्रीमती बाजपेयी उसको भी बढ़ा दें, कोई हर्ज नहीं है। भारतीय समस्या, भारतीय संस्कृति के इतिहास में अगर पुराने समय की ओर हम ध्यान दें तो जो इस तरह के कानून की कोई जरूरत नहीं है। व्यास, वाल्मिकि, वशिष्ठ, पराशर ये लोग हरिजन थे और तपस्या की तथा ये लोग पूजनीय हुए। तपसी ब्राह्मण पातः, जातिर नामनः कारणः। इस बीसवीं सदी में डा० अम्बेडकर हुए, बाबू जगजीवन राम हुए और बाबू जयजीवन राम जो सारे देश के लोग बाबू जी कहकर पुकारते थे। डा० अम्बेडकर को विधायिका का मनु माना गया और संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन माना गया। दुर्भाग्यवश आज ऐसी परिस्थिति आई है कि सरकार को इतना कड़ा विधेयक लाने की जरूरत पड़ी है। ऐसी बात नहीं हैं, द्वापर में भी द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा लिया था, साथ ही यह भी बात है कि राम चन्द्र जी ने शबरी के घर जूठे बेर खाए थे। यह असमानता और समानता की लड़ाई भारत के इतिहास और संस्कृति में बहुत दिनों से चली आ रही है। इसीलिए यह जो विधेयक लाया गया है इसका मैं सही समर्थन करता हूं और हार्दिक समर्थन करते हुए मैडम बाजपेयी से एक बात का आग्रह करना चाहता हूं और मैं यह रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि किसी भी तरह की कोई भी दुर्भावना नहीं है हमारे मन में अपने हरिजन भाइयों के लिए···लेकिन कानून का दुरुपयोग कैसे होता है, इसकी एक आपबीती कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। गांवों में झगड़ा अक्सर होता रहता है। एक ग्रुप ने हरिजन के पास जाकर कहा कि चलो और तुम फ्लां आदमी के खिलाफ जाकर एक केस कर दो, हम तुम्हें इतना रुपया देंगे। रुपए की बात सुनकर हरिजन तैयार हो गया और केस दर्ज हो गया। यह बात बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि जनवरी माह की है। केस होने के बाद, जिस व्यक्ति के खिलाफ केस हुआ था, वह नौन-हरिजन था, उसे वहां के डी० एस० पी० और दरोगा ने अरैस्ट करके थाना हाजिर किया। जो व्यक्ति अरैस्ट हुआ, वह और कोई नहीं, एक पुराने हैडमास्टर थे जो रिटायर हो चुके थे और हमारे साथी थे। अरैस्ट होने के बाद, उनका बेटा मेरे पास आया और बोला कि साहब बड़ा अत्याचार हो गया, हमारे बाप को कैद कर लिया गया है। मैं सीधे एस० पी० के यहां गया और उनसे कहा कि आप केस की जांच कर लीजिए, यदि केस सही है तो मैं उस व्यक्ति की जमानत करने के लिए तैयार हूं, जब भी आपको जरूरत होगी, वह व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, आप उसे

जेल में डाल सकते हैं, लेकिन पहले इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कीजिए, जांच कर लीजिए। उन्होंने मेरी बात सुनकर दरोगा को बुलाया। दरोगा जी आये। एस० पी० ने पूछा, उस व्यक्ति के खिलाफ कौन-कौन सी दफा हैं : दरोगा जी ने बताया धारा 379, 436, 352, इन सब दफाओं के अन्तर्गत केस दर्ज है। धारा 379 चोरी की है, पूछा कि कहां चोरी हुई तो दरोगा ने बताया कि एक पुराना बक्सा था, जिसमें एक फटी हुई साड़ी थी, वह चोरी हो गया है। दूसरी दफा आगजनी की थी, पूछा कि कहां आग लगी, तो दरोगा ने बताया कि तीन-चार हाथ का घर था, वहां आग लगी। फिर एस० पी० ने पूछा कि उस घर के अगल-बगल में क्या कोई और घर भी था जिस पर आग का प्रभाव हुआ तो दरोगा ने बताया कि हां, उससे बड़े-बड़े घर भी थे लेकिन तीन-चार हाथ के घर को ही आग लगी। फिर एस० पी० ने पूछा कि 307 धारा अटैम्प्ट टू मर्डर है, यह कैसे लगायी गयी तो दरोगा ने बताया कि उस हरिजन पर तीर चलाया गया तो उसकी कमीज फाड़ता हुआ निकल गया। इस तरह धारा 307, 436 और 352 आदि के अन्तर्गत केस दर्ज कर लिया गया। अन्त में एस० पी० ने सुपरवीजन करके उस केस को फाइनल कर दिया और वह केस अदालत में चला गया। चूंकि हरिजन पर अत्याचार से सम्बन्धित मामला था, इसलिए कोर्ट ने भी केस को रिवाइव कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सारा प्रयास कर लीजिए कि हरिजनों पर अत्याचार न होने पायें, लेकिन यह बात सही है, जैसा कल यहां पर राम रतन राम जी बोल रहे थे कि थानों में केस दर्ज नहीं किए जाते, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सारे एस० पी०, सारे थाना इन्चार्ज, सारे डी० एम० नौन-हरिजन हैं। हमारे यहां 7 ब्लाक हैं जिनमें से 4 ब्लाकों में हरिजन दरोगा हैं। ऐसी बात नहीं कि कोई हरिजन दरोगा नहीं, कोई हरिजन एस० पी० नहीं, कोई हरिजन डी० एम० नहीं है। बल्कि आज तो स्थिति यह है कि यदि कोई पण्डित या पंडा मन्दिर जाता है तो पूजा में भगवान से यही वर मांगता है कि हे प्रभु, दूसरे जन्म में या तो मुझे हरिजन बनाना या महिला बनाना। अब इसमें क्या बात है, कंट्राडिक्शन कैसा है कि एक तरफ हरिजन रो रहे हैं कि हम पर अत्याचार होता है, दूसरी तरफ अन्य लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें अगले जन्म में या तो हरिजन बनाना या महिला। मैंने कई लोगों से पूछा कि आप ऐसा वर क्यों मांगते हो तो बोले कि आज हरिजनों को पढ़ने-लिखने में मदद, सर्विस में जल्दी प्रोमोशन, जल्दी नौकरी, इसीलिए हम हरिजन होना चाहते हैं। मैंने फिर पूछा कि महिला किस लिए बनना चाहते हो तो बोले कि बैठे-बैठे घर पर हकूमत करना चाहते हैं, इसलिए महिला बनना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यदि सोसायटी का विकास करना है तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एन्वायरनमैंट और औरगैनिज्म में कन्फिलिक्ट होता है। हर देश का अपना इतिहास और भूगोल होता है। इन परिस्थितियों में कोई कानून आपको उतनी मदद नहीं कर सकेगा जितनी कि हारमनी, जितना अच्छा रिश्ता, जितना अच्छे सम्बन्ध, सभी जातियों के बीच में स्थापित, करना, अच्छा सिद्ध होगा, जिससे सभी का समान रूप से विकास हो।

1.00 म० प०

मैं यह कह रहा था कि आज सोसायटी में क्लेश है, कन्फिलिक्ट है, डिस्कार्डेण्ट है और इस चीज को दूर किया जा सकता है सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन ला करके। जितना सामाजिक काम परिस्थितियों में परिवर्तन ला करके वह हो सकता है, उतना कानून से नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं और मैडम वाजपेई का ध्यान आकृष्ट

करना चाहता हूं कि यह बात तो ठीक है कि अगर हरिजन की जमीन पर कोई कब्जा करता है, तो उसके लिए सजा हो, लेकिन मैडम अगर हरिजन किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता है, तब क्या होगा। मेरा एक वाइटल प्रश्न है। कानून है कि हरिजन की जमीन पर अगर कोई कब्जा करे, तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं वाजपेई जी से कि यदि हरिजन किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता है, तो उसके लिए क्या है? मैं यह बात यों ही नहीं कह रहा हूं। मेरे नालेज में एक केस है जिसमें 700 बीघा जमीन पर हरिजन और आदिवासी कब्जा किए हुए हैं। क्लियर केस है, तो मैं पूछता हूं कि यदि ऐसी कोई बात होती है, रिवर्स गियर में अगर कोई काम होता है, तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रही हैं। "इक्वेलिटी बिफोर ला" कानून की नजर में हर एक आदमी बराबर है, ख्वाह वह हरिजन हो, गिरिजन हो, नॉन हरिजन हो। मेरा सुझाव है कि आप इन बातों को देखिए। नहीं तो मैडम, एक खाई बन जाएगी। आज आप हरिजन और नॉन हरिजन के बीच में जो खाई है उसको पाटने की बात करती हैं, अगर इसको पाटती नहीं हैं, और कानूनी रूप से उसको बढ़ाती हैं, तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से यह समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए तो सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

कुमारी कमला कुमारी (पलामू) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है। अभी जो हमारे सामने हरिजन और आदिवासियों के अत्याचार हो रहे हैं, उनसे कैसे बचा जाए, उसके लिए हमारी मन्त्री महोदया श्रीमती वाजपेई जो विधेयक लाई हैं, उसके समर्थन में, मैं दो शब्द कहना चाहती हूं।

1.03 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

सभापति महोदय, हमारे जितने भाई और बहिनों ने जो बात यहां कही हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से सुना है और जहां तक इस संसद के बीस साल के अनुभव ने हमें बताया है, वह भी मैं आपके सामने चन्द मिनटों में रखना चाहती हूं। यह जरूर है कि हमारी सरकार की नीति शुरू से ही हरिजन और आदिवासियों के उत्थान के लिए लगी हुई है और जो कानून बने हैं, जो हमारी नीतियां हैं, उनमें इन जातियों के लोगों के उत्थान के लिए भरपूर कोशिशें की गई हैं। लेकिन कानून यहां से बन कर जाते हैं हमारे राज्यों में और जैसाकि हमारे भाइयों ने बताया, राज्यों से प्रखण्डों में जाते हैं, वहां तक जाते-जाते उस कानून की वह स्थिति नहीं रह जाती है जो यहां से चली हुई है। हमने देखा है कि और जैसाकि हमारा बीस साल का अनुभव है, उसके आधार पर मैं कहना चाहती हूं—मैं उस क्षेत्र से आती हूं जहां पर हरिजन और आदिवासियों का बाहुल्य है, हमने पाया है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक, तीनों ही श्रेणियों में हमारे हरिजन और आदिवासियों की दशा अच्छी नहीं है। मैं जिस जिले से आती हूं वह पलामू इलाका है और वहां हरिजन और आदिवासियों का बाहुल्य है। हमने कई जगहों पर देखा है और जब भी मैं भ्रमण को जाती हूं, कम से कम महीने में एक या दो बार तो जरूर ही जाती हूं और उन गांवों में ज्यादा जाती हूं, जहां गरीबी रेखा से नीचे 80 प्रतिशत लोग हैं। मैं उन गांवों में ज्यादा जाती हूं जहां गरीबी रेखा से नीचे अस्सी प्रतिशत लोग हैं और जिनमें से अधिकांशतः

लोग हरिजन और आदिवासी हैं। उन इलाकों में जाकर हमने देखा कि बहुत जगहों पर उनके लिए पानी की व्यवस्था उचित नहीं है जबकि हमारी बिहार सरकार ने हमारे विधायकों को दस-दस चापाकल लगाने के लिए सहयोग दिया है। कई जगहों पर लगा है, और कई जगह ऐसी हैं जहां कि दस घर ही हरिजन की आबादी है और जहां सही तरीके से चापाकल नहीं गाड़े गए, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। डीलरों का जहां तक सवाल है, खाद्यान्न हमारी सरकार उचित मूल्य पर, निम्न पर उन्हें उपलब्ध कराना चाहती है लेकिन ऊंचे वर्ग के लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, वे खरीद लेते हैं, मगर जिन हरिजनों, आदिवासियों के घर में पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पाता है। कुछ तो हमारे डीलर ही गायब कर देते हैं, कुछ आफिसर भी ऐसे हैं जिनकी मिलीभगत होती है। इस तरह से हमारी सरकार की जो नीति है वह सही तरीके से उन झोंपड़ी तक नहीं पहुंच पाती। दूसरी बात, जैसा हमारे भाईयों ने कहा कि भूमि का जहां तक सवाल है, उनके नाम से परचे कटे हैं, उनके नाम से पट्टे बने हैं लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से पाया कि उन्हें अभी तक यह पता नहीं कि उनकी कौन सी जमीन है। कुछ दूसरे लोगों का कब्जा है और कुछ दूसरे सीलिंग से लिए गए हैं, उन्हें दिए गए हैं, वह अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। वे स्वयः तो इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई गवाह नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे कोर्ट में या अदालत में जा सकें।

इसी तरह बहुत सारी राजनीतिक, आर्थिक समस्याएं भी हैं। हमारे यहां से जो छात्रवृति जाती है उसमें पहले कुछ दिन तक यह पाया गया था कि कालेज और स्कूलों में डाकघर से और बैंक से छात्र-वृत्ति चैक के द्वारा मिलती थी लेकिन आज नतीजा यह है कि बहुत सारे स्कूलों में जहां छात्रवृति जाती है कुछ तो स्टाफ या मास्टर साहब सिगनेचर करवाकर उनको कम पैसा देते हैं और सारा पैसा रख लेते हैं। तो हमारे यहां सरकार की नीति अच्छी होते हुए भी सही सहूलियत उन्हें नहीं मिल पाती। उनकी जांच होनी चाहिए और उन्हें देखना चाहिए।

सबसे खास मसला, उपाध्यक्ष महोदय एक है जिसमें मैं अपनी वाजपेयी बहन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हूं। दक्षिण बिहार में ये नक्सलवादी क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, उनके अन्दरूनी कारणों का पता लगाना चाहिए? हमने साइकोलोजी में एम० ए० किया है और हमने देखा है, मनोवैज्ञानिक ढंग से उनकी स्टडी की है कि उन्हीं लोगों को सताया जाता है, उन्हीं लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं जिसमें मोस्टली लोग हरिजन और आदिवासी हैं। उसमें युवक वर्ग जिनका मस्तिष्क, ब्रेन बहुत प्रगति की ओर होता है लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिलती हैं, उनके बहु-बेटियों को, उनके लोगों को बड़े लोगों की तरफ से सताया जाता है, उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती है, उनके खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, उनके रहने के लिए जमीन नहीं मिल पाती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य को तीन मिनट से लेकर चार मिनट तक दिए गए हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

कुमारी कमला कुमारी : इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देती हूं।

*श्री के० कुन्जम्बु (अडूर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि सरकार इस विधेयक के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों को रोक सकती है। यह बड़ा साहसिक कदम है। मैं इस अवसर का लाभ प्रधान-मन्त्री और कल्याण मन्त्री महोदय को, यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए, बधाई देने के लिए उठाना चाहता हूं। इस विधेयक से यह सिद्ध होता है कि सरकार हरिजनों की समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में बहुत गम्भीर है।

इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है कि हरिजनों के विरुद्ध अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसके ऐतिहासिक और अन्य कारण हैं। विगत सप्ताह इस सभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह स्वीकार किया था कि हाल ही में भारत के सभी राज्यों में हरिजनों के विरुद्ध अत्याचार बढ़ रहे हैं। कुछ राज्यों में इन अत्याचारों में तीन गुनी अथवा चार गुनी वृद्धि हुई है। इन सब बातों से बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या हरिजन सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ रह सकते हैं। स्वतन्त्रता के 42 वर्षों के बाद भी यदि इस देश में हरिजन सुरक्षापूर्वक नहीं रह सकते तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय समाज की है। तथ्य यह है कि भारतीय समाज अब भी यह मानने को तैयार नही है कि हरिजन उसके अंग हैं। यह अत्यधिक खेद की बात है। यह भी तथ्य है कि सवर्ण जाति के लोग हरिजनों को दी जाने वाली शैक्षिक सुविधाओं तथा आरक्षण सुविधाओं का विरोध करते हैं। वे समाज में हरिजनों को दी जाने वाली इन सुविधाओं के सम्बन्ध में विभिन्न धारणाएं पैदा कर देते हैं और इस प्रकार उनके प्रति घृणा की प्रवृत्ति पैदा कर देते हैं। इस विधेयक में भी कहा गया है कि हरिजनों में उनके अधिकारों के प्रति जागरुकता के कारण भी उनसे घृणा की जाती है। नये तरीको से अत्याचार और अपमान किया जाता है। विगत में सामतशाही उन्हें बेंत से पीटते थे। परन्तु प्रगतिशील तथा लोकतांत्रिक युग में तथाकथित ऐसे प्रगतिशील लोग हैं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्यधिक अत्याचार करते हैं। इस बात को मैं अपने राज्य केरल के कुछ उदाहरणों द्वारा सिद्ध करता हूं। केरल में मार्क्सवादी सरकार है। मार्क्सवादी दल का युवा वर्ग हरिजनों पर अत्याचार कर रहा है। विगत दो वर्षों के दौरान हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार समेत अत्याचार के अनेक मामले हुए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नावुवत्तुर विधान सभा खण्ड में पवित्रस्वरम गांव में पुलिस ने एक हरिजन लड़के को निर्दयतापूर्वक पीटा उसके बाद उसे नंगा करके गलियों में दौड़ाया। त्रिवेन्द्रम में एक हरिजन युवक को पीटा गया और उसे विष्ठा खिलाई गयी। इसी प्रकार इरनकुलम में एक हरिजन लड़के को पुलिस अधिकारियों ने थाने में ले जाकर निर्दयतापूर्वक पीटा और प्यास लगने पर जब उसने पानी मांगा तो उसके मुंह में पेशाब डाल दी गयी। ये मामले विगत वर्ष केरल के ससद सदस्यों ने इस सभा को बताये। सरकार को अनेक प्रतिवेदन दिए गए। केरल में हरिजन संगठन ने धरना दिया और सत्याग्रह किया परन्तु केरल के मुख्य मन्त्री श्रीनयनार ने, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह चर्चा के जवाब के दौरान हमें बतायें कि इन मामलों में उनके मन्त्रालय द्वारा की गई जांच का क्या हुआ।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चिरायिंकिल थाने में भी ऐसा ही हुआ है।

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आपके विभाग का एक अधिकारी केरल गया और लगाये गये अभियोगों की जांच की। मुझे बताया गया है कि एक रिपोर्ट तैयार की गयी है। हम निष्कर्षों और सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को जानना चाहते हैं।

सभापति महोदय : आपको केवल पांच मिनट दिये गये हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के० कुन्जम्बु : मैं विधेयक के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 'अत्याचार' शब्द को परिभाषित किया गया है। इसकी बड़ी व्यापक परिभाषा की गयी है। इसके अन्तर्गत अनेक अपराध सम्मिलित होंगे। मुझे प्रतीत होता है कि अपमान शब्द भी अत्याचार की इस परिभाषा के अन्तर्गत आता है। यह बड़ी स्वागतयोग्य बात है। दण्ड के सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। विधेयक में न्यूनतम छः महीने और अधिकतम 5 वर्षों के कारावास की व्यवस्था की गयी है। यह दण्ड-विधि है जो उत्पीड़ित लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि न्यूनतम दण्ड बढ़ाकर कम से कम एक वर्ष कर दिया जाना चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण उपबन्ध विशेष न्यायालयों की स्थापना के सम्बन्ध में है। यह स्वागतयोग्य कदम है। मैं इस सम्बन्ध में भी एक सुझाव देना चाहता हूं। यथासम्भव सरकार को इन विशेष न्यायालयों के लिए हरिजन न्यायधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए। हमारे देश में उच्च न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के न्यायधीशों की संख्या नगण्य है। आंकड़ों के अनुसार भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 388 न्यायधीश हैं। उनमें से 8 न्यायाधीश अनुसूचित जाति और 2 न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति के हैं। इसलिए विशेष न्यायालयों में इन श्रेणियों के अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति का मजबूत मामला है।

मैं अपने भाषण को बढ़ाना नहीं चाहता। मैं इस उपाय का पूरी तरह समर्थन करता हूं। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। यदि हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाए तो अपराधी को न्यायालय में हथकड़ी पहनाकर पेश किया जाना चाहिए। इससे दूसरों को भी शिक्षा मिलेगी। इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने सभा के समक्ष यह विधेयक प्रस्तुत किया है। यह एक उचित कदम है। इस विधेयक का उद्देश्य हरिजनों और आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त करना है। मैं श्रीमती बाजपेयी जी को सभा के समक्ष यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं और इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं।

मैं इस अवसर का उपयोग एक गम्भीर मामले को उठाने के लिए करना चाहता हूं। असम में विशेषत: मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक घटना घटी है। इस देश और सभा का प्रत्येक व्यक्ति असम बोडो आन्दोलन के बारे में जानता है। मैं इस आन्दोलन के इतिहास की विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। बोडो मेरे राज्य का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण जनजातियों का समुदाय है। दुर्भाग्य की बात है कि असम सरकार ने इस बोडो आन्दोलन को कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में समझा है। जिसके परिणामस्वरूप पुलिस को महिलाओं और बच्चों समेत जनजातिय लोगों पर अत्याचार करने की छूटी

छूट दी गयी है ऐसे में बहुत कुछ हो जाता है। मैं इन सब बातों की विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। सम्भवतः मुख्यमन्त्री श्री महन्त तथा गृहमन्त्री श्री फुकन श्री उपेन ब्रह्मा से, जो इस आन्दोलन के नेता हैं, ईर्ष्या करते थे क्योंकि उपेन ब्रह्मा असम आन्दोलन के दौरान उनके भूतपूर्व सहयोगी तथा उस समय उसी गुट का कार्य करते थे। शायद उन्हें उनसे कुछ ईर्ष्या है इसलिए उन्होंने पुलिस के तरीकों से इस आन्दोलन को दबाने तथा नियन्त्रित करने का प्रयास किया था। इसका विनाशक परिणाम हुआ। स्थिति और बिगड़ गयी तथा यह केवल कोकराझार तथा उदलगुड़ी तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि उस क्षेत्र के पड़ोसी जिलों में भी वैसी ही स्थिति पैदा हो गई। बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरफ से, चाहे बोडो हो अथवा पुलिस, की गयी हिंसा के विरुद्ध हूं। मैं असम के किसी विभाजन के भी विरुद्ध हूं। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं। परन्तु यह जनजातिय समस्या के समाधान का कोई तरीका नहीं है। मैं यह बात कहना चाहता हूं।

अन्त में जनता तथा प्रेस के दबाव और प्रत्येक व्यक्ति की समझौते की मांग के कारण गृहमन्त्री ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। अब यह निर्णय किया गया है कि त्रिपक्षीय वार्ता का पहला दौर इस महीने की 28 तारीख को शुरू होगा और मुझे खुशी है कि इन वार्ताओं में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व श्रीमती बाजपेयी करेंगी। चूंकि मैं उन्हें भली-भांति जानता हूं इसलिए मुझे विश्वास है कि उनकी मध्यस्थता के द्वारा बोडो समस्या का शान्तिपूर्ण हल निकल आयेगा।

जब ये मामले उचित स्थिति में थे तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोकराझार और उदलगुड़ी से दूर जो इस आन्दोलन के अड्डे हैं, सोनितपुर जिले में गोहपुर गांव में एक भयानक घटना घटी। इस घटना में, जो कुछ दिनों पहले हुई थी, बोड़ो और गैर बोडो लोगों का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ इससे स्थिति और गम्भीर हो गयी। मेरी जानकारी के अनुसार दो पुरुष, महिलायें और बच्चे मारे गये, सैकड़ों घर जलाकर राख कर दिये गये, तैंतीस गांवों को ध्वस्त कर दिया गया तथा हजारों लोग उत्तर में अरूणाचल प्रदेश तथा दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल मार्ग पर शरण लेने के लिए अपने घरों से भाग गये। मुझे उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, करीब तीस हजार लोग सीमा पार करके अरूणाचल प्रदेश चले गये हैं और वहां राहत शिविरों में ठहरे हुए हैं और पच्चीस हजार दक्षिणी हिस्से के राहत शिविरों में हैं। इन हिंसक मुठभेड़ों के पहले चार दिनों में, प्रशासन पूरी तरह से चरमरा गया था। वशिष्ठ अधिकारी क्षेत्र से भाग खड़े हुए और स्थानीय पुलिम ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। मैं चाहूंगा कि श्रीमती बाजपेयी इस बात पर ध्यान दें। 'असम ट्रिब्यून' के 14 अगस्त के अंक के अनुसार, स्थानीय प्रशासन इतना निष्क्रिय हो गया था कि यहां तक की राज्य की राजधानी दिसपुर में इस महीने की 13 तारीख तक, गोहपुर की वास्तविक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

महोदय, इस क्षेत्र विशेष को अशांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1983 में, बोडो और गैर-बोडों के मध्य भीषण दंगे हुए थे। इसका तुरन्त कारण एक लोहार द्वारा असम आन्दोलन के लिए नुकीले हथियार बनाने से इन्कार करना था। लेकिन मुख्य मुद्दा चुनाव था—बोडो के मध्य झगड़े उन लोगों के बीच जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे और जो चुनावों का बहिष्कार करना चाहते थे। तब से तनाव जारी है। बोडों आन्दोलन के कोकराझार और उदलगिरि में बोडो आन्दोलन के फैल जाने के पश्चात् राज्य सरकार को इस अशांत क्षेत्र में कुछ विशेष एहतियाती उपाय उठाने चाहिए थे। वास्तव

में उन्हें कदम उठाने के लिए चेतावनी दे दी गई थी। लेकिन, प्रशासन ने कुछ नहीं किया और वहां जनसंहार हुआ। उन्होंने एहतियाती उपाय नहीं उठाए और उसका नतीजा इस घोर विपत्ति के रूप में हुआ।

इस बार इसने एक नवीन आकार लिया। गोहपुर क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण आदिवासी जातियां हैं—बोडो और मिशिंग। स्थानीय असम गण परिषद के मन्त्री मिशिंग समुदाय से हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, मन्त्री महोदय ने स्वयं मिशिंग लोगों को और असम गण परिषद के अन्य समर्थकों को बोडो के विरुद्ध संगठित किया और इस झगड़े में उनका मार्ग-निर्देशन किया। महोदय, उत्तरदायित्व की भावना के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के मन्त्री झगड़ों के लिए उत्तरदायी हैं। दो दिन के झगड़ों के पश्चात्, असम गण परिषद के समर्थक जो गोहपुर से पश्चिम में 80 से 50 किलोमीटर की दूरी से भालों, डाओं, बन्दूकों और अन्य जो हथियार उपलब्ध हो, उसे लेकर गोहपुर पहुंचे और उन्होंने बोडो गांवों पर किए गए इस उग्र हिंसक हमले में भाग लिया। बोडो ने भी इसका जवाब दिया, जिससे बहुत ही गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी। इसे सही तौर पर एक तरफ बोडो और दूसरी तरफ असम गण परिषद के समर्थकों के मध्य हिंसक झगड़ा कहा जा सकता है, जिसकी शुरुआत स्थानीय क्षेत्र के मन्त्री ने स्वयं की।

असम गण परिषद के विरुद्ध अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए 14 अगस्त के 'स्टेट्समैन' में छपे असम के गृह मन्त्री के वक्तव्य को उद्धृत करना चाहूंगा। मैं उद्धृत करता हूं :

"असम के गृह मंत्री श्री भृगुफूकन ने, जो आज गोहपुर के लिए रवाना हो गए, स्टेट्समैन को बताया" कि "श्री अपांग ने इस हिंसा की योजना 90 बोडो उग्रवादियों को आश्रय देकर की थी जिन्हें अरुणाचल प्रदेश पुलिस की भी मदद मिली हुई थी। लेकिन इस बार मैं श्री अपांग को असम के निर्दोष लोगों पर अत्याचार के लिए सबक सिखाऊंगा।"

कृपया इस वाक्य की ओर ध्यान दें "मैं श्री अपांग को सबक सिखाऊंगा" महोदय श्री अपांग आदिवासी हैं इसमें आगे कहा गया है :

"श्री फूकन, जो बहुत गुस्से में मैंने कहा यदि आवश्यकता हुई तो मैं मन्त्री पद से इस्तीफा देकर और असम गण परिषद के महासचिव की हैसियत से लोगों को कांग्रेस (आई) के नेताओं के विरुद्ध संगठित करूंगा जोकि हिंसा फैला रहे हैं।"

आगे मैं उनके वक्तव्य से कुछ वाक्य उद्धृत करना चाहूंगा :

"यदि अरुणाचल प्रदेश की सरकार इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति नहीं देती है, तो मैं स्वयं पुलिस दल का नेतृत्व करते हुए उनके राज्य में जाऊंगा और अपराधियों को पकड़ूंगा।"

यह एक राज्य के गृह मन्त्री का दूसरे राज्य के प्रति वक्तव्य है। मैं फिर उद्धृत करता हूं :

"उन्होंने कहा कि यदि वह गृह मन्त्री की हैसियत से ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो वह मन्त्री पद से इस्तीफा देकर, समस्त असम में बोडो उग्रवादियों के विरुद्ध एक प्रतिरोधी आन्दोलन को संगठित करेंगे।"

गृह मन्त्री यह सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं बजाए इसके की वह लोगों को रोकें। उन्हें इस क्षेत्र में शांति और व्यवस्था को लागू करने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यदि स्वयं गृह मन्त्री के वक्तव्य का ऐसा लहजा है तो यह कोई आसानी से कल्पना कर सकता है कि वास्तविकता में वह क्या कर रहे होंगे।

महोदय, असम गण परिषद की सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में पूरी तरह असफल रही है और 15 राजनैतिक हत्याओं के बावजूद एक भी अपराधी को पकड़ने में असफल रही है। कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का उत्पीड़न और उन्हें परेशान करना जारी है। सामान्यतौर पर वह लोगों को और विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करने में वह पूर्णतः असफल रहा है। वह बोडो आन्दोलन को नियंत्रण में रखने में असफल रहे हैं और उनका प्रशासन चार दिन के लिए जब तक कि कर्फ्यू लागू नहीं हुआ था, गोहपुर में पूर्णतया चरमरा गया था।

असम गण परिषद की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपने दायित्वों और कार्यों को करने में पूर्णतया असफल रही है। अतः मैं मांग करता हूं कि असम गण परिषद की सरकार को बर्खास्त करके शीघ्र ही असम राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए जिससे की इस कुशासन को समाप्त करके लोगों को भ्रष्ट, नकारा, चाटुकार और अल्पसंख्यक विरोधी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विरोधी सरकार, जो इस समय असम में शासन में है, से लोगों को बचाया जा सके। मेरी सरकार से यही अपील और प्रार्थना है। मेरी सरकार से अपील है कि उन लोगों के परिवारों को जो इस जनसंहार में प्रभावित हुए और मारे गए हैं और बेघर हो गए हैं, को पर्याप्त मात्रा में सहायता धनराशि भेजी जानी चाहिए। मैं गोहपुर क्षेत्र के सभी पक्षों से अपील करूंगा कि वह उस क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखें और अपना जीवन भाइयों और बहनों की तरह जीयें जैसाकि वह कई सौ सालों से करते आए हैं।

[हिन्दी]

श्री बीर सेन (खुर्जा) : सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे सेशन में मैं आज ही बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, कृपा करके वक्त की पाबंदी हटा दें। आज ही बोल रहा हूं सारे सेशन में बोला ही नहीं हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अनुदेश दूसरे ही हैं।

श्री बीर सेन : अध्यक्षपीठ स्वतन्त्र है। परन्तु उसे निर्देशों का पालन तो करना ही होगा।

सभापति महोदय : मुझे अपनी स्वतन्त्रता का ज्ञान है। समय बर्बाद न कीजिए। अपनी बात जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री बीर सेन : आप स्वतन्त्र हैं, आप किसी के मातहत नहीं हैं। मैं एक तो यह निवेदन करना

चाहता हूं कि यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है और जो अत्याचार हरिजन-आदिवासियों पर होते हैं, उनको दूर करने के लिए यह बिल लाया गया है, लेकिन सदन की हाजरी को देखते हुए अफसोस है और लगता है कि लोगों की ज्यादा दिलचस्पी इस बारे में नहीं है, यह मेरे ख्याल से एक दुखदायी बात है, कम से कम मुझे ऐसा महसूस होता है।

यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अनटचेबिलिटी रिमूवल, उसको बदल कर सिविल राइट्स उसका नाम रखा गया। और अब लगभग उन्हीं चीजों के लिए यह बिल लाया जा रहा है कि अत्याचारों को कैसे रोका जाए। मुझे सबसे पहले यह परेशानी महसूस होती है कि आखिर अब तक के जो बिल हैं वे कामयाब क्यों नहीं हुए और मुझे आगे भी आशंका है कि यह बिल भी कामयाब साबित होगा या नहीं। उसका मूल कारण यह है कि जिन लोगों के हाथ में जिम्मेदारी है कि इन कानूनों को अमल किया जाए, वे ही इसके खिलाफ हैं। वे प्रिजुडीस हैं और पक्षपाती हैं। वे चाहते ही नहीं कि अधिकारों की रक्षा की जाए। पुरानी कहावत है "चोट्टी कुतिया-जलेबियों की रखवाली।" जिन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारों की रक्षा होगी, वे ही जानबूझकर उन अधिकारों की अवहेलना करते हैं तो फिर किस तरीके से इसके ऊपर अमल हो सकेगा। अनुसूचित जाति के लोग अत्याचार होने पर जब रिपोर्ट लिखवाने थाने में जाते हैं तो उनको डांट-फटकार कर भगा दिया जाता है। उनकी रिपोर्ट अगर दर्ज की जाती है तो उसमें कुछ-न-कुछ कमी छोड़ दी जाती है जिससे मुलजिमों को दण्ड न मिले। इस तरह की जो हरकतें हैं कि अपराधियों को छुपाना और कुछ ऐसा करना कि अपराधियों को मदद मिल जाए, मैं समझता हूं जब तक इसका इलाज नहीं करेंगे तब तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के प्रति अत्याचारों को रोकने वाला कोई बिल कामयाब होने वाला नहीं है। इसलिए जो कोई भी अधिकारी इस तरह की लापरवाही करता है तो उसके लिए दण्ड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर इस तरह की व्यवस्था उन्हीं के चचेरे भाईयों को देनी है तो कुछ फायदा नहीं होगा। जिन अफसरों के पास शिकायत जाती है, वे यह देख लेते हैं कि अनुसूचित जाति का है तो इसको रगड़ना ही है। नतीजा यह होता है कि सारा मामला दबा दिया जाता है। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कहीं-कहीं पर तो ऐसी सरकार है जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अत्याचारों को पूरी तरह दबा दिया जाता है जैसे मिसाल के तौर पर हरियाणा की सरकार है। हरियाणा का यह ड्यूबियस डिस्टींक्शन है सारे देश में कि रेप की घटनाएं वहां सबसे ज्यादा होती हैं और कोई कार्यवाही नहीं होती। सारे के सारे मामले दबा दिए जाते हैं। वहां की सरकार का रुख ऐसा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाए जिससे उनकी हिम्मत ही न हो। इस तरह के मामलों में सरकार को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि किस तरह से अधिकारों की रक्षा की जाए। जो बिल आपने पेश किया है उसके सैक्शन-तीन में आपने डेफीनिशन देने की कोशिश की है। इसमें 15 आफेन्सेज को आपने डिफाइन किया है। आपने गिनती की है, मैं इसे डेफिनिशन नहीं कहता हूं। कोई गिनती पूरी नहीं हो सकती है। इन्सान इतना तेज है कि कोई न कोई रास्ता निकाल लेता है। एक ऐसी डेफिनिशन होनी चाहिए जिसमें यह गिनती भी शामिल हो। लेकिन गिनती के अलावा और भी चीजें हो सकती हैं जो उसकी डेफिनिशन में शामिल हो जाए। मैंने एक अमेंडमेंट दिया है जिसमें डेफिनिशन रखी है। लेकिन वह नहीं आ पाएगा क्योंकि कल ही तीन बजे दिया है। अगर यह बहस चलती रहे तो उस पर विचार करें कि कोई काम्प्री-हेन्सीव परिभाषा होनी चाहिए। इसमें वे मामले हैं जो इस वक्त तक आप सोच नहीं पाएं हैं और लोग आगे भी रास्ता निकाल लेंगे, वह भी उसमें शामिल किया जा सके।

मैं समझता हूं कि यह चीजें बहुत जरूरी हैं जिनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। परिभाषा में ज्यादातर दो ऐसी चीजें हैं कि जहां पर लोगों को डराया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है या अपंग किया जाता है, या आग लगाई जाती है। मेरे ख्याल में आग लगाने का जिक्र किया है, लेकिन आग के जरिए से मौत हो जाए, उसका जिक्र नहीं किया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे केस हुए जहां आग लगा दी गई, एक लड़की मरी और एक बैल मरा। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अनुसूचित जाति के लोगों को डराकर वाली जो बात है, बहुत से मौके ऐसे हैं जो एबट करके, डराकर, धमकाकर और लालच देकर भी अनुसूचित जाति के लोगों को शामिल कर लिया जाता है कि अमुख जगह आग लगा दो तो हम तुम्हें जमीन दिलवा देंगे और उनको भी शामिल कर लिया जाता है। ऐसे मामलों में जो सजा देने वाले हैं उनको ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहिए जो दूसरों के हाथों बिक जाते हैं। कई जगह आपने ऐसा प्रावधान किया है डराकर, धमकाकर उनको शामिल किया जाए और उनकी मार्फत अपराध किया जाए तो उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए जो उनसे ऐसा करवाते हैं। आपने कहा है कि जिस सामान का प्रयोग किया है, सम्पत्ति का प्रयोग किया है उसे फोर-फिट कर लिया जाए और अचल और चल सम्पत्ति दोनों का जिक्र है। यह अजीबो-गरीब प्रावधान है। मान लें लाठी से मार दिया तो आप लाठी छीन लेंगे, किसी ने गोली मार दी तो ज्यादा से ज्यादा आप तमंचा जो दो सौ रुपए का आता है वह छीन लेंगे। यह ज्यादा वजनदार चीज नहीं है, यह निकाल देना चाहिए। जो भी सजा दी जा सकती है उसमें प्रापर्टी जब्त करने की बात आनी चाहिए। एक जगह पर आया है उसको बेइज्जत किया जाए जनता के सामने तो मैं समझता हूं कि वह भी ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि बेइज्जत ऐसी जगह भी हो सकता है, पब्लिकली नहीं किया जा सकता है तो इस शब्द को भी हटा देने की जरूरत है। जो एक्सटोर्नमेंट के बारे में कहा है कि आदेश दे दिया जाए कि निकाला जाए तो जो शरीफ आदमी होगा वह तो आदेश को मानकर चला जाएगा। लेकिन जो गुण्डे और बदमाश लोग हैं, जो मसल पावर इस्तेमाल करते हैं उनसे यह उम्मीद करें कि वह आदेश देने से चले जाएंगे यह अमल में आने वाली बात नहीं है। नतीजा यह होगा कि आपने कह दिया कि वह निकल जाए, वह बाहर हो गया और फिर वापस आ जाए तो सही यह है कि उसको गिरफ्तार करके बन्द रखना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, खासतौर से चुनाव के दौरान या उससे पहले, ऐसा होता है। गांव में जाकर वोटर से कहते हैं कि किसे वोट दोगे तो वह कहता है कि चौधरी साहब आपको ही देंगे तो दूसरे धमकी देते हैं कि हम तुम्हें वोट डालने नहीं जाने देंगे, ऐसी दशा में आपकी बूथ कैपचरिंग नहीं रुक सकती है। जब तक आप यह प्रावधान न करें कि ऐसे लोगों के खिलाफ यदि कोई रिपोर्ट या सूचना मिले तो उनको डिटेन करके चुनाव से एक महीने पहले या 15 दिन पहले तक बन्द रखें और बाद में छोड़ें। मैं समझता हूं इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं और जो पक्षपात करके जो पीड़ित हैं उनके साथ हमदर्दी करते हैं या ऐसे अधिकारी जो किसी कर्मचारी के अधिकारों का हनन करने के लिए उसकी सी० आर० बिगाड़ते हैं या उसके खिलाफ और किसी तरह की तिकड़म लगाकर उसे रोकने की कोशिश की जाती है। उन्हें आप जब तक दण्ड देने की व्यवस्था नहीं करेंगे, इन्तजाम नहीं करेंगे, मेरा सुझाव है कि इन मामलों में डिसमिसल से कम सजा बिलकुल नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इन मामलों की पुनरावृत्ति होती रहेगी, ये बन्द होने वाले नहीं हैं। अन्त में, एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि आपने इस बिल में सोशल रिहैबिलिटेशन करने की व्यवस्था की है। यदि कहीं किसी कुआंरी लड़की के साथ रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है तो उसे जो मानसिक स्टिग्मा समाज में लग जाता है, उसे धोने का कोई तरीका आज हमारे पास नहीं है और

उसे धोया भी नहीं जा सकता, न उसके मन पर जो छाप पड़ जाती है, उसे हटाया जा सकता। समाज को भी किसी तरह बदला नहीं जा सकता। आज जिस तरह का हमारा समाज है, उसमें ऐसी कोई घटना यदि हो जाती है तो आप उसे सोश्यली रिहैबिलिटेट कैसे करेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वैज्ञानिक तरीके से तो रिहैबिलिटेट किया नहीं जा सकता, अब समाज की व्यवस्थाओं, मान्यताओं को कैसे बदला जाए, यह एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कोई तरीका खोजिए ताकि ऐसी लड़कियों को समाज अंगीकृत कर ले।

जहां तक लीगल ऐड का सम्बन्ध है, वह मात्र कागजों तक ही सीमट कर रह गया है, हकीकत में किसी को कोई मदद नहीं मिलती, अमल में कुछ नहीं लाया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि आप हर जिले में अनुसूचित जाति के लोगों का एक ऐसी कमेटी बनाइए जो हर अत्याचार के मामले की तहकीकात करे और प्रभावित व्यक्ति की एकदम मदद कर सके। इन शब्दों के साथ, आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, सदन में डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी ने जो विधेयक रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और इतना महत्वपूर्ण विधेयक लाने के लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूं। मेरा विचार है कि इस विधेयक के पास हो जाने से हरिजनों और आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों में कमी आएगी क्योंकि अत्याचारों को रोकने के लिए इसमें अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं साथ-साथ माननीय प्रधानमन्त्री जी को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस बिल को सदन में लाने की अनुमति प्रदान की जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ मिलेगा और उनका तेजी से विकास हो पाएगा, उनके ऊपर होने वाले अत्याचार रुक पाएंगे। मैंने देखा है कि जहां-जहां हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं, अधिकतर मामले जमीनों को लेकर थे। दूसरे भी कई कारण रहे जहां नौकरियों में उनके हकों को छीना गया, उनकी पदोन्नति रोकने की कोशिश की गई, पूंजीवादी और सामन्तवादी लोगों ने उनके हक छीनने की कोशिश की। जब-जब हमारी सरकार ने समाज में पिछड़े और गरीब लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की, इन लोगों ने उसमें बाधाएं पैदा कीं और इन लोगों के खिलाफ घृणित वातावरण पैदा करने की कोशिश की। आज हम सरकार के आभारी हैं, कांग्रेस पार्टी के आभारी हैं जिसने अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए, अनेक बिल लाए, अनेक कानून बनाए जिनके जरिए से हरिजनों को तरक्की करने का मौका मिला, आदिवासियों को तरक्की करने का मौका मिला। चूंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए, माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि आज तक जितने मकान बनाए गए हैं, वैसे तो हरिजनों और गरीब लोगों के लिए अलग बस्तियां बनी हैं, परन्तु शहरों में डी० डी० ए० या अन्य किसी प्राधिकरण ने जितने मकान बनाए हैं, राज्यों में वहां के प्राधिकरणों ने हाउसिंग कालोनियां बनाई हैं, उनमें अनुसूचित जाति या आदिवासियों को उस हिसाब से मकान आरक्षित नहीं किए गए, जिस दर से उन्हें आरक्षित किए जाने चाहिए थे। इस तरह उनके साथ भेदभाव किया गया। जब सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए एक निश्चित कोटा फिक्स कर दिया है तो इन लोगों को उनके अनुसार मकान मिलने चाहिए थे, जो नहीं मिले। आज हम देखते हैं कि जितने हरिजन अधिकारी या कर्मचारी होते हैं उन्हें गांवों मे या दूरदराज के क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता है। वहां उनसे नफरत भरी दृष्टि से देखा जाता है, भेदभाव पूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसका सर्वे कराए, जहां-जहां आपने सीमल सैल बनाए हैं, वे सैल उन लोगों की कठिनाइयों को सुनकर जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं,

उनसे यह पता चलता है कि चाहे कोई हरिजन कर्मचारी या अधिकारी बैंकों में है, रेलवे में है, एअर इण्डिया में है, गवर्नमेंट के किसी विभाग में है, स्टेट में है, हर जगह उसके साथ इनजस्टिस होता है। उन पर अत्याचार होना कोई छोटी बात नहीं है, जैसे उन्हें मकान नहीं मिलते, दूरदराज के इलाकों में नियुक्त किया जाता है, जहां उनके साथ छूआछूत का व्यवहार किया जाता है, यहां बिहार के माननीय सदस्यों ने आपको अनेक उदाहरण दिए। अभी कई केसेस इस तरह के हैं, जो अदालतों में जेरे-गौर हैं और दस-दस साल हो जाते हैं, उनको इन्साफ नहीं मिलता है। इसके लिए आपने प्रावधान किया है कि हम उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे। ये स्पेशल कोर्ट्स जितनी ज्यादा हों, उतना अच्छा है और आप इनको जल्दी से जल्दी बनाईए। जिससे उनको जल्दी से जल्दी इन्साफ मिल सके। जैसाकि प्रधानमन्त्री जी ने कल कहा कि गरीब लोगों के लिए वे इन्साफ देंगे, तो इसका एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा अदालतें खोली जाएं जिससे उन लोगों के ज्यादा से ज्यादा पेंडिंग मुकदमों की सुनवाई हो सके।

महोदय, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश के हरिजनों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को जमीन देने के लिए पट्टे दिए हैं और वे पट्टे जो दिए गए हैं, उन पर सही मायने में कार्यान्वियम नहीं हुआ है। ये जो पट्टे ट्राइबल लोगों को, अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को मिले हैं, ये सिर्फ कागजों में ही जमीनें मिली हैं, उनको सही मायनों में कब्जे जमीनों के नहीं दिए गए हैं। जहां कहीं कब्जे जमीनों के मिले भी हैं, वहां वे लोग कोर्ट में चले गए हैं और उन्होंने कह दिया कि जमीन अलॉट नहीं होनी चाहिए। फिर भी जिनको थोड़ी सी जमीन मिली है, वह ऐसी जगह मिली है, जहां ढांक हैं, पहाड़ हैं, जहां रेगिस्तान है, जहां पानी नहीं है, जिनको खोद नहीं सकते हैं, बुवाई नहीं कर सकते हैं, ऐसी जगहों में भूमि दी गई है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसका सर्वे होना चाहिए जिससे बाकायदा यह पता लग सके कि किन-किन राज्यों में इन कानूनों का उल्लंघन हुआ है। उनको ठीक ढंग से कार्यान्वित करने के लिए पग उठाएं ताकि गरीब लोगों को भूमि प्राप्त हो सके।

सभापति महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि कई स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसी हैं, जिनको केन्द्र सरकार से राज्यों के माध्यम से पैसा मिलता है और जो हरिजन और आदिवासियों के कल्याण के लिए खोली जाती हैं, लेकिन उनमें हरिजन आदिवासियों के कल्याण के नाम पर फ्रॉड होता है। इसलिए मेरा इस बारे में सुझाव यह है कि इन संस्थाओं में संसद के सदस्यों को और विधान सभाओं के सदस्यों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए जिससे उनको मौका मिल सके और वे देख सकें कि वहां पर इन गरीब आदमियों को मदद मिलती है या फ्रॉड होता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और वे लोग इन गरीब लोगों के नाम पर संस्थाएं रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और उनमें इन लोगों के कल्याण का काम बिलकुल नहीं होता है। इसके ऊपर आपको गौर करना चाहिए ताकि ठीक ढंग से लोगों का उत्थान हो सके और जो पैसा केन्द्र सरकार से राज्यों को इन संस्थाओं के लिए मिलता है, उसका सदुपयोग हो सके।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी हरियाणा के अन्दर जब नई सरकार बनी थी, तो उसने गरीब लोगों को कहा कि हम तुम्हारा 10 हजार रुपए तक का कर्जा, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको माफ कर देंगे, वैसे सात हजार रखा है, लेकिन उन्होंने 10 हजार का प्रावधान करने का लिखा है। मैं कहना चाहूंगा कि करनाल और दूसरी जगहों पर हरिजनों

पर हरियाणा में जो अत्याचार हो रहे हैं, वैसे शायद ही देश के किसी हिस्से में हो रहे हों। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस पर भारत सरकार को गौर करना चाहिए। जो वहां का गरीब तबका है, उसको आज किस तरह से दुख दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, अभी हमारे सामने यहाँ बात केरल की आई। केरल में पुलिस स्टेशन में गरीब हरिजन के साथ किस तरह का अत्याचार किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह तो देश के ऊपर एक कलंक है। आज यदि महात्मा गांधी, पं० जवाहर लाल नेहरू और इन्दिरा गांधी होतीं, तो आज इसको देखकर उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंचता, यह मैं ही समझ सकता हूं, जिन्होंने हरिजन और आदिवासियों को ऊपर उठाने का प्रावधान किया था और उसी बात को आज हमारे देश के प्रधान मन्त्री श्री राजीव जी ने पूरा करने का व्रत लिया है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इन्सान के उसके रहन-सहन का जो तरीका है, उसको ऊपर उठाने, पीने का पानी देने और रोशनी की व्यवस्था करने की जो मूल बातें हैं, उनकी सुविधाएं देकर गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए जिससे गरीब लोग तरक्की कर सकेंगे।

सभापति महोदय, आदिवासी और हरिजनों के कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसको पढ़ेंगे, और पार्लियामेंट्री कमेटीज की रिपोर्टें पढ़ेंगे, या हरिजनों के वैलफेयर के लिए सारे राष्ट्र की असैम्बलियों के अन्दर कमेटीज बनी हुई हैं, अगर आप उनकी रिपोर्ट को पढ़ेंगे और देखेंगे तो उसमें पाया जाएगा कि सारे देश के अन्दर जितनी ज्यादती होती है अगर उनका भी समाधान हो जाए तो वह एक बड़ी बात होगी। आप जो यह कानून लाए हैं उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और प्रधानमन्त्री जी को बधाई देता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इस कानून से जब तक पिछला कोटा है हरिजन और आदिवासियों का, वह पूरा नहीं होगा। आज ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पढ़े-लिखे लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है तो यह उनके साथ ज्यादती होगी। मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान-मन्त्री जी ने जो आदेश दिया है कि आदिवासियों और हरिजनों के रिजर्व कोटे को पूरा किया जाना चाहिए तो यह क्लास-फोर से लेकर ऊपर तक सारी अन्डरटेकिंग आदि में होना चाहिए ताकि कोई भी गरीब आदमी का कोटा इस तरह से खत्म न कर सके और हरिजन और आदिवासी लोग भी सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। जहां पर ज्यादती है और उन केसों का आपने यहां पर विवरण दिया है, वे केस हरिजन, आदिवासी के हैं तो मैं समझता हूं कि आप उनको टाइम बाउंड तरीके से खत्म करेंगे और जो महिलाओं, नौजवानों पर अत्याचार होता है, जिस तरीके से अत्याचार केरल में हुआ है, दूसरे राज्यों में हुआ है और हमारे राज्य में भी जहां कहीं हुआ है, कोई त्रुटिपूर्ण कमी है, उससे भी सुधार करने का आप प्रयत्न करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप इस पर पूरा गौर करेंगे।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, बहुत वेदना के साथ कहना पड़ता है कि स्वतन्त्रता के लम्बे वर्षों के बाद भी हम स्वतन्त्र हुए, यह नहीं कह सकते। अनुसूचित जाति, जनजाति के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, वह मिटाए नहीं जा सके और हमें उनके लिए कानून बनाना पड़ रहा है कि हम अत्याचार मिटाने के लिए प्रयत्न करें और क्या-क्या काम करें ताकि उन पर हो रहे अत्याचार मिटाए जा सकें। आपने उसके लिए अलग न्यायालय का प्रावधान किया है, यह बहुत ही सही है। जो इसको समझते हैं वही न्याय कर सकते हैं। जिनके अन्दर यह पीड़ा होगी कि हमारा वह

वर्ग जो देश का निर्माता है, देश को आगे बढ़ा रहा है अपने कर्म कौशल के साथ, उनके ऊपर अत्याचार न हों, उनका संरक्षण हो, वही उनका संरक्षण कर सकता है। आज भी बहनों पर अत्याचार होते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति की बहनों पर अत्याचार करना सहल इसलिए माना जाता है क्योंकि वे खेतों में काम करती हैं, खलिहानों में काम करती हैं, कारखानों में काम करती हैं और दूसरा सुविधा सम्पन्न वर्ग उनसे काम लेता है। उनको कीड़े-मकौड़ों की तरह समझा जाता है, उनकी इज्जत को इज्जत नहीं समझता जाता है। आज सरकार उनकी इज्जत को अपनी इज्जत मान रही है, उनके अधिकार को अपना अधिकार मान रही है और उनके अधिकार के लिए संकल्प लिया है।

1.59 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

इसलिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं उनके कुछ कारणों को कहते हुए निवेदन करूंगा कि उनके लिए आप विशेष सुविधा कराएं। पहले तो यह है कि आदिवासी और हरिजनों के पास अपने पैरों में खड़े होने के लिए साधन हों, आज अधिकांश के पास नहीं हैं।

2.00 म० प०

जो वनवासी वनों में रहते हैं, हमारे यहां खेती की जमीन उनके पास नहीं है, वन भी उनके नहीं हैं। जिन वृक्षों का वह संरक्षण करते हैं, उन्हीं के ऊपर झूठे आरोप लगाकर वृक्ष काटने के नाम पर, जिस जमीन पर वह खेती करते हैं, उस जमीन पर उनके जबर्दस्ती कब्जा करने के नाम पर उनको वहां से हटाया जाता है, उनपर मुकद्दमा चलाया जाता है और उनको जेलों में डाल दिया जाता है। आज के कानून के अन्तर्गत उनका वनों में अधिकार नहीं है। आप उस कानून को बदलिए और उन्हें वृक्ष लगाने, उनका उपयोग करने और वन-उपज का उपयोग करने का उन्हें अधिकार दीजिए, फिर देखिए कि उन पर कौन अत्याचार कर सकता है? अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए उन्हें ताकतवर बनाइए ताकि उन पर कोई अत्याचार न कर सके।

हमारे क्षेत्र की जितनी भी योजनाएं हैं, वह सब आदिवासी क्षेत्रों के लिए ही बनती हैं, कोयला, अभ्रक, लोहा आदि उन्हीं के क्षेत्रों में मिलता है, वहां के लोग उजाड़े जाते हैं। उनके सामने अपना पेट भरने के लिए सिवाय मजदूरी करने के और मां-बहिनों पर अत्याचार होने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं रहता है। ये सब जमीनें जो उनको 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई हैं, आवास के लिए जगह दी गई है उनका कोई अता-पता नहीं है, ऐसे में वे कहां जाएं और क्या करें?

जैसा मैंने बताया कि जहां उद्योग खुलते हैं, वहां दूसरे स्थान के लोग उससे जुड़ जाते हैं, उनको उससे नहीं जुड़ने देना चाहिए। उद्योग खुलें यह देश के लिए बड़ा अच्छा है लेकिन ऐसी व्यवस्था कीजिए कि वहां के लोग उस उद्योग से जुड़ें। अगर वहां के लोगों को नहीं बसा सकते हैं तो इसके लिए सब को भुगतने दीजिए, वहां कारखाना तभी खुलना चाहिए जब वहां के लोगों की बसावट हो जाये। उस प्रोजेक्ट में, उस कारखाने में उनका सबसे पहला अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसके लिए अपनी जमीन दी है, जिन्दगी दी है। अगर उस कारखाने में उनको जीने का हक मिले तो कोई भी उन पर अत्याचार नहीं कर सकता है। अगर उन्हें रहने के लिए जमीन मिले, कमाने के लिए

भूमि मिले तो किस में हिम्मत है कि उन पर अन्याय करेगा ? वहां पर अन्याय कभी भी विजयी नहीं हो सकता है । सारा समाज इस तरह से गरीब के साथ रहेगा । आज जो उनको पीड़ा होती है, उसको भी अनाचार और अत्याचार के रूप में मानें ।

पढ़े-लिखे लोग डाक्टर, इन्जीनियर शिक्षक बन सकते हैं लेकिन वहां पर जाने के बाद वह कुएं से पानी पीने के लिए वर्जित होते हैं । मैं यह बात बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी से कह रहा हूं कि उसके बाल नहीं बनाये जाते हैं । क्या यह अनाचार और अत्याचार नहीं है ? ऐसी स्थिति को आप अनाचार और अत्याचार में लीजिए और उस पर कानून लगाइए । जो मानसिक गुलामी है, उसे बदलने का प्रयत्न कीजिए ।

जिस गांव के हरिजनों को कुएं से पानी नहीं मिले, नाई धोबी बराबरी का दर्जा नहीं दें, जिस गांव में उनके रहने के लिए मकान नहीं हैं, उनकी इबादत और प्रार्थना के लिए मस्जिद और मन्दिर नहीं है, वह गांव नहीं नरक है, हमें उसमें परिवर्तन करना होगा । जो भी पंचायती राज आ रहा है, कोई भी पंचायत अगर इन्हें सार्वजनिक सुविधाएं नहीं दे सकती तो उसको आप डिजाल्व कीजिए । इस कानून में आपको रद्दोबदल करनी पड़ेगी । जब आप इस तरीके से कानून बनाएंगे, उसमें आप परिवर्तन करेंगे, तभी वह लागू हो पायेगा । जो आगे बढ़ते हैं, उनको आप संरक्षण दीजिए । आप इस विषमता को मिटाने के लिए अभियान चलायें । आप अभियान चलाने के जिम्मेदार भी हैं, समाज में परिवर्तन लाने का आपके विभाग का एक अभियान है । आपका विभाग उसके लिए है । होटल और सिनेमा के सिवाय ऐसा कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है जहां पर भेदभाव न किया जाता हो । बाकी जगहों में भी इसको दूर करने का प्रयत्न कीजिए । जरूरत पड़े तो सामूहिक जुर्माना भी करें और उसको भी अनाचार और अत्याचार के रूप में लें । इसके लिए कानून में परिवर्तन करने पड़े तो वह भी करना चाहिए । कानून का उपयोग करना बिल्कुल न्यायसंगत बात है उस ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए ।

तीसरी बात मैं अभियान के रूप में रखना चाहता हूं । जाति व्यवस्था और इस भेद को मिटाने के लिए नौजवान जो आगे बढ़ना चाहते हैं सबसे कारगर उसमें अन्तर्जातीय विवाह है । इसके बारे में गांधी जी ने साफ कहा था कि मैं उनसे आशीर्वाद लूंगा जिसके अन्दर एक पक्ष अनुसूचित जाति का या हरिजन हो और दूसरा पक्ष गैर हरिजन हो । मगर आज कोई नौजवान हरिजन से शादी कर लेता है तो उसको भटकना पड़ता है, उसको घर से निकाल दिया जाता है और उसको किसी तरीके से संरक्षण नहीं मिलता है । मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप विशेष रूप से यह व्यवस्था बनाएं कि जो अन्तर्जातीय शादी कर रहा हो, उसको नौकरी में सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी तब जाकर वह सुरक्षित होंगे । एक बहन अभी दो दिन पहले मेरे क्षेत्र की मुझ से मिली । उसने एक वैष्णव जो अपने को उच्च वर्ण के कहते हैं, उससे शादी कर ली, उन्हें उस गांव के अन्दर रहने को नहीं मिला । शहर के अन्दर उनके लिए मकान नहीं है, काम के लिए रोजगार नहीं है, दोनों के दोनों बेरोजगार हैं । आज के नियम के मुताबिक दोनों में से एक को नौकरी दी जा सकती है । ऐसे में किस तरीके से वे हिम्मत करेंगे और आगे बढ़ेंगे । इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए ।

मेरे पूर्व साथी ने जो यह बात रखी कि सार्वजनिक संस्थाएं जो हैं उनको पूरी छानबीन के बाद सुविधाएं दीजिए ताकि अस्पृश्यता दूर करने का जो संकल्प है, उसे पूरा करने में वह बहुत आगे बढ़ें ।

अन्त में एक मिनट और लेकर उस संकल्प को दोहराना चाहता हूं जिसे सम्पूर्ण राष्ट्र ने अपने पूर्वजों के जरिए से लिया था कि हम इस देश की विषमता विशेष कर छुआछूत और हरिजन समाज के उत्पीड़न को मिटा देंगे। 1932 में महात्मा गांधी जी ने आमरण उपवास के बाद 24 सितम्बर को हरिजनों के संरक्षण अगुआ बाबा साहब अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय और अन्य महापुरुषों ने मिल कर एक संकल्प लिया था कि हम इस देश से छूआछूत मिटा देंगे और उसके लिए पूर्ण प्रयत्न करेंगे। आज 40 वर्ष भी निकल गए, मगर उसका स्तर और नीचे उतरता जा रहा है, इसलिए हम आज यहां संकल्प करें कि इस महान देश के अन्दर से यह भेदभाव मिट कर रहेगा।

श्री नन्द लाल चौधरी (सागर) : सभापति महोदय, जो बिल माननीय बाजपेयी जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। मैं अपने नेता माननीय श्री राजीव गांधी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने और बाजपेयी जी ने यह जो विधेयक पेश किया है, वह बहुत ही महत्व का है और ऐतिहासिक है। पूर्व के जो अस्पृश्यता निवारण के कानून बने हैं, उनमें जो बातें नहीं थीं उनको इसमें शामिल किया गया है। चूंकि अनुसूचित जातियों के प्रति बहुत ही अत्याचार दिनोंदिन बढ़े हैं और पहले के कानूनों से उनको लाभ नहीं मिला इसलिए यह कानून लाया गया है। इसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के निवारश के लिए हमारे पूर्वज नेताओं ने महात्मा गांधी जी, जवाहर लाल जी नेहरू, डा० अम्बेडकर, श्रीमती इन्दिरा गांधी, ठक्कर बापा और स्वर्गीय जगजीवन राम जी सभी ने प्रयास किया किन्तु हम देखते हैं कि परिस्थिति अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है और हरिजन अत्याचारों में कोई कमी नहीं आई है। मैं एक मामला बताना चाहता हूं, हमारे यहां सागर जिले में बहेराल थाने में हरिजनों को बिल्कुल मामूली सी बात पर पेशाब पिलाया गया, बाल काटे गए, मूंछ काटी गई, बहुत बेजा मारपीट पुलिस वालों ने की और उनको जेल में बन्द कर दिया, वे नीमोन गांव के हरिजन थे। पिछले दो साल से उन पर झूठा मामला वहां चल रहा है मगर अभी तक मामले में कुछ नहीं हुआ। हरिजनों को पुलिस द्वारा पेशाब पिलाने के मामले के बारे में जब मुझे जानकारी मिली तो जिन हरिजनों को जेल में बन्द कर दिया था, मैं उनको देखने गया, मैंने खुद भी देखा और उन हरिजनों ने बताया उनके बाल कटे हुए थे, मूंछें कटी हुई थीं और उन्होंने बताया कि हमको पेशाब पिलाया गया, सब बातों को मैंने साक्षात देखा, वहां के जेलर के सामने उन्होंने बयान दिया। जब मैं जेल से एस० पी० के यहां आया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनसे जब मैंने कहा कि नीमोन गांव में, बहरोल थाने में पुलिस ने जो अत्याचार किया है, उस बाबत आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं तो बहरोल के थानेदार वहां बैठे थे तो उन्होंने उन्हें बुलाकर कहा कि वहां ऐसा हुआ है? क्या हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं तो उन्होंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा—नहीं हुआ है, मैं खुद देखकर आया हूं जेल में मगर मेरी बात न मानकर उन्होंने अखबारों में और सब जगह यह बताया कि सांसद असत्य बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वहां आंदोलन की तैयारी हुई और बहुत कुछ हुआ, यहां तक कि एस० पी० को वहां से जाना पड़ा। जब लोगों में बहुत ज्यादा रोष हुआ और बहुत ज्यादा अशान्ति सी फैलने लगी तो उसकी मजिस्ट्रेटियल इन्क्वायरी के आदेश हुए। मजिस्ट्रेटियल इन्क्वायरी में यह प्रमाणित हुआ कि एस० पी० गलत कह रहा था। हरिजनों को पेशाब पिलाया गया, उनके बाल काटे गए, यह सब पूरा हो गया लेकिन रिपोर्ट आने के बाद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहां जो एस० पी० थे उनके पिछले रिकार्ड में, सी० आर० में लिखा है कि इनका व्यवहार और आचरण हरिजनों के विरुद्ध रहता है। ऐसे अधिकारियों के लिए

आप द्वारा लाये गये विधेयक में क्या प्रावधान है ? उसे अधिकारियों को भी इस विधेयक की परिधि में लाया जाए ताकि उनके ऊपर भी कुछ कार्यवाही हो सके ।

इस प्रकार के सिविल नेचर के भी ऐसे आपराधिक किस्म के मामले हैं जो हरिजनों के प्रति अधिकारी वर्ग करता है । मैं रेलवे में एस० सी०, एस० टी० एम्पलाइज एसोसिएशन का नेशनल प्रेसीडैण्ट हूं, मुझे देश के कोन-कोने से अनेकों पत्र आते हैं कि उनके साथ कितना अन्याय किया जाता है । अभी-अभी सागर क्षेत्र का ही एक सहायक रेलवे ड्राइवर बापू प्रसाद का मामला आया है, उसकी 26 साल की सर्विस थी । एक अधिकारी से उसकी बातचीत हो गई होगी, अधिकारी के उसे गाली देने पर उसने थोड़ी सी गाली दे दी होगी किन्तु वह कहता है कि मैंने गाली नहीं दी मगर उस पर गाली देने का आरोप लगाकर और यह आरोप लगाकर कि यह शराब पिए हुए था तो उसको टर्मिनेट कर दिया उसकी 26 साल की सर्विस हो गई है उसका रिकार्ड मैंने देखा । उसने अपील की है । दुर्भाग्य की बात है कि अपील में भी उसका टर्मिनेशन कन्फर्म कर दिया है जबकि रिकार्ड में कहीं गाली की बात नहीं है, न कोई शराब की बात है, न जांच की गई, न गाली दी गई मगर उसको टर्मिनेट कर दिया है । वह महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां गया था । यहां भी उसकी पेशी हुई थी । ऐसे कई केसेज हैं जिनमें उच्च अधिकारी शैड्यूल्ड कास्ट्स समझकर मामलों को नहीं देखते और अपीलेट अधिकारी भी नहीं देखते, और इस प्रकार अत्याचार होता है ।

इसी प्रकार नगर निगम या म्यूनिसिपल बोर्ड्स में जो हरिजनों को अनुदान या फण्ड आता है, उसे दूसरे के लिए खर्च कर दिया जाता है । सागर कारपोरेशन में 6-7 सुलभ शौचालय के लिए पैसा आया था सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट से आया था । वह पैसा जिन पर्टीकुलर हरिजन वार्ड के लिए आया था वहां काम न होकर नान-हरिजन वोर्ड में खर्च कर दिया गया । इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि हरिजन वार्ड के लिए जो पैसा आता है, उसका मद बदलकर उसको दूसरे वार्ड में खर्च कर दिया जाता है । इसके लिए कोई इस तरह का प्रावधान होना चाहिए कि मद न बदला जा सके और जहां के लिए पैसा आया है, वहीं पर व्यय किया जाए ।

हरिजनों के लिए स्वीकृत राशि यदि कोई अधिकारी दूसरे कार्य में खर्च करता है तो अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए ।

अन्त में मैं एक बार फिर इस बिल का समर्थन करता हूं और माननीय श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी को धन्यवाद देता हूं ।

चौधरी लच्छीराम (जालौन) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया । माननीय श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण के सिलसिले में यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है । माननीय बाजपेयी जी गांधीवादी विचारधारा की हैं, वे हमेशा बापू जी के सिद्धांतों को कार्यान्वित करने में लगी रहती हैं । यह जो बिल उन्होंने प्रस्तुत किया है यह एक ऐतिहासिक बिल है । मुझे श्रीमती बाजपेयी के साथ उनके मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य रहने का अवसर मिला है और मैंने देखा है कि जब कभी भी हमारे सदस्यों ने गरीब लोगों के दुख का कोई मामला उठाया, उन्होंने उसको बड़ी गम्भीरता से लिया और उसको तुरन्त नोट किया ।

आज जो बिल आया है, आज जब उसको देखता हूं तो पता लगता है कि जिन-जिन बातों का हम लोग जिक्र करते हैं, उन सब का समावेश इसके अन्दर कर दिया गया है, इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह महत्वपूर्ण बिल सदन में प्रस्तुत किया।

सभापति महोदय, आजादी के बाद से ही अनुसूचित जाति-जनजाति के ऊपर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए काफी काम किए गए। राष्ट्र नायक पं० जवाहर लाल नेहरू ने आजादी के पहले से ही इस समस्या के निराकरण के लिए कड़े कदम उठाए और कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए 600 रियासतों को समाप्त किया, जमींदारी और जागीरदारी प्रथा समाप्त की। यह एक ऐसा कदम था जिसने हमको बहुत प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने निर्भीकता से सरदार पटेल के सहयोग से इस काम को पूरा किया। आज हमारे कुछ भाई कहते हैं कि हमको राहत नहीं मिली, मैं कहता हूं कि बहुत राहत मिली है। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने उन मुसीबतों को देखा है और आज जब मैं देखता हूं कि कमजोर वर्ग के लोग सिर उठाकर चलते हैं, उनकी असमर्थताएं दूर हो गई हैं और वह समाज में अच्छी जगह पर बैठा है, तब लगता है कि स्थिति में कितना अन्तर आया है। फिर भी कुछ इलाकों में खासतौर से बिहार में और दूसरे इलाकों में जो ज्यादतियां हो रही हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता है। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि अनुसूचित जाति के अधिकारियों को दण्डित करने पर रोक लगाई जाए। यह उचित बात नहीं है। सरकारी अधिकारियों में भी अनुसूचित जाति के व विभिन्न जातियों के लोग हैं। वे वास्तव में दूसरी जातियों के लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। अगर सरकारी अधिकारी पक्षपात करते हैं, बेईमानी करते हैं तो जैसे अन्य अधिकारियों को दण्ड दिया जाता है, तो उस तरह की धारा लागू होनी चाहिए। हमारे एक साथी ने कहा कि हमारा कानून बन जाता है लेकिन अधिकारी उस पर गौर नहीं करता और कानून की अव-हेलना करता है। हमारे कमजोर वर्ग के कुछ लोग शिक्षित होकर नौकरियों में आ गए लेकिन दस-पन्द्रह साल बाद जब उनकी पदोन्नति का समय आता है तो उसकी चरित्र पंजिका खराब कर दी जाती है या नष्ट कर दी जाती है, नतीजा यह होता है कि उनकी पदोन्नति नहीं हो पाती। कहीं-कहीं पर यह भी देखा जाता है कि कम्पलसरी रिटायरमेंट भी दे दिया जाता है। कम्पलसरी रिटायरमेंट देकर उनके स्थान पर मनमाने लोगों को भर लिया जाता है, इस ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हमारे एक साथी ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पैट्रोल पम्प देने का कोटा निर्धारित किया गया है। अगर आप जांच करायेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 95 प्रतिशत ऐसे होंगे जिन पर सरमायेदारों ने अपना कब्जा किया हुआ है और वे उनके नौकरों के नाम पर हैं और उसका सारा का सारा लाभ सरमायेदारों को मिलता है। कमजोर वर्ग का आदमी उससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। माननीय मंत्री जी ने नियम बनाने के सिलसिले में एक धारा जोड़ी है कि नियम बनाने के बाद सदन में विचार होगा और उसके बाद ही लागू होंगे। जो नियम बनाने वाले अधिकारी हैं, वे बिल की महत्ता को कम कर देते हैं और जब वह बिल लागू होता है तो कमजोर वर्ग के लोग उससे लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। हमारे नेता श्री राजीव जी व श्रीमती बाजपेयी जी वजह से यह बिल आया है, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री राम भगत पासवान (रोसड़ा) : सभापति महोदय, हरिजन और आदिवासी देश की जन-संख्या का बन-थर्ड हैं और समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। वह खून-पसीना बहाकर उत्पादन करता है और बड़े-बड़े महलों को बनाता है, फिर भी समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। इतना ही नहीं, उन्हें

उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। जो पढ़े-लिखे हरिजन हैं, उनका भी अनादर किया जाता है। हम कांग्रेस सरकार के आभारी हैं जिसने हरिजन-आदिवासियों को जिन्दगी बसर करने का अवसर दिया। पं० नेहरू और गांधी जी के नेतृत्व में यह संकल्प लिया गया थाकि हरिजन-आदिवासियों को न्याय मिलेगा, समाजिक व आर्थिक संपन्नता मिलेगी और उसी आधार पर इन्दिरा जी ने काफी प्रयास किया। हम राजीव जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने यह बिल लाकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन्होंने हरिजनों की समस्याओं के निवारण के लिए इस बिल को यहां पेश किया है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार के तीन-चार कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि जात-पात और कट्टरता हमारे समाज में विद्यमान है। हमारे लोग जो पढ़े-लिखे हैं और अच्छे-अच्छे काम करते हैं फिर भी उन्हें समाज में तिरस्कृत दृष्टि से देखा जा रहा है। दूसरा कारण गरीबी है, जिसके कारण वे लोग निर्बल हैं। उसको आर्थिक समता देने के लिए, मिनिमम वेजेज देने के लिए कानून तो बने हैं, लेकिन ये कानून धरातल पर नहीं हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। मंत्री जी से हम कहेंगे कि आप इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दें। जो अधिकारी इसकी अवहेलना करते हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। आपने भूमि का पर्चा दिया, वह गरीब आदमी उस पथरीली भूमि को तोड़-तोड़ कर जब उपजाऊ बनाता है तो फिर लैंड लार्ड उसकी जमीन को आकर हड़प लेता है, पुलिस भी उसकी रक्षा नहीं करती है। आज तक पुलिस का इतिहास है कि गरीबों के और बड़े-बड़े लैंड लार्ड्स के जो झगड़े हुए हैं और हरिजनों और आदिवासियों पर जो अत्याचार हुआ है तो कभी भी वह हरिजनों के पक्ष में नहीं गई, न उनके पक्ष में रिपोर्ट दी है। आप बिहार से रिपोर्ट्स उठाकर देख लें जहां भूमि को लेकर झगड़े अधिक हुए हैं, कभी भी हरिजनों के पक्ष में पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दी है। दूसरा कोर्ट भी है। कोर्ट में भी बड़े-बड़े जमींदार बैठे हुए हैं वह भी हरिजनों के पक्ष में फैसले नहीं देते हैं। यही कारण है कि बिहार में हरिजनों पर अत्याचार अधिक हुए हैं। मिनीमम वेजेज के लिए भी अत्याचार हुए हैं जब भी वे इसकी मांग करते हैं। जनता पार्टी के राज में हरिजनों पर अत्याचार अधिक बढ़ गए थे। बेलची में लोगों को जलाया गया, पत्थड़ा में जलाया गया, कैंना में जलाया गया और धर्मपुरा में जलाया गया। जनता पार्टी के राज में हरिजनों पर अत्याचार 10 गुना बढ़ गए थे। हम धन्यवाद देते हैं कांग्रेस की सरकार को जोकि बड़ी सतर्कता के साथ हरिजनों की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। लेकिन आपके अफसर इसमें अड़ंगे लगाते हैं और एफ० आई० आर० दर्ज करने नहीं देते हैं। आपने स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की है, लेकिन वहां भी उसको वकील रखना होगा, समय लगेगा और पैसा लगेगा। आप ऐसा कीजिए कि हरिजनो आदिवासियों पर अत्याचार हो तो वह न्यायालय में न जाएं, बल्कि न्यायालय ही उसके दरवाजे पर आए और उनको न्याय दिलाए, तभी जो उन पर अत्याचार होते हैं उससे उन्हें राहत मिलेगी और सुरक्षा प्राप्त होगी। आपसे हम आग्रह करेंगे कि ऐसी व्यवस्था करें जिससे न्याय सुलभ हो सके और उनको जलाने की या हत्या करने की जो वारदाते होती हैं उनमें जो लोग बच जाते हैं उनको कड़ा दण्ड मिले। क्योंकि उसके बच्चे फीस जुटा नहीं पाते हैं और कोर्ट में लड़ने में वह असमर्थ होते हैं। इसलिए उनकी गरीबी को देखकर आप यदि न्याय दिलाना चाहते हैं तो उनके दरवाजे पर न्यायालय को लाएं। उनको आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधान मंत्री जी ने हाल ही में भूमि के पट्टे देने के बारे में निर्देश दिया है कि जिन प्रदेशों में भूमि के पट्टे दिए गए हैं वहां के मुख्य मंत्री और अधिकारी उस पर अमल करें और हम इसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा निर्देश देकर हरिजनों का उत्साह बढ़ाया है। जहां सरकारी संस्थानों में हरिजनों और आदिवासियों को कुछ आरक्षण मिल जाता है, वहीं जितने प्राइवेट संस्थान हैं, शिक्षण

संस्थाएं हैं, उनमें सरकार की आरक्षण नीति की स्पष्ट अवहेलना हो रही है। जो शिक्षण संस्थाएं सरकार से ऐड लेती हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से सहायता लेती हैं, वहां हरिजनों के लिए किसी तरह के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे ताकि उन संस्थानों में भी अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को उचित आरक्षण मिल सके। कई जगह हमें यह देखने में आया है कि जब भी किसी हरिजन अधिकारी या कर्मचारी की प्रोमोशन का सवाल आता है, उनकी सर्विस बुक में ऐसी ऐन्ट्री कर दी जाती है, जानबूझकर उनकी सी० आर० में ऐसे रिमार्क्स दे दिए जाते हैं, जिससे उनकी प्रोमोशन रुक जाती है। मेरा आपसे आग्रह है कि जो अधिकारी किसी मोटिवेटिड तरीके से, जानबूझकर ऐसा करे, उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसी सभी एन्ट्रीज की जांच होनी चाहिए और यदि वह एन्ट्री गलत पायी जाए तो उस अधिकारी को अविलम्ब सर्विस से टर्मिनेट कर देना चाहिए ताकि सरकार द्वारा घोषित आरक्षण की नीति का समुचित पालन हो सके।

अब मैं आपका ध्यान गृह-विहीन हरिजनों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आज देखने में यह आया है कि अनेक जगह ऐसी हैं जहां हरिजन बसे हैं परन्तु वह भूमि किसी दूसरे की है। सरकार के इस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश हैं कि जिस जमीन पर हरिजन बसा हुआ है, उसका पट्टा हरिजन को मिल जाना चाहिए परन्तु अब भी अनेक गांव ऐसे हैं जहां उसे भूमि का पट्टा नहीं मिल पाया है और उसे आज भी बन्धुआ मजदूर के रूप में मजबूर होकर काम करना पड़ता है, जिससे उनका शोषण होता है। जिस हरिजन के बच्चे पढ़-लिख जाते हैं, वह तो बन्धुआ मजदूरी से मुक्ति पा जाता है, शहरों में आकर बस जाता है या गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन जो हर तरह से असहाय है, उसे मजबूरन बन्धुआ मजदूर के रूप में काम करना पड़ता है और इस तरह आजादी की किरण आज तक उसके पास तक नहीं पहुंच पायी है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जिस जमीन पर हरिजन आबाद है, उस भूमि का पट्टा उसके नाम हो जाना चाहिए, आप ऐसी व्यवस्था इसमें कीजिए ताकि उसे बन्धुआ जीवन से मुक्ति मिल सके। जो व्यक्ति उनसे जबर्दस्ती काम कराता है, उसके विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं कल्याण मंत्री जी का इस बिल को लाने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिसमें उन्होंने हरिजनों पर अत्याचार करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है, हरिजनों के लिए स्पेशल कोर्टस की व्यवस्था की है, सजा में वृद्धि की है और मुझे उम्मीद है कि जब इस बिल का इम्पलीमैंटेशन होगा, जब यह धरातल पर जाएगा तो कोटि-कोटि जनता हमारे प्रधानमंत्री का जयजयकार करेगी, राजीव गांधी जिन्दाबाद, डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जिन्दाबाद के नारे लगाएगी। इसके साथ मैं समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद करता हूं।

श्री कम्मोदीलाल जाटव (मुरैना) : माननीय सभापति महोदय, माननीय कल्याण मंत्री डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने जो सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आपने इस विधेयक पर मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। आज 40-42 साल की आजादी के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि देश में हरिजनों का विकास हो गया है, उनकी प्रगति हुई है। आज तक उनकी जितनी प्रगति हो जानी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई है। अब भी उन पर अत्याचार होते हैं। आज यदि किसी हरिजन या आदिवासी के पास गांव

में दो बीघा जमीन है, और वह जमीन ऐसे स्थान पर है, जिसके चारों तरफ दूसरी जाति के लोगों के खेत हैं; तो वे उस जमीन को किसी न किसी तरह से, जोर-जबर्दस्ती, समझा-बुझा कर या बहका कर, या अन्य किसी तरीके से, उस भूमि पर कब्जा करने का प्रयत्न करते हैं, भले ही इस कार्य में उन्हें हरिजन की पिटाई तक करनी पड़े या अन्य नीच काम करना पड़े। हमारे मध्य प्रदेश में आपको ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, ऐसे अनेक झगड़े वहां अब भी चल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जहां भी हरिजन पर अत्याचार का प्रकरण सामने आये, किसी थाने में जाए, यदि थानेदार उसमें एकदम कार्यवाही नहीं करता, रिपोर्ट दर्ज करके एक्शन नहीं लेता, हरिजन को बहका कर घर भेज देता है कि तुम्हारी रिपोर्ट हो गयी, अब हम अपने आप कार्यवाही करेंगे, तो मैं सुझाव दूंगा कि उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। हर जिले में एक हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी होता है, उसे सरकार आदेश दे कि सप्ताह में कम से कम एक बार वह थाने में जाकर अत्याचार की घटनाओं का सिंहावलोकन करे, पूछताछ करे कि हरिजनों आदिवासियों पर अत्याचार की कितनी रिपोर्ट आयीं, इससे पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि हर हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी को सरकार की ओर से आदेश दिए जाएं कि वह अपने जिले के हर थाने का सप्ताह में एक बार अवश्य दौरा करे।

महोदय, दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जैसे किसी आदिवासी या हरिजन कर्मचारी की नियुक्ति होती है, तो उसकी नियुक्ति जहां होती है, उस जगह का नाम ही गलत लिखकर भेजते हैं जिससे वह पत्र सही व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। जैसे मानवा जगह है और लिखकर भेज देंगे भोंडपा या मलेखपुरा जगह का नाम है लेकिन लिखकर भेज देंगे मोड़पुरा आदि। इस प्रकार से चिट्ठी गलत पते पर भेज देते हैं। मैं इसका आपको प्रूफ दे सकता हूं। यह बिलकुल सही बात है। वह नियुक्ति पत्र उसके पास, गलत पता लिखा होने के कारण नहीं पहुंचता है और जब वह नियुक्तिपत्र ही नहीं पहुंचता है, तो उसके ज्वाइन करने का सवाल ही नहीं है, इधर अधिकारी कह देते हैं कि वह नहीं आया इसलिए उसके स्थान पर किसी सवर्ण व्यक्ति को ले लिया जाए। इसलिए महोदय मेरा इस बारे में निवेदन है कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए जिस हरिजन या आदिवासी की नियुक्ति हो, उसका आदेश कलैक्टर को जाए, और कलैक्टर उसको आकर बताए कि तुम्हारी नियुक्ति फलां जगह पर हुई है, इसलिए तुम वहां जाकर ज्वाइन करो। इस बारे में मेरा यही निवेदन है कि आप कलैक्टर को ऐसे आदेश यहां से भेजें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था हो सके।

सभापति महोदय, आपने नगरपालिकाओं में देखा होगा, यहां दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि चाहे पानी ऊंचे से बहता है वह गरीब लोगों की झोंपड़ियों में जाता है। यही स्थिति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुरेना में है। यही स्थिति मेरे संसदीय क्षेत्र श्योपुर में है। इन गन्दी बस्तियों के उन्मूलन के लिए, जहां ज्यादातर गरीब लोग बसते हैं, जहां ज्यादातर हरिजन और आदिवासी बसते हैं, जैसा अभी चौधरी साहब ने कहा-- हरिजनों की बस्तियों के उद्धार के लिए जो पैसा आता है, वह दूसरी जगह पर खर्च किया जाता है। यही स्थिति मेरे क्षेत्र में हो रही है। जिसके कारण वे गरीब लोग उसी गन्दी बस्ती में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। वहां उनको पीने का पानी तक शुद्ध नहीं मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो पैसा सरकार इनके विकास और सुधार तथा उद्धार के लिए आबंटित करती है, उस पैसे को हरिजन आदिवासियों के काम के लिए खर्च किया जाए ताकि वहां की गन्दी बस्तियों का भी सुधार हो सकता है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि ऊंची जाति के लोग तो बन्दूकों के लाइसेंस लेते हैं, लेकिन नीची जाति वाले और गरीब लोग इनसे वंचित रह जाते हैं। सामान्य लोग तो अपना पैसा खर्च करके और किसी न किसी तरह से बन्दूकों के लाइसेंस ले लेते हैं। मेरे क्षेत्र में यह स्थिति है कि एक छोटे से गांव में सामान्य लोगों के पास तो बीस बन्दूकें हैं, लेकिन उसी गांव में हरिजन एवं आदिवासियों के पास एक भी बन्दूक नहीं है। बन्दूकों के डर के मारे आदिवासी हमेशा परेशान होते हैं और उनसे दबे कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनको बन्दूकों का डर है। कोई भी उनमे कैसे भी बोल ले, लेकिन वे बेचारे गरीब लोग डर के मारे यह नहीं कह सकते कि तुम ऐसे कैसे हम से बोलोगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम-से-कम हरिजन एवं आदिवासियों को बन्दूकों के लाइसेंस सरलता से दिए जाएं। इससे भी व्यवस्था ठीक हो सकती है आतंक खत्म हो सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मानकू राम सोढी (बस्तर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने जो अनुसूचित जाति और जन-जाति के अत्याचार निवारण विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं तहे-दिल से समर्थन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाकई देश के कोने-कोने में जो दूर-दराज के क्षेत्र उनमें जाकर भ्रमण किया आदिवासी और हरिजनों के बीच में जाकर उनको सुनने की कोशिश की और उसके बाद फिर उन्होंने जो स्थिति देखी, और हल करने हमारे आदिवासियों के बीच में जो समाज सेवी संस्था हैं, उनके बीच में भी चर्चा की फिर उसको कांग्रेस पार्टी, (ए० आई० सी० सी०) के आदिवासी सेल है उनका सेमीनार बुलाया गया और तमाम संसद्-सदस्यों को उस सेमीनार में बुलाया और उनसे इन समस्याओं के निराकरण के बारे में पूछा कि क्या करना चाहिए और इसके बाद देश के सभी प्रान्तों के मुख्यमन्त्रियों को बुलाया और उनसे इस बारे में चर्चा की और देश के सभी वर्गों के लोगों से इस प्रकार से उन्होंने इस समस्या के ऊपर विचार-विमर्श किया कि इस समस्या का निदान कैसे करना चाहिए, उसके बाद उन्होंने इस बिल को यहां प्रस्तुत किया है।

महोदय, इस बिल में अध्याय 2 के अन्तर्गत एक से लेकर 15 तक, जो भी अत्याचार का तरीका है, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो पन्द्रह में आया है उस पन्द्रह के अन्दर भी कार्यवाही होती है तो निश्चित रूप से देश के लिए जो अत्याचार का जिम्मा है, वह इस रूप में है कि हमको नीचा दिखाने की स्थिति आती है, उसमें सुधार होगा। [illegible] आपने देखा होगा कि अत्याचार के जो तरीके हैं उसमें कई किस्म के हैं। पहले जैसा अध्याय दो में अत्याचार के अपराध के लिए तीन नम्बर में अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों के बलपूर्वक कपड़े उतारने, उनको नंगा करने, आदि यह अत्याचार की निम्न तरीके की हरकत है जोकि उनको नंगा करना है यह इण्डिया टूडे में सबसे पूर्व में दिखाया था। उसमें बिल्कुल साफ था। जहां पर प्रतिबन्ध है कोई भी नहीं घुस सकता, जिला प्रशासन ने प्रतिबन्ध लगाया है कि उस क्षेत्र में कोई नहीं घुसेगा, पत्रकारों ने उस क्षेत्र में विकास का बहाना लगाकर कि हम वहां के विकास को हाईलाइट करेंगे, रिपोर्ट देंगे, वे अधिकारी जो घुसने नहीं देते थे, उन्होंने उनको घुसने दिया और उन्होंने इस प्रकार के फोटो लिए। इसमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि साफ तौर से कपड़े उतारे गए। इसमें नीचे जो कपड़े देख रहे हैं, वह कपड़े पहने हुए थे, उसके जो साथी युवक हैं उन्होंने कपड़े उतारे। इस प्रकार से कपड़े उतारने का जो तरीका है उस पर रोक लगे। फिर उसके साथी ने अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं की इज्जत को दो कौड़ी में बेचने का काम कर दिया। यदि कोई गांव के क्षेत्र में ऐसा करता है तो हमारे हरिजन, आदिवासी की बहु-

बेटियों को उसके घर में घुसकर उसकी बेइज्जती करने देते हैं। दूसरे दिन पंचायत करते हैं और कहते हैं कि दुश्मनी से बचाने के लिए हमारे आदिवासी, हरिजनों की इज्जत खराब हो गई है। इसमें भी रोक लगाएं। इस प्रकार से दूसरा यह भी है कि बहुत सी जगहों में जबरन जो गांव से भगाने का काम करते हैं हमारे लोगों को, तो वे जादू-टोना करके, चोरी का इल्जाम लगाकर। इस प्रकार से जो इल्जाम लगाकर गांव से भगाने का षडयन्त्र करते हैं, उसमें भी रोक लगनी चाहिए। साथ-साथ जो आदिवासी क्षेत्र घोषित हुआ है वहां पर भी ऐसे लोग घुसते हैं और आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, उनकी सम्पत्ति को जबरन अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हैं, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। लालच, लोभ और दबाव देकर आतंकवाद से भयभीत करने के लिए ऐसी नीयत के लोगों को जिला प्रशासन ने एक बार आइडैनटीफाई कर लिया तो निश्चित रूप से यह न्यायालय बराबर न्याय करेगा क्योंकि न्यायालय के बारे में जो माननीय सदस्यों ने कहा है कि न्याय को सुलभ और सस्ता करना पड़ेगा। जो आदिवासो, हरिजन अत्याचार से पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए यदि न्यायलय काम करें तो निश्चित रूप से फायदा होगा। आज जो स्टेट के न्यायालय न्याय दे रहे हैं बिल्कुल ही सस्ता, और सुलभ होना चाहिए। अभी तक जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाता है। उसमें भी रास्ता निकालकर अधिक से अधिक लाभ देने का इस देश में प्रबन्ध होना चाहिए। जब तक इसका पालन नहीं होगा तब तक यह नहीं होगा। आगे चलकर जरूर होगा। हमारे प्रधानमन्त्री जी, मुल्क को देखकर तमाम जनता से चर्चा करने के बाद देश में जो अत्याचार से पीड़ित हैं, उनकी बात को गम्भीरता से लेकर इस बिल को लाए हैं। इस बिल पर पालन करने के लिए आने वाली पीढ़ी बराबर इसमें सत्य के साथ अपने हक के लिए लड़ेगी। जिस क्षेत्र में कुछ भी नहीं था वहां आज स्कूल और कालेज खुल गए हैं और हमारे लड़के पढ़-लिखकर आगे आ रहे हैं और उनको बराबर इसमें जागृत होने का मौका मिलेगा। वह जो कायदा इस समय बन रहा है, इसका लाभ बराबर समाज को मिलेगा। समाज को शोषण से बचाने के लिए, उन्नति करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए यह पीढ़ी आगे काम करेगी और उसके लिए जो रास्ता बनाया गया है, श्री राजीव जी ने जिस प्रण के साथ, हमारे लोगों के बीच में जाकर, देखकर जो दिशा दे रहे हैं यह कानून बनाकर, इससे देश की आने वाली पीढ़ी हमेशा उनका नाम लेगी और इस तरह से हो रहे अत्याचार को सुधारने में बराबर काम करेगी। इस आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : सभापति महोदय, मैं कल्याण मंत्रालय की माननीय राज्य मंत्री द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर होने वाले अत्याचारों के निवारण के सम्बन्ध में लाए गए विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया का आभारी हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जो युवा और साहसी हैं और जिन्होंने पिछले चार-पांच वर्षों के छोटे से अन्तराल में हमारे देश की सभी आदिवासी और हरिजन समस्याओं का अध्ययन किया है, के नेतृत्व के अन्तर्गत यह विधेयक: लाया गया।

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य उन आरोपित व्यक्तियों को कड़ी सजा देता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार करते हैं।

भारतीत दण्ड संहिता, नागरिक अधिकार अधिनियम जैसे सामान्य अधिनियमों को सही तरह से

लागू नहीं किया जाता है। इसी कारण यह विधेयक लाया गया है। यहां "अत्याचार" शब्द को सही रूप में और पूर्णतया परिभाषित नहीं किया गया है और केवल कुछ अपराधों को उद्धृत किया गया है जैसे आदिवासियों की जमीनों को जोर जबरदस्ती से हथियाना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कपड़े उतरवाना आदि। इस विधेयक में ज्यादा सजा का प्रावधान भी है उदाहरणार्थ उन लोगों के लिए ज्यादा सजा जो आदतन अपराधी हैं और जिन्होंने एक बार से ज्यादा बार अपराध किया है। यह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है और बहुत अच्छा प्रस्ताव है। मैं समझता हूं कि आज नहीं तो कम से कम कुछ समय बाद इस 'अत्याचार' शब्द की व्याख्या पूरी तरह से करना आवश्यक है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि यह विधेयक अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों समेत इस देश के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। गत सप्ताह हमने 64वां संविधान संशोधन विधेयक पारिक किया और यह विशेष संविधान संशोधन विधेयक अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं हुआ। संविधान की पांचवीं अनुसूची में एक प्रावधान है। मैं पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 5 को उद्धृत करता हूं :

> "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधानमण्डल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग में लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग में ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और इस उपपैरा के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो।"

मैं समझता हूं कि यह एक अधिभावी सिद्धांत है और मुझे संदेह है कि क्या यह विशेष विधेयक राज्यपाल की सूचना के बिना अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में लागू हो पाएगा। 64वें संविधान संशोधन विधेयक में, जिसे हमने गत सप्ताह पारित किया है, एक विशेष प्रावधान है कि इस विधेयक को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में लागू करने के लिए राज्यपाल एक विशेष अधिसूचना जारी करेंगे।

मैं सभापति महोदय के माध्यम से इस विधेयक के परीक्षण के लिए माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करता हूं कि क्या यह विधेयक राज्यपाल की अधिसूचना के बिना सीधे अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में लागू होगा अथवा राज्यपाल इसके लिए अधिसूचना जारी करेंगे।

अब मैं पांचवीं और छठी अनुसूचियों की चर्चा करता हूं। गत सप्ताह झारखंड आंदोलन से सम्बन्धित एक प्रश्न किया गया था, सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश यह मेरे नाम में अभिलेखित था, कि इस आन्दोलन में उग्रवादी लोग शामिल हैं और वे इस देश में समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। महोदय, सिर्फ सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के कारण ही झारखण्ड गतिविधियां और अन्य गतिविधियां उत्पन्न हो रही हैं। माननीय गृहमंत्री महोदय ने उस दिन सभा को यह जानकारी दी कि एक समिति का गठन कर वे इन तथ्यों की जांच करेंगे और देखेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि हम जी० एन० एल० एफ० की भांति स्वायत्त परिषदों का गठन कर सकते हैं। पूर्वी राज्यों में हमने इस प्रकार के परिषदों का गठन किया है और अन्य क्षेत्रों में जिला परिषद तथा विकास परिषदें हैं। जनजातीय क्षेत्रों और आम जनता में सत्ता के विकेन्द्रीकरण किए जाने के बारे में हमारे युवा प्रधानमंत्री बहुत चिंतित हैं। हमारे 90 से 95 प्रतिशत जनजातीय लोग कुछ अन्य लोगों के

के साथ मिल कर रह रहे हैं और ये अन्य लोग जनजातिय लोगों को नियन्त्रित करते हैं। यदि हम उन्हें कुछ स्वायत्तता प्रदान करें, मैं झारखण्ड राज्य की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि परिषदों की बात कर रहा हूं, तो वे अपने मामलों का नियन्त्रण स्वयं कर सकते हैं क्योंकि अन्य लोगों को जनजातिय लोगों की समस्याओं का समाधान करने में कोई रुचि नहीं है। मैंने देखा है कि पूरे देश में नागरिक अधिकार अधिनियम उचित रूप से लागू नहीं हुआ है क्योंकि 60 से 70 प्रतिशत से अधिक मामलों में अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातिय लोगों पर होने वाले अत्याचारों के कारण को जानने में कोई भी व्यक्ति रुचि नहीं रखता है। यहां तक कुछ अधिकारीगण भी ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। प्रशासन पर एक नियन्त्रण स्थापित करने के लिए छठी अनुसूची के अन्तर्गत उन्हें स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए। कुछ पूर्वी राज्यों में छठी अनुसूची लागू है जबकि अन्य जनजातिय क्षेत्र पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा शासित है। दो प्रकार का प्रशासन क्यों हो? क्यों नहीं छठी अनुसूची के अन्तर्गत एक ही प्रकार का प्रशासन हो ताकि जनजातिय लोग अपने हितों की देखभाल उचित रूप से कर सकें और यह देखें कि दोषी व्यक्तियों को उचित दण्ड मिल सके?

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : इस विधेयक की चर्चा करते समय इस प्रकार का विधेयक लाने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने देखा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले शोषण से सम्बन्धित मामले विशेष रूप से स्वतन्त्रता के बाद, बढ़ते जा रहे हैं। समाज के वर्तमान रवैये के प्रति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा विरोध प्रकट किए जाने को हम इसका कारण कह सकते हैं। इन अधिनियम के अन्तर्गत हमने विशेष न्यायालयों का और उन लोगों को दण्ड देने का भी प्रावधान किया है जो अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं। सामान्यतः हमने देखा है कि जब कभी भी वे लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अथवा महिलाओं पर अत्याचार करते हैं तो तो पुलिस या अन्य लोग, जो कानून-व्यवस्था बनाये रखने के जिम्मेदार हैं, दूर ही रहते हैं और वारदात हो जाने पर ही सामान्यतः वहां पहुंचते हैं। मुझे खुशी है कि सरकारी अधिकारियों या लोक सेवकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध सरकार ने कुछ सुरक्षा का प्रावधान किया है। यह विधेयक लाने के लिए एक बार फिर मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसे लागू करने में दृढ़ता दर्शाएगी।

[हिन्दी]

श्री राम श्रेष्ठ खिरहर (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के निवारण हेतु यह जो बिल लाया गया है उसमें विशेष अदालतों और कुछ विशेष दण्ड का प्रावीजन किया गया है। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। हरिजनों पर होने वाले अत्याचार कोई नई बात नहीं है। पूर्व में भी सारी बातें होती रहीं और नियम बनते रहे हैं। सोचना इस बात का है कि यह अत्याचार आखिर क्यों होते हैं। मेरी राय में अगर उनके जीवन यापन का अवलोकन आप करेंगे, सर्वे करेंगे तो आज आजादी के 40-42 वर्ष के बाद भी हरिजन और आदिवासी का जो रहन सहन और जीवन यापन है वह आम लोगों से, हम आप के मुकाबले में बहुत नीचे है, नगण्य है। आर्थिक और शैक्षणिक दो दुरव्यवस्था उनके यहां घर कर गई है, इसी कारण उन पर अत्याचार हो रहे हैं। यह ठीक है कि आजादी के बाद पिछले दिनों में सरकार ने आर्थिक और शैक्षणिक

दोनों स्तर पर हरिजन आदिवासियों को ऊपर उठाने का, उनके जीवन यापन को ऊपर तरक्की में लाने का काम किया है लेकिन आज भी मेरी समझ में, मेरी राय में वह नाकाफी है।

मैं उत्तर बिहार से आता हूं। हरिजन लोगों को भू-हदबन्दी से निकली हुई जमीन के बांटने की बात की गई और भूहस्तान्तरण की बात की गई, मैं आग्रहपूर्वक इस सरकार के सामने यह निवेदन करता हूं कि अगर आज भी सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम लोगों पर भरोसा करके सर्वे कराकर देखें तो आप को पता चलेगा कि 50 परसेन्ट बांटी हुई जमीन का आधिपत्य या भूस्वामित्व हरिजनों को प्राप्त नहीं हो सका है। नाम के लिए हरिजन के हाथ में जमीन चली गई है, आदिवासी लिख दिया गया है लेकिन आज भी जमीनों पर पूंजीपतियों का, जमींदारों का ही आधिपत्य है। आज ही हरिजनों से बेगार ली जाती है, जिसको बंधुआ मजदूरी का नाम दिया गया है, वह कराई जाती है। यह ठीक है कि बहुत मायने में तरक्की हुई है लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज भी आर्थिक और शैक्षणिक अवस्था उनकी बहुत दयनीय है। इसी सदन से खासकर बिहार के माननीय सदस्य बैठे हैं जो जानते हैं कि सैकड़ों बीघा बेनामी जमीन आज भी भूस्वामियों के कब्जे में, जमींदारों के कब्ज में, पूंजीपतियों के कब्जे में है उन्होंने कुत्ते बिल्ली के नाम से, अपने मुंशी और सिपाही के नाम से करके जमीनें बचाई हुई हैं। मेरा आग्रह होगा कि भूहदबन्दी के जो कानून बने हैं, इन अत्याचारों से हरिजनों और आदिवासियों को निकालने की जो बात की गई है, उसमें कम से कम जहां समतल जमीन है, वहां मैं कहना चाहूंगा कि वहां भू-हदबन्दी वाले कानून को सख्ती से लागू करें और छिपाई हुई जमीन को निकाल कर हरिजनों में बांटें, आदिवासियों को बांटें। बची हुई जमीन पर हरिजनों का स्वामित्व हो जाएगा तो यह अत्याचार अपने आप वह समझ लेगा, हमसे और दूसरों से वह मुकाबला कर लेगा और यह अत्याचार समाप्त हो जाएगा, बन्द हो जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : सभापति महोदय, हमारे देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए हमारे माननीय कल्याण मंत्री द्वारा लाए गए इस संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हूं।

महोदय, जैसाकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचार और उनके पिछड़ेपन का सिर्फ एक कारण नहीं है; इसके अनेक कारण हैं जैसे निरक्षरता, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, अत्यधिक निर्धनता इत्यादि, जिनकी व्याख्या करने का मेरे पास समय नहीं है। मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आभारी हूं कि वे हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान और कल्याण के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अनेक उपाय किए हैं जिसमें कि उनके द्वारा और साथ ही हमारे माननीय कल्याण मंत्री, जोकि यहां उपस्थित हैं, द्वारा किया गया कल्याण सम्बन्धी यह एक प्रमुख उपाय है।

3.00 म० प०

केन्द्र में सत्तारूढ़ तथा अनेक अन्य राज्यों में भी सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने ही अनुसूचित जाति

तथा अनुसूचित जनजातिय लोगों के कल्याण के लिए कुछ किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश वे लोग जो झूठी सहानुभूति दिखाते हैं—विपक्ष दल के सदस्यगण यहां उपस्थित नहीं हैं—उनके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं हैं। उनके लिए वे कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। वे सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करना चाहते हैं लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए उन्होंने कभी कोई अच्छी योजना लागू नहीं की है। वर्ष 1977 से 1990 तक हमने उनके रवैये को देखा है जब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के लिए सीटों के आरक्षण को 1980 में समाप्त हो जाने के पश्चात् बढ़ाया जाना था, वे इसे बढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन 1980 में केन्द्र में सत्ता में आने के पश्चात् श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस सम्बन्ध में पहल की थी और संविधान में संशोधन कर आरक्षण के समय को बढ़ाया गया था। इस प्रकार जब कभी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के कल्याण और विकास के लिए कोई कदम उठाया गया था तो यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी तथा केन्द्र और राज्यों में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा उठाया गया था। अब मैं सरकार के विचारार्थ कुछ सुझाव पेश करना चाहूंगा।

महोदय, जहां तक निरक्षरता का सम्बन्ध है, भारी संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की पढ़ाई छूट जाती है जिसके लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने आदि की भांति कुछ उपाय किए जाने चाहिए ताकि पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को रोका जा सके और इससे साक्षरता का प्रसार होगा। महोदय, हमने गौर किया है कि जो अत्याचार किया जाता है और हरिजन तथा आदिवासी महिलाओं की मर्यादा भंग की जाती है तो यह अधिकतर पुलिस अधि-कारियों और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। मेरा सुझाव यह है कि सरकार को कड़े उपाय करने चाहिएं ताकि जब सरकार के ध्यान में इस प्रकार के आरोप आयें तो सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया जाए और किसी भी हालत में उन्हें या उसे कोई सरकारी नौकरी न दी जाए। बेशक, माननीय मन्त्री ने इन बातों को नोट किया है। परन्तु वाद-विवाद के दौरान उठाई गई बातों का जवाब देते समय वह यह जवाब देंगी कि ये मामले राज्य सरकार के अधीन आते हैं, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। परन्तु ऐसा हो रहा है कि वास्तव में वे कल्याण उपाय जिन पर क्रियान्वित करने हेतु विचार किया गया है और जिनके कार्यान्वयन का निर्णय लिया है उन्हें सम्बन्धित राज्य सरकार क्रियान्वित कर रही है और वहां इसके प्रति अधिकारियों का रवैया उदासीन है और यही कारण है कि उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है, इसलिए कुछ उपाय किए जाने चाहिएं ताकि भविष्य में ऐसी बात न हो।

महोदय विशेष न्यायालयों के बारे में, मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि वह यह विधेयक लाई हैं जिसमें विशेष न्यायालयों का प्रावधान है। मैं यह निवेदन करता हूं कि विशेष न्यायालय प्रत्येक खण्ड में होने चाहिए ताकि जरूरत के समय गरीब आदिवासी और हरिजन वहां पहुंच सकें। इसके अतिरिक्त मैं यह भी सुझाव देता हूं कि कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक उपाय किए जाने चाहिएं। इस मुद्दे पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों और सवर्णों के बीच वैवाहिक सम्बन्धों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बेशक बढ़ावा दिया गया है और केन्द्र सरकार ऐसे उपाय कर रही है। परन्तु यह मेरा विनम्र निवेदन है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, एक या दो मिनट में मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। यह

जानकर खुशी होती है कि हमारे माननीय प्रधानमन्त्री ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के लिए हाल ही में सकारात्मक कदम उठाये हैं। यदि सवर्णों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आदिवासी या हरिजन लड़कियों के साथ विवाह किया है, उन्हें इन रिक्तियों को भरने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसे नियम बनाये जाने चाहिएं कि भविष्य में ऐसी रिक्तियों को भरने में उन सवर्णों को उच्चतम प्राथमिकता मिले जो आदिवासी तथा हरिजन के साथ वैवाहिक सम्बन्ध रखेंगे।

महोदय, पंचायती राज के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने कई सही उपाय किए हैं और पंचायती राज प्रणाली को बहुत तेजी से लागू किया जा रहा है। इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री को तहेदिल से बधाई देता हूं। मैं माननीय मन्त्री से यह भी निवेदन करता हूं कि वह देखें कि राज्यों में पंचायत विधेयकों में एक ऐसा प्रावधान हो ताकि पंचायतें हरिजनों तथा आदिवासियों के कल्याण हेतु ऐसे कार्य करें। ऐसी पंचायतों को केन्द्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाना चाहिए। एक खेद का विषय यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में अन्दरूनी झगड़े हैं और उनमें आपसी तालमेल नहीं है। अतः यह देखने के लिए उपाय किए जाने चाहिएं कि उनमें आपसी तालमेल हो। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : सभापति जी, मैं माननीय सदस्यों की बहुत ही आभारी हूं जिन्होंने इस बिल की बहस में भाग लेकर अपनी दिलचस्पी जाहिर की और पूरी तरह से अपना समर्थन दिया है। सभी माननीय सदस्यों ने बिल की भावना के प्रति अपने विचार प्रकट करते हुए पूरा समर्थन दिया है। लगभग 38 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। सोमवार को और आज जो बहस हुई उससे पता चलता है कि समाज के उस वर्ग के लिए जिसको हम और आप सब समझते हैं कि जिनके ऊपर सामाजिक रूप से समय-समय पर अत्याचार होते हैं, वे बन्द होने चाहिए और उसको बन्द करने के लिए ही सरकार यह बिल लाई है और इसीलिए चारों तरफ से इसका स्वागत किया गया है। कुछ सुझाव भी आएं है और एक दो अमेंडमेंट्स भी आए हैं, मैं उसका जिक्र बाद में करूंगी। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही विकर सैक्शन के लिए, विशेषकर अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए समय-समय पर कदम उठाए हैं। यह हमारी पार्टी की नीति रही है और हमारी सरकार की भी नीति रही है। आजादी के बाद से समय-समय पर ऐसे कदम उठाये गए हैं। हमारे प्रधानमन्त्री जी ने भी इस पर पिछले 4 वर्षों में ज्यादा ध्यान दिया। स्वयं उन्होंने देश के कोने-कोने में जाकर गरीबों की झोंपड़ियों में पहुंच कर गरीब लोगों के बीच में बातचीत करके उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया। उसके बाद इस पर भी गौर किया कि जो योजनाएं हमारी चल रही हैं, जिस तरह से सामाजिक स्तर के कार्यक्रम भी चल रहे हैं जो प्रिवेंलिग एक्ट है उसमें कैसे और परिवर्तन करके, संशोधन लाकर इसमें सुधार किया जा सकता है। इसी की परिणति है जो पंचायत राज एक्ट आया, इसी की परिणति है जो नगर पालिका का भी एक्ट आया। इस सदन ने इस पर विचार किया बहुत ही विस्तार से, उस समय हमने देखा अनुसूचित जाति और जन-जाति के आरक्षण की बात की गई और महिलाओं की भी आरक्षण की बात कही गई थी। लेकिन उसके साथ-साथ यह जरूरी है कि इन पर जो समय-समय पर सामाजिक तरीके से अत्याचार होते हैं उस कानून

को और ज्यादा कठिन बनाया जाए जिसके तहत ऐसे अत्याचार रोके जा सकें। एक तरफ तो अनुसूचित जाति और जन-जातियों को आरक्षण देकर के उनमें हम नेतृत्व की भावना भरने जा रहे हैं, नेतृत्व लाने के लिए एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए जो करना चाहिए वह तो रिप्रजेंटेशन देकर जो काम करेंगे उसके द्वारा होगा, लेकिन फिर भी सदियों से चला आया हुआ जो सोशल प्रिजडाइसेस है वह इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। यही कारण है कि समय-समय पर जो इतने कानून भी बनाये गये हैं उसके बाद भी हमें अत्याचार के नजारे दिखाई पड़ते हैं। उसका क्या हल हो सकता है, इस पर भी बहुत गम्भीरता से विचार किया गया है और विचार करने के बाद ही बहुत सोच-समझकर यह एक्ट लाया गया है। आप लोग जानते हैं कि बीस सूत्री कार्यक्रम जो लाया गया था इसी दृष्टिकोण से लाया गया था कि गरीबी एक बड़ा कारण है जिसमें कि गरीब लोगों की शक्ति कम होती है, आर्थिक दृष्टि से जो अत्याचार होता है उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, उन्हें पावर्टी लाइन से ऊपर लाया जाए। बीस सूत्री कार्यक्रम का खास उद्देश्य यह था कि जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, ज्यादातर हरिजन और आदिवासी भाई उसमें आते हैं। लेकिन यह कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनको बदलकर एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० के प्रोग्राम थे उनको मिलाकर काम ठीक हो सके इसलिए जवाहर रोजगार योजना के रूप में हम एक नई योजना लाये। उसमें ज्यादा धन लगाकर उसको और विस्तृत किया गया है। लेकिन उसके बाद भी मैनेजमेंट के लिए और जिनसे काम हो सके गरीबों तक पहुंच सके उसके लिए एक कांफीडेंस जेनरेट करने की जरूरत है। इस एक्ट पर सदन ने जो विचार किया है और जिसे हम पारित करने जा रहे हैं वह इस दिशा में बहुत ही अच्छा कदम होगा। मैं समझती हूं उसके लिए भी आगे के निर्माण के लिए, भविष्य के लिए जो एक्ट लाए हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। तीन-चार चीजों पर हमारे माननीय सदस्यों को ध्यान देना चाहिए जो इस एक्ट के द्वारा आ रही हैं उसमें खास तौर से आपकी चिन्ता रहती है जिस पर काफी बोला गया है वह है पुलिस और पुलिस अधिकारियों का एफ० आई० आर० न लिखना और पुलिस के माध्यम से, पुलिस के द्वारा जो एट्रोसिटीज होती हैं या गांवों में उन लोगों को परेशान किया जाता है, थानों के माध्यम से, इस एक्ट में हमने उसके लिए स्पष्ट तरीके से प्रावधान किया है और उन लोगों की रिस्पौन्सिबिलिटी तय कर दी है, जिसे मैं समझती हूं कि काफी सख्त प्रावधान है और जिससे निश्चित तौर से अत्याचारों की घटनाओं में कमी आयेगी। जब इसका मैसेज चारों ओर जाएगा, उसे हमारे अधिकारी और कर्मचारी अच्छी तरह समझेंगे, चाहें वे किसी भी श्रेणी के हों, पुलिस में काम करते हों या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हों, हमने इस विधेयक की चौथी क्लॉज में जो प्रावधान किया है: "पनिशमैंट फार नैग्लैक्ट ऑफ ड्यूटी", वह बहुत ही स्पष्ट शब्दों में और सख्त प्रावधान है। आप लोगों ने तो केवल डिसमिस करने का ही सुझाव दिया था, जबकि हमने उससे भी आगे बढ़कर यह लिखा है कि :

[अनुवाद]

"कोई, लोक सेवक, है किन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, उस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझ कर उपेक्षा करता है वह कारावास से दण्डनीय होगा।"

[हिन्दी]

इसलिए आप यह समझ लीजिए कि हमने केवल उन्हें सजा देना ही पर्याप्त नहीं समझा है, केवल

सस्पेंड करना ही पर्याप्त नहीं माना है, केवल उन्हें नौकरी से हटा देना ही पर्याप्त नहीं माना है, बल्कि उन्हें जेल में भेजने की व्यवस्था भी की है :

[अनुवाद]

"जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक हो सकेगी।"

[हिन्दी]

इस प्रकार हम उन्हें जेल भी भेजेंगे, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जानबूझकर हरिजनों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करेगा या विलफुली अपनी ड्यूटी के निर्वहन में नैग्लीजैंस करेगा, कोताही करेगा। यहां माननीय सदस्य, श्री सैयद शहाबुद्दीन ने अपने सुझाव में जो कुछ कहा है :

[अनुवाद]

"कोई, लोक सेवक, है किन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।"

[हिन्दी]

हम इस जगह पर "नॉट बींग ए मैम्बर ऑफ शैडयूल्ड कास्ट ऑर शैडयूल्ड ट्राइब" शब्द न रखें, परन्तु हम जिस उद्देश्य से यह बिल लाये हैं, हमने एक्ट में प्रावधान किया है, उसके पीछे यही भावना है कि हमारे समाज में जो व्यवस्थाएं हैं, विशेषकर हिन्दू समाज में, जो प्रथाएं सदियों से चली आ रही हैं, छुआछूत के नाम पर समाज में जो कुछ चला आ रहा है, जो लोग अपने आप को अपर-कास्ट का समझते हैं, वे दूसरों को सताते हैं, अलग-अलग तरीके से परेशान करते हैं, उन पर प्रभावी ढंग से रोक लगायी जा सके, उसे रोका जा सके। इसलिए स्पष्ट शब्दों में हमने इस विधेयक में यह कहा है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के प्रति जो भी इस तरह का व्यवहार करेगा, वे "अदर-दैन" यानी शैडयूल्ड कास्ट एण्ड शैडयूल्ड ट्राइब्स के ऑफिसर्स नहीं होंगे, बल्कि जो दूसरे लोग होंगे, उन पर जिम्मेदारी फिक्स की है। यह समझना बहुत आवश्य है कि हमने उन पर जिम्मेदारी फिक्स की है, चाहे वह किसी स्टेट में है या सैन्टर में है, कहीं पर भी है, जो व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है, जानबूझकर कोई काम करता है, अब लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था की जिम्मेदारी तो स्टेट गवर्नमेंटस की है, थाने भी स्टेट गवर्नमेंटस के अन्तर्गत आते हैं, जहां किसी हरिजन आबादी को जलाया जाता है, किसी हरिजन को मारा जाता है या अन्य कोई इसी तरह की घटना होती है, कोई अत्याचार होता है, रेप होता है, तो वह प्रभावित व्यक्ति नियरैस्ट थाने में जाकर रिपोर्ट कर सके। यदि वहां का थानेदार जानबूझकर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखता है, तो इस विधेयक के प्रभावी होने के बाद वह बच नहीं सकेगा। अब यह विधेयक ठीक तरीके से, इफैक्टिव तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है, यह डिपेन्ड करता है कि आप लोग इसमें कैसे अपना सहयोग देते हैं, समाज इसमें कितना सहयोग करता है, सहायता देता है। इस विधेयक में हमने चैप्टर 5 मिसलेनियस में अनेक प्रावधान ऐसे किए हैं, यदि आप इसके पृष्ठ 9 पर देखें तो हमने कहा है :

[अनुवाद]

"केन्द्र सरकार, उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों में समन्वय करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।"

"केन्द्र सरकार प्रत्येक वर्ष, संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर इस धारा के उपबन्धों के अनुसरण में स्वयं उसके द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों पर एक प्रतिवेदन रखेगी ।"

और इसके साथ-साथ हम यह भी देखेंगे कि केन्द्रीय सरकार इसकी मानिटरिंग के लिए विशेष तौर से इसको देखेगी क्योंकि हम यों ही इसको नहीं छोड़ने वाले हैं । इसमें काफी स्ट्रिन्जेंट पनिशमेंट की बात रखी गई है और इसी तरह से बहुत अच्छी तरह से इसकी मानिटरिंग करने की बात भी कही गई है ।

श्री राम रतन राम (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं ।

सभापति महोदय : अभी नहीं । पहले मन्त्री महोदया को अपना भाषण पूरा कर लेने दीजिए ।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : श्री राम रतन राम जी ने क्वश्चन किया था पुलिस आफिसर्स का और एट्रोसिटीज की बात इन्होंने कही थी, तो मैंने यह जवाब उन्हीं के संदर्भ में दिया है । इसके साथ-साथ इन्होंने कहा था कि एक्सटमेंट प्रोसीडिंग्स की बात है, तो यह हमारा जो एक्ट है, इसके सैक्शन 10 में यह चीज आती है और इसमें यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति और किसी माननीय सदस्य ने भी यह प्रश्न उठाया था कि वह चला जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे इसको आप अलाऊ कर रहे हैं, यह तो स्पेशल कोर्ट का आर्डर होगा, कोई यों ही नहीं है, किसी ने कह दिया और हो गया, स्पेशल कोर्ट का आर्डर है, उसको तो मानना ही है । जब वह लौट आता है, तो उसको अरैस्ट किया जाएगा । यों ही नहीं है कि वह घूमता रहेगा । जब कोई कानून देश का कानून बन जाता है, तो उसका पालन किया जाएगा । यह किसी की मरजी के ऊपर नहीं है, कोई कलप्रिट है, कोई कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति है, वह ऐसे कैसे घूमता चला जाएगा । इसलिए इसकी वजह से इसको इसमें साथ रखा गया है । इसको आप पढ़िए, 10 और 11 में आप पढ़िए । जो भी एक्सटर्नमेंट आर्डर है, वह कम्पलाई नहीं करता है, उसको अरैस्ट करेंगे और पुलिस कस्टडी में डालेंगे । इसको भी इसमें स्पष्ट किया गया है । साथ ही साथ जिस चीज पर आपको गौर करना चाहिए, जैसाकि हमने कहा यह पहली बार किया गया है कि खासतौर से कुछ अपराधों को एनलिस्ट किया गया है । क्या एट्रोसिटीज हैं, इनको इनमें डिफाइन किया गया है । आफेंस और एट्रोसिटीज के बारे में जैसा बीरसेन जी ने कहा कि आपने यह रख दिया पन्द्रह तक, इससे भी बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं, तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जब कोई भी बिल बनाया जाता है, एक्ट बनाया जाता है, तो उसका एक एप्रोक्सीमेट रखकर किया जाता है, जो आब्वीयसली चीजें सामने आती हैं, उनकों देखकर समझकर के लाया जाता है । ये चीजें खासकर एट्रोसिटीज की चीजें होती हैं, उनमें हमने देखा और जो दृष्टिकोण हमारे मन में है और आए दिन माननीय सदस्य भी बताते हैं, पार्लियामेंट्स के मैम्बर्स के साथ मीटिंग्स में इस बात को बार-बार उठाया गया और हमारे पास पिछले चार सालों के जितने भी क्वश्चन आए हुए हैं, कंसल्टेटिव कमेटीज में ये बातें आई हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें भी ये सारी बातें आई हैं, तो ये चीजें, इन सब चीजों को सामने रखते हुए, इनकी जांच कर के, इनको एट्रोसिटीज के अन्दर डाला गया है और कानून के अन्दर इसको बांधने की कोशिश की गई है । स्त्रियों के साथ, हरिजन स्त्रियों के साथ विशेष तौर से एट्रोसिटीज की जाती है, यह बहुत हीनियस क्राइम है, जिन्दा जलाकर के मार दिया जाता है, उसको भी

हम लोगों ने बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम के अन्तर्गत किया है और इस एक्ट के अनुसार जो पनिशमेंट को बढ़ाया गया है, उसको भी गौर से देखने की चीज है। किस तरह से उसको आगे बढ़ाया गया है, इसके अन्दर। जैसाकि 5वीं में देखा जाता है—

[अनुवाद]

भारतीय दण्ड संहिता के अधीन किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी सम्पति ऐसे सदस्य की है, कोई अपराध जो दस वर्ष या अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है, करता है, आजीवन कारावास से और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

[हिन्दी]

तो इसको हमने इतना सख्त बनाया है। इसके साथ ही साथ इस बात का है—

[अनुवाद]

अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा पूजा स्थान के रूप में या मानव आवास के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, करता है वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

[हिन्दी]

यह इसलिए इतना सख्त करना पड़ा क्योंकि हमारा जो पी० सी० आर० एक्ट था उसके अन्दर पहले मामूली सजा होती थी, एक महीने से लेकर सजा होती थी और रिपोर्ट भी नहीं होती थी और कुछ कानून के अन्दर लोग उसको लागू नहीं करते थे। लेकिन अब जो कानून बनने जा रहा है, मैं समझती हूं कि इसके द्वारा आज जो हरिजनों पर अत्याचार होता है, उसे रोकने में एक ऐटमासफियर बनेगा और मदद भी मिलेगी। मैं यह भी जानती हूं कि जो माननीय सदस्यों ने कहा है। गंगा राम जी और शाहबुद्दीन जी ने भी आफेन्डर्स के लिए समरी ट्रायल को बात कही है। जो हमारे स्पैशल कोर्ट की बात कही गई है वह इसलिए है ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके और साथ-साथ इस एक्ट में यह भी है कि स्पैशल पब्लिक प्रौसीक्यूटर रखेंगे ताकि कोर्ट में जल्दी काम हो सके। एक और बात जो शाहबुद्दीन जी ने कही है कि जो शैड्यूल कास्ट और शैड्यूल ट्राइब हैं इनका :

[अनुवाद]

> "कानून और व्यवस्था तन्त्र की सभी शाखाओं में यथा प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए..."

[हिन्दी]

आप जानते हैं कि इसके लिए जो स्टैप्स उठाए जाते हैं वह हम उठा रहे हैं। पापुलेशन की दृष्टि से शैड्यूल कास्ट और शैड्यूल ट्राइब के लिए जो जनरल रिजर्वेशन रखा गया है, उसके लिए पिछले

दिनों जो कदम उठाए गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर गौर किया है, चर्चा की है, एम० पीज० की मीटिंग में जो डिस्कशन हुई उसमें भी यह बात आई और यह सुझाव आया कि जो कैनडीडेट अप टू द मार्क नहीं होते उनको तीन साल तक चांस दिया जाता है और तीन साल के बाद पोस्ट को डिरिजर्व कर देते हैं और उस सीट को जनरल कैनडीडेट द्वारा भर दिया जाता है। लेकिन अब जो पालिसी है उसमें डिरिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है और प्रधानमंत्री जी ने खासतौर से इस पर निर्णय लिया है। डिपार्टमेंट आफ परसोनेल ने इस विषय में सारे स्टेटस को, सेंट्रल गवर्नमेंट और सब डिपार्टमेंट्स को इसके लिए आदेश दिए हैं। डिरिजर्वेशन के बाद भी जो बैकलॉग है वह करीब-करीब पैंतालिस हजार आया है। एक जून से लेकर 31 अगस्त तक हमने एक ड्राइव चलाया है और उसके लिए श्री विश्वम्बरम जी और मैं कई जगह गए और देखा कि किस तरह से हम इस बैकलॉग को पूरा कर सकते हैं। इस बैकलॉग को भरने के लिए स्टाफ सलैक्शन कमीशन के चेयरमैन, इम्प्लायमेंट एक्सचेंज, पब्लिक सैक्टर के ऐग्जीक्यूटिवस आदि सबके द्वारा इस पर काम जोरों से चल रहा है। लोगो की सहूलियत के लिए हमने यह भी किया है कि जिनका नाम इम्प्लायमेंट में रजिटर्ड है वे केवल रजिस्ट्रेशन नम्बर अपनी दरख्वास्त पर लिख देंगे तो भी वह दरख्वास्ट मंजूर कर ली जाएगी। एम्प्लायमैंट एक्सचेंज से अगर नाम भेजने में देर भी हो तो हम उसे मंजूर कर लेंगे, यद्यपि एम्प्लायमैंट एक्सचेंज को भी खास हिदायतें दी गई हैं, इस तरह से एम्प्लायमैंट के मामले में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों का जो रिजर्वेशन है, उसमें दिक्कत न हो। उनका असंतोष सही भी है, क्योंकि मैं यह मानती हूं कि खिलाफी तौर से लोग जान-बूझकर, जो जहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने रिजर्वेशन के मामले में सहायता नहीं की, जितनी करनी चाहिए थी इसीलिए आज यह एफर्ट करने की आवश्यकता हुई है।

यह बात सही है, जिन-जिन जगहों पर इसकी जरूरत है, जैसे थाने वगैरह में जो हमारे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग जाते हैं तो वह पहले तो पुलिस की घुड़की से ही डर जाते हैं, पुलिस वालों का तरीका ही गलत होता है, मगर हमारे यहां का जो सिस्टम है, उसको किस तरह से हम ठीक करते हैं, कैसे उनकी एप्रोच री-ओरिएन्टेशन पुलिस सर्विस और पुलिस अधिकारियों की होती है, क्योंकि जिस जनता के साथ उनको डील करना पड़ता है, जिनकी शिक्षा कम है, अगर वह क्लास आती है तो सभी तो उनके पास पढ़े लिखे नहीं आते हैं तो उनके साथ कैसे उनको बात करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सह सब भी जरूरी है जिसे समाज के बदलाव के साथ कराना होगा।

मैं श्री शाहबुद्दीन जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस मामले में किसी पोलिटिकल कंसीड्रेशन की बात नहीं है। एबव-पालिटिक्स उठकर हर पोलिटिकल पार्टी को इसमें सपोर्ट करनी चाहिए और समाज में होने वाले इस अन्याय को दूर करने के लिए मदद करनी चाहिए।

इसके साथ ही जो भी स्पैसेफिक सजैश्चन्स और भी माननीय सदस्यों ने दिए हैं, अगर इस बिल को अच्छी तरह से डिटेल में वह पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किसी न किसी क्लाज में वह सारी बातें इसमें आ गई हैं, जो आनी चाहिएं।

श्री दिग्विजय सिंह जी ने भी जो सुझाव दिए हैं, उन्होंने एक बात जरूर कही कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, अगर ऐसी चीजें हरिजनों के घर के पास डाल दी जाती हैं तो उसका कोई ऑफेंस नहीं माननी चाहिए, लेकिन जो बिल के चैप्टर 2 के क्लाज 3(1) और (II) में आता है इस बिल में, उसमें बताया है कि :

[अनुवाद]

"अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मल, कूड़ा, पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठे करके उसे क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से कार्य करता है।"

इसके पीछे भाव मल, पशु-शव इत्यादि को उसके परिसर में फैंकने से रोकना है।

[हिन्दी]

जो जान-बूझकर हरिजनों को तंग करने के लिए, उनके घर के आसपास ऐसी गन्दी चीजें फैंकते हैं, उनके लिए कहा गया है कि वह क्यों हरिजनों के घर के पास ही फैंकेंगे? इतनी बड़ी गांव में अन्य जगह पड़ी हैं तो हरिजनों की वस्ती में ही गरीबों की झोपड़ियों के पास क्यों फेंकते हैं, बड़े बाबू साहेब, या किसी और बाबू साहेब या ठाकुर साहेब के घर के आसपास क्यों नहीं फेंकते? तो इस वजह से इस चीज को लेकर यह कहना कि इसको मत डालें, मैं इससे सहमत नहीं हूं, यह कोई ऐसा सुझाव नहीं है।

जो और भी माननीय सदस्यों ने कहा है उनमें कुछ तो ऐसे सुझाव हैं जो इस बिल के अन्दर की बात नहीं है। रह गई 5वें और 6ठे शिड्यूल की बात जो श्री प्रधानी जी ने कही है तो मैं कहना चाहती हूं कि देश के अन्दर कोई भी कानून बनता है तो वह सारी जगहों पर लागू होता है चाहे वह 5वें शिड्यूल की स्टेट हो या 6ठे शिड्यूल की स्टेट हो। कानून के बारे में यह बात नहीं है कि हम वहां के गवर्नर से पूछकर वहां पर कानून लागू करेंगे। पूरे जूरिस्डिकशन में यह चीज आती है।

श्री राजहंस जी ने जो बात कही कि पहले जो एक्ट बने, उनका पालन नहीं हुआ, तो यह बात ठीक है कि पहले के जो एक्ट हैं, जिस तरह से उनको लागू होना चाहिए वह नहीं हुए, लेकिन तभी तो यह बिल लाने की आवश्यकता पड़ी। अगर पूरी तरह उनका इम्पैक्ट होता तो आज यह बिल लाते ही क्यों? इसे लाने की आवश्यकता पड़ी, तो हम इसको लाये हैं।

पानी की जहां तक बात है, अभी सरकार ने यह फैसला किया है कि 10-10 हजार गांवों में और खास कर वे जहां पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, वहां पर पानी की व्यवस्था कराने के लिए स्पेशल प्रोग्राम लिए जाएं। सरकार को मालूम है कि जनता को तकलीफ है और खास कर हरिजन आबादी में भी तकलीफ है। कोशिश यह है और आदेश भी यह है कि हरिजन आबादी बनायी जाए। इस दिशा में पूरा प्रयास किया जा रहा है और इंटेन्सिव तरीके से इस काम को किया जा रहा है जिससे हरिजन आबादी को लाभ हो सके।

बाकी बाहर की चीजें हैं जिस पर मुझे इस समय कुछ कहना नहीं है। जैसा कि राजहंस जी ने सुझाव दिया कि जिनको सजा दी जाए उनको टी० वी० पर दिखाया जाए। यह सोचने की बात है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।

और विशेष बात तो रह नहीं जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूं और बिल को क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन के लिए रखती हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों के

अपराध करने का निवारण करने के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए, विशेष न्यायालयों का उपबन्ध करने के लिए और ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने और उनके पुनर्वास तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किए जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3—अत्याचारों के अपराधों के लिए दण्ड

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 24 और 25,—

"अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है" का लोप किया जाए। (7)

पृष्ठ 3, पंक्ति 42 और 43,—

"अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है" का लोप किया जाए। (8)

सभापति महोदय, खण्ड 3(1) उपखण्ड (i) और (ii) से सम्बन्धित मेरे दो संशोधन हैं। शुरू में इस उपबन्ध के सामान्य अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि यह अत्याचारकर्त्ता कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो बेशक उसे क्षमा कर दिया जाना चाहिए। यह इस खण्ड का सीधा सा अर्थ है कि अत्याचारकर्त्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नहीं होना चाहिए। आम भाषा में, यदि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो बेशक वह कानून के क्षेत्राधिकार से बाहर होगा। वह कोई भी अत्याचार करने के लिए स्वतन्त्र है। वह कोई भी अपराध करने के लिए स्वतन्त्र है। मेरे विचार में, सरकार या माननीय मंत्री का यह आशय बिल्कुल नहीं है। मेरे विचार में यह ऐसे होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्यथा हो, जो उपखण्ड (1) तथा (2) में वर्णित किए गए हैं, सामान रूप से दोषी हैं। और केवल इस घोषणा से कि वह उसी समुदाय का व्यक्ति है जिसके प्रति उसने अत्याचार किया है तो वह कानून के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जा सकता है। इसलिए, माननीय मंत्री से मेरा निवेदन यह है कि कम से कम इन दो खण्डों से इस अहंकारी उपखण्ड को हटा देना चाहिए। यह सामान्य रूप से इस प्रकार होना चाहिए :

"कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए बलपूर्वक विवश करता है," इत्यादि।

अतः मेरा संशोधन यह है कि इस अर्हता विशेष को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इसे निकाल दिया जाना चाहिए।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : इस विधेयक का उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर गैर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों पर प्रकाश डालना है। एसे अत्याचार एक समूह के लोगों द्वारा दूसरे समूह के लोगों पर किए जाते हैं। प्रस्तावित संशोधन एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा अपने ही समूह के किसी अन्य व्यक्ति के प्रति किए गए ऐसे कार्य को कानून के अधिकार क्षेत्र में ले आएगा। ऐसे मामलों से साधारण कानून के तहत निपटा जा सकता है और इसके लिए कोई विशेष उपबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य कानून वहां लागू होता है जहां कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है या कोई अत्याचार करता है अर्थात् सामान्य कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। परन्तु यहां इस विधेयक में हम एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर किए जाने वाले अत्याचारों पर विचार कर रहे हैं अर्थात्, समाज की तथाकथित उच्च जाति द्वारा सामान्य जाति पर किए जाने वाले अत्याचारों पर विचार कर रहे हैं। समाज में प्रचलित ऐसे विचारों के विरुद्ध हम यह विधेयक ला रहे हैं। मैं इस संशोधन को अस्वीकृत करती हूं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : महोदय, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यह कानून की भ्रांति है और मैं सोचता हूं, मेरे विचार में यह संविधान का उल्लंघन भी है।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 7 और 8 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 7 और 8 लोक सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड—4 कर्त्तव्यों की उपेक्षा के लिए दण्ड

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 38 और 39,—

"किन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है" का लोप किया जाए।" (9)

महोदय, संशोधन संख्या 9 के सम्बन्ध में मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। इसमें ठीक वही है जो मैं पहले कह चुका हूं। मैं स्पष्टरूप से अपने संशोधन पर मतदान चाहता हूं। मैं इस उपबन्ध के पीछे तर्क को नहीं समझ पाया हूं। यह मेरी समझ से बाहर है। इसका आशय कुछ लोगों को अत्याचार से बचाना है। क्या मन्त्री महोदय की यह धारणा है कि उसी समूह के सदस्य द्वारा किए गए अत्याचार,

अत्याचार नहीं हैं ? यह एक प्रत्यक्ष अत्याचार रह जाता है। और ऐसे मामले हैं जिनमें उसी समूह के लोगों का उपयोग सत्ता द्वारा किया जाता है, निहित स्वार्थ वाले तत्वों द्वारा किया जाता है, पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाता है। और आप इस कानून के तहत उन्हें खुला छोड़ रहे हैं। यह बातमेरी समझ में नहीं आती।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : महोदय, मैं स्पष्ट कर चुकी हूं कि एक जाति दूसरी जाति पर अत्याचार कर रही है।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 9 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 9 लोक सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खण्ड 5 से 15 के लिए कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 से 15 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 16—राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 24 और 25 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए—**

"जहां तक हो सके, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जीवन, अंश या संपत्ति की हानि के लिए अत्याचारों के पीड़ितों को संदेय प्रतिकर के परिमाण तक सामूहिक जुर्माना अधिरोहित करने और वसूल करने के प्रयोजनों के लिए।" (10)

मेरे विचार में सामूहिक जुर्माने के उपबन्ध का सारी सभा ने स्वागत किया है। यह संशोधन रखने के पीछे मेरा तर्क यह है कि उस जगह विशेष से सामूहिक जुर्माने के रूप में वसूल की गई धनराशि, जहां अत्याचार हुआ है, एक निर्धारित पैमाने के तहत अत्याचार के शिकार लोगों को मुआवजे के रूप में दी जाने वाली पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए। पैमाने का विचार बाद में आता है जब हम मुआवजे की बात करते हैं। परन्तु मूल भाव यह है कि दण्ड स्वरूप किया जाने वाला जुर्माना प्रति-

कात्मक जुर्माना या प्रतिकात्मक कार्य नहीं होना चाहिए, यह दण्ड पर्याप्त रूप से कठोर होना चाहिए ताकि समाज के उन तत्वों को भी जिनका रवैया उस जगह भिन्न है, परन्तु जो अत्याचारों के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं कि वे उन्हें एसा करने से रोकने के लिए आगे नहीं आये या अत्याचारों को होने दिया, उन्होंने अत्याचार नहीं किए और फिर भी वे नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार हैं, जुर्माने से दण्डित किया जाना चाहिए। दण्डात्मक जुर्माने का यह भाव केवल तभी प्रभावी होगा, केवल तभी यह कुछ सार्थक होगा, और केवल तभी बुरा करने वालों पर इसका असर होग और ऐसे अत्याचारों से लड़ने के लिए पूरे समाज की नैतिकता को गतिशील बनाना होगा। यही कारण है कि मैं इस बात पर बल दे रहा हूं कि हमें और अधिक स्पष्टवादी होना चाहिए और कहना चाहिए कि दण्डात्मक जुर्माना निर्धारित पैमाने के अन्तर्गत अत्याचारों के लिए वह कुल मुआवजे के बराबर होना चाहिए।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : धारा 16 में कहा गया है :

"सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10क के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और वसूल करने के प्रयोजनों के लिए उससे सम्बद्ध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे।"

इसलिए हमने इसे और अधिक व्यापक बना दिया है और ऐसा नहीं है कि क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है। मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं और मैं संशोधन स्वीकार नहीं करती हूं।

सभापति महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 10 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 10 लोक सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 16 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खण्ड 17 से 20 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 से 20 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17 से 20 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 21—अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8, पंक्ति 23,—

"व्यक्तियों के" **के स्थान पर** "व्यक्तियों को विहित मान के अनुसार उनकी जंगम और स्थावर सम्पत्ति की हानि या उनको खतरे के लिए तथा जीवन हानि और शारीरिक क्षति के लिए उन्हें पूरा प्रतिकर देने के परिमाण तक उनके" **प्रति स्थापित किया जाए** । (11)

पृष्ठ 8, पंक्ति 35
"और" के पश्चात्

"स्थानीय प्रशासन को मिश्रित स्वरूप देने के लिए प्रशासनिक तन्त्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व देने" अन्तःस्थापित किया जाए । (12)

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 36 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(viii) ऐसे सरकारी सेवकों का अभियोजन, जिनके विरुद्ध अत्याचार करने और उनका उपशमन करने में अन्तर्ग्रस्तता या ऐसे अत्याचारों के निवारण में उपेक्षा के प्रथम दृष्टतया आरोप हैं।" (13)

पृष्ठ 9, पंक्ति 2 और 3 स्थान पर

निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जाए—

"धारा के उपबन्धों के अनुसरण में अत्याचारों के सभी मामलों विशेष कर उन मामलों पर, जिनमें किसी व्यक्ति के जीवन की हानि हो जाती हैं, तथा स्वयं उसके द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपचारी उपायों पर एक प्रतिवेदन रखेगी।" (14)

ये सभी चारों संशोधन खण्ड 21 से सम्बन्धित हैं । उपखण्ड (3) में अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुर्नवास के लिए एक उपबन्ध है । ऐसा होना अच्छा है, लेकिन आम प्रवृत्ति यह है कि सहायता अनुदान तदर्थ आधार पर दिया जाता है । कभी मानव जीवन का मूल्य 5000 रुपये होता है तो कभी 1000 रुपये और कभी 20000 रुपये होता है । मैं समझता हूं कि हमारे देश में यह कानूनी परम्परा है और इसके अनुसार नष्ट हुए मानव जीवन का मूल्यांकन पीड़ित व्यक्ति की कमाने की क्षमता, जिस समय उसका जीवन समाप्त हुआ तब आयु, आयु की संभाव्यता यदि वह जीवित रहता तो वह कुल कितना कमाता, न सब के आधार पर मृत व्यक्ति के निकट सम्बन्धी को सहायता उपलब्ध होनी चाहिए । इसीलिए औद्योगिक दुर्घटना या रेल दुर्घटना की तरह कुछ नियत मापदन्ड होना चाहिए । मेरे संशोधन संख्या 11 का ही यही ध्येय है जिसमे मैंने कहा है कि यह प्रभावित व्यक्ति को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उनकी चल और अचल समत्ति की हानि या उनको खतरे के लिए तथा जीवन हानि और शारीरिक क्षति के लिए पूरा मुआवजा दिया जाए ।

मैंने पहले यह कहा था कि जहां तक सम्पत्ति का सम्बन्ध है, जो हानि हुई है उसके बदले में मुआवजा पर्याप्त होना चाहिए । यह नाममात्र का मुआवजा न हो ।

दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री ने भी माना है कि कुछ मामलों में स्थानीय प्रशासन अत्याचारों की स्थिति के प्रति पूर्णतया संवेदनशील नहीं हो सकता और इसीलिए मैंने उप-खण्ड 7 में सुझाव दिया है कि जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले उपायों का सम्बन्ध है, इनमें यह प्रावधान निहित होना चाहिए कि स्थानीय प्रशासनिक तन्त्र में स्थानीय प्रशासन में विशेष अत्याचार ग्रस्तक्षेत्र में संभावित पीड़ित व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

महोदय, ऐसा अनेक बार हुआ है कि आप संवर्ग की पूर्ति करते हैं, उन्हें आरक्षण देते हैं और फिर भी यह विशेष वर्ग गैर-अनिवार्य सेवाओं की ओर धकेल दिया जाता है। उन्हें मुख्य स्थान पर नहीं लगाया जाता, उन्हें थानों में नहीं लगाया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें उन स्थानों पर, थाने में होना चाहिए और उस क्षेत्र के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। उस अत्याचार बहुल क्षेत्र में प्रशासन मिश्रित प्रकृति का न होने तथा और अत्याचारों के संभावित पीड़ितों को उचित प्रतिनिधित्व दिए बिना प्रशासन सही सिद्ध नहीं हो सकता। मेरे संशोधन संख्या 12 का यही उद्देश्य है।

संशोधन संख्या 13 सरकारी कर्मचारियों के बारे में है। मैंने कहा है कि (सात) के बाद यह जोड़ा जाए। माननीय मन्त्री ने पहले ही इस बात पर जोर दिया है कि अपने कर्त्तव्य की पूर्ति में उपेक्षा बरतने और कमी दर्शाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सजा दी जाएगी। यदि ऐसा है तो उस स्थिति में इस विचार पर जोर देने के लिए इस खण्ड को जोड़ने में कोई हानि नहीं है कि सरकार उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग के लिए नियम बनाएगी जिनके विरुद्ध प्रथम दृष्टि में अत्याचार करने में मिलीभगत, तथा अत्याचारों के लिए उकसाहट अथवा ऐसे अत्याचार रोकने में अवहेलना के आरोप हैं।

महोदय, अन्त में मैं इस विचार का स्वागत करता हूं कि केन्द्र सरकार प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों के सम्मुख एक प्रतिवेदन रखेगी। महोदय, लेकिन यह प्रतिवेदन तो केवल इसके द्वारा किए गए उपायों से सम्बन्धित है। इसलिए प्रतिवेदन बहुत ही सामान्य प्रकृति का होगा। मैं समझता हूं कि इस प्रतिवेदन में यह संवैधानिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जहां भी अत्याचार के मामले में एक या अधिक मानव जीवन की हानि हो तो उस मामले में ऐसी घटनाओं की संख्या और राज्य सरकार के प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही बताई जाएगी और संसद को इसकी जानकारी दी जाएगी। मेरे चौथे संशोधन का यही उद्देश्य है।

मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन चार संशोधनों को स्वीकार कर लें।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पेश किए गए संशोधन खण्ड 21 के बारे में हैं और मैं उन्हें एक-एक करके पढ़ना चाहूंगी। मैं कहना चाहूंगी कि नियम बनाने जा रहे हैं। मोटे तौर पर निर्देश दिए गए हैं। हम नियम तैयार कर रहे हैं जो यहां पर कहे गए हमारे कथन की पुष्टि करेंगे।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : यदि वह कहें कि नियमों में इनका ध्यान रखा जाएगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : जी हां, हम इसको ध्यान में रखेंगे और इससे हमारा इरादा

मजबूत होगा । हम इसे ऐक अत्यधिक सफल क़ानून बनाने जा रहे हैं इसलिए मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वह अपने संशोधन वापस ले लें ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं माननीय मन्त्री के आश्वासन पर सभी संशोधन वापस लेता हूं ।

सभापति महोदय : क्या माननीय, सदस्य को अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 11 से 14 सभा की अनुमति से वापस लिए गए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : खण्ड 22 और 23 के लिए कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22 और 23 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 22 और 23 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

डा० सरोज कुमारी वाजपेयी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब हम अगले विषय पर विचार करेंगे ।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० नामग्याल) : यदि सभा की सहमति हो, तो हम सबसे पहले विषय

संख्या 10 पर विचार शुरू करें। तत्पश्चात विषय संख्या 9 और 10क पर विचार किया जा सकता है।

सभापति महोदय : आप विषय संख्या 9 के बजाए विषय संख्या 10 पर पहले विचार करना चाहते हैं। क्या माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : हम सहमत हैं।

सभापति महोदय : सब सहमत हैं। हम पहले विषय संख्या 10 पर विचार शुरू कर सकते हैं।

3.56 म० प०

श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक

श्रम मन्त्री (श्री बिन्देशवरी दुबे) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों और समाचारपत्र एजेंसियों के कर्मचारियों समेत अन्य समाचारपत्र कर्मचारियों के मजदूरी ढांचे की जांच के लिए समय-समय पर मजदूरी बोर्डों का गठन किया है। इन मजदूरी बोर्डों का गठन समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किया गया है तथा इसके अनुसार ही वे कार्य करते हैं। देश में तथा समाचारपत्र उद्योग में आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मजदूरी बोर्ड परिवर्तन के सम्बन्ध में सिफारिशें करते हैं जिन्हें इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों और मजदूरियों के सम्बन्ध में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। माननीय सदस्य जानते हैं कि यह सरकार श्रमिकों के कल्याण के बारे में कितनी गम्भीर है। इसी के अनुसरण में यह प्रयास किया गया है कि समाचारपत्र उद्योग में श्रमिकों की उचित सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए उचित समयावधि में मजदूरी बोर्डों का गठन किया जाए। पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के मजदूरी ढांचे तथा सेवा की शर्तों की जांच के लिए पिछली बार मजदूरी बोर्डों का गठन जुलाई और अगस्त, 1985 में किया गया।

किसी भी विलंब को, जो मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के पश्चात् हो सकता है, कम करने के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मजदूरी बोर्डों के कार्य में होने वाले विलंब को यथासम्भव कम किया जाए। इस जांच की दृष्टि से कानून और प्रक्रिया की समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या इन कानूनों में किसी प्रकार का परिवर्तन और स्पष्टीकरण सहायक होगा।

कर्मचारियों की मजदूरी और सेवा शर्तों के सम्बन्ध में इन मजदूरी बोर्डों द्वारा की गई सिफारिशों की जांच के अतिरिक्त सरकार ने उपरोक्त उद्देश्य की दृष्टि से अधिनियम के विभिन्न-उपबन्धों का भी अध्ययन किया है। इस अध्ययन के दौरान हमने देखा है कि यद्यपि नियमों में विशेष परिवर्तन

की आवश्यकता नहीं है इस अधिनियम में कुछ ऐसी बातें और अवधारणायें हैं जिनकी विभिन्न मजदूरी बोर्डों की व्याख्याएं भिन्न हैं। विगत मजदूरी बोर्डों की रिपोर्टों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ऐसी कठिनाइयां इन मजदूरी बोर्डों के कार्य की एक विशेषता बन गयी है। इस अनुभव की दृष्टि से यह विचार किया गया कि इन बातों के सम्बन्ध मे सन्देहों, गलतफहमियों और विवादों को समाप्त करने के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन किए जायें इससे मजदूरी बोर्ड सुचारू ढंग से कार्य कर सकेंगे। समय यथासम्भव कम लगेगा तथा बोर्डों के सदस्यों में असहमति भी कम होगी।

4.00 म० प०

निम्नलिखित मुख्य बातों के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाए—

1. वर्तमान अधिनियम में "मजदूरी" की परिभाषा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में दी गयी विस्तृत परिभाषा के अनुसार है। स्पष्ट करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि अधिनियम में मजदूरी की परिभाषा सम्मिलित की जाए।

2. विगत अनुभव से स्पष्ट है कि इस बात पर विवाद है कि क्या इस अधिनियम में मजदूरी की परिभाषा में भत्तों सहित नये भत्ते, जिनकी मजदूरी बोर्डों सिफारिश करना चाहें, सम्मिलित हैं। यद्यपि कानून में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि वस्तुत: ऐसा है तथा विगत विवाद की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया गया है कि मजदूरी में स्पष्टत: भत्तों समेत नये भत्तों को शामिल करने के लिए उपयुक्त संशोधन किया जाए ताकि मजदूरी बोर्ड मजदूरी तथा विभिन्न वर्तमान भत्तों की दरें निर्धारित और संशोधित कर सकें और उनकी समीक्षा कर सकें तथा नये भत्तों की भी सिफारिशें कर सकें।

3. विगत में इस बात पर विवाद रहा है कि क्या मजदूरी बोर्ड अखिल भारतीय आधार पर मजदूरी निर्धारित कर सकते हैं अथवा यह उन पर निर्भर करता है कि वे ऐसा निर्धारण क्षेत्रीय आधार पर करें। यद्यपि कानून में स्पष्ट स्थिति है कि मजदूरी बोर्डों को अखिल भारतीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर मजदूरी की सिफारिश करने का प्राधिकार है लेकिन फिर भी यह विवाद बना हुआ है। इसलिए मामलों को स्पष्ट करने तथा इस विवाद को समाप्त करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि धारा 10(4) के अन्तर्गत यह व्याख्या सम्मिलित की जाये कि मजदूरी बोर्डों को अखिल भारतीय आधार पर मजदूरी निर्धारित करने से नहीं रोका जाएगा।

4. धारा 2(घ) के अन्तर्गत समाचारपत्र प्रतिष्ठानों की परिभाषा भी विगत में चर्चा का विषय रही है। अब यह प्रस्ताव किया गया है कि सामान्य नियन्त्रण के अन्तर्गत समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को जोड़ने के लिए धारा 2(घ) में संशोधन किया जाये तथा सामान्य नियन्त्रण का अर्थ विस्तृत किया जाए ताकि यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाए ताकि मजदूरी बोर्डों को इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई न हो।

माननीय सदस्य इस बात पर ध्यान दें कि सभा के समक्ष विधेयक में प्रस्तावित संशोधन स्पष्टकारी प्रकृति के हैं तथा इन संशोधनों को प्रस्तुत करने से सरकार का उद्देश्य मजदूरी बोर्डों के कार्य को सरल बनाना है, अनावश्यक विवादों तथा इनकी भिन्न-भिन्न व्याख्या को रोकना है जिससे उनके कार्यों में बाधा पड़ती है। हम इन संशोधनों का प्रस्ताव समाचारपत्र उद्योग के व्यापक हितों की दृष्टि से तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं कि श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-श्रमजीवी पत्रकारों की मजदूरी निर्धारित करने तथा इसकी समीक्षा करने के सम्बन्ध में अपनी वैधानिक जिम्मेवारी के प्रति

सरकार के प्रयासों में परिभाषाओं के जिनकी इन स्पष्टीकरणों के अभाव में भिन्न-भिन्न व्याख्यायें की गयी है, सम्बन्ध में अनावश्यक और निरर्थक बातों के फलस्वरूप बाधा न पड़े।

चूंकि इन संशोधनों में केवल स्पष्ट करने वाली बातें कही गयी हैं तथा ये वर्तमान कानून में हमेशा अन्तर्निहित रही हैं, इस संशोधन विधेयक के लिए एक सरकारी संशोधन प्रस्तुत करके मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रस्तावित स्पष्टीकरण की हमेशा मंशा की गयी तथा इसे इस अधिनियम में सम्मिलित समझा गया।

इन शब्दों के साथ ही मैं इस विधेयक को इस सम्मानित सभा द्वारा विचार करने तथा पारित करने के लिए प्रस्तुत करती हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री जी० एम० बनातवाला बोलें।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, बछावत वेतन बोर्ड ने अपनी सिफारिशों को सरकार के सुपुर्द कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। यह बेहतर होता यदि मंत्री महोदय विभिन्न सिफारिशों के बारे में सरकार के विचारों से हमें अवगत करा देते, क्योंकि बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों की बड़ी आलोचना की गयी है। यद्यपि संवाददाता इन सिफारिशों को पूर्ण रूप से अपर्याप्त समझते हैं, जबकि अखबारी प्रतिष्ठान इसे उनको पूरी तरह से पंगू बनाने वाला सिफारिश महसूस करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, इनमें अत्याधिक तनाव है, और इस तनाव को कायम रखने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती। मुझे उम्मीद थी की सरकार शायद आज इस वेतन बोर्ड की सिफारिशों के सम्बन्ध में आगे आकर हमें अपने विचारों की कुछ जानकारी प्रदान करेगी, तथा क्या सरकार इनमें किसी प्रकार का संशोधन करने पर भी विचार कर रही है। तथापि, मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अपना निर्णय ले और अधिसूचना जारी करे, जिससे कि सभी प्रकार का तनाव समाप्त हो सके।

संवाददाताओं द्वारा भी सिफारिशें की गई हैं। हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते, न ही माननीय मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में सभा को विश्वास में लेना उचित समझा कि वे सिफारिशें कौन सी हैं, तथा संवाददाताओं की उन सिफारिशों और सुझावों की दिशा में सरकार का रवैया क्या है। लेकिन, जैसाकि मैंने कहा है कि विलंब होने से कई प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो गई है, इस विलंब के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा निर्णय लेने में और आवश्यक अधिसूचना जारी करने में और विलंब होता है। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो हमें यह आश्वासन दिया गया था कि आवश्यक अधिसूचना वर्तमान सत्र की समाप्ति से पहले जारी कर दी जायेगी। हम लोग करीब-करीब इस सत्र की समाप्ति पर पहुंच गये हैं; और अब शायद एक ही कार्य दिवस बच गया है। इससे पहले की सभा समाप्त हो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि······

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह कैसे सम्भव है ?

श्री जी० एम० बनातवाला : यह भी उनका एक आश्वासन था; मैं उन्हें याद दिला रहा हूं कि अब मात्र एक ही कार्य दिवस शेष रह गया है; अत: उनके निर्णय की जानकारी सभा समाप्त होने से पहले दी जाए। ठीक है, चाहे प्रो० रंगा के अनुसार यह सम्भव नहीं है लेकिन, सरकार द्वारा विलंब के कारण अब यह सम्भव नहीं है, जिसे सरकार को स्वीकार करना चाहिए, और मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस मामले में और ज्यादा विलंब नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में शीघ्रता से निर्णय कर सरकार को शीघ्र ही अधिसूचना जारी करनी चाहिए। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी हमें शीघ्र दी जानी चाहिए।

अधिनियम में संशोधन के लिए अब यह विधेयक हमारे समक्ष है; और माननीय मन्त्री जी ने हमें बताया कि इस विधेयक को बछावत आयोग की ही सिफारिशों के आधार पर लाया गया है। इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए बछावत रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गयी हैं। उनमें से केवल कुछ ही को लिया गया है। बछावत रिपोर्ट में की गयी अन्य सिफारिशों के बारे में सरकार ने क्या किया। इस सम्बन्ध में हमें नहीं बताया गया है। हमें इस सम्बन्ध में यह भी नहीं कहा गया कि सरकार का उन संशोधनों के बारे में क्या विचार है जिसे बछावत आयोग की रिपोर्ट में सुझाया गया था। उदाहरण के लिए, मैं एक महत्वपूर्ण सिफारिश को दर्शा सकता हूं : बछावत बोर्ड ने सुझाव दिया है कि विधेयक के सुसंगत तथ्यों को एक ठोस आधार देने की आवश्यकता है। जिस रिपोर्ट के आधार पर आज हमारे समक्ष यह विधेयक है, वह रिपोर्ट स्वत: दर्शाती है कि यह अधिनियम अपने आप में पूरा होना चाहिए और इसमें विषय वस्तु से सम्बन्धित सारी बातों का पूरा विवरण होना चाहिए।

इसलिए बछावत रिपोर्ट में कहा गया है कि इस विशेष क्षेत्र में व्यापक विधेयक आना चाहिए। अत: मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के विपरीत, कि एक व्यापक कानून बनाया जाए और किसी अलग विधान और संशोधन पर विश्वास नहीं किया जाए, फिर भी एक व्यापक विधेयक हमारे सामने क्यों नहीं लाया गया? हमें आशा है कि रिपोर्ट में निहित सिफारिशों को, मन्त्री महोदय और सरकार द्वारा जल्द ही विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। यह कोई नहीं जानता की वह अवसर कब आएगा क्योंकि महत्वपूर्ण अवसर हमारे द्वारा पहले ही व्यर्थ किए जा चुके हैं। अत:, सरकार से हमें यह अनुरोध करना चाहिए कि इस सिफारिश को यथापेक्षित महत्व दिया जाना चाहिए और हमें एक व्यापक विधान बनाना चाहिए जोकि इस विशेष क्षेत्र के सभी मामलों पर विस्तार से निर्णय करे।

हमारे सामने स्वास्थ्य और जीवन के प्रति जोखिम का भी प्रश्न है। बछावत बोर्ड ने सुझाव दिया है कि इस प्रश्न की जांच करने के लिए एक विशेष समिति बनायी जानी चाहिए। मुझे नही मालूम कि सरकार ने ऐसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है या नहीं; यदि नहीं किया है, तो क्या सरकार का ऐसी समिति बनाने का विचार है? अत:, यह आवश्यक है कि सरकार को इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देना चाहिए। हमें एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए, जो सुरक्षा के उपायों और जीवन और स्वास्थ्य के जोखिम के बारे में सुझाव दे सके। साथ ही, कर्मचारियों और उन पर आश्रितों का चिकित्सा बीमा भी समाचारपत्रों के प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं और हमें ऐसा कहा गया है कि पाकिस्तान में सुसंगत कानून में ऐसे उपबन्धों का प्रावधान है। ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता जिससे हम पीछे रहें। मैं सरकार से इस दिशा में अलग उपाय करने का अनुरोध करूंगा।

ओवरटाइम तथा उसके भुगतान के बारे में अध्ययन करने के लिए भी एक समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया गया है। इस समिति को यथाशीघ्र गठित किया जाना चाहिए और इस विशेष प्रश्न पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

बछावत रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और पेंशन योजना की दिशा में यथाशीघ्र कार्यवाही सम्बन्धी मुख्य मुद्दा अभी रह गया है। उद्योग में विद्यमान भ्रांतियों को दूर करने तथा विभिन्न सिफारिशों को शीघ्रता से लागू करने के लिए, सरकार को यह सुझाव भी दिया जा सकता है कि इस अधिनियम को संविधान की नवीं अनुसूची में रखा जाना चाहिए। संवाददाताओं और उनकी सोसाइटियों से आने वाले सुझावों पर सरकार द्वारा गम्भीरता से विचार किया जाए। निस्संदेह ऐसे समाचारपत्र प्रतिष्ठान हैं जो इसकी आलोचना कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि यह समाचारपत्रों को पंगु बना देगा, विशेषकर यह सिफारिशें ऐसे समय में आयी हैं, जब अखबारी कागज की कीमतों में जोरदार वृद्धि हुई है। जहां तक इस अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि का प्रश्न है तो इसमें सरकार के विचारों से असहमती हो सकती है।

प्रो० एन० जी० रंगा : समाचार-पत्रों की कीमत के बारे में क्या विचार है ?

श्री जी० एम० बनातवाला : पुनः यह उपभोक्ता को सहना पड़ता है। इसे हमें और आपको ही वहन करना होगा और सरकार को भी इस मामले में हमारी परेशानी समझनी चाहिए।

वेतन निर्धारित करने के लिए नये और आधुनिक तरीके अपनाए जाने चाहिएं तथा योग्यता तथा अनुभव दोनों को मान्यता दी जानी चाहिए। विशेषकर समाचार-पत्र उद्योग के लिए ऐसा किया जाना चाहिए और इसलिए इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और इसलिए समाचार-पत्र उद्योगों के लिए वेतन निर्धारण के इस नए प्रश्न पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

हमारे यहां बड़े समाचारपत्र, छोटे समाचारपत्र और मझौले समाचारपत्र हैं। और मैं क्षेत्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों के लिए सरकार से अनुरोध करूंगा, अर्थात् ऐसे समाचारपत्र जिनका प्रकाशन अंग्रेजी से भिन्न भाषा में होता है। उन्हें सरकार से उचित सहायता की आवश्यकता है। वास्तव में, एक लोकतन्त्र के अन्तर्गत समाचारपत्रों का सरकारी सहायता पर निर्भर रहना युक्तिसंगत नहीं है। लेकिन इस विशेष क्षेत्र में भी अनेक सिफारिशें की गई हैं। इन सभी सिफारिशों की जांच किए बिना विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के छोटे समाचारपत्रों में—अन्य भाषाओं में—उर्दू के समाचारपत्रों तथा इनकी समस्याओं पर सरकार द्वारा उचित विचार किया जाना चाहिए। हां, मैंने उर्दू समाचारपत्रों का उल्लेख किया है। इस समय मुझे सरकार का ध्यान एक मामले की ओर दिलाना चाहिए, अर्थात् कातिबों के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि बछावत आयोग की रिपोर्ट ने कातिबों को गैर-पत्रकार मानकर एक गम्भीर भूल की है। यह निश्चय ही अन्याय है। सुलेखन में सुख्यात व्यक्तियों को श्रमजीवी पत्रकार माना जाता है। यह कातिब भी उसी प्रकार के हैं जो सुलेखन में सुख्यात हैं; वे लगभग इसी श्रेणी में आते हैं। यह एक गम्भीर भूल है। मैं क्या कह सकता हूं कि कातिब समस्त उर्दू पत्रकारिता का अभिन्न अंग है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि इस गलती को दूर किया जाना चाहिए। आज कातिबों की क्या स्थिति है ? उनसे दैनिक मजदूरी पर काम करवाया जाता है और उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इन सब से बढ़कर यह सबसे बड़ा अन्याय है कि जिन सिफारिशों के आधार पर कातिबों को श्रमजीवी पत्रकार नहीं माना जाता है। अतः मैं यह कहता हूं कि सरकार को इन्हें भी श्रमजीवी पत्रकार मानना चाहिए और इस गलती को दूर करना चाहिए।

प्रशिक्षण के लिए भी आवश्यक प्रबन्ध किए जाने चाहिएं ताकि वे अपनी कला में और वृद्धि कर सकते हैं। मैंने सुना है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक परियोजना है और विश्व बैंक ने व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2800 लाख पाउण्ड की वित्तीय सहायता देना स्वीकार किया है। इस विशेष योजना में कातिबों के प्रशिक्षण के लिए भी कुछ काम किया जाना चाहिए। मैं कातिबों की ओर से वकालत करूंगा कि न केवल इस गलती को दूर किया जाए और इन्हें श्रमजीवी पत्रकार माना जाए परन्तु हमारे कातिबों को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करने और इस कला के विकास के लिए भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं सरकार से पुन: एक बार निवेदन करता हूं कि उचित अधिसूचना जारी करने के लिए शीघ्र उपाय किए जाएं। कृपया हमें भी सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय से अवगत कराएं और विभिन्न पत्रकारों से प्राप्त विभिन्न निवेदनों के सम्बन्ध में सरकार के परिवर्तनों के सम्बन्ध में अवगत कराएं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : सभापति महोदय, आरम्भ में मैं मन्त्री महोदय को सदन में यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं।

श्री बनातवाला ने ठीक ही कहा है कि पत्रकारों को यह आश्वासन दिए गए थे कि बछावत रिपोर्ट पर अनुवर्ती काम का मामला इस अधिवेशन की समाप्ति से पूर्व ही पूरा होगा। हम विधेयक की प्रतीक्षा में थे और पिछले सप्ताह जब हमने देखा कि विधेयक प्रकाशित हुआ है, तो हमें प्रसन्नता हुई। किन्तु फिर विधेयक पढ़ते-पढ़ते मैंने देखा कि यह एक ऐसा विधेयक है जो केवल भविष्य में लागू होगा और इसका कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होगा और इसी कारण से मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें यह उपबन्ध है कि जिसके अनुसार इसे 1 जून, 1985 से लागू किया जा सकता है। मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे पूरा विश्वास है कि मन्त्री महोदय समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया यह बात स्पष्ट है कि वेतन बोर्ड का गठन 1985 में किया गया था और इसकी सिफारिशों को केवल 1989 से लागू करना तो पत्रकारों के साथ मजाक होगा।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से यह कहना उचित होगा कि पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी संगठन चाहे यह पत्रकारों का राष्ट्रीय संघ है या भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ उन्होंने इकट्ठे यह कहा है कि वे बछावत आयोग रिपोर्ट नहीं से सन्तुष्ट नहीं हैं। वास्तव में जब बछावत रिपोर्ट सिफारिशें, और अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध में अन्तरिम सिफारिशें आयीं मन्त्री महोदय को याद होगा कि उस समय बहुत शोर मचा था जब बहुत-से संसद सदस्य उन पत्रकारों के साथ मिल गए कि यह केवल बहाना है और कुछ नहीं। हां, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उससे थोड़ा अच्छा रहा है किन्तु इससे पत्रकारों की आकांक्षाएं और आशाएं पूरी नहीं हुई हैं।

4.25 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

सरकार को यह जानकारी है कि पत्रकारों ने प्रधानमन्त्री से निवेदन किया है। उन्होंने प्रधानमन्त्री से निवेदन किया है। उन्होंने श्रम राज्य मन्त्री से चर्चाएं की हैं। और महंगाई भत्ते जैसे मुख्य मुद्दों पर जिनकी उन्होंने मांग की है अत्यन्त न्यायसंगत हैं कि उन्हें चौथे वेतन आयोग के आधार पर भुगतान किया जाए। जिस निष्प्रभावन की सिफारिश बोर्ड में की गई है वह कम से कम एक पीढ़ी

पुरानी हैं। यदि कोई केवल 1250 तक के स्तर तक 100 प्रतिशत निष्प्रभावन की बात करता है, तब तो मैं यही कह सकता हूं कि यह एक पीढ़ी पुराना है। यह निश्चय ही दुबे जी के समय से भी नहीं मिलता है जब वह हमारे भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मजदूर संघ के अध्यक्ष थे, फिर भी वे कहते कि 1250 के 100 प्रतिशत निष्प्रभावन के लिए 1250 का स्तर अर्थहीन है। यह सुझाव भी दिया गया है और सिफारिशें भी की गई हैं। पत्रकारों ने निवेदन किया है कि चौथे वेतन आयोग की दर अपनाई जाए क्योंकि यह अधिक कुशल और न्यायसंगत हैं। यदि सरकार चौथे वेतन आयोग को अपने कर्मचारियों के लिए उचित समझ सकती है, तो यह कम से कम पत्रकारों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर क्यों नहीं समझ सकती है? मैं यह मांग नहीं कर रहा हूं कि उन्हें श्रेष्ठ माना जाए, किन्तु कम से कम बराबर तो मान लिया जाए।

दूसरा प्रश्न यह है कि अनेक सिफारिशें ऐसी हैं जिनके अनुसार वेतनमानों में 40 प्रतिशत वृद्धि से श्रमजीवी पत्रकारों को केवल कॉलिज लेक्चरारों के बराबर वेतन मिलेगा। आजकल के पत्रकारों की स्थिति का प्रश्न उठता है। इनकी ओर केवल रुपए, आना और पाई की दृष्टि से नहीं देखा जाए। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या पत्रकारों को द्वितीय श्रेणी के ऐसे नागरिक माना जाए अथवा उन्हें अन्य कर्मचारियों, अन्य व्यक्तियों के बराबर माना जाए जो श्रमिक वर्ग के हैं?

सभी जानते हैं कि प्रेस की स्वतन्त्रता के नाम पर कितने पत्रकार सामंत वास्तव में श्रमजीवी पत्रकारों का काम कर रहे हैं। कोई समझ सकता है कि यदि यह एक छोटा क्षेत्रीय समाचार-पत्र अथवा छोटा समाचार-पत्र है, किन्तु जो पत्र बहुत से दशकों से चले आ रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं वे अपने पत्रकारों को थोड़ी सी दयनीय राशि देते हैं और उन्हें वह नीति सुनाते हैं जो वह समाचार-पत्र अपनाएगा। हाल ही में आई० एन० एस० ने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि वे इन दिखावटी आंसुओं के जाल में न फंसे जो वे अखबारी कागज के मूल्यों में तथाकथित वृद्धि पर बहाते हैं। यदि कोई इस पर समाचारपत्र उद्योग की लाभप्रदता की तुलना में अन्य उद्योगों के शुद्ध मूल्य की प्रतिशत पर तुलनात्मक दृष्टि से गौर करें तो आपको पता चलेगा कि प्रसिद्ध 'टेलको' जिसके शेयर काफी ऊंचे हैं, का शुद्ध मूल्य प्रतिशत 7.3 है जबकि समाचारपत्रों का शुद्ध मूल्य प्रतिशत 13.57 है। यदि आप ऐसोसियेटेड सीमेन्ट को लें तो देखेंगे कि इसका लाभ-प्रतिशत शुद्ध मूल्य प्रतिशत के मुकाबले 9.7 है जबकि समाचारपत्रों का 13.57 है। यदि आप शुद्ध मूल्य के मुकाबले लाभ पर गौर करें तो समाचारपत्र उन सबसे उत्तम उद्योगों में से है जिसे कोई भी शुरू कर सकता है क्योंकि आप अपने कर्मचारियों को कम वेतन दे सकते हैं, उनका शोषण कर सकते हैं, उन्हें धमका सकते हैं या यूं कहें कि आपको समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता के नाम पर ऐसा करने की संवैधानिक गारंटी है। यदि कोई भी शुद्ध लाभ या कर से मुक्त लाभ पर उत्पादन के प्रतिशत के रूप में गौर करें तो पता चलेगा कि यह भारतीय तेल निगम के सम्बन्ध में केवल 2.79 प्रतिशत है, हिन्दुस्तान टाईम्स के सम्बन्ध में यह 13.22 प्रतिशत है तथा इण्डियन एक्सप्रेस बम्बई के सम्बन्ध में 16.65 प्रतिशत है। मैं आपको केवल कुछ आंकड़े यह दिखाने के लिए दे रहा हूं कि मालिकों के इस दावे का कोई भी औचित्य नहीं है कि उनके पास धन नहीं है और यदि बछावत आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित किया जाता है तो उन पर बहुत बोझ पड़ जाएगा। यह वह सबसे बड़ा झूठ है जोकि बोला जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि कार्यान्वयन की तारीख उचित और सुसंगत होनी चाहिए। समानता और निष्पक्ष व्यवहार अपेक्षा करता है कि सभी वर्ग के समाचारपत्रों के सम्बन्ध में यह एक

समान रूप से लागू होना चाहिए। निःसंदेह यह बात बहुत छोटे समाचारपत्रों के मामले में न्यायोचित होगी कि उनमें विभेद रखा जाए तथा उन्हें थोड़ी राहत दी जाए। लेकिन, राष्ट्रीय स्तर के सभी प्रमुख समाचारपत्रों के बीच तो कम से कम कोई भेदभाव नहीं किया जाए। इसी तरह एजेंसियों के बीच भी कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

अभी तक जो तरीका अपनाया जा रहा था वह कानूनी प्रक्रिया और अन्य विधियों से कार्यान्वयन में विलम्ब करने का था। मेरी सरकार से अपील है और विशेष रूप से माननीय श्रम मंत्री से अपील है जो स्वयं मुख्यमंत्रीरहने के अलावा ऐसे केन्द्रीय मंत्री और प्रसिद्ध मजदूर नेता रह चुके हैं—मुझे मालूम है कि उन्होंने एक समय इसी स्थान से जहां पर खड़े हैं श्रमजीवी पत्रकारों के पक्ष में अपनी आवाज उठाई थी—अब उन पर केन्द्रीय मन्त्री के पद का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यह बाबरस भले ही शक्तिशाली हो सकता है लेकिन श्रमजीवी पत्रकारों की मांग काफी उचित है।

मैं कहना चाहता हूं कि स्वयं माननीय मन्त्री सरकारी तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए जो संशोधन लाए हैं—सरकारी संशोधन—यह संशोधनकारी विधेयक अधिनियम बनने की तारीख से ही लागू हो जाएगा, स्वागत योग्य है। तथापि, अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना में कतिपय अड़चनें हैं। इसकी वजह से एक सुझाव इस सभा में श्री बनातवाला द्वारा रखा गया था कि इसे नवीं अनुसूची में रखा जाए। मैंने पहले भी एक और सुझाव दिया था और वह यह था कि श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा की शर्तों को अधिनियम की अनुसूची के रूप में लिया जाए। ऐसा लगता है कि सरकार कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से यह करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन, कुछ भी हो अधिसूचना प्रक्रिया में इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए कि बछावत आयोग ने जो भी कार्य पांच वर्षों में किया है वह बेकार हो जाए और उसका मजाक ही बन जाए। आज जरूरत तुरन्त कार्यवाही करने की है। कम से कम उन उपबन्धों, जिन पर बछावत-आयोग और श्रमजीवी पत्रकार संघ के बीच कोई विवाद नहीं है, को तो आज अधिसूचित किया जाए। यदि आज नहीं तो कल तो उन्हें अधिसूचित किया जाए। लेकिन इस बात का वायदा सत्र के समाप्त होने से पहले किया जाए कि सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया जाएगा और अन्य सुधारों को जिन पर मैं समझाता हूं सरकार विचार करेगी, दोनों पक्षों को नोटिस देने की पूरी प्रक्रिया को निभाकर अधिसूचित किया जाएगा। लेकिन, इस नोटिस को स्वयं इसके प्रयोजन को ही नष्ट करके मालिकों द्वारा हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाए।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन, मैं यह कहते हुए समाप्त करना चाहता हूं कि पहली बार सरकार का श्रमजीवी पत्रकारों की सहायता करने के लिए सकारात्मक रवैया है और हम इसका स्वागत करते हैं। हम केवल यह चाहते हैं कि किसी लम्बी कानूनी प्रक्रिया की वजह से यह प्रयास बेकार नहीं जाए और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठायेगी कि ऐसा नहीं हो पाए तथा श्रमजीवी पत्रकारों की आशा और आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं और मुझसे पहले हमारे काबिल दोस्त जनाब बनातवाला साहब ने और श्री कुमारमंगलम ने बहुत काबलियत और वीरता के साथ इस बिल पर अपने ख्यालात का इजहार किया है, मैं उनके जज्बात और ख्यालात की ताईद करते हुए, समर्थन करते हुए थोड़े समय के अन्दर कुछ आपसे कहना चाहूंगा।

बनातवाला साहब ने अभी उर्दू अखबारों का जिक्र किया था। मैं चाहता था कि जब उर्दू अखबारों की चर्चा कर रहे थे तो कम से कम उन हालात का भी वे जिक्र करते जिन हालात के तहत उर्दू अखबारों में वह लोग, जिन पर जर्नलिस्ट होने का इल्जाम है, जो जर्नलिस्ट कहलाए जाते हैं, कहे जाते हैं और जिनका एक्सप्लायटेशन जिस तरह इस मुल्क में हो रहा है, शायद किसी और जुबान के अखबार में इतना एक्सप्लायटेशन किसी दूसरे पत्रकार का, किसी जर्नलिस्ट का नहीं हो पाता। मैं चाहता था कि उनकी हालत, उनकी कंडीशंज का भी जिक्र करते जिन कंडीशंज के अन्दर इन उर्दू अखबारात के जर्नलिस्ट्स को अपने दफ्तरों में, अपने अखबारों में काम करना पड़ता है।

इस बिल पर, जिसकी कुमारमंगलम जी ने चर्चा की और जो बातें कहीं, अगर इस बिल पर बिना कोई देरी किए हमने अमल किया तो यकीनी तौर पर उन बहुत से अखबार वालों, गरीबी पत्रकारों की अन्धेरी जिंदगी में रोशनी की किरण आयेगी जिससे कि अभी तक वे महरूम रहे हैं।

सभापति जी, यह बदकिस्ती की बात है कि फ्रीडम आफ द प्रेस के नाम पर बहुत से अखबार वालों ने, जर्नलिस्ट्स ने, जोकि किसी जमाने में एक बहुत ही मुकद्दस प्रोफेसन माना जाता था, इस पेशे को बदनाम किया है। इस पेशे में बहुत से लोग दाखिल हो गए हैं जो कि मौकापरस्त लोग हैं। यह पेशा एक बहुत ही इज्जत की चीज कहा जाता था लेकिन अब इस जर्नलिस्ट्स के पेशे में यलो जर्नलिस्ट्स के आने से कुछ लोगों ने इसको बदनाम किया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जब इस बिल को लागू करें तो इन बातों पर भी ध्यान दें कि इस पेशे का जो असली मकसद है वह पूरा हो और पत्रकारिता और जर्नलिज्म के नाम पर जो ब्लेकमेलिंग का काम करते हैं, लोगों को धमकाने का काम करते हैं, पैसा कमाने का काम करते हैं, और पेशे को बदनाम करते हैं, उन पर रोक लगायी जा सके।

सभापति जी, यहां पर बड़े-बड़े अखबार वालों की बात कही गयी, उन अखबार वालों की जो कि फ्रीडम आफ प्रेस के नाम पर अपने एम्पलाईज को, पत्रकारों को कम पेमेंट करते हैं, अन्डर पेमेंट करते हैं, उन पत्रकारों की शिकायत को दूर करने के लिए यह बिल काफी नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार आगे आए और बड़े अखबारों के मालिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाये और जर्नलिस्ट्स को पूरा-पूरा प्रोटेक्शन दे। आपके बिल का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य इस बिल से पूरा नहीं होता। मैं मंत्री जी अनुरोध करूंगा कि जल्दी से वह एक ऐसा बिल लाएं, अगर इस सेसन में वह बिल लाना मुमकिन न हो तो आर्डिनेंस इशु करे और इन अखबार वालों को इनके मालिकों से पूरा-पूरा प्रोटेक्शन सरकार के द्वारा इन जर्नलिस्ट्स को मिले।

जहां और बहुत सी बातें कही गयीं, वहां यह बात भी कही गयी। बहुत से बड़े अखबार बड़े जोर-शोर से सारे हिन्दुस्तान में निकाले गए और उनकी काम्पलीमेंटरी कापीज हर एम० पी०, हर सांसद को भेजी जाती है। बड़े-बड़े बिजनस हाऊसिज के अन्दर यह चीज दाखिल हो रही है और यह बहुत से लोगों की विरासत बनती जा रही है। मैं समझता हूं कि इनकम टेक्स, वेल्थ टेक्स या दूसरे इस किस्म के टेक्सिज से बचने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे और इन हरकतों को रोकने के लिए भी कानून बनाये।

मैं अपने पत्रकार भाइयों का पूरा-पूरा समर्थन करते हुए यह कहना चाहूंगा कि सरकार पत्रकारिता के मुकद्दस पेशे की ओर पूरा ध्यान दे। जो लोग इस पेशे को एक मुकद्दस पेशे के तौर पर

अपनाये हुए हैं अगर उनकी हालत पर पूरा गौर किया जाए तो यह इस मुल्क के अन्दर एक बहुत बड़ी बात होगी। जो लोग पत्रकार रह कर सारी जिंदगी इस पेशे में लगकर मुल्क की सेवा करते रहे हैं वे मायूस न हों, सरकार को इस पर गौर कर उनको प्रोटेक्शन देना होगा। वे सच्चे और नेक लोग हैं। सरकार को सेहतमन्द जर्नलिज्म के लिए ऐसे लोगों को पूरा संरक्षण देना होगा। ताकि ऐसे सच्चे और नेक लोग इस पेशे में काम करते रहें।

मैं इस मौके पर इस बिल की ताईद करते हुए अपने पत्रकार भाइयों के लिए जो उर्दू के मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने कहा था, वह कहना चाहूंगा—

[अनुवाद]

रात की सरगर्मी को बरकरार रखिए,
यह अंधेरा तो सुबह का धुंधलका है,
सुबह होने ही वाली है
अरे बेचैन मन इन्तजार तो कर।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पाण्डे (हजारीबाग) : सभापति जी, जो बिल माननीय श्रम मन्त्री जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं। हालांकि यह बिल देखने में बहुत साधारण सा लगता है और मालूम पड़ता है कि कुछ थोड़ा सा काम कर देने से पत्रकार भाइयों की स्थिति सुधरेगी, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम हैं और होंगे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूं।

सभापति जी आप जानते होंगे कि वेज बोर्ड का प्रयोग अपने देश में इससे पहले कई बार हुआ है, लेकिन उद्योगपतियों की हठधर्मी की वजह से वेज बोर्ड का प्रयोग सफल नहीं हो सका। 1970 से पहले बहुत से उद्योगों में वेज बोर्ड स्थापित हुए थे और इनके अध्यक्ष ज्यादातर न्यायविद थे, जोकि सारी स्थिति को जानते थे। इनमें श्रमिक तथा मैनेजमेंट के प्रतिनिधि भी थे। जहां तक यूनेनिमस जजमेंट भी लोगों ने दिया, लेकिन उसको लागू करने में बहुत तरह की मनमानी की गई, बहुत तरह की आनाकानी की गई, कानून में व्यवधान पैदा किए गए, नतीजा यह हुआ कि वर्षों तक मामला हाई-कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इधर उधर टलता रहा, एक न एक बहाना करके किसी तरह से वेज बोर्ड के प्रयोग को असफल करने का प्रयास किया जाता रहा। बहुत से ऐसे उद्योग जो खुद सक्षम हैं, जिनके मजदूर सक्षम हैं, अपने उद्योग से वे मनवा सकते हैं, दबाव रखना चाहते हैं और सरकार भी उनकी मदद करती है, उस हालत में वेज बोर्ड की पद्धति हटाकर आपसी बातचीत के जरिए वेतन और सेवा शर्तों को तय करने के लिए सरकार ने भी बढ़ावा दिया कि ट्रेड यूनियन से आपसी बातचीत और समझौते से मामला तय हो जाए, आपसी समझौते को काफी बढ़ावा दिया गया, मगर अखबार के मालिक थोड़ी सी भी सद्भावना का परिचय देते तो शायद वहां का काम आसान हो सकता था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक विचित्र भावना फैली रही है। (व्यवधान)

बहुत से भाइयों ने कहा, किस तरह की भावना आज हो गई है। बड़े-बड़े अखबार के मालिक हैं, उन्होंने जिस उद्योग को शुरू किया था, जिस औद्योगिक समूह की स्थापना की थी, उसके प्रति

उनका लगाव नहीं रहा, बुनियादी लगाव नहीं रहा, लेकिन अखबार के प्रति लगाव बढ़ गया। टाटा, बिड़ला, डालमियां, सभी लोग अपना-अपना अखबार निकालने लगे। अखबार सिर्फ मुनाफे का काम नहीं रहा, बल्कि अखबार के माध्यम से समाज और सरकार को ब्लैकमेल भी करते हैं। पत्रकारों की सेवा के बल पर अखबार चलता है, जिनकी मेहनत से अखबार चलता है, जो अपना जीवन अर्पित करके अखबार की प्रतियोगिता में शामिल हैं, उसको बढ़ाते हैं, उनका इतना शोषण किया जाता है, उनको इतने गलत डायरेक्शंस दिए जाते हैं, गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं और अगर वे गलती से उनका पालन न करें तो उनका शोषण करते हैं। शोषण सिर्फ तनख्वाह के मामले में ही नहीं होता, उनका शोषण बहुत तरह से होता है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा बिल पत्रकारों और गैर-पत्रकारों की सेवा शर्तों के बारे में आए, जिसके प्रति एक मान्य राय सब जगह पर हो, एक मान्य रास्ता हो, जिससे जो बड़े-बड़े औद्योगिक समूह हैं, जो अखबार चलाते हैं, उनके लिए बंधन हो और जो गरीब जमात काम करती है, उनके लिए कोई रास्ता निकले। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि कोई रास्ता नहीं रह गया था। इसलिए पत्रकारों के लिए वेजबोर्ड बैठाया गया और उसकी सिफारिशें हमारे सामने हैं, लेकिन जो अच्छी बात हुई है इस वेजबोर्ड में, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी बात है। पहले जो वेतनमान निर्धारित किए जाते थे या सेवा शर्तों को निर्धारित किया जाता था और इसको जो लागू करने वाले लोग थे, उन्होंने इसको महसूस नहीं किया कि ये जो मालिक हैं इसको किस तरह से तोड़-मरोड़ करेंगे। औद्योगिक समूह बड़े-बड़े अखबारों का बनाया और इसका दूसरा रास्ता भी निकाल लिया। इण्डियन एक्सप्रेस, मद्रास, हैदराबाद, अहमदाबाद और हिन्दुस्तान के कोने-कोने से निकलेगा और सब अपने भतीजों या भांजों को लेकर अलग-अलग कम्पनी बना दी। एक ही जगह सब पूंजी लगती है और एक जगह मुनाफा लगता है लेकिन कानून को और पत्रकारों को धोखा देने के लिए अलग-अलग कम्पनी बना दी। इसी तरह से टाइम्स आफ इण्डिया का डालमिया नगर बन्द पड़ा हुआ है और हजारों मजदूर गलियों की खाक छान रहे हैं। टाइम्स आफ इण्डिया बहुत ही प्रतिष्ठित घराना है जो अपना बुनियादी उद्योग नहीं चला सका और आज अखबारों के माध्यम से सबको ब्लैक मेल करता है। स्टेट्समैन वाले क्या करते हैं, वह भी हम देख रहे हैं। जितने भी बड़े औद्योगिक घराने हैं वे अपनी पत्रिका, सप्ताहिक पत्रिका और फोर्टनाइटली पत्रिका भी चलाते हैं और उसके माध्यम से अपने व्यूज प्रकट करते हैं। उनके बिजनेस में कैसे सुधार हो, उसके लिए पत्रकारों पर दबाव डालते हैं, बछावत आयोग ने बहुत बड़ा काम किया, सबको मिलाकर एक ही समूह माना है। मैं मानता हूं कि वेज बोर्ड के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो सुझाव उन्होंने दिए हैं, उसको जब तक कानूनी जामा नहीं पहनाएंगे तब तक वे जितने भी मालिक हैं इसको सही ढग से लागू नहीं कर पायेंगे। मैं मानता हूं कि यह संशोधन बहुत आवश्यक है और हम समझते हैं भविष्य में पत्रकार बंधुओं और प्रेस में काम करने वाले जो लोग हैं उनको इसी तरह से एक रास्ता बता सकेंगे और आगे के लिए और सुधार करके ठीक ढंग से जो अगला वेतन मंडल बनेगा, उससे ज्यादा प्रसन्नता होगी। किस ढंग से इसको लागू किया जाए, इसके बारे में जो सुझाव हैं वे स्वागत योग्य हैं और इसका तहेदिल से स्वागत करता हूं। सर्वसम्मति से संसद इसको पास करे, ऐसी कामना करता हूं। चीनी उद्योग का वेज बोर्ड आया लेकिन कोई भी मालिक उसको लागू करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की मजबूरी है कि वेज बोर्ड बैठा दिया लेकिन औद्योगिक समूह उसको किसी तरह से ध्वस्त करना चाहते हैं। चीनी उद्योग को कहा गया है कि अलग-अलग ढंग से लागू किया जाए। ये प्रेस वाले भी उसी तरह से कर रहे हैं हालांकि इनके पेपर का दाम पूरे हिन्दुस्तान में एक जैसा है, इनका रवैया एक तरह का है और मुनाफा

एक दूसरे सें ज्यादा है। लेकिन जो काम करने वाले हैं, इनको अलग-अलग ढंग से रखना चाहते हैं। इस संशोधन के बाद ये अलग-अलग ढंग से नहीं रख सकेंगे। यह बहुत ही आवश्यक संशोधन है, इसका मैं स्वागत करता हूं और आशा है कि पूरा सदन इसको सर्वसम्मति से पास करेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं और इसके उपबन्धों का समर्थन करता हूं।

परन्तु शुरू में ही मैं, जैसे कि मेरे माननीय साथियों श्री जी० एम० बनातवाला और श्री कुमारमंगलम ने किया है, बछावत मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार करने में विलम्ब किए जाने के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त करता हूं। हम इस पर व्यापक विधान की आशा कर रहे हैं न कि थोड़े-थोड़े उपाय करने की और इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन सिफारिशों पर यथाशीघ्र विचार करे जो काफी समय से सरकार के सामने हैं।

हमें मजदूर संघों के सौदेबाजी का पर्याप्त अनुभव है और माननीय मंत्री स्वयं मजदूर संघ के मामले में एक विशेषज्ञ हैं। ऐसी प्रत्येक स्थिति तनाव पैदा करती है लेकिन, इसे ठीक किया जा सकता है। प्रबन्धक मण्डल और कर्मचारी के मध्य ऐसे मतभेद उठना स्वाभाविक है लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार के सामने एक बार सिफारिशें आ जाने पर और सभी हलकों से सरकार को सारे प्रत्यावेदन प्राप्त हो जाने पर सरकार को किसी नजदीकी तारीख तक एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना सम्भव हो जाएगा।

मैं इस अवसर का लाभ, विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्रवृत्ति के बारे में बोल कर, उठाना चाहूंगा।

मैंने देखा है कि इस कानून की अनुक्रमणिका में जो निःसंदेह इस सम्बन्ध में कोई नयी रही है, एकाधिकार वाली प्रवृत्ति और विकेन्द्रीकरण वाली प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया है। मुझे इस बात कि जानकारी है कि यहां तो मालिक ही मालिक हैं। कुछ ऐसे मालिक हैं जो सम्पादकों का स्थान ले लेते हैं और ऐसे भी मालिक हैं जो इसका इस्तेमाल मुख्यतः पैसा कमाने के साधन के रूप में करते हैं और उन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती है कि पत्र में क्या छप रहा है बल्कि उन्हें तो इस बात की परवाह रहती है कि क्या इससे उन्हें वर्ष के अन्त में लाभ होगा। लेकिन उनका कुछ भी अभिप्राय हो, मैं समझता हूं कि भारत जैसे स्वतन्त्र देश में समाचारपत्रों के प्रति केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति का पूरी तरह से सामना किया जाना चाहिए। इस प्रवृत्ति में और भी इजाफा हो रहा है। कई और संगठन भी इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं तथा वे सारे देश में सभी समाचारपत्रों के पूरे समूह को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं एक संगठन को जानता हूं जो सारे उर्दू समाचारपत्रों के समूह को मिटाने की कोशिश कर रहा है और उन्हें ऐसे सुन्दर समाचारपत्रों से होशियारी से बदलने का प्रयत्न कर रहा है जिन्हें मैं भी पसन्द करता हूं, लेकिन यदि देश में विभिन्न उर्दू बोलने वाली जगहों से छपने वाले समाचारपत्र एक ही संगठन से सम्बद्ध होंगे तो इससे लोकतन्त्र का ह्रास हो जाएगा।

श्री अजीज कुरेशी : क्या ऐसा है ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं समझता हूं कि आपको यह जानकारी है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं कि इस प्रवृति को रोका जाना चाहिए, समाचारपत्रों में एकाधिकार की प्रवृत्ति को राज्य द्वारा रोका जाना चाहिए। मैं तो यह भी सुझाव दूंगा कि एक ऐसा कानून होना चाहिए कि एक संगठन विशेष को इस तरीके से, जैसे कि आपने यहां कहा है, किसी भाषा विशेष में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों के कतिपय प्रतिशत से अधिक पर नियन्त्रण करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए। किसी भी समाचारपत्र को, चाहे उसकी कितनी ही सहयोगी इकाइयां क्यों न हो, भारत की जनता पर नियन्त्रण करने और उन्हें धोखा देने तथा उसे एकाधिकार के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और, इसीलिए, मैं सरकार से उस सम्बन्ध में, एक व्यापक विधान लाने का अनुरोध करता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा : इस पर नियन्त्रण करने वाला कोई नहीं है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : यहां कुछ ऐसे छोटे समाचारपत्र हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार उन छोटे समाचारपत्रों की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दे। उन समाचारपत्रों को अपना अस्तित्व बनाए रखना है। छोटी मछली को भी इस समुद्र में तैरने का अवसर दिया जाना चाहिए। शार्क मछलियों द्वारा उन सभी को खाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसीलिए, मेरा सुझाव है कि सम्भवत: ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे पत्रकारों को एक सहकारी संस्था बनाकर समाचारपत्र चलाने का प्रोत्साहन मिले। मैं नहीं जानता कि क्या ऐसा किया गया है अथवा किया जा सकता है। मैं सहकारी संस्थाएं बनाने में विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि शायद यह सम्भव होना चाहिए कि छोटा समाचारपत्र किसी स्थान विशेष में किसी व्यक्ति विशेष के स्वामित्व की बजाए शायद लोगों के स्वामित्व वाला हो सकता है जो वहां काम करते हैं उसमें वे कर्मचारी शामिल हैं जिनके बारे में श्री जी० एम० बनातवाला ने बोला था।

अब मैं विधेयक के बारे में कहूंगा। मैं "मजदूरी" शब्द की परिभाषा से पूरी तरह सहमत हूं। मुझे आशा है कि जब सरकार राष्ट्रीय मजदूरी नीति का निर्णय करेगी, वे "मजदूरी" शब्द की एक समान उदार परिभाषा अपनाएंगे जिससे देश में, और शायद, सभी मंत्रालयों और विभागों पर भी वह मजदूरी नीति लागू होगी।

लेकिन मुझे 'स्थापना' शब्द के बारे में एक कारण से संदेह है। यदि आप धारा 2(च) की अनुसूची को देखें, मैं समझता हूं कि "पर्याप्त संख्या" वाक्यांश का चार स्थानों पर उपयोग किया गया है। मैं इस शब्द "पर्याप्त" से चौकस हूं। "पर्याप्त" में कुछ भी और सब कुछ आ जाता है। इनका वही अर्थ है जो तत्कालीन सरकार अपने समय में किसी खास मुद्दे पर लगाना चाहती है। इसीलिए, मैं माननीय मंत्री से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस "पर्याप्त" शब्द से उनका क्या अर्थ है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं कि यदि स्वत्वधारी पैटर्न अथवा शेयरधारी पैटर्न अथवा दो अथवा दो से अधिक कम्पनियां एक साथ मिलकर 10 प्रतिशत से अधिक शेयर खरीदती हैं तो उसे "पर्याप्त" समझा जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि इनका अर्थ 50% से अधिक अथवा 90% से अधिक होना चाहिए। उन्हें "पर्याप्त" शब्द के अन्तर्गत लाया जा सकता है। और वास्तव में, यदि कोई एकाधिकार विरोधी कानून बनाया जाता है, जैसाकि मैंने अनुरोध भी

किया है, वह लागू होगा और वह साझे स्वामित्व के लिए सीमा निश्चित करेगा। जहां कहीं भी, यदि कोई एक ग्रुप अथवा एक व्यक्ति शेयरों अथवा किसी अन्य समाचारपत्र, अन्य संस्था के नियंत्रों शेयरों के 10 प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, उसे कानून द्वारा इसके क्षेत्र से अलग रखा जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि शीघ्र ही हम और अधिक व्यापक विधान लाएंगे और सरकार एक स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण अपनाएगी जिससे कि हाल की घटना, जिसने हमारे मुंह में एक बुरा स्वाद छोड़ा है, जिसमें एक प्रतिष्ठित पत्रकार को स्वयं को ताक पर रखकर समाचारपत्र को ऊंचा उठाने में अपना पूरा योगदान करने के बाद उसे बलपूर्वक हटा दिया गया था—और इस प्रकार की स्थितियां समाचार उद्योग में फिर से पैदा न हों।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1989 का मैं समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस विधेयक के "स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स" के भाग (ए) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें डैफिनीशन ऑफ न्यूजपेपर्स के बारे में कहा गया है :

[अनुवाद]

"धारा 2 के खंड (क) से अन्तर्विष्ट "समाचारपत्र स्थापना" की परिभाषा का विस्तार किया जाए जिससे कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के सामान्य नियन्त्रणाधीन विभिन्न स्थापनों को एक साथ मिला देने का उपबन्ध किया जा सके।"

[हिन्दी]

इसमें जो नया शैड्यूल लगाया गया है, नया प्रावधान किया गया है, वह वास्तव में स्वागत-योग्य है, जो सैक्शन 2 के डी भाग में है। अगर यह प्रावधान न किया गया होता तो आज तक इन अखबारों के जितने बड़े-बड़े मालिक लोग हैं, वे बदस्तूर जर्नालिस्ट्स का शोषण तो करते ही रहते, हम सब लोगों का शोषण भी बराबर किया जाता रहता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानून ऐसा होना चाहिए जिसके अन्तर्गत किसी पूंजीपति का कोई अखबार ही न हो। आप ऐसा कानून बना दीजिए जिससे हर जर्नलिस्ट अखबार में शेयरहोल्डर की कैपेसिटी से काम करे, पूरी एक कम्पनी बन जाए, जर्नलिस्ट्स उसके मालिक बन जाएं, इस प्रकार की व्यवस्था के बाद ही सही मायनों में हिन्दुस्तान में अखबार सही तरीके से चल सकेंगे। आज ऐसी व्यवस्था हमें दिखायी नहीं देती बल्कि सारे अखबार बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथों में है। यही कारण है कि अनेक अवसरों पर सरकार को स्वयं नीचा देखना पड़ता है, अखबारों में उल्टी-सीधी भ्रामक खबरें छपती हैं, और जर्नलिस्ट्स भी दबे हुए रहते हैं, जैसा मालिक चाहता है, जर्नलिस्ट्स को भी वैसा ही करना पड़ता है।

5.0० म० प०

इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाओं को निश्चित तरीके से बचाना बहुत ही आवश्यक है और

अगर यह नहीं दबाया गया, तो इससे हमारे प्रजातंत्र को बहुत ही बड़ा धक्का लगेगा। अभी भी लग रहा है और आगे भी लगेगा। इसलिए इसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए निश्चित तरीके से कोई प्रावधान किया जाना चाहिए। इस बछावत् आयोग में तो इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए। चाहे वह प्रायटीं बेस पर आए, चाहे वह संस्थाओं के द्वारा आए या अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं हों, इसके बारे में ठीक प्रकार से जानकारी मिल सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि इसके वेजेज के बारे में आपने इसमें इन्क्लूड किया है—

[अनुवाद]

"मजदूरी" से अभिप्रेत है धन के रूप में अभिव्यक्त किए जाने योग्य सभी ऐसे पारिश्रमिक, जो यदि नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित रूप में पूरे किए जाएं तो, किसी समाचारपत्र कर्मचारी को उसके नियोजन या ऐसे नियोजन में किए गए कार्य की बाबत संदेश होंगे और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित है—

(i) ऐसे भत्ते (जिनके अन्तर्गत महंगाई भत्ता भी है), जिनके कर्मचारी तत्समय हकदार हैं।

[हिन्दी]

और दूसरा आपने इसमें लिखा है—

[अनुवाद]

(ii) किसी आवास सुविधा का या बिजली, पानी, चिकित्सीय परिचर्या या अन्य सुख-सुविधा का या किसी सेवा का या खाद्यान्न या अन्य वस्तुओं के किसी रियायती प्रदाय का मूल्य।

[हिन्दी]

अब इसमें आपने मैडीकल अटेंडेंस दे दी है। इसका ही सवाल नहीं है। पत्रकारों की बहुत सी ड्यूटीज हैं जिसमें उनको खतरा होता है और उनकी सेफ्टी का भी सवाल है। कई-कई जगह उनको जानकारी करने के लिए जाना पड़ता है, उसमें उनको जान का भी खतरा रहता है और उनकी सेफ्टी का भी सवाल है। इस बारे में आपने इसमें कुछ नहीं दिया है। इन्श्योरेंस के सम्बन्ध में कुछ नहीं दिया है। एक्सीडेंट के जरिए से कुछ नुकसान हो जाए, उसमें किस प्रकार से इनको अलाउन्स मिलेंगे, इस बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। अगर खुदा-न-खास्ता किसी की डैथ हो जाए, तो उनको, उस हालत में क्या मिलेगा। जैसे गवर्नमैंट सर्विस में रहते हुए किसी की मौत हो जाए, तो उसको पेन्शन मिलती है और अन्य प्रकार के कई साधन मिलते हैं। जर्नलिस्ट्स को इस बारे में किस प्रकार से सहायता मिलेगी, इसके बारे में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ आपने इसमें लिखा है कि "बट डज नॉट इन्क्लूड एनी

बोनस" । इन्डस्ट्रियलिस्ट डिस्प्यूट एक्ट के तहत किया है, मजदूर के साथ काम करने वाले आदमी के साथ बहुत-सी चीजें जुड़ी रहती हैं—बोनस, प्राविडेंट फंड, ग्रेच्युटी आदि रहती हैं और फिर इसी प्रकार से गवर्नमेंट सर्वेन्ट की अलग बात है, उसमें पेन्शन आदि की व्यवस्था जुड़ी हुई है । उसमें आपने दोनों प्रावधानों को रखकर "बट इज नॉट इन्क्लूड एमो बोनस" यह किया है । जो आदमी काम करता है, कमाता है, उसके अनुसार उसको बोनस मिलना चाहिए । अभी कुमारमंगलम् जी ने बताया कि 13 परसेन्ट से ज्यादा मुनाफा ये अखबार वाले कमाते हैं, तो उसमें से ही तो बोनस मिलता है । तो इन जर्नलिस्ट के द्वारा कमाए हुए पैसे में से देते हैं । इसलिए बोनस निश्चित तरीके से वेज में इन्क्लूड होनी चाहिए । ये इसमें एक्स्क्लूड न की जाएं । एक तो इस बारे में मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में कोई न कोई व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए । दूसरे आपने लिखा है—

[अनुवाद]

"नियोजन द्वारा किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन समाचारपत्र कर्मचारी के फायदे के लिए संदत्त या संदेय कोई अभिदाय ।"

[हिन्दी]

अब आपने इसके अन्दर इनके लिए कुछ भी नहीं किया है, न किसी प्रकार की पेंशन है, न प्राविडेंट फण्ड की व्यवस्था की है ओर इससे भी आपने उसको निकाल दिया है और इसके मेरा निवेदन है कि प्राविडेंट फण्ड की और पेंशन की, दोनों व्यवस्थाओं को इसके अन्दर किया जाना चाहिए जैसाकि मजदूर के साथ भी किया जाता है । इसी प्रकार से गवर्नमेंट सर्वेन्ट के साथ भी किया जाता है । उनको ये सुविधाएं मिलती हैं, तो इनको क्यों नहीं मिलती हैं ?

[अनुवाद]

"उसकी सेवा की समाप्ति पर हमें कोई उपदान ।"

[हिन्दी]

बहुत से स्थानों पर जो ग्रेच्युटी है उसको वेजेस में इनक्लूड किया जाता है और जब किसी आदमी की सर्विस समाप्त होती है तो उसको ग्रेच्युटी दी जाती है । इस व्यवस्था को भी इसमें इनक्लूड किया जाना चाहिए जिसको कि आपने ऐक्सक्लूड किया है । इन व्यवस्थाओं के न करने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इसलिए इस व्यवस्था का भी इसमें प्रावधान होना चाहिए । मेरा एक निवेदन है कि आन द होल जो आप इस बिल को लाए हैं और बछावत कमीशन की रिपोर्ट जो गवर्नमेंट के विचाराधीन है, उसमें कुछ चीजें शामिल कर ली गई हैं और कुछ बकाया पड़ी हुई हैं, इससे हमारे जर्नलिस्ट प्रसन्न नहीं हैं और जो समाचारपत्र के मालिक हैं वे कहते हैं कि हमारे ऊपर बजन बढ़ गया है । इतना फायदा उठाने के बावजूद भी बजन की बात करते हैं । ऐसी हालत में जब पूरे बछावत कमीशन की रिपोर्ट को आप लागू करने की बात करेंगे तो किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे । जैसा कि पांडे जी कह रहे थे कि बहुत सी कमीशन्स की रिपोर्ट आ जाती हैं, बहुत से बोर्ड की रिपोर्ट आ जाती हैं मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और इस वजह से लोगों में बड़ा असन्तोष रहता है । जो बोर्ड या कमीशन मुकर्रर होती है अगर उनकी रिकमेन्डेशन्स को हम लागू नहीं कर पाते हैं तो

इसके लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि जो रिकमैन्डेशन्स दी जाती हैं, जो व्यवस्था दी जाती है उसको इम्प्लीमैंट कर सकें। इस व्यवस्था के बारे में माननीय श्रम मन्त्री जी को देखना पड़ेगा। खास तौर से वेजेस के बारे में जो मैंने निवेदन किया है। उसमें जो आपने इनक्लूड नहीं किया है उसको इनक्लूड करना भी आवश्यक है। आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि हिन्दुस्तान की अजादी और ज्यादा मजबूत हो सके।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी): सभापति महोदय, मैं श्रमजीवी और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1989 का समर्थन करता हूं।

जैसाकि हमारे साथी श्री बनातवाला ने उल्लेख किया है कि बछावत आयोग रिपोर्ट में इस विषय पर सम्पूर्ण विधान की बात कही गई है। जैसे ही मैंने इसे पढ़ा, मैंने देखा कि इस विषय पर एक और भी विधान मौजूद है। मैं एक क्षण के लिए हैरान था, कि इस एक विषय पर अन्य विधान क्यों लाया जा रहा है, हमारे पास एक अन्य विधान मौजूद है जिसे श्रमजीवी पत्रकार दर निर्धारण और मजदूरी अधिनियम, 1958 के रूप में जाना जाता है। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विधान अर्थात् श्रमजीवी पत्रकार दर निर्धारण और मजदूरी अधिनियम, 1958 अभी भी लागू है अथवा इसे निरस्त कर दिया गया है अथवा यह अभी मौजूद है, 1953 के विधान की तुलना में 1958 के इस दूसरे विधान का प्रयोजन क्या है। मेरा इस विषय पर एकीकृत विधान की क्या आवश्यकता है। ऐसा कई बार होता है कि जब कभी सरकार किसी दिए गए विषय पर विधान लाने के बारे में सोचती है, यहां तक कि मूल विधान मौजूद होने के बावजूद, सरकार, किसी प्रयोजन विशेष के लिए, तीन अथवा चार धाराओं वाला एक अलग विधान बनाती है। लेकिन एक वर्ष के बाद, यदि कोई और घटना घट जाती है, तब एक विधान एक अन्य अधिनियम स्वतन्त्र रूप में बनाया जाता है। उसके परिणामस्वरूप, अकेले श्रम के विषय पर तीन अथवा चार विधान हैं। अतः मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं, कि इस उपबन्ध को छोड़कर, इस विषय पर हम एक स्वीकृत विधान लाएं और मेरा अनुरोध है कि आप मौजूदा दूसरे विधान के इस पहलू पर स्पष्टीकरण दें।

मैं अपने साथी श्री व्यास के साथ पूरी तरह से सहमत हूं, जिन्होंने अभी-अभी ऐसे समाचारपत्र के बारे में कहा है जो पत्रकारों द्वारा चलाया जाना चाहिए। वास्तव में, मछली पकड़ने जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों में जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है, मैं जानता हूं—कभी-कभी ऐसे प्रतिबन्ध होते हैं कि केवल परम्परागत मछुआरे द्वारा ही जलपोत खरीदा और उसका उपभोग किया जा सकता है।

5.11 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

अब, हम क्यों न एक ऐसा विधान अथवा कानून बनाए जिसमें की केवल परम्परागत पत्रकार अथवा अर्हताप्राप्त पत्रकार ही समाचारपत्र का मालिक हो, और वह उसे चलाए ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसा हो सकता है कि टाटा और बिरला भी अपने बेटों को पत्रकारिता में 2-3 वर्ष का पाठ्यक्रम करवा दें। ठीक है, यह सम्भव है। लेकिन फिर भी, इस देश में समाचारपत्रों पर इस व्यवसाय में

काम करने वालों का स्वामित्व होना चाहिए ताकि अन्याय अथवा ऐसी बातें जो आज हम पत्रकारिता के क्षेत्र में देखते हैं वो इस तरीके से न हो जैसी कि आज हो रही हैं।

समाचारपत्र बहुत ही प्रासंगिक हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ कह सकता हूं कि वे हम राजनीतिज्ञों के लिए अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है क्योंकि हम राजनीतिज्ञ ही समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से अपने निर्वाचकों के लिए अपने विचारों और काम को प्रकट करते हैं।

यह हम लोग है—आजकल के राजनीतिज्ञ—जो यह चाहते है कि समाचारपत्र फले-फूलें। यह किसी प्रकार से लोक प्रतिनिधियों के हम में नहीं है कि समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता को कुचला जाए। किन्तु आज पत्रकारों के लिए आचरण संहिता बनाए जाने की जरूरत है जिसे संवैधानिक आधार पर लागू किए जाने की जरूरत है। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि एक संहिता है, जिसका कि समाचारपत्र उद्योग पालन करता है। यह शायद स्वैच्छिक रूप में विद्यमान है। जब यह स्वैच्छिक रूप में विद्यमान है तो अलग-अलग लोगों के लिए इसका अलग-अलग अर्थ है। इसलिए यदि पत्रकारों के लिए कोई आचार नीति है, तो यह संवैधानिक संहिता होनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि यह संहिता कानूनी रूप से लागू है। एक स्वैच्छिक संहिता का कोई अर्थ नहीं। इसलिए यदि कोई संहिता तैयार की जानी है तो यह संविधि के रूप में होनी चाहिए।

वर्तमान परिस्थितियों में अन्वेषक पत्रकारिता फलफूल रही है और इसे फलना-फूलना है। मौलिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पत्रकारों को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। शहरों में एक पत्रकार, जो अन्वेषक का कार्य कर रहा है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। कुछ घटनाए हो सकती हैं। यदि कोई धमकी दी भी जाती है तो शहर में वह उसका सामान कर सकता है। किन्तु, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कमजोर वर्गों की समस्याओं को प्रकाश में लाया जाता है तो ग्रामीण पत्रकारों को जमींदारों, उद्योगपतियों, पूंजीपतियों तथा सभी प्रभावित लोगों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारों को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है।

नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की समस्या भी है। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं क्योंकि वह अधिनियम को चुनौती नहीं दे सकेंगे। राज्य में किसी अन्य अधिसूचना या किसी अन्य समझौते की चुनौती दी जा सकती है। इसे वर्षों तक लम्बित रखा जा सकता है। नवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि इसे नवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो इस वास्तविकता को भी देखना होगा कि कर्मचारी इसे अनुसूची में शामिल किए जाने को चुनौती देते हैं या नहीं। यदि वह चुनौती देते हैं तो अधिनियम को नवीं अनुसूची में शामिल करने में चुनौती देने में उन्हें आसानी से दो या तीन वर्ष लगेंगे। यह समय उस समय से कम होगा जो सामान्य परिस्थितियों में लगता।

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले कुछ मास के दौरान अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि के बारे में काफी हो-हल्ला हुआ। मैं अखबारी कागज के मूल्य के अर्थशास्त्र में नहीं पड़ूंगा चूंकि मैं इसका ब्यौरा नहीं जानता। किन्तु यह बात मैं अवश्य कहूंगा कि जब अखबारी कागज के मूल्य का प्रश्न आता है तो पत्रकारों और अन्य लोगों द्वारा समाचारों के महत्व को भी देखा जाना चाहिए। इस सदन के सदस्य के रूप में पिछले पांच वर्ष के दौरान मैंने देखा है कि कई बार हमारे देश की अखण्डता और सुरक्षा के विरुद्ध गैर-जिम्मेदार खबरें छापी गई हैं। हम अन्वेषक पत्रकारिता को

हतोत्साहित नहीं करते। वास्तव में इस सदन में जो मुद्दे उठाए जाते हैं वह अखबारों में छपी खबरों पर आधारित होते हैं। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अखबारों की खबरों का हवाला नहीं देना चाहिए। किन्तु मैं यह नहीं कहता क्योंकि समाचारपत्र एक माध्यम है। हम संसद सदस्य या लोगों के प्रतिनिधि होने के नाते तथ्यों का पता लगाने के लिए हर जगह नहीं जा सकते। ऐसा करना बहुत मुश्किल है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो यह काम अपने पत्रकारों और रिपोर्टरों के माध्यम से करती है। हम पत्रिकाओं और समाचारपत्रों में छपे समाचारों को, लोक प्रतिनिधियों के रूप में इस सदन में उठाते हैं। और मेरे विचार से ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि इन समाचारपत्रों पर आगे कार्यवाही होती है इसलिए समाचारपत्रों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाचार सही हों। इसलिए, हम राजनीतिज्ञ, समाज में समाचारपत्रों के अस्तित्व को बहुत महत्व देते हैं। क्योंकि हमारे विचार लोगों तक समाचार पत्रों के माध्यम से ही पहुंचते हैं। हमारे पत्रकार मित्र न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए तथा उन लोगों के लिए जो हमारे देश की नब्ज को जानना चाहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। इसलिए हमें उन लोगों को कुछ लाभ देने चाहिए, हमें समय नहीं गंवाना चाहिए; हमें इस श्रमजीवी वर्ग की हर सम्भव सहायता करनी चाहिए।

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझ को इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया।

मेरे पूर्व साथियों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं भी उनको जोड़ते यह बात कहना चाहता हूं कि इस संसद में पहले भी कई बार संशोधन विधेयक आ चुके हैं, लेकिन जब उनके इम्पलीमेंटशन की बात आती है तो उनमें कुछ कमजोरियां दिखाई देती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि जो आपकी व सरकार की इच्छा है कि हम उन पत्रकारों को सुविधाएं पहुंचाएं जो नगर और जिले में कार्य कर रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी नीयत साफ है और हम उनको सुविधाएं देना चाहते हैं, लेकिन जो मालिकान हैं वह कोई न कोई ऐसा तरीका अख्तियार कर लेते हैं जिससे कि हम जो फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वह फायदा उन तक नहीं पहुंचे। जैसाकि अभी बनातवाला साहब ने भी कहा और हमारे दीगर साथियों ने भी कहा कि बछावत कमीशन ने, वेतन बोर्ड ने इस बार भी चौबीसों घण्टे काम करने वाले इन पत्रकारों को पालेकर एवार्ड से अधिक कुछ भी नहीं दिया, उसमें जो पत्रकारों को देना चाहिए था लेकिन फिर भी कोई न कोई ऐसा तरीका अख्तियार कर लिया गया जिससे उनको फायदा नहीं पहुंचे। इसी तरह से उनको काम्फीडेंस में भी नहीं लिया गया ताकि वह अपनी बात कह सकें इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि हम उनको जो भी सुविधा देना चाहते हैं उनको सख्ती से उसका अमलदरामद करायें ताकि छोटे पत्रकारों को जो जगह-जगह अपनी जान को खतरे में डालकर काम करते हैं, सेवा करते हैं, उनको पूरा-पूरा फायदा पहुंचे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) : महोदय, जो इस वक्त हाउस के सामने फरनेवी बिल पेश है, मैं उसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं चाहता हूं कि हमारी गवनमैण्ट की एक डैफिनिट पॉलिसी होनी चाहिए क्योंकि प्रैस जोकि हमारी फोर्थ एस्टेट कही जाती है, इसको बाजाब्ता एक शक्लो सूरत देने के लिए हमारी पॉलिसी वाजिया होनी चाहिए और उसमें वर्किंग जर्नलिस्ट का एक बहुत बुनियादी रोल है, इसको इण्डिपेण्डैण्ट बनाने के लिए, इसका फ्यूचर सेफगार्ड करने के लिए मैं यह गुजारिश करूंगा, आनरेबिल मिनिस्टर से कि बजाय इसके कि हम पीस मील लेजिस्लेशन लावें, हमें एक काम्प्रीहेंसिव लॉ लाना चाहिए, इस सिलसिले में पार्लियामैण्ट के सामने और उसमें बछावत कमीशन की जो रीकमेण्डेशंस हैं, उनको सामने रखकर बाजाब्ता एक मसविदा कानून आना चाहिए जिस पर फुल ड्रैस डिस्कशन, पूरी बहस होनी

चाहिए। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि गवर्नमैण्ट को कातिब उर्दू प्रैस के साथ जर्नलिज्म के साथ न रखने के लिए जो एरर हुई है, यह जो गलत है, इसको ठीक करना चाहिए क्योंकि कातिब बिला-सुबहा उर्दू जर्नलिज्म में एक इण्टेग्रल पार्ट है। कातिब के बगैर उर्दू न्यूजपेपर निकल ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता इसलिए कातिबों का भी वही मुकाम होना चाहिए, जो वर्किंग जर्नलिस्ट का है।

बाकी जो बिल लाया गया है, इसमें बिला-सुबहा बेहतरी है लेकिन इससे ज्यादा बेहतरी होगी, अगर इसके लिए कोई क़ामप्रीहेंसिव कानून मशविदा हो। फिर भी जो कुछ लाया गया है, इसके लिए मैं गवर्नमैण्ट का शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, ऑनरेबिल मिनिस्टर को और इसकी ताईद करता हूं।

[شری محمد ایوب خان (اودھم پور) : محترم جو اس وقت ہاؤس کے سامنے فرنبوی بل پیش ہے میں اس کی تائید کرنے کیلئے کھڑا ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمینٹ کی ایک ڈیفینیٹ پالیسی ہونی چاہئے کیونکہ پریس جو کہ ہماری فورتھ ایسٹیٹ کہی جاتی ہے اس کو باضابطہ ایک شکل وصورت دینے کیلئے ہماری پالیسی واضح ہونی چاہئے اور اس میں ورکنگ جرنلسٹ کا ایک بہت بنیادی رول ہے اس کو انڈپینڈینٹ بنانے کیلئے اس کا فیوچر سیف گائیڈ کرنے کیلئے میں یہ گذارش کروں گا۔ آنرایبل منسٹر سے کہ بجائے اس کے کہ ہم پیس میل لیجسلیشن لائیں ہم ایک کمپریہنسو لاء لانا چاہئے اس سلسلے میں پارلیمینٹ کے سامنے اور اسمیں باچھاوت کمیشن کی جو ریکمنڈیشن ہیں ان کو سامنے رکھ کر باضابطہ ایک مسوّدہ قانون آنا چاہئے جس پر فل ڈریس ڈسکشن پوری بحث ہونی چاہئے میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمینٹ کو کاتب اردو پریس کے ساتھ جرنلزم کیساتھ نہ رکھنے کیلئے جو ایرر غلطی ہوئی ہے یہ جو غلطی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہئے کیونکہ کاتب بلاشبہ اردو جرنلزم میں ایک اینٹگرل پارٹ ہے۔ کاتب کے بغیر اردو نیوزپیپر نکل ہی نہیں سکتا۔ بن ہی نہیں سکتا اس لئے کاتبوں کا بھی وہی مقام ہونا چاہئے جیسے ورکنگ جرنلسٹ کا ہے۔

باقی جو بل لایا گیا ہے اسمیں بلا شبہ بہتری ہے لیکن اس سے زیادہ بہتری ہوگی اگر اس کیلئے کوئی کمپریہنسو قانون مسودہ ہو۔ پھر بھی جو کچھ لایا گیا ہے اس کیلئے میں گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مبارکباد دیتا ہوں آنرایبل منسٹر کو اور اسکی تائید کرتا ہوں]

श्री बिन्देश्वरी दुबे : सभापति महोदय, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि इस बिल को मैंने सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया है। उस पर बोलते हुए सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है, स्वागत किया है।

अपने भाषण के क्रम में बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सारे अच्छे सुझाव दिये हैं इस बिल के समर्थन में, मैं उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उनका आभारी हूं।

जैसा कि मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में ही कहा है इस बिल का उद्देश्य सीमित है। जो इस सम्बन्ध में मूल कानून है, उस कानून के वेजिज के सम्बन्ध में या न्यूज पेपर एस्टेब्लिशमेंट के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में कुछ कंट्रोवर्सी होती रही है, कुछ मिसकंसेप्शन रहा है, कुछ गलत इंटरप्रिटेशन होती रही है। वे अपने आप में बिल्कुल साफ हैं। फिर भी वेज बोर्डों की अलग-अलग रिपोर्टों के अध्ययन करने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि वेज बोर्ड की विलम्ब का एक कारण यह रहा है कि कुछ मेन एक्ट में जो प्रस्ट्स हैं उनसे भी भ्रामक स्थितियां पैदा होती रहीं।

अब तक जितने भी वेज बोर्ड और ट्रीब्युनल बने, दिवेरिया वेज बोर्ड, भंडारकर, शिंदे वेज बोर्ड, पालेकर ट्रीब्युनल, बछावत वेज बोर्ड—उन सब की रिपोर्टों का सरकार ने अध्ययन किया इस बिल को लाने के सम्बन्ध में। इस पर विशेष अध्ययन की इसलिए भी जरूरत पड़ी कि बछावत वेज बोर्ड के लिए जो समय निर्धारित था उससे बहुत ज्यादा समय वेज बोर्ड की रिपोर्ट आने में लग गया और इसकी काफी आलोचना भी हुई। सरकार भी लोगों की भावनाओं को देखते हुए काफी चिंतित थी और इस पर गहराई से जब छानबीन शुरू हुई कि वेज बोर्ड की रिपोर्ट आने में इतनी देर क्यों लग जाती है, क्या कानून में कहीं कोई कुछ खामियां हैं, या कुछ ऐसे कारण हैं तो ऐसा महसूस हुआ कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स और नान-वर्किंग जर्नलिस्ट्स की सर्विसिज आफ कंडीशंज एक्ट है उनकी डेफीनीशन के बारे में कुछ विवाद खड़े हो जाते हैं। उनसे भी कुछ विलम्ब हो जाया करता है। जब सरकार ने विलम्ब के कारण को देख जिससे कि विलम्ब हो जाया करता है तो सरकार ने यह सोचा कि इस बिल को स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि उस कारण से कोई विलम्ब न हो।

एक कारण और भी रहा कि न्यूज पेपर एस्टेब्लिशमेंट की जो क्लासिफिकेशंज वेज बोर्ड ने की उसके सम्बन्ध में भी कुछ स्पष्ट व्याख्या के अभाव में भी कुछ विलम्ब रहा। यद्यपि न्यूज पेपर एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनीशन बड़ी क्लीयर है और उस क्लासिफिकेशन को शुरू में दिवरिया वेज बोर्ड ने किया है।

उन्होंने भी उसके लिए कुछ गाईडलाइंज बनायी हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी जितने कंसीवेबल डिवाईस हो सकते थे, न्यूज पेपरस के मालिकों ने उनसे क्लासिफिकेशंज के क्राइटेरिया को काफी तोड़-मरोड़ दिया। इस बात की पूरी कोशिश की कि कुछ उपाय निकालें जिससे न्यूज पेपर स्टेब्लिशमेंट क्लासिफिकेशन एक में है, उसको दो बना दिया जाए, जो दो में है, उसको तीन बना दिया जाए, इसकी कोशिशें हुई, इसकी जानकारी बहुत से माननीय सदस्यों को भी है, सरकार को भी है। इसलिए सरकार ने महसूस किया कि आने वाले दिनों में सदा के लिए इस तरह से स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसमें किसी तरह से तोड़-मरोड़ की गुंजाइश न रहे और वर्गीकरण में परिवर्तन लाकर न्यूजपेपर स्टेबलिशमेंट और मालिक कर्मचारियों को, जरनलिस्ट और नान जरनलिस्ट एंप्लायज को उनके रेम्यूनरेशंस जो फिक्स किए गए हैं, उनसे वंचित नहीं कर सकें। ऐसा देखने में आया जब दिवेरिया वेज बोर्ड ने किया, उन्होंने क्लासीफाई किया यूनिट्स, ग्रुप्स, मल्टीपल यूनिट्स, यह सब क्लासिफिकेशन किया, न्यूज पेपर एजेंसीज उसके लिए अलग-अलग वेजेज दें। अब जो बड़े न्यूजपेपर चेन हैं, उन्होंने कोशिश की, क्राइ-टेरिया में ऐसा परिवर्तन कर दिया कि उसको ग्रुप्स में कर दें, मल्टीपल यूनिट को यूनिट बना दें। एक ही मालिक के पत्र समूह में कई उपायों द्वारा अलग-अलग जगहों में अलग-अलग तरह का कार्य लागू हो गया। इन सारे अनुभवों को ध्यान में रखते हुए न्यूज पेपर स्टेबलिशमेंट को क्लासीफाई किया गया और क्लेरिटी लाने के लिए न सिर्फ एक्सप्लेनेटरी क्लाज लगाया गया बल्कि शेड्यूल लगा दिया गया इस बिल के साथ, ताकि एक समाचार समूह अगर चाहे कि हम अलग-अलग लैंग्वेज में अलग-अलग शहरों में पत्र निकालकर, पब्लिशर या प्रिंटर्स के नाम को बदलकर या पति के नाम से अलग, पत्नी के नाम से अलग या और उसके अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाकर या एक ही प्रिंटर्स पब्लिशर जो एक न्यूज पेपर छापते हैं, कुछ मैगजीन छापते हैं, उनको अलग करके जो वेज बोर्ड डिटरमिनेशन का इम्पोर्टेन्ट फैक्टर है ग्रास रेवेन्यू का, जिससे हम प्राफिटेबिलिटी पर पहुंचते हैं, उस फैक्टर को इस तरह से तोड़-मरोड़ कर दें, जिससे वेजबोर्ड सही नतीजे पर न पहुंच सके और जिस नतीजे पर पहुंचे उसमें भी गलत इन्टरपिटेशन करके न्यूजपेपर स्टेबलिशमेंट के जरनलिस्ट और नान जरनलिस्ट कर्मचारियों को निर्धारित वेजेज से वंचित कर दें।

महोदय, जरनलिजम एक महत्वपूर्ण और सम्मानित पेशा है और सरकार इस पेशे में लगे हुए लोगों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखती है, बहुत आदर की दृष्टि से देखती है। और चाहते हैं कि वे सम्मानित जीवन व्यतित करें और इस पेशे के अनुकूल उन्हें पारिश्रमिक और आवश्यक सुख-सुविधाएं उपलब्ध हों। लेकिन यह बात भी सही है कि जो कुछ उनके लिए किया जाना चाहिए या जो उनकी या समाज की अपेक्षा है या उनके लिए न्यूजपेपर्स एस्टेबलिशमेंट के मालिकों ने जो कुछ करने की कोशिश की है, वह पूरी नहीं होने दी। श्री दामोदर पांडे ने कहा कि वेज बोर्ड का जो कंसेप्ट था, उससे उन लोगों का विश्वास हिलने लगा है। उसके बाद ट्रिब्युनल्स बने और लेबर कोर्ट में मामले आने लगे। लेकिन अत्यधिक विलम्ब होने की वजह से सरकार ने द्विपक्षीय वार्ता के जरिए वेतन निर्धारण और दूसरे फ्रिंज बेनीफिट्स के सम्बन्ध में अधिक से अधिक फैसले हो जाएं इसको प्रोत्साहित किया। उसके बड़े अच्छे नतीजे निकले हैं। हमारे कोर सैक्टर में, बेसिक इन्डस्ट्रीज में या अन्य दूसरे उद्योगों में द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से वेतन निर्धारण होता है। सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाते हैं और उसके जो भी निर्णय होते हैं उसको एम्पलायर्स फेथफुली इम्पलीमेंट करते हैं। जो भी आश्वासन श्रमिक वर्ग देता है उसका फेथफुली निर्वहन करता है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि कुछ और विषमताएं हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए। श्री बनातवाला ने और अन्य सदस्यों ने कुछ और कैटेगिरीज के बारे में कहा

है। न्यूज पेपर एम्पलाइज के जो विभिन्न संगठन हैं उन लोगों ने भी बछावत वेज बोर्ड आने के बाद बहुत सारे रिप्रेजन्टेशन्स दिए हैं। इसकी भी चर्चा हुई कि बछावत वेज बोर्ड की रिपोर्ट आने में देर हुई और सरकार ने भी उस पर कार्यवाही करने में देर की। दोनों वेज बोर्ड की 720 पन्नों की कंसोलिडेटेट रिपोर्ट और दोनों वेज बोर्ड के ग्यारह-ग्यारह सदस्य जिसमें उसके चेयरमैन भूतपूर्व न्यायाधीश श्री बछावत थे और एक सदस्य के अलावा बाकी नौ सदस्यों ने दस्तखत तो किए लेकिन उस पर असहमति जारी नहीं की। उन लोगों ने एक ही तरह की असहमति जारी नहीं की। विभिन्न सिफारिशों पर विभिन्न तरह की असहमति उन्होंने की। अब सरकार के लिए यह आवश्यक था कि जो रिपोर्ट्स के साथ रिकमंडेशंस के साथ डिसेंटिंग नोट थे, विभिन्न सदस्यों के, उन सारे नोट्स का अध्ययन करे। उसके लिए जस्टिफिकेशन था या नहीं इस पर विचार करे। इसमें समय लगना स्वाभाविक था। माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमारी कितनी चिन्ता थी, प्रधान मंत्री जी की कितनी चिन्ता थी कि हम शीघ्रतापूर्वक वेज बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त करें उसके लिए जब-जब भी एक्सटेंशन देना पड़ा, बहुत कम अवधि का एक्सटेंशन दिया। लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। हम बराबर यह कोशिश करते गये कि उसके बाद अगर कोई दूसरा रास्ता अपनायें तो और भी देर हो जाएगी। कुछ-कुछ हम एक्सटेंशन देते गए। अन्त में जब मुझे सूचना मिला कि वेज बोर्ड की रिपोर्ट जो उसकी अन्तिम अवधि थी उसके पूरा होने के एक दिन पहले उसके चेयरमैन मुझे देना चाहते हैं, मैं उस वक्त अस्पताल में भर्ती था गम्भीर रोग से, लेकिन इस चिन्ता में और खुशी में कि वेज बोर्ड की रिपोर्ट आज मिल जाएगी मैं उसी हालत में अपने दफ्तर गया और जस्टिस बछावत को खबर भेजी कि वह अपनी रिपोर्ट मुझे पेश करें फार्मल तरीके से। उसमें भी कुछ सदस्यों ने दस्तखत नहीं किए थे। एक सदस्य ने एक सप्ताह के बाद दस्तखत किए तब रिपोर्ट पूरी समझी गई। उसको देने के बाद मैं गम्भीर रूप से और बीमार पड़ गया और बाई-पास सर्जरी के लिए मैं लन्दन चला गया और एक महीने के बाद लौटा। लेकिन इस बीच विभाग ने बड़ी अच्छी तरह से और गम्भीरता से उसका अध्ययन किया और उसको प्रोसेस किया। मैं जैसे ही लौटा तो मैंने सारी वेज बोर्ड की रिपोर्ट्स का अध्ययन किया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने उस पर सारी छान-बीन कर ली है और वह फाइनल स्टेज में है। हम बिलकुल विलम्ब नहीं करना चाहते। लेकिन हम सतर्क हैं, इसलिए सतर्क और सावधान हैं कि हमने अगर कल एप्रोप्रियेट टाइम पर उसकी नोटिफिकेशन नहीं की, तो उसके कुछ नतीजे खराब भी हो सकते हैं।······डिसेंटिंग नोट देते हुए प्रतिनिधियों ने यहां-तक लिख दिया कि हमको स्वीकार नहीं है, मैं कोर्ट में जा सकता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि बोर्ड के रिकमंडेशंस के नोटिफिकेशन के बाद भी कोर्ट में चले जाते हैं और नाहक उसको देर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम सावधान और सतर्क हैं, और सतर्कता से सारे काम को करना चाहते हैं। इसमें कहीं पर भी हम लूपहोल्स न छोड़ें, कोई ऐसी बात न हो जिसको तोड़-मरोड़कर उसमें विवाद खड़ा किया जा सके। जैसा कि मैंने कहा कि वह अन्तिम चरण में है सरकार जो कार्यवाही करने जा रही है और शीघ्र, यथाशीघ्र, शीघ्रतिशीघ्र सरकार अन्तिम अन्तिम रूप से उसकी नोटिफिकेशन करेगी। लेकिन जहां तक इस अमैंडिंग बिल का सवाल है, आगे भी विवाद चलता न रहे, जैसे पूर्व में वेज बोर्डर्स की सिफारिशों को तोड़ा-मरोड़ा जाता रहा है, आगे वैसा न होने पाये, न्यूजपेपर इस्टब्लिशमैंट्स के मालिकों को ऐसा मौका न मिले कि वे किसी तरह से एक ही न्यूजपेपर के समूह के, एक ग्रुप के मालिक नाना प्रकार के उपायों द्वारा, जिस प्रकार से जर्नलिस्टस एण्ड नॉन-जर्नलिस्टस एम्पलाईज को उचित वेतन से वंचित करते आये हैं, वैसा फिर कर सकें। इसी उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक लाया गया है। अब तक के जितने भी वेज बोर्ड

बने हैं, इन्क्लूडिंग बछावत वेज बोर्ड, उन सबका अध्ययन करने के बाद, उन्होंने जो सजैस्शन्स दिए हैं, उन सजैस्शन्स को ध्यान में रखते हुए ही इस संशोधन विधेयक को पारिभाषित किया गया है। श्री कुमारमंगलम ने इसमें एक संशोधन दिया कि हम इसे 1985 से प्रभावी बनायें, इफैक्टिव 1985 से करें। मैं समझता हूं कि तारीख की बात तब उठती है जब हम कोई नया संशोधन लाते, कोई नई क्लॉज जोड़ते, हमने तो मात्र डैफिनीशन को क्लैरिफाई किया है, यह बिल मात्र क्लैरिफिकेटरी है, इसलिए जब से यह कानून बना है, तब से ही उसकी क्लैरिफिकेशन्स भी प्रभावी रहेंगी। यह क्लैरिफिकेशन रिट्रोस्पैक्टिव है अतः उसकी कोई तारीख देने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद ही अपना एक संशोधन लाकर इसे क्लियर कर दिया है। चूंकि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करें। माननीय सदस्यों ने जो भी सुझाव इस बिल पर दिए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए अंतिम कार्यवाही की जाएगी, उनके सुझावों का उचित आदर होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और कुमारमंगलम जी से कहूंगा कि मेरे उत्तर को दृष्टि में रखते हुए वे अपना संशोधन वापस ले लेने की कृपा करें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा-शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खण्ड 2—धारा 2 में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 8 और 9,—

"अन्तस्थापित किया जाएगा" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"अन्तस्थापित किया जाएगा और सदैव से अन्तस्थापित किया गया समझा जाएगा।" (1)

पृष्ठ 2, पंक्ति 1 और 2,—

"अन्तस्थापित किया जाएगा" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"अन्तःस्थापित किया जाएगा और सदैव से अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा।" (2)

(श्री बिन्देश्वरी दुबे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया ।

खण्ड 3—धारा 10 का संशोधन

(इस खण्ड पर दिया गया संशोधन विधेयक के हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता है ।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 4—अनुसूची का अन्तःस्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 32—

"अन्तःस्थापित की जाएगी" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा—

"अन्तःस्थापित की जाएगी और सदैव से अन्तःस्थापित की गई समझी जाएगी ।" (4)

(श्री बिन्देश्वरी दुबे)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.52 म० प०

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव* करता हूं—

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेन्शन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस समय, अधिनियम की धारा 6क(1) और 6क(6) के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद पत्नी/पति सहित अपने आवासीय स्थल से भारत के महाद्वीप में निकटतम हवाई अड्डे तक हवाई यात्रा सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं। उन्हें वापिसी यात्रा के लिए स्टीमर सुविधा भी प्राप्त है। संसद सदस्य, वेतन और भत्तों सम्बन्धी संयुक्त समिति की सिफारिश पर यह विचार किया गया है कि उन्हें भारत के महाद्वीप में निकटतम हवाई अड्डे से द्वीप में अनेक सामान्य आवास स्थान तक वापिसी यात्रा के लिए भी हवाई यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

उपरोक्त प्रावधान से भारत की संचित निधि से प्रतिवर्ष करीब 32,300 रुपए खर्च होंगे।

यह विधेयक बिलकुल सरल और अविवादस्पद है। मुझे आशा है कि सभा के सभी सदस्य एकमत से इसका समर्थन करेंगे और बिना अधिक चर्चा किए इसे पारित करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार करने का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेन्शन (संशोधन) अधिनियम 1954, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

क्या कोई माननीय सदस्य कुछ कहना चाहता है ?

कई माननीय सदस्य : जी, नहीं। हम इसे सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेन्शन (संशोधन) अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नियम 193 के अधीन चर्चा

कृषि ऋणों को माफ किए जाने की मांग

—[जारी]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम श्री हरीश रावत द्वारा 11 अगस्त, 1989 को कृषि ऋणों को माफ करने सम्बन्धी रखी गई मांग पर आगे चर्चा करेंगे ।

डा० गौरी शंकर राजहंस, आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि जो लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि उन्होंने अपने स्टेट में ऋण माफ कर दिया है उसके बारे में उनकी असलियत का पर्दाफाश होना चाहिए । हरियाणा के कुछ नेतागण बिहार और दूसरे हिन्दी स्पीकिंग स्टेट्स में जाकर कह रहे हैं कि उन्होंने अपने स्टेट में किसानों के ऋण माफ कर दिए हैं, यह एक सफेद झूठ है । यह बात सही नहीं है और केन्द्र सरकार को चाहिए कि इस असलियत का पर्दाफाश करे । यही नहीं, रेडियो, टी० बी० से भी लोगों को बताएं कि क्या सरकार कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है क्योंकि

इसके बारे में खासकर हिन्दी स्पीकिंग स्टेट्स में बहुत ही कनफ्यूजन फैला हुआ है। सरकार को बताना चाहिए कि जो पैसा बैंक में है वह डिपॉजिटर्स का है, उसको कोई नहीं माफ कर सकता। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि ऐसे स्टेट्स में, ऐसी जगहों में जहां नेचुरल कैलेमिटीज हुई हैं, सरकार कम से कम सूद माफ कर दे, इनटरस्ट माफ कर दे। जैसे बिहार के कुछ क्षेत्रों में लगातार बाढ़ आई और भूकम्प आया। किसानों ने उन क्षेत्रों में ऋण लिए हुए थे और आज बड़ी बेरहमी से उनके ऋण को वसूला जा रहा है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम उस ऋण को अगले चार-पांच वर्षों के लिए पोस्ट-पोन कर दिया जाए या उनका इनटरस्ट माफ कर दिया जाए। आप वहां जाकर देखें कि लोगों की क्या दशा है, क्या वे ऋण अदायगी की हालत में हैं ? 1987 में बाढ़ सब कुछ बहाकर ले गई। पिछले सौ सालों में ऐसी बाढ़ नहीं आई थी। 1988 में भूकम्प आया और जो कुछ बचा था, भूकम्प में समाप्त हो गया। यदि किसानों को ऋण की अदायगी के लिए बाध्य किया जाएगा तो यह बहुत ही गम्भीर बात है। मेरा अनुरोध है कि उनके ऋण को अगले पांच-सात वर्षों के लिए टाल दिया जाए और उनके सूद को माफ किया जाए। पिछली बार भी मैं कह रहा था कि सरकार ऋण को माफ करने के पहले यह सोचे कि यह रूरल इनडेटेडनैस क्यों होती है ? रूरल इनडेटेडनैस ज्यादातर हमारे कनजरवेटिव सोशल आर्डर के कारण होती है, हमारी रूढ़िवादी नीतियों के कारण होती है। गांव में ब्याह-शादी होती है, जनेऊ होता है तो सारे गांव के लोग गरीब आदमी को बाध्य करते हैं कि तुम अपनी जमीन बेच दो, बैंक से कर्जा लो, महाजन से कर्जा लो और हजार-दो हजार आदमियों को खिलाओ। आपको यह जानकर दुःख होगा कि यदि किसी के घर में 12-15 बरस का बच्चा मर जाता है तो उसे एक दुःख तो उस बच्चे के मरने का होता है और दूसरे गांव के लोग उसे बाध्य करते हैं कि पूरे गांव के लोगों को भोजन खिलाया जाए। वह तो बर्बाद हो जाता है और सोशल आर्डर ऐसा है कि वह कुछ कर भी नहीं सकता है। मैं सरकार से कहूंगा कि एक नियम बनाया जाए ताकि जो लोग ऐसे लोगों को बाध्य करें उन पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है। आपके पास टेली-विजन का एक बहुत ही पावरफुल मीडिया है। जिस तरह से फैमिली प्लानिंग का प्रचार करते हैं उसी तरह से यह भी प्रचार किया जाए कि गांव के लोग किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वह सारे गांव को भोजन खिलाए। ब्याह-शादियों में क्या बर्बादी होती है यह मैं आपको बताता हूं।

6.00 म० प०

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : मेरा अनुरोध है कि सभा का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए ताकि मद संख्या 10क पर चर्चा समाप्त कर सकें।

सभापति महोदय : क्या सदस्य सभा का समय 1 घण्टा और बढ़ाना चाहेंगे ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : सभा का समय 7 बजे म० प० तक बढ़ाया जाता है।

श्री पी० नामग्याल : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह केवल पांच मिनट का समय लें ताकि मन्त्री महोदय आज ही इसका उत्तर दे सकें।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं कह रहा था कि जिस तरह की बात होती है, एक गरीब आदमी अपनी लड़की की शादी करता है, उसमें भी उसको आसपास के दो हजार आदमियों को खाना खिलाना पड़ता है। आजकल 2 हजार आदमियों को खाना खिलाने का मतलब है 20 हजार रुपए। उसके लिए उसको कर्ज लेना ही पड़ता है। बर्बादी इसमें कितनी होती है, जिसने इस दृश्य को देखा है वह समझता है कि क्या वेस्टेज होता है? तो आपको कहीं न कहीं इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी।

जापान आगे बढ़ा है। अब जिन्होंने जापान का इतिहास पढ़ा है, वह जानते होंगे कि जापान ने अपने को माडर्नाइज किया। जापान में भी कंजर्वेटिव पार्टी वहां सोसाइटी में थी लेकिन लोगों ने हिम्मत की और एक झटके से सारे सोशल ईवल्स को हटा दिया, तभी जाकर जापान माडर्नाइज हो सका और आगे बढ़ सका। हमें हिम्मत करनी चाहिए, हम जो इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्ज हैं उन्हें हिम्मत करनी चाहिए कि जो सोशल बैरियर्स हैं उनको तोड़ें तभी रूरल इन-डैटेडनैस खत्म होगी।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चरिस्ट्स की मार्केटिंग का इन्तजाम होना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा वह कर्ज में डूबे ही रहेंगे। को-आपरेटिव्ज की कहानी तो हिन्दी स्पीकिंग स्टेट्स में बहुत ही दुःखद है काली कहानी है, जिसके बारे में यहां क्या कहा जाए? मैं चाहूंगा कि जब अगली पार्लियामेंट बैठे तो को-आपरेटिव्ज पर एक ऐसा कानून बनाए जिससे एग्रीकल्चरिस्ट्स को सही अर्थ में फायदा हो सके।

प्रधानमन्त्री जी के हम आभारी हैं, जिन्होंने घोषणा की है कि वह एग्रीकल्चर को इण्डस्ट्री का दर्जा देंगे। इस बात पर सारे देश में और किसानों में हर्ष है लेकिन मैं कहूंगा कि शुरुआत ऐसे की जाए कि किसानों को उनके प्रोड्यूस का रैमुनरेटिव प्राइस मिले। आज लोग जो गन्ना या जो कुछ भी पैदा कर सकते हैं, इसलिए पैदा करने से हिचकिचाते हैं कि जितना उनका इन-पुट लगता है, उतना आउट-पुट नहीं होता है। इसलिए एक ही प्रार्थना है कि आप यह प्रयास करें कि किसानों को उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का रैमुनरेटिव प्राइस मिले।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं।

एक महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा हो रही है कि किसानों का ऋण माफ हो या न हो, कई दिनों से यह चर्चा यहां चल रही है। मेरा कहना यह है कि ऋण-माफी से यह सवाल हल होने वाला नहीं है। कई बुनियादी बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। उन्हें 5 मिनट में कहना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस समय में जो कुछ कह सकता हूं वह कहूं।

जो गुमराह कर रहे हैं कि ऋण माफ करें, उसका अर्थ ही अलग है। पहले मनी-लैंडर्स होते थे, जिन्हें साहूकार कहते थे। वह जो करते थे वह अलग बात है लेकिन आजकल किसान की आमदनी कैसे बढ़े, वह मजबूत कैसे हो और जो अपने बजट में हम एलोकेशन करते हैं इण्डस्ट्री और गांव के विकास में और किसान के विकास के लिए उसके लिए बजट का परसैंटेज कितना हो। अगर आंकड़े देकर मैं समझाने लगूं तो मैं उसमें आपका समय नहीं लूंगा लेकिन 10, 15 साल से यह पता लग रहा है कि टोटल बजट एलोकेशन के हिसाब से एनर्जी, इर्रिगेशन, एग्रीकल्चर का एलोकेशन सब मिलाकर थोड़ा-सा हमारा परसैंटेज डिक्लाइन हो रहा है। हमें इसके लिए बजट में सुधार करना पड़ेगा क्योंकि किसान,

ग्राम सुधार के लिए किसान जमीन और खेत तथा मजदूर की हम अनदेखी नहीं कर सकते। जब गांव में इस तरह की बात होती है तो शंका हो जाती है। उसके कारण वे शहरों में आते हैं। जब उनका खेती करने से पेट नहीं भरता, मजदूरी कम मिलती है तो वे गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं। जो टोटल बजट एलोकेशन है, पांचवीं, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं का, उसमें बजट एलोकेशन आप परसेंटेजवाइज करते हैं। 1970-71 को जो प्राइस इंडैक्स है उसके हिसाब से आपने इसको किया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो आपने एलोकेशन किया है और जिस हिसाब से प्राइस इंडैक्स रखा है, अगर उस हिसाब से चलेंगे और प्राइस इंडैक्स तय करेंगे तो उससे कुछ नहीं बन पाएगा। रिसर्च करने के बाद किसी ने बताया है कि 6,000 की कीमत कम से कम 32,000 बनती है। इस बारे में ज्यादा सोच कर कदम उठाना होगा।

किसानों की दूसरी भी अनेक समस्याएं हैं। जो सबोंटिव इनपुट्स होते हैं, 1950-51 से 1965-66 तक के आंकड़ों के अनुसार ऑयल इंजन का ग्रोथ रेट 13.9 परसेंट था लेकिन 1965-66 से 1984-85 तक में वह 11.8 परसेंट ही रह गया। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पम्प सेट्स का 23.7 परसेंट था और बाद में वह 12.9 परसेंट ही रह गया। इलेक्ट्रिसिटी इन एग्रीकल्चर का 16.0 परसेंट था और अब वह 13.3 परसेंट ही रह गया है। इससे पता लगता है कि हमारे इनपुट्स कम हो रहे हैं। अतः उनमें सुधार करना जरूरी है। मैं एक किसान परिवार से आता हूं। इसलिए किसानों की समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। जब तक आप कृषि और उद्योग को एक यूनिट नहीं मानेंगे तब तक किसानों का भला नहीं होगा। जो लोन माफी का नारा लगाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं उससे मैं समझता हूं कि किसानों का कल्याण नहीं होगा और लोग भी बैंकों में पैसा जमा करेंगे नहीं। किसानों की वहां जो पूंजी लगती है वह पूंजी ज्यादा से ज्यादा कैसे दें इस बारे में सोचना होगा। जब तक वह ज्यादा नहीं देंगे तब तक उत्पादन बढ़ेगा नहीं क्योंकि······

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की गिरती हुई विकास दर कृषि मूल्यों के कम होती दर के अनुरूप है।

[हिन्दी]

1985-86 का इकोनोमिक सर्वे जो हुआ था उससे पता लगा था कि 1970-75 में एन्वल ग्रोथ रेट फूडग्रेन्स का 3.44 था, 1975-80 में 3.11, 1980-85 में 2.84 था। एवरेज प्राइस इंडैक्स उस हिसाब से ले लें तो पाएंगे कि 1970-75 में 95.7 परसेंट वह था, 1975-80 में 85.5 हो गया और 1980-85 में 78.9 हो गया। यह डिक्लाइन क्यों हो रहा है यह मैं आपसे जानना चाहूंगा। इसमें हमें बिल्कुल दायरे में जाकर देखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे सारे काम बेकार हो जाएंगे और किसान उसमें कुछ काम नहीं कर पाएंगे। आज प्रोडक्टिविटी जमीन की कम हो रही है और इरिगेशन बढ़ रहा है। जितना आत्मनिर्भर होना चाहिए उतने हम हो नहीं पा रहे हैं।

आज सरकार की तरफ से किसानों को जो सुविधाएं मिलती हैं, उससे वह बिल्कुल प्रिवलेज क्लास बन गए हैं। जो किसान ऋण लेते हैं, वे रात-दिन काम में जुटे रहते हैं। यहां तक कि उनका पूरा परिवार उस काम में जुट जाता है। आप किसानों को ऐसे साधन मुहैय्या कराइए जिससे उत्पादन बढ़े। जो स्माल और मार्जिनल किसान हैं उनकी हालत बहुत ही शोचनीय है। आप स्माल और मार्जिनल फार्मर्स को इनपुट्स कम दाम पर मुहैय्या कराइए। और आउटपुट जो बढ़ेगा, उसका मार्केटिंग लिंक ठीक हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि···

[अनुवाद]

यह हर प्रदेश, हर फार्म और हर व्यक्ति की भिन्न है।

[हिन्दी]

लेकिन उसके साथ ही उनको हम ऐसी कीमत दें जिसके कारण कुछ न कुछ हमको ज्यादा काम मिले क्योंकि रिजर्व बैंक के 1981 के आपके एक बुलेटिन में आंकड़े हमको मिले हैं, उन्होंने यह दिया है कि लैण्ड एण्ड बिल्डिंग, टोटल असैट्स ड्यूरेबल ऑफ हाउस होल्ड्स, वह छोड़ दीजिए लेकिन···

[अनुवाद]

ऋणी कृषकों का प्रतिशत 22.34 था और ऋण की औसत राशि 3,595 रुपए थी।

[हिन्दी]

यह तो खाली रिजर्व बैंक के बुलेटिन के आंकड़े हैं, यह और किसी दूसरे के आंकड़े नहीं हैं। हिन्दुस्तान की जो आमदनी होती है तो इण्डस्ट्री से 12 परसेण्ट आमदनी होती है और किसान को हम कर्जा देते हैं समझो 12 परसेण्ट और इण्डस्ट्री को देते हैं, 84 परसेण्ट। उसे आमदनी कितनी होती है, 60 हजार करोड़ जब किसान के खेती से पैदावार होती है और उससे कई गुना कम, 25 हजार करोड़ समझ लो, ऐसी कुछ इण्डस्ट्री से आमदनी होती है तो यह बुनियादी सवाल ऐसा है कि इसमें गहराई से जाकर सोचना चाहिए। इसके अलावा जो ड्राउट प्रोन एरियाज हैं या जो साइक्लोन प्रोन एरियाज हैं, डेजर्ट या बाढ़ के एरियाज हैं, इनमें काम्प्रीहेंसिव इन्श्योरेंस स्कीम हो या ऐसी कोई स्कीम हो जिसमें हम ऋण मुक्त ब्याज दे सकें और डिफरेंशियल रेट ऑफ इण्टरैस्ट किसानों में चाहें तो बड़ा किसान, छोटा किसान ऋण में ऐसा नहीं हो सकता लेकिन बड़ा किसान कर लो, लिबरेलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, कुछ भी आप कहें लेकिन नाबार्ड की तरफ से काफी कठिनाई हो जाती है तो मैं यह चाहूंगा कि इसके बारे में शान्ति से सोचना चाहिए। ऋण माफ करने के मैं खुद ही खिलाफ हूं, क्योंकि आज भी लोग मनी लैण्डर्स के पास जाते हैं इसलिए कि उनको पूरी धनराशि बैंक से नहीं मिलती है। वित्त मन्त्री जी खुद ही आज भी खेती कर रहे हैं, इतने वर्ष का होने पर भी उनको गरीबी का अनुभव है और खुद का अनुभव होने के कारण और खुद खेती करने के कारण उनको पता है कि कैपीटल इंटेंसिव होने के कारण ज्यादा धनराशि या ऋण कैसे दें। जब तक यह नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ दि लैण्ड तब तक नहीं बढ़ेगी और तब तक बैड डेट का जो सवाल है वह ऐसा ही चलता रहेगा और राजनीति का जो सवाल सब लोगों ने बनाया है, यह दुःख की बात है कि राजनीति के कारण ऋण माफ करने का सवाल बन गया है। आप कौन-कौन सा ऋण माफ करेंगे, किसान का करेंगे, छोटी इण्डस्ट्री का करेंगे, सिक इण्डस्ट्री का करेंगे, किसका ऋण माफ करेंगे? मैं इस बारे में कहूंगा कि इण्ट-रैस्ट रिमीशन की जहां तक बात है, इण्डस्ट्री को आप जो सहूलियत देते हैं, वही सहूलियत किसान को भी दी जाए और उसके कारण कुछ सुधार हो सकता है तो इसको देखना जरूरी है क्योंकि आज भी 78 परसेण्ट किसान स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। इसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा।

नेचुरल कैलेमिटी के लिए आपको बिल्कुल अलग स्कीम अलग फण्ड बना कर उसके लिए कुछ राहत देनी पड़ेगी, आप यह कर सकते हैं क्या और इंटेंसिव एग्रीकल्चर सिस्टम जो हमने बनाया था उसके लिए और कुछ ज्यादा सोच सकते हैं क्या? तभी यह काम आगे बढ़ने वाला है, नहीं तो फिर

मनी लैण्डर्स आएंगे और पहले देश में जो सत्यानाश हुआ है, वही हो जाएगा। राजनीति के कारण हम काम को बिल्कुल गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, चुनाव के कारण ले जा रहे हैं और इसके कारण पूरी दुनिया में ऋण माफ करने वाला कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसके कारण एक नया ऐसा वातावरण तैयार हो, आज ऐसा वातावरण तैयार हो गया है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और सारे हिन्दुस्तान में और इसलिए कोई बैंक का ऋण वापस नहीं दे रहा है, पूरी रिकवरी ठप्प हो गई है। सबसे सस्त किसान को ऋण नहीं मिलेगा, नहीं मिले तो क्रेडिट लाइन चोक हो जाएगी, फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो वे कर्जे में डूब जाएंगे इसलिए कम से कम फोर्थ क्लास के चपरासी को जो तनख्वाह मिलती है, कम से कम उतनी आमदनी किसान की हो, इतना तो कम से कम सोचना चाहिए, वित्त मन्त्री इस बात का ध्यान रखें। मुझे पता है कि इसके बारे में कठिनाई है लेकिन क्या हो सकता है, यह देखना जरूरी है। माफ करने से काम नहीं चलेगा। ऐसा होने पर उसमें गलत-गलत बातें आ जाएंगी और किसान फिर कर्ज में डूब जाएगा।

यह कहकर आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती) : सभापति महोदय, मुझे मालूम है कि मुझे थोड़े में बात करनी है। अभी महाराष्ट्र के किसानों के ही एक प्रतिनिधि श्री विखे पाटिल साहब ने देश के किसानों की समस्याओं के बारे में बात की। मैं यह भी जानती हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर महाराष्ट्र से आए हैं, किसान परिवार से आए हैं। और वे बहुत-सी बातें समझते हैं। फिर भी मैं किसानों की अवस्था के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। इस साल महाराष्ट्र में जैसी बाढ़ आयी वैसी वहां पिछले 50 सालों में नहीं आयी। पूरे देश में बाढ़ आयी और आती रहती है लेकिन इस साल की बाढ़ से जो वहां नुकसान हुआ है वह मन्त्री जी को पता है। इसी वजह से मैं मन्त्री जी से इस पर विचार करने की विनती करती हूं।

जब हम पूरी ग्रामीण व्यवस्था को बदलने जा रहे हैं पंचायती राज के माध्यम से पूरे देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन ला कर के हम देहातों और देहातों की जनता को ताकत देना चाहते हैं तो इस परिवर्तन को करने में हमें उन कानूनों को भी देखना होगा जोकि रिजर्व बैंक, नाबार्ड या केन्द्रीय सरकार की अन्य एजेंसियों के बने हुए हैं। उनमें भी परिवर्तन लाने की बहुत आवश्यकता है जिससे कि किसानों को फायदा मिल सके।

किसान को कर्ज की माफी मिलने से, किसानों को ज्यादा सुविधा मिलने से सरकार पर बोझ पड़ सकता है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि जो लोग बैंकों से लोन लेकर के, अपना देश छोड़ कर दूसरे देश में बस जाते हैं, ऐसे लोग जो सरकार को और बैंकों को धोखा देते हैं वे सरकार का कितना नुकसान करते हैं और उससे सरकार पर कितना बोझ पड़ता है? हमारे बहुत से इण्डस्ट्रियलिस्ट्स बहुत-से सरकारी कानूनों का लाभ उठा कर, अपनी इण्डस्ट्री से सब कुछ लूटकर और उसको खोखला कर के दिवाला निकाल देते हैं उनका आप कुछ नहीं कर पाते। आपके बैंक उनका कुछ नहीं कर पाते। इसलिए किसानों की प्रतिनिधि होने के नाते मेरी आपसे मांग है कि समाज के अन्य वर्गों की तुलना में किसान आज कहां खड़ा है इसको आपको देखना चाहिए। आप किसी भी लोन में देख लीजिए कि कितने किसान आज बिलो पावर्टी लाईन पर हैं। उनके पास बहुत थोड़ी जमीन है। उनके पास आमदनी का जरिया बहुत कम है। आप इसका पूरे देश में सर्वे करा लीजिए।

आपने पूरे देश में किसानों को जो लोन दिया है, बीस सूत्री कार्यक्रम में दिया, खेती के लिए

दिया, बीज के लिए दिया उससे उसकी कितनी आमदनी बढ़ी है इसका आप सर्वे करा लीजिए। जब आप सर्वे करेंगे तो देखेंगे कि किसान और मजदूरों की क्या हालत है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनको छूट मिले।

मैं एक-दो बातों का यहां पर जिक्र करना चाहती हूं। आपने महाराष्ट्र में जमीन सुधार के लिए लोन दिया, और अलग-अलग दूसरी चीजों के लिए लोन दिया। महाराष्ट्र में इतने छोटे-छोटे किसान हैं और हर साल कोंकण में सूखा या बाढ़ का प्रकोप रहता है। इससे वहां के किसान की हालत दयनीय है। हम अगर उनसे लोन की वसूली भी करना चाहें तो भी कर नहीं सकते हैं। इकोनोमिकल्ली भी यह सम्भव नहीं है। इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि लोन की माफी की जाए।

कुछ लोगों ने बताया कि लोन माफ करने की भावना और मदद करने की भावना ठीक है या नहीं। मैं कहना चाहती हूं कि जिन किसानों को सूखे या बाढ़ के कारण नुकसान होता है उनका लोन तो माफ होना चाहिए। आप उन किसानों से उनकी गरीबी के कारण लोन वसूल नहीं कर सकते हैं। ऐसे किसानों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। मैं अपने क्षेत्र के किसानों के बारे में कहना चाहती हूं कि उनके पास थोड़ी सी जमीन है, थोड़े से आय के साधन हैं। अगर आप उनको ऊपर उठाना चाहते हैं तो उनको दुबारा लोन देने की मदद देने के बारे में भी आपको सोचना होगा। आज देश में कोई किसान ऐसा नहीं होगा जो ऋण मुक्त हो। सभी पर किसी न किसी योजना के अन्तर्गत लोन है। ऐसे किसानों के लिए मंत्री जी को विशेष ध्यान देना होगा। जिन किसानों पर बहुत अर्से से लोन बकाया है उनके लोन की किस्त आप हफ्ते की कर दें और उनको दूसरा लोन देने की सुविधा दें। उनको दूसरा लोन नाबार्ड और रिजर्व बैंक के माध्यम से देना चाहिए।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहती हूं कि महाराष्ट्र के 12 जिलों में काफी बारिश हुई है, बाढ़ आई है और खेती नष्ट हो गई है, फसल नष्ट हो गई है। इसलिए उनको बीज देने की व्यवस्था करनी होगी, अन्य साधनों की व्यवस्था करनी होगी, उनको पुनर्वास के लिए जमीन देनी होगी। महाराष्ट्र तथा दूसरे प्रान्तों में जहां जहां सफरर हैं, जिनकी फसल डूब गई है, उनके लिए केन्द्र सरकार ऋण की व्यवस्था करे, कम सूद पर उनको ऋण दिया जाए। जिस तरह से महाराष्ट्र सहकारी बैंक के माध्यम से पिछले साल किसानों को 6 परसेंट पर ऋण दिया गया, 6 परसेंट राज्य सरकार ने वहन करने के लिए कहा। इस तरह से जहां जहां भी इस तरह की गुन्जाइश है, वहां पर किसानों की मदद करनी चाहिए, लेकिन जहां हम लोग किसानों की मदद करना चाहते हैं वहीं रिजर्व बैंक और नाबार्ड इसमें बाधा डालते हैं। मंत्री महोदय से और शासन से मेरा निवेदन है कि किसानों की मदद करने के लिए रिजर्व बैंक और नाबार्ड अपने नियमों में शिथिलता लाए।

श्री रामदेव राय (समस्तीपुर) : महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह सर्वविदित है। यहां के 80 परसेंट लोग खेती पर आश्रित हैं, लेकिन आज इन किसानों की माली हालत बहुत चिंतनीय और विचारणीय है। किसान की कमाई से ही देश आत्मनिर्भर बना है, पैदावार का दुनिया में रिकार्ड बनाया गया है, मगर आज इनकी आंखों में आंसू हैं, इनकी दुर्दशा हो रही है। मैं समझता हूं कि इसकी ओर सरकार की चिंता कुछ कम रही है, यही कारण है कि हमारा किसान काफी निराश और उदासीन हो रहा है। आज किसान की कमाई से देश इतना आगे बढ़ा है लेकिन आज उनके घर में खाने के लिए नहीं है। इसका कारण यह है कि वे जो कमाते हैं वह शादी, श्राद्ध, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, प्राकृतिक विपदाओं में निकल जाता है। पैदावार के समय उसका अनाज बाजार में जिस भाव जाता है, उससे

अधिक दामों पर उसको वही गल्ला फिर बाजार से खरीदना पड़ता है। यह दोहरी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जब तक किसानों के मूल्य और बाजार मूल्य में सामंजस्य नहीं होगा, तब तक किसान भूखा रहेगा और जब तक किसान भूखा रहेगा तब तक देश भूखा रहेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि सबसे पहले बाजार मूल्य पर नियन्त्रण किया जाए। इसी तरह से प्राकृतिक विपदाओं के समय भी बिचौलिए सारा गल्ला खरीद कर रख लेते हैं और विपदा के समय अधिक दाम वसूल करते हैं, ब्लैक मार्केट करते हैं। महंगाई काफी बढ़ जाती है और जो किसान मेहनत और खून पसीना एक करके अनाज पैदा करता है, उसके बच्चे भूखे रहते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इसके लिए अलग से योजना बनाएं, बजट से अलग से प्रावधान किया जाए, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता। महोदय, मैं खासकर विहार के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार में प्रत्येक वर्ष वर्षा और बाढ़ से किसानों की पैदावार नष्ट हो जाती है। कभी वर्षा से, कभी बाढ़ से, कभी ओला से और कभी आंधी से फसल नष्ट हो जाती है। इन विपदाओं के कारण परेशानी बढ़ती रहती है। उनके खेत केवल वर्षा से ही नहीं बल्कि ड्रेनेज के अभाव में भी खराब हो जाते हैं। सरकार का करोड़ों रुपया बाढ़ की मरम्मती में खर्च होता है। उनकी पैदावार बढ़ाने की जो समस्या है या देश को सम्पन्न बनाने के लिए जो स्रोत हैं उसमें ढिलाई दी जाती है। अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक ढंग से लागू करें तो निश्चित रूप से बाढ़ और वर्षा के पानी की निकासी हो सकती है और किसान की खेती समय पर हो सकती है। बिहार में पिछले दस वर्षों में ड्रेनेज पर कितना पैसा खर्च हुआ है, उस बारे में वित्त मंत्री जी पता लगा सकते हैं। हर मामले में बिहार अग्रणीय रहा है। हमारे यहां डा० जगन्नाथ मिश्र ने फसल बीमा योजना लाग की थी, लेकिन वह योजना आज खटाई में पड़ी हुई है। जब तक किसानों की फसल की सुरक्षा नहीं होगी तब तक किसान कैसे मेहनत करेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे मजदूर आज दूसरे प्रान्तों में भागे जा रहे हैं। आज मजदूर बंगाल और पंजाब में चला जाता है लेकिन हमारे यहां खेती छोड़कर भाग रहा है। उसके पास साधन नहीं है कि वह खेती कर सके। आज किसान की हालत चिंतनीय है। दहेज के कारण, मां-बाप के श्राद्ध के कारण और बेटे-बेटी की पढ़ाई के कारण उसे जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। सारे सांसद जानते हैं कि बैंक से ऋण लेने के लिए किसान को रिश्वत देनी पड़ती है। उसके बगैर उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलता है। "जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।" जिसके पैर में बिवाई नहीं फटी, वह किसानों की हालत को कैसे समझ सकते हैं। मैं समझता हूं हमारे सारे सदस्य किसानों के घर से आए हैं। किसान की निगाह हमारी ओर लगी हुई है कि संसद में हमारे लिए क्या उपाय हो रहा है। सिर्फ बिल पास करने से किसान की हालत में सुधार नहीं हो सकता। उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। पहले अमेरिका और कनाडा की ओर झोली फैलाकर खाद्य आपूर्ति की जाती थी लेकिन आज हमारे किसान ने दुनिया में रिकार्ड कायम कर दिया है। लेकिन आज उसकी दुर्दशा दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप संसद सदस्यों की एक कमेटी बनाएं और उसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही करें तभी आप जान पायेंगे कि किसानों की हालत क्या है। मध्यम वर्ग के किसान, छोटे किसान या सम्पन्न किसानों को अलग-अलग बैंक से ऋण दिया जाता है। पन्द्रह बीघा और तीन बीघा जमीन जोतते हैं तो आपने कैटेगिरी बांट दी है। किसी को अस्सी प्रतिशत और किसी को साठ परसेन्ट मुआवजा देते हैं। आपको मालूम है कि पन्द्रह एकड़ वाला ज्यादा पैदावार देगा और छः एकड़ वाला कम देगा तो उसी हिसाब से आप उनको मुआवजा देते हैं। जो सम्पन्न किसान ज्यादा फसल देकर पैदावार की बढ़ोत्तरी करवाते हैं, उनको ज्यादा मुआवजा दीजिए। यह ध्यान रखा जाए कि किसी तरह का प्राकृतिक प्रकोप होने से उनकी जमीन की बिक्री न हो। आज बिहार में क्या हो रहा है।

इन बैंकों के जरिए सारे किसानों की जमीन नीलाम की जा रही है। हमने ऋण लिया था

आपको मदद देने के लिए, न कि अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पोषण करने के लिए नहीं, लेकिन आज उसके चलते हमारी जमीन नीलामी पर है। मैं वित्त मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और जिनकी जमीन नीलाम हो रही है वह किसानों को वापस की जाए। यह हमारी प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था का परिचायक होगा। हमारे मजदूर हमारे किसानों से अच्छी हालत में हैं। वह सुख और चैन से चालीस-पचास रुपए रोज की दिहाड़ी करते हैं, फिर भी बिहार में मजदूर नहीं मिलते हैं। लेकिन यह इतना रुपया किसानों को कब नसीब होगा, आप विचार करके देखेंगे तो पता चलेगा। किसानों को उसकी लागत मूल्य का भी पूरा पैसा नहीं मिल पाता है इसको आप देखें। इस देश को दुनिया में ऊंचा नाम कराने में हिन्दुस्तान के किसानों का बहुमूल्य योगदान है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बैंकों से जो ऋण दिया जाता है उसकी पद्धति में आप परिवर्तन करें। बैंक किस तरह से आज भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं, यह भी आप देखें। हमारे बिहार में जमींदारी उन्मूलन हुई है, लेकिन बैंक सबसे बड़े जमींदार बनकर बैठे हुए हैं और किसानों का शोषण कर रहे हैं। जिससे हम परेशान हो गए हैं। हमारे चाहे किसान हों, चाहे नौजवान हों जिनके प्रति हमारे प्रधान मंत्री के मन में बड़ी लालसा है और उनको वे राष्ट्रीय मुख्य धारा में एक मुख्य अंग मानते हैं उनको खेती के लिए आप बिजली और पानी दें। ये सारी व्यवस्थायें ज्यों की त्यों पड़ी रह जाएंगी यदि आपने समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया। हम सारे लोग गांव में रहने वाले लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। आप बैंकों की ऋण पद्धति में परिवर्तन करें। वहां भ्रष्टाचार है उसको मिटाने के लिए जेहाद छेड़ें हम सारे लोग आपके साथ हैं और आपके सहयोगी बनने को पूरी तरह से तैयार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। किसान की जो माली हालत है उसको आप समय रहते हुए सुधारें ताकि किसान यह समझे कि हम भी देश के मुख्य भागीदार हैं। मैं समस्तीपुर से आता हूं पिछले साल जो वहां नुकसान हुआ, उसमें वहां कोई राहत का काम नहीं हुआ इसलिए मैं निवेदन करता हूं इन सारे किसानों के ऋण को आप निश्चित रूप से माफ कर दें।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : यह जो प्रस्ताव देश के सामने आया है किसानों के ऋण माफ करने के सम्बन्ध में, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जिन किसानों के ऊपर बोझ है वे कोई बहुत बड़े किसान नहीं हैं, वे छोटे किसान हैं या ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत मामूली भूमि है। यह सही है कि आजादी के बाद शुरू के दिनों में हमारे देश में जितना गल्ला पैदा होता था आज हरित क्रांति की वजह से देश के किसानों के खून-पसीने की कमाई की बदौलत देश में तीन गुना गल्ले की पैदावार हो रही है। इसका कारण यह भी है कि समान रूप से बहुत सारे किसानों की हरित क्रांति के माध्यम से उसमें इन्वोल्व किया गया है और उनको सहायता दी गई है। लेकिन जिस तरह से उनको जिस रूप में सहायता दी गई है और बैंकों के माध्यम से उनके बीच ऋण का वितरण हुआ, सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया है। आपकी जानकारी में भी है कि बिचौलियों की वजह से और बैंकों के लोगों की वजह से जो भी ऋण उनको दिया, वह अन्त में उस रूप में उनको प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन वसूली के समय वह ऋण उससे लिया ही जाएगा। अब सवाल यह है कि ये किसान जिनके पास सिंचाई का माध्यम नहीं है, ऐसे किसान जिनके पास थोड़ी-सी जमीन है जो ठीक से उतना रिटर्न नहीं कर पाते जितना कि उनका खर्च होता है तो उसकी गरीबी बनी रहती है वे ऊपर नहीं उठ पाते हैं साधारणतः उन दिनों में गरीब किसानों की परेशानियां समझने की जरूरत है जिन दिनों में देश में सुखाड़ या बाढ़ आती है और बाढ़ की वजह से उसका घर, उसके मवेशी सब कुछ बह जाते हैं, उसकी फसलें चौपट हो जाती हैं, घर में जो खाद और बीज रखा होता है, वह भी नष्ट हो जाता है और उसके पास भूखों मरने के दूसरा कोई चारा नहीं रहता। सुखाड़ की स्थिति किसान के लिए ज्यादा कष्टप्रद है, उन दिनों

उसकी मुसीबतें अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सूखे की वजह से किसानों की तबाही ज्यादा होती है, उसकी हालत शोचनीय हो जाती है, उसकी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। अभी तक हम इन दोनों विभीषिकाओं से उबर नहीं पाये हैं, हाल ही में विगत वर्षों में, देश के एक भाग में अकाल की स्थिति आयी तो दूसरे भाग में भयंकर बाढ़ आयी। नुकसान दोनों स्थितियों में किसान का होता है परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि कुछ इलाकों में जहां सूखा पड़ता है, वर्षा नहीं होती, वहां का किसान कर्जे के बोझ से ज्यादा दब जाता है क्योंकि उसके खेत से उसे कोई रिटर्न नहीं मिलती। यह सही है कि सरकार ने अनेक अवसरों पर किसान की मदद की है, लेकिन मैं बिहार राज्य के पलामू जिले का एक छोटा-सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब वहां सुखाड़ की स्थिति बनी तो उसकी 22 लाख की आबादी में से तीन लाख से ज्यादा किसान अपना गांव या जिला छोड़ कर दूसरे इलाके में चले गए। ऐसे ही पठारी इलाके की स्थिति है, जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, प्लेटयू एरियाज में जहां सिंचाई के स्रोत नहीं हैं, वहां के किसान की स्थिति भी बहुत खराब है। ऐसे इलाकों के किसान को आप बैंकों के माध्यम से चाहें जितनी राहत पहुंचाएं, ऋण उपलब्ध करवाएं, उससे किसानों का दुख-दर्द कम नहीं हो पाता, जब तक कि किसान को पानी आप उपलब्ध नहीं कराते हैं, सिंचाई के साधनों का इन्तजाम नहीं करते हैं। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि देश के पठारी इलाकों से, पथरीले इलाकों से या ऊसर भरे इलाकों से भी उत्पादन बढ़ाकर सरकार को काफी आय हो सकती है यदि आप वैसे इलाकों में सिंचाई के साधन उपलब्ध कर दें, उन इलाकों में जितनी सिंचाई की योजनाएं किसी न किसी कारण से लम्बित हैं उन्हें पूरा करा दें। मैं उदाहरण के लिए बिहार की दो बड़ी योजनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जिनमें से एक औरंगा जलाशय योजना है, जो 150 करोड़ रुपए लागत से बनी है, उसकी 25 वर्षों में लगभग सारी चीजें बनकर तैयार है, परन्तु अभी तक उसे चालू नहीं किया गया है, हालांकि समस्त औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। उसी तरह से तिलैया ढाढर योजना है, वह भी प्लेटयू एरिया में है और तिलैया तथा बाबरा दो नदियों के सम्मिलित जल से जिसे बनाया गया है, जिससे उस इलाके में सिंचाई की भारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं परन्तु उसका जलस्रोत नष्ट प्रायः हो गया है, वह भी पूरी नहीं हुई है। मैं चाहूंगा कि सरकार का ध्यान ऐसी योजनाओं की तरफ जाना चाहिए। दूसरे प्लेटयू एरियाज में जहां लिफ्ट इरीगेशन का प्रावधान है, वहां भी अभी तक पूरी तरह सिंचाई के साधनों की व्यवस्था नहीं हो पायी है। आप जानते हैं कि सिंचाई के बिना किसान की जिंदगी में आशा की उम्मीद नहीं की जा सकती, उसे कोई राहत नहीं मिलती। इस सदन में ऋण माफी से सम्बन्धित जो प्रस्ताव आया है, मैं चाहूंगा कि सरकार उस पर गम्भीरता से गौर करे। मैं समझ सकता हूं, आप जो तर्क देते हैं कि बैंकों ने किसानों को जो ऋण दिया है, आम लोगों को ऋण से छूट नहीं दी जा सकती, यदि हम ऋण को माफ करते हैं तो बैंकों को बैंकरप्ट करने वाली बात होती है, हम बैंकों को दिवालिया नहीं करना चाहते, ऐसा कानून में प्रावधान नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह आप किसानों को विभिन्न मदों में सबसिडी देते हैं, अनुदान देते हैं, उसी तरह उसका ऋण क्यों नहीं माफ कर सकते। बिहार में इस दिशा में बहुत सराहनीय प्रयास हुआ जब वहां अनेक भूमिहीनों को भूमि दी गयी, बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के माध्यम से, जिससे वहां एक नई क्रांति आयी किसानों की जिन्दगी में। जिस किसान के पास थाली रखकर खाना खाने की भी जगह नहीं थी, वैसे किसानों को सरकार की तरफ से भूमि दी गयी, वास्तविक जमीन दी गयी, ताकि उस पर वह खेती कर सके, अपनी जमीन का विकास कर सके, और आर्थिक रूप से अपने पांवों पर खड़ा हो सके। इतना ही नहीं सरकार की ओर से प्रति एकड़ के हिसाब से उसे एक हजार रुपया भी दिया गया, कई जगह दिया जा रहा है, बांटा गया है, ताकि वह उस जमीन का विकास कर सके और उसके बाद जिस चीज की उसे आवश्यकता हो, उस जमीन में उत्पादन करके वह उसे प्राप्त कर सके, मेहनत करके अपनी स्थिति ठीक बनाए। जब आप इस तरह किसानों को

पैसे की व्यवस्था करके सहायता कर सकते हैं, वैसे ही किसानों की तरफ बैंकों का बकाया ऋण चुकाने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जा सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि सरकार किसान की तरफ बैंकों के ऋण को या उसके सूद को माफ नहीं कर सकती तो सरकार एक निश्चित राशि का प्रावधान कर दें जिससे किसानों पर बैंकों का जितना पैसा या सूद बकाया है, किसानों की ओर से सरकार बैंकों को वह राशि चुकता कर दें, मैं समझता हूं कि इससे आपको कोई विशेष दिक्कत भी नहीं आयेगा और किसानों की समस्या का सही रूप में समाधान भी हो जाएगा।

महोदय, दूसरी बात यह है कि जो बिचौलिए लोग होते हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। किसानों को जो ऋण दिया जा रहा है उसमें बिचौलिए और बैंक के लोग मिलकर के भ्रष्टाचार के माध्यम से किसान का पैसा बीच में ही खा जाते हैं। इस प्रकार से जो पैसा किसानों के हाथ में जाता है वह यथेष्ट पैसा नहीं जाता है। जो पैसा किसानों के हाथ में जाता ही नहीं है, उस पैसे को बैंक कैसे मांगेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इससे उसको संरक्षण देने की, प्रोटैक्शन देने की जिम्मेदारी आपकी है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा मांग करता हूं कि जो सामान्य और छोटे किसान हैं, उनके ऊपर जो ऋण है, उसका सरकार अपनी ओर से चुकता करे।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं वाद-विवाद में पहले भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का समर्थन करता हूं और मैं सामान्यतः कृषि ऋण को माफ किए जाने की मांग का विरोध करता हूं। इस तरह ऋण माफ किए जाने का समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इससे मुद्रा-स्फीति की समस्या भी इतनी बढ़ जाएगी जो हमारे नियन्त्रण से बाहर होगी। ऐसी कई बातें हैं। लेकिन साथ ही हमें अपने देशों में कृषि—किसानों और कृषकों—की वास्तविक समस्याओं के प्रति भी यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस पहलू के बारे में गम्भीरता से विचार करना होगा। कृषि समुदाय के बीच बहुत असन्तोष है। किसानों के इस असन्तोष को खत्म करने के लिए गम्भीर प्रयास किए गए हैं। सामान्य रूप से विपक्ष ने और विशेष रूप से हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री और उनके दल ने बड़े सोच-समझकर ऐसा प्रयास किया है। जो लोग लीक से हटकर कुछ नहीं देखते, राजनीति के प्रति जिनका दृष्टिकोण तदर्थ है, और जो राजनेता नहीं है—न आज हैं, न कभी थे—कृषि ऋणों को माफ करने जैसा नारा देकर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हैं। कृषि समुदाय के प्रति हमें पूरी संवेदना है। स्वतन्त्रता के बाद के चार दशकों में उन्होंने कड़ा परिश्रम किया है। उन्होंने सरकार को हमेशा सहयोग दिया है लेकिन उनके सहयोग के बिना, हरित क्रांति, जो इस देश में बहुत सफल रही है, सम्भव नहीं होगी। लेकिन उन्हें क्या फायदा मिला है? मैंने छोटे, बड़े और मध्यम श्रेणी के कृषकों के साथ उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की है। जब फसल प्रचुर मात्रा में होती है, तब उन्हें घाय उठाना पड़ता है। औद्योगिक क्षेत्र में, आपका उत्पादन जितना अधिक होगा, आपको उतना ही फायदा होगा। लेकिन कृषि में अधिक उत्पादन उनके दुःख का कारण बन जाता है। क्योंकि कई स्थानों पर हर जगह नहीं, दूर-दराज के क्षेत्रों में जब प्रचुर फसल होती है तो उनके लिए संकट पैदा हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर फसल होने पर ही प्रायः ऐसा होता है। छुट-पुट मामलों में यह बात लागू नहीं होती। जहां कि वे बहुत चौकस हैं या इस प्रकार की कोई बात है। हमारा अनुभव यह है कि जब भारतीय खाद्य निगम से प्रत्यक्ष रूप से मुहैया नहीं हो पाता है तो वे इस कार्य को काला-

बाजारी करने वालों को अथवा मिल मालिकों आदि को सौंप देते हैं। वे परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं। यहां एक विरोधाभास है। कृषि में आप जितना अधिक आप उत्पादन करते हैं उतना ही नुकसान होता है। इस प्रवृत्ति में परिवर्तन लाना होना। यह कार्य हम कैसे कर सकते हैं ? जैसाकि मैंने कहा कृपया ऋण माफ न करें। लेकिन निश्चित रूप से किसानों के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए हमें सम्मिलित प्रयास करना चाहिए। ऐसा हम किस प्रकार कर सकते हैं ? मैं अपने सुझाव दूंगा।

कुल मिलाकर हमें कृषि को लाभकारी बनाना है। आज स्थिति ऐसी नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अपने कृषि का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। अपने कृषि व्यवस्था को हम जितना अधिक आधुनिक बनायेंगे खेती की लागत उतनी ही बढ़ेगी। खेती करने में लगी लागत और खरीद मूल्य में कोई सम्बन्ध ही नहीं है। जो वे उत्पादन करते हैं और जो वे बिक्री करते हैं तथा अपने परिवार के उपयोग के लिए जो वे खरीदते हैं इनमें कोई सम्बन्ध नहीं है। इनमें कुछ समानता होनी चाहिए। कृषि मूल्य आयोग को इन सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार करना होगा। उस आयोग में कृषि समुदाय का और सिर्फ उच्च पदाधिकारियों तथा अर्थशास्त्रियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहना चाहिए।

जहां कहीं भी सिंचाई की व्यवस्था है वहां दो या तीन फसलें होती हैं। वहां स्थिति बेहतर है। अतः हमें सिंचाई को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए।

हमें बैंकों से ऋण लेने की प्रक्रिया को भी सरल बनाना होगा। प्रत्येक किसान को एक पास-बुक देनी चाहिए। इसमें उसके जमीन की तथा अन्य सम्बद्ध बातों का विस्तृत रूप में उल्लेख रहना चाहिए ताकि बैंक जाने पर उसे आसानी से ऋण मिल सके। ऋण की शर्तें बहुत ही आसान होनी चाहिए। साधारणतः कृषि सम्बन्धी ऋणों को माफ किए जाने का मैं विरोध करता हूं। लेकिन जब कोई क्षेत्र वर्ष-प्रतिवर्ष प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित रहे और उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो तथा वहां के लोगों के जीविका का स्तर निम्न हो तो स्वभाविक है कि हमें छोटे किसानों, उनके ऋण माफ करने सम्बन्धी मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना होगा।

पंजाब या कुछ अन्य राज्यों में बड़े किसान हो सकते हैं लेकिन उड़ीसा जैसे राज्यों में बहुत बड़े किसान नहीं हैं। उन्हें एक शिकायत है। उनकी भूमि-सीमा निर्धारित की गयी है और इसे सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। लेकिन हमारे यहां शहरी सीमांकन नहीं है। औद्योगिक आय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। दिन में जब भी बिजली नहीं रहती है हम उद्योगों में बिजली देते हैं लेकिन हम किसानों को सिर्फ रात में बिजली देते हैं। जहां तक ऋणों का सम्बन्ध है हमने व्यापारिक समुदाय और किसानों के लिए भिन्न-भिन्न नियम बना रखे हैं। इन सबों से कृषकों में असन्तोष उत्पन्न होता है। यदि एक स्नातकोत्तर व्यक्ति के पास पर्याप्त जमीन हो तो भी वह कृषि को व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है क्योंकि ऐसा करने से उसे प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। हमारे इतने बड़े देश में कृषि एक प्रमुख क्षेत्र है। यहां तक कि एक चपरासी या कोई लिपिक अथवा नायब तहसीलदार किसी किसान का सम्मान नहीं करेगा जबकि राज्य के राजकोष में किसानों द्वारा सहायता दिए जाने के कारण ही सिर्फ प्रशासन चल रहा है। किसानों के योगदान से ही प्रशासन चल रहा है। जब तृतीय श्रेणी के कर्मचारी अथवा राजस्व विभाग के अधिकारी किसानों के पास जाते हैं तो क्या वे किसानों के साथ शिष्टाचारपूर्वक और सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं ? किसान ही हमारे मालिक हैं। आज इस प्रकार की ही सामाजिक स्थिति व्याप्त है। अतः आज हमारे देश में कृषि कुछ अपमानजनक

स्थिति में है। जब तक कि हम क्रांतिकारी ढंग से परिवर्तन नहीं करते हैं स्थिति में सुधार नहीं होगा। ऋण देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना होगा और ग्राम पंचायतों को आधार बनाया जाना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस जटिल समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। निश्चित रूप से रातों-रात इसका समाधान नहीं हो सकता है। हमारे प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की है कि कृषि सम्बन्धी समस्या पर ध्यान दिया जाएगा और कृषि को उद्योग के समकक्ष स्तर प्रदान किया जाएगा। यह एक अच्छा विकास है और हम अपने प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करते हैं जिसे कि जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, देश में किसानों की स्थिति हर दृष्टि से ठीक नहीं है, विशेषकर जो क्षेत्र अकाल से प्रभावित होते हैं, जैसे मेरा क्षेत्र पिछले 4, 5 वर्षों से प्रभावित है, उनके लिए हम किस प्रकार से रियायतें दे सकते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। हमारी राजस्थान की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें उसने रियायतें प्रदान कीं। को-आपरेटिव क्षेत्र में, स्माल और मार्जिनल फार्मर्स के बारे में करीब 45 करोड़ रुपए की रियायतें दीं। हमें यह सोचना है कि जो अकाल से पीड़ित हैं, प्रभावित होते हैं, उनको हम केन्द्रीय सरकार की ओर से बैंकों को सुविधा देकर, बैंकों के जो भी कन्संशन्ज हैं वह केन्द्रीय सरकार वहन करे और तभी हम किसानों को रिलीफ पहुंचा सकते हैं। जो पैनल इन्ट्रैस्ट चार्ज किया जाता है, वह हर सूरत में बन्द किया जाना चाहिए और कम्पाउन्ड इन्ट्रैस्ट भी बन्द किया जाना चाहिए और यह व्यवस्था तुरन्त करनी चाहिए। को-आपरेटिव बैंक पीनल इन्ट्रैस्ट और कम्पाउन्ड इन्ट्रैस्ट चार्ज करते हैं सभी लोन लेने वाला डिफाल्टर हो जाता है और उसको तुरन्त ऋण नहीं मिलता है। ऐसे डिफाल्टर्स को कैसे मुक्ति दिलाएं यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। को-आपरेटिव बैंक से लोन लेने पर बहुत सारे किसान डिफाल्टर हो गए हैं, उनको किसी प्रकान भी लोन नहीं मिलता है उनको डिफाल्टर से कैसे मुक्ति मिले इस बारे में निर्णय करना है।

शार्ट टर्म लोन से मिडटर्म लोन करते हैं, और मिड टर्म से लांग टर्म कर लेते हैं और जब रीफेजिंग का प्रश्न आता है तो वह डिफाल्टर बन जाता है। री-फेजिंग को कम-से-कम 7 साल तक करना चाहिए, तभी किसान को रिलीफ मिल सकता है।

हरियाणा में जो प्रचार किया जा रहा है कि किसानों को ऋण से मुक्त किया तो उन्हें बैंकों ने ऋण मुक्त नहीं किया है। लेकिन हरियाणा की सरकार ने किस प्रकार से किसानों को सहूलियत पहुंचाई है इसके बारे में आप विचार करें ताकि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें उनको कंसेशन्ज दे सकती हैं और कैसे उनको ऋण से मुक्त करा सकती हैं, इस बारे में सोचने की जरूरत है।

फार्म्स की किसी भी तरीके से नीलामी नहीं होनी चाहिए। हर स्टेट से कानून में यह व्यवस्था होनी चाहिए। अगर लोन के कारण किसान का फार्म जप्त हो जाता है, नीलाम हो जाता है तो यह प्रावीजन हर स्टेट के अन्दर हो और केन्द्रीय सरकार पूरे तरीके से डायरेक्शन दे कि किस तरीके से फार्म की नीलामी न की जाए, इस सम्बन्ध में अवश्य ही कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा बहुत-सी राज्य सरकारें फसल बीमा योजना को लागू नहीं कर रही है। हमारी राजस्थान सरकार भी इसको लागू नहीं कर रही है। सभी राज्यों में यह योजना चलायी जानी चाहिए। फसल बीमा को लागू करने से किसानों को बहुत भारी रिलीफ मिलता है। इस सम्बन्ध में एक कमेटी गठित करने की बात माननीय भजन लाल जी ने की थी। इस कमेटी के बारे में क्या निर्णय

लिया गया है और फसल बीमा के बारे में सभी राज्य सरकारों को आप किस प्रकार के निर्देश दे रहे हैं, ऐसा मैं आपसे जानना चाहूंगा। जिन प्रदेशों की फाइनेंशल पोजिशन खराब है उनको आप 2/3 राशि देते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप पिछड़े प्रदेशों को 3/4 शेयर दें जिससे वह फसल बीमा योजना अच्छी तरह से लागू कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूं कि आप किसानों को रियायतें दें।

श्री लाल विजय प्रताप सिंह (सरगुजा) : सभापति महोदय, जहां तक भारतीय कृषकों का सवाल है, निश्चित तौर पर उन्होंने काफी तरक्की की है। आजादी के समय जहां हम 50 मिलियन टन अनाज उत्पादित करते थे, वहीं आज उनकी कृपा से और उनकी मेहनत से 172 मिलियन टन अनाज उत्पादित कर सके हैं। लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग असंगठित श्रमिकों का है और वह वर्ग सीधे तौर पर कृषि का कार्य करता है। असंगठित कृषि श्रमिकों का यह वर्ग पूरे तरीके से सरकार पर निर्भर करता है।

जहां तक विदेशों में कृषि का सवाल है, प्रत्येक वर्ष जब उन्हें किसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, या फिर फ्लड का सामना करना पड़ता है तो बड़े पैमाने पर सब्सीडाइज्ड करने की व्यवस्था की जाती है। दुर्भाग्य से अभी अपने देश में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

यह एक अलग बात है कि हम विभिन्न माध्यमों से अपने कृषकों को हर प्रकार की सबसिडी देते रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं आने पर विदेशों जैसी व्यवस्था अपने यहां नहीं कर पाये हैं। आप भी ऐसी व्यवस्था करें, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर हम उनके रक्षक बन सकें और उनके किसी काम आ सकें।

कृषि ऋण मुक्ति की बात हर जगह होती है। विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थायें हैं। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में कई बार ऋण माफ किया गया है। अभी कुछ साल पहले 66 करोड़ के वह ऋण माफ किए गए थे जोकि केवल सहकारी बैंकों के ऋणों से सम्बन्ध रखते थे। इसी प्रकार से दूसरे प्रान्तों में भी ऋण माफ किए गए थे। मेरे अपने विचार में सब प्रकार के ऋण माफ करना सम्भव नहीं है और न ही यह व्यवहारिक ही है। यदि सम्भव है तो माननीय मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करें।

7.00 म० प०

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पैट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस मुद्दे पर चर्चा समाप्त करने के लिए सभा की बैठक 7.30 म० प० तक बढ़ायी जाए।

सभापति महोदय : क्या सदन इस बात से सहमत है कि सभा की बैठक 7.30 म० प० तक बढ़ायी जाए?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

सभापति महोदय : सभा की बैठक 7.30 म० प० तक बढ़ायी जाती है। माननीय सदस्य कृपया अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री लाल विजय प्रताप सिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक सामान्य व्यवस्था अपने देश में होनी चाहिए । आप तो जानते होंगे कि जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, सीमान्त और लघु कृषकों के लिए यदि वह अनुसूचित जाति और जनजाति से सम्बन्धित है तो केवल दो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उन्हें मिलता है और बाकी ब्याज की दर सरकार वहन करती है । इसी प्रकार से सामान्य कैटेगरी का व्यक्ति अगर ऋण लेता है, सीमान्त और लघु कृषक तो उसे 6 परसेण्ट ब्याज देना होता है और बाकी ब्याज की दर सरकार वहन करती है दण्डित ब्याज भी सरकार वहन करती है। इसी प्रकार की एक सामान्य पद्धति हमें अपने पूरे देश में लागू करनी चाहिए और एक यूनिफार्म प्रैक्टिस अपने पूरे देश में होनी चाहिए । अभी ऋण मुक्ति का अभियान प्रतिपक्ष की ओर से पूरी ताकत के साथ चला हुआ है और आप जानते हैं कि इस तारतम्य में 5 रुपए के फार्म वह बेचते हैं और लोगों के साथ एग्रीमेंट करते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि उनकी सरकार जीतकर आती है तो उनके सारे ऋण माफ हो जाएंगे । इस दिशा में भी हमें कुछ कारगर प्रयास करने की आवश्यकता है, या तो कुछ कानून बनाकर इस प्रकार की जो भ्रांति हमारे देश में फैलाई जा रही है, उसे रोकने की आवश्यकता है, जब तक कोई सामान्य कानून अपने पूरे देश में लागू नहीं होगा। आज अलग-अलग प्रान्त में अलग-अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं तब तक इस प्रकार की भ्रांतियां पैदा होती रहेंगी इसलिए मैं सोचता हूं कि इस दिशा में कारगर पहल करने की आवश्यकता है ।

एक दो बातें और मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से कहना चाहता हूं । सबसे पहले तो यह कि आप जानते होंगे कि अब सीलिंग लॉ होने के बाद अनेक छोटे-छोटे हिस्सों में, अनेक छोटे-छोटे टुकड़ों में भारत की भूमि बंट गयी है और कई स्थानों पर अलाभकर स्थिति उत्पन्न हो गयी है । ऐसी स्थिति में जब काश्तकार बहुत छोटे से हिस्से का भू स्वामी होता है, उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इन कठिनाइयों का सामना वह बखूबी नहीं कर पाता, वह मात्र इसलिए कि उससे जो खाद्यान्न उत्पादन होता है वह उसके भरण पोषण के लिए समुचित नहीं होता और ऐसी स्थिति में हमें आज यह देखने की आवश्यकता है कि हम ऐसे एग्रीकल्चर लेबर जो केवल एग्रीकल्चर को ही अपना व्यवसाय बनाए बैठे हैं और केवल उसी पर निर्भर करते हैं, उन्हें अन्यत्र कोई नौकरी दें और किसी दूसरे विभाग में समुचित रूप से उनका अधिग्रहण करें तभी यह बात सम्भव होगी कि हम इतने बड़े तबके को, जो अपने देश में कम से कम 70 प्रतिशत है, जो कृषि आधारित व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, मैं सोचता हूं कि यदि आप इसी प्रकार का कोई क्रांतिकारी कार्यक्रम लागू नहीं करेंगे तो कोई ठीक बात नहीं हो पाएगी ।

एक बात और मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं। हमारे आदरणीय राजीव जी ने बड़ी कृपापूर्वक एग्रीकल्चर को इण्डस्ट्री से इक्विवेट करने की बात कही है, उसे हमें यथाशीघ्र लागू करना चाहिए और हमारे दूसरे क्षेत्रों तथा प्रान्तों में जो किसानों के हित में अच्छी व्यवस्था और कार्यक्रम हैं, उन्हें प्रत्येक प्रान्त में बराबर के तरीके के लागू करना चाहिए जिससे कि समान रूप से हमारा जो असंगठित वर्ग है, उसे लाभ मिल सके और तथाकथित किसान नेताओं की गुमराह करने वाली बातों से बच सके ।

कृषि में सिंचाई की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है । कृषि को आगे बढ़ाने में सबसे अहम बात होगी कि हम सिंचाई की उत्तम व्यवस्था प्रत्येक जिले में, प्रत्येक क्षेत्र में करें जिससे कि हमारा उत्पादन

बढ़ सके, ये सारी चीजें यदि हम समान रूप से लागू करने में तदर्थ रहते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हमें कृषि ऋणों को माफ करने की आवश्यकता पड़े।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : महोदय, इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने अपने सहयोगियों के विचार सुने और मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूं। किसानों को दिए गए सम्पूर्ण ऋण को माफ कर देना न तो न्यायसगत है और न ही विवेकपूर्ण। निश्चित रूप से किसान देश की मूल संरचना कायम करते हैं और विशेषरूप से भारत जैसे देश में किसानों को सभी प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए लेकिन जब यह प्रश्न उठता है कि किसानों को दिए गए ऋण को पूरी तरह माफ कर दिया जाए अथवा नहीं तो इसमें भारतीय अर्थ-व्यवस्था का स्वार्थ पहले आता है।

मैं देखता हूं कि जून, 1988 तक व्यवस्थित व्यापारिक बैंकों ने कृषि क्षेत्रों को 12,285 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि दी थी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 1060 करोड़ रुपए और सहकारी बैंकों ने 8244 करोड़ रुपए दिए थे। कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए इन तीन वित्तीय संस्थानों द्वारा कृषि सम्बन्धी अग्रिम राशि प्रदान की गयी है।

प्रश्न यह है कि क्या किसानों को ब्याज से छूट दिया जाना चाहिए अथवा नहीं। इस पर पहले विचार करना है। छोटे किसानों और सीमान्त किसानों को छोड़कर एक अन्य किसान वर्ग भी है अर्थात् वे जिन्हें काश्तकार और भूमिहीन किसान कहा जाता है। यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें ब्याज से छूट देकर पूरी राशि प्रदान की जानी चाहिए। वे ऋण लेते हैं। अधिकांश छोटे किसान विशेषकर सीमान्त किसान और भूमिहीन किसान अनेक कारणों से और अधिकतर प्रकृतिक विपदाओं के समय ऋण लेते हैं। कभी-कभी उन्हें शादी ब्याह जैसे सामाजिक दायित्वों को भी निभाना पड़ता है। अत: वे ऋण लेते हैं और वे अपने ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज इस सभा में ऋण माफ कर देने सम्बन्धी मुद्दा किसी भी व्यक्ति का नहीं है। ऋण में पूर्ण रूप से छूट देने से अर्थव्यवस्था पर और देश की ऋण देने की सम्पूर्ण व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

लेकिन बहुत समय से लम्बित पड़ी उनकी शिकायत यह है कि अब तक औद्योगिक क्षेत्र को दिए प्रोत्साहनों की तुलना में कृषि क्षेत्र को उतना प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं जिन्होंने यह आश्वासन दिया है कि भविष्य में इनमें समानता बरती जाएगी। अब तक कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में कोई समानता नहीं है। वित्त मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं, वे सही आंकड़े दे सकते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि एक बड़ी धनराशि अब औद्योगिक क्षेत्र में वसूल न की जा सकने वाली ऋण राशि समझी जा रही है। अब हमारे पास यह प्रस्ताव है कि क्या इन कृषि ऋणों को पूरी तरह से माफ कर दिया जाए अथवा नहीं। यदि इसे माफ कर दिया जाता है तो कृषि क्षेत्र में भी यह वसूल न की जा सकने वाली बड़ी राशि होगी। लेकिन हमें एक और मुद्दे पर विचार करना है; हम औद्योगिक क्षेत्र को कुछ प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि निर्यात के जरिए हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। कभी-कभी पूरे ऋण को ही माफ कर दिया जाता है।

बदले में, हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। लेकिन जो किसान फसलें उगाते हैं, यदि वह आज फसलें उगाना बन्द कर दें, तब हमें खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं का बाहर से आयात करना पड़ेगा।

इसमें भारी लागत आएगी । अत: मेरा सुझाव है कि प्रत्येक मामले को अलग से देखा जाना चाहिए । लेकिन प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या सूखा या भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा में, सामान्य तौर पर, सिद्धान्त रूप में ऋण और ब्याज को माफ कर दिया जाना चाहिए ।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषकों को दिए गए ऋणों की बकाया राशि दिसम्बर, 1986 को 10,138 करोड़ रुपए थी, 1987 में यह 11,712 करोड़ रुपए थी और 1988 में यह 13,501 करोड़ रुपए थी। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सही सिद्धान्त बनाया हुआ है कि ऋण को माफ करने की प्रक्रिया को सामान्य नियम नहीं बनाया जाए इसे विभिन्न मामलों में प्रत्येक मामले के आधार पर ही निपटाना होगा ।

इसके अलावा कृषकों को और भी प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए, जिससे उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता ही न रहे, उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उन्हें सरकार के पास सम्पूर्ण ऋण या ऋण पर ब्याज की माफी के लिए न जाना पड़े, उन्हें कुछ ऐसी आधारभूत की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए । जब तक की उन्हें ऐसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएगी तब तक छोटे किसानों के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि बगैर प्रोत्साहन ऋण के वह अपना जीवन-यापन कर सकें । औद्योगिक क्षेत्र की तरह किसानों को भी बिजली, पानी आदि जैसी सुविधाएं समान रूप से प्रदान की जानी चाहिए । किसानों की समस्या स्थान-स्थान और एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हैं । आज महाराष्ट्र के किसान जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वह पश्चिम बंगाल के किसानों की समस्याओं से बिल्कुल भिन्न है । हम उद्योगों के आधुनिकरण पर काफी बड़ी राशि का निवेश कर रहे हैं। करोड़ों रुपया उद्योगों के आधुनिकरण पर खर्च किया जा रहा है । हमें यहां भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे कि जो किसान भूमि को आधुनिक तरीकों से जोतने में असमर्थ हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकें जिससे वह भूमि जोतने के तरीके को भूमि की आधुनिक जुताई के तरीके में बदल सकें ।

किसानों को अन्य समस्याओं, जैसे उनके बच्चों के विवाह और बच्चों की शिक्षा आदि, का भी सामना करना पड़ता है । आजकल किसानों के अधिकांश बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए कई बार उन्हें अपनी भूमि भी बेचनी पड़ती है। पहले हमें सुनने में आता था कि अपने बच्चों के विवाह के लिए वह अपनी भूमि बेच देते हैं । अतएव इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए ।

जहा तक ऋण और इस पर ब्याज को माफ करने की बात है निश्चित तौर पर एक सिद्धान्त बनाया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत छोटे किसानों, सीमान्तिक किसानों और भूमि की जुताई करने वाले जिन्हें भूमिहीन किसान कहा जाता है, उनके मामले में पूर्ण ऋण और उस पर लगने वाला ब्याज माफ कर दिया जाना चाहिए । उनके मामले में, कम से कम कुल ब्याज तो माफ कर ही दिया जाना चाहिए । प्राकृतिक आपदाओं के समय में उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु सामान्यतया वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं भारतीय रिजर्व बैंक के इस दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं कि भारत जैसे देश में ऋण की आम माफी संभव नहीं है जहां राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था पर इसका जबर्दस्त प्रभाव पड़ेगा या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर इसका जबर्दस्त प्रभाव पड़ेगा । लेकिन कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के बीच समान रूप से समानता बनायी रखी जानी चाहिए।

वित्त मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : सभापति महोदय, बहुत कम समय में मैं इस सारे वाद-विवाद का उत्तर देना चाहूंगा। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस विचार-विमर्श में भाग लिया और विशेषकर इसके प्रस्तावक श्री हरीश रावत का धन्यवाद करूंगा। तदुपरान्त वाद-विवाद एक तरह से कृषि की मांगों में बदल गई जहां कि समस्त कृषि क्षेत्र को वाद-विवाद के विषय में शामिल कर लिया गया। यह एक बहुत ही सीमित वाद-विवाद है जिसमें कृषि क्षेत्र की ऋण-ग्रस्तता पर विचार हुआ और उसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि कुछ स्वार्थी पक्षों द्वारा यह कहकर निरन्तर प्रचार किया जा रहा है कि यदि वह सत्ता में आ गये तो वह इस बात पर गौर करेंगे कि ऋणों की सम्पूर्ण धनराशि को माफ कर दिया जाए।

मुझे यह सब जानकर निश्चित ही अफसोस हुआ है। मैं समझ सकता हूं कि चुनाव में चुने जाने के उद्देश्य से कुछ लोग असामान्य बातें करने लगते हैं। लेकिन यदि मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए तो मैं यह कहूंगा कि यह झूठ से कम नहीं है। मैं नहीं समझता कि जो कोई भी दल सत्ता में आए वह कृषि क्षेत्र को जारी सम्पूर्ण ऋण को माफ करने की बात सोच भी सकता है। इस तरह की स्थिति को पैदा करने की क्या आवश्यकता है जब वह अच्छी तरह जानते हैं कि वह ऐसा करने वाले नहीं हैं?

मैं इस पुनीत सदन को यह बताना चाहूंगा कि किसान एक बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति होता है हालांकि वह अनभिज्ञ और साधन रहित हो सकता है। वह समझता है कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसी कारण लोग कुछ भी कहें, आखिरकार कोई भी प्रचार शुरू करने से पहले समूचे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखना होगा।

मैं एक चर्चा के बारे में जानता हूं जो एक समय इंग्लैंड में हुई थी। मैं नहीं समझता कि विश्व में किसी अन्य लोकतन्त्र में लोग किसी प्रकार के प्रचार से दूर रह सकते हैं। जो लोग उन्हें सुनेंगे वह उनसे हर तरह के प्रश्न करेंगे "आपका इसे कैसे करने का विचार है?" ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि "मैं सब कुछ माफ कर दूंगा।" लोग उनसे पूछेंगे, "कि आप किस आधार पर ऐसा सब कुछ कह रहे हैं?" और यदि आप अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाएंगे तब लोग यह कहेंगे कि एक या दूसरे पक्ष का मात्र समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसी बात कहकर जिस पर लोग विश्वास करने को तैयार नहीं हैं।

मैं समझता हूं, हम भी इतने समझदार हो गए हैं। भारतीय लोकतन्त्र इतना परिपक्व हो गया है और मतदाता भी प्रत्येक वक्तव्य का अर्थ और उसके प्रभाव को समझता है जो एक दल या दूसरा चुनाव प्रचार के संदर्भ में कहते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि लोगों की इसे जानने की रुचि होगी। एक मुख्यमंत्री विशेष—मैं नहीं समझता—कि मुझे उनका नाम लेना चाहिए—ने कहा कि इस नारे के आधार वह सत्ता में आये हैं। और आखिरकार क्या वह अपना वायदा पूरा कर पाए? मैं समझता हूं यह उन सबके लिए सबक होगा जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। यह एक बहुत ही घटिया नारा था और उन्होंने वायदा किया था कि वह लगभग सारे ऋण माफ करने जा रहे हैं।

मैं इस सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि हरियाणा के मामले में कुल देय राशि 227.51 करोड़ रुपये थी। इसमें कई बातें शामिल थी। आखिरकार जो हुआ वह यह था कि वे बड़ी मुश्किल से केवल 20 करोड़ रुपये की राशि ही दे सके। मैं नहीं समझता कि इसका कभी अनुमान लगाया गया था कि हरियाणा का सहकारी बैंक इतना सुदृढ़ नहीं है कि वह मुख्यमन्त्री द्वारा लोगों को

किए गए वायदे का बोझ सह सके। वे ऐसी चीजों का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं इसीलिए वे सरकार से किसी प्रकार के समर्थन की आशा कर रहे हैं। 227.51 करोड़ रुपए की राशि हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सहायता कितनी थी ? उन्होंने 10 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया है। अतः ब्याज माफ करना अथवा पूरा ऋण माफ करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता भी दो बहुत थोड़ी राशि में अर्थात् 8 करोड़ रुपये अल्पावधि ऋण के रूप में और 2 करोड़ रुपये दीर्घकालिक ऋण के रूप में दिया गया। यह हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दी जाने वाली कुल राशि है। अब प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कृषक को दिये जाने वाला राहत पांच रुपये, दस रुपए और बारह रुपये की राशि में था और अब लोग यह कहकर कोस रहे हैं "आपने जो वायदा किया था, उसे आपने पूरा नहीं किया।" हरियाणा जाकर आप यह जानने की कोशिश करें की वास्तव में क्या हुआ है। क्या वे इस स्थिति में हैं कि उस धनराशि को वापस कर सकें ? कुछ समय पूर्व ही, हमारे मित्र श्री व्यास जी और मैं समझता हूं मेरे माननीय मित्र जो बाड़मेर से हैं कहा है कि राजस्थान सरकार भी कृषि क्षेत्र को 40 करोड़ रुपये ब्याज राजसहायता के रूप में देने के लिए विचार कर रही है। मैं इस वास्तविकता को जानता हूं कि पिछले तीन महीने से अनेक राज्य सरकारें मेरे पास आई हैं; उन्होंने मेरी स्थिति दयनीय बना दी है; वे प्रत्येक दिन मेरे पास आकर कहते हैं, कि "इसे विशेष मामला बनाए।" कृपया यह देखें कि हमें लगभग 50 करोड़ रुपया और उससे ज्यादा मिलें। राजस्थान ही इसका कोई अपवाद नहीं है। राजस्थान की सरकार पहली राज्य सरकार थी जिससे मेरे पास आकर यह कहा, "महोदय, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, आपको हमें सहायता करनी है, आप अपने नियमों से हटकर, इसे एक विशेष मामला बना कर यह उपाय करें कि राजस्थान को कुछ और धन दिया जाए।" यह धनराशि किस कार्य के लिए है। यह गैर-योजना सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए है। वास्तव में, गैर-योजना सम्बन्धी खर्च वित्त आयोग का उत्तरदायित्व है। वित्त आयोग के गठन के बाद, इसके बाद योजना आयोग या वित्त मंत्रालय को यह कहने का औचित्य नहीं है कि वित्त आयोग ने इतना धन दिया है, हम अपने नियम से हटकर अतिरिक्त धन अन्य तरीकों से प्रदान करते हैं। ऐसा होने नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया अपने संसाधनों से ही काम चलाएं। आप केवल मेरे लिए ही विपत्ति नहीं बढ़ा रहे हैं अपितु देश देश के लिए भी विपत्ति बढ़ा रहे हैं। यदि कोई राज्य अपने उपलब्ध संसाधनों से अधिक खर्च करता है तो इसका मतलब है कि उस राज्य को अधिक घाटा होगा। और यदि आपको घाटा ज्यादा होगा तो अन्ततः घाटे से कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा। और यदि कीमतों में वृद्धि होती है, तो गरीब लोग जिसे हम सहायता करना चाहते हैं वे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। कृपया हम जो कहना चाहते हैं उसके प्रभाव को समझने की कोशिश करें। अन्ततः इससे गरीब लोग तथा छोटे और सीमांतिक किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन हम सभी चीजों पर एक साथ विचार नहीं करते हैं। इसके लिए हमें अलग-अलग श्रेणी बनानी होगी। जब हम ऋण माफ करने की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यह कहेंगे कि ये वही लोग हैं जो नारे दे रहे हैं तो आप भी इसमें क्यों नहीं सम्मिलित हो जाते। वे हर प्रकार के नारे दे सकते हैं क्योंकि उन्हें इसे क्रियान्वित बिल्कुल नहीं करना है। यदि हम भी इन चीजों का अनुकरण करें तो हम फंस जाएंगे। भगवान के लिए, कृपया यह समझने की कोशिश करें की क्यों ये लोग हमें गलत रास्ते पर लाना चाहते हैं। या तो हम उन्हें कह देते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमारे विरुद्ध आप लोगों को जाकर कहते कि यह सरकार कृषि के लिए नाकारती है। यह एक मुद्दा है। यदि हम 'हां', कहते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।

यह अच्छी तरह जानते हुए की हम ऐसा नहीं कर सकते, यदि मैं ऐसा कहता हूं तो मैं झूठ बोल

रहा हूं, जिसे मैं अपनी जिन्दगी में कभी नहीं करूंगा। अत:, माननीय सदस्य जो या तो ऋण माफ करने या किसी तरह का ब्याज राजसहायता देने के दिशा में विचार कर रहे हैं, तो उन्हें समस्त प्रश्न पर नये सिरे से विचार करना होगा। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। वास्तव में, बहुत पहले ही रिजर्व बैंक द्वारा एक ऋण सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया था। इसके बाद एक और समिति डा०ए०एम० खुसरो की अध्यक्षता में गठित की गयी थी। यह वरिष्ठ विशेषज्ञ दल कहलाता है। इस दल के सदस्य श्री वली, डा० हाटे, जोकि रिजर्व बैंक के उप-राज्यपाल थे, और श्री कैलों थे। इसमें तीन सदस्य भारत के बाहर के थे जिन्हें हमने विशेष रूप से इस दल में सम्मिलित किया था जो कृषि क्षेत्र के समस्त प्रश्नों का और हमारे द्वारा अब तक अपनायी गयी ऋण नीति का अध्ययन करेंगे और सरकार को स्थिति में सुधारने के लिए सुझाव देंगे। अन्तत: हमें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गर्व होना चाहिए कि कृषक ही वे मुख्य व्यक्ति है जो हमारे कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। 50 मिलियन टन से उत्पादन बढ़ाकर 170 मिलियन टन तक उत्पादन पहुंचा दिया है। हो सकता है इस वर्ष यह आंकड़े 175 मिलियन टन तक पहुंच जाए। यह कृषि वैज्ञानिकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप और नई प्रौद्योगिकी के कारण ही सम्भव हो सका है। लेकिन इसका सम्पूर्ण श्रेय कृषकों को जाता है जिन्होंने इन नई प्रौद्योगिकों को अपनाकर उसका उपयोग किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन नई प्रौद्योगिकों को अपनाने के कारण कृषि में ज्यादा निवेश की आवश्यकता होगी। सर्वप्रथम मैं उस धारणा को हटाना चाहता जिसे ज्यादातर राज्य सरकारों ने मान रखी है और धारणा यह है कि सहकारी बैंकों को हम कुछ भी निर्देश दे सकते हैं और व्यावसायिक बैंक के संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। इसी कारण वे व्यावसायिक बैंकों के प्रति उदार रहे हैं। उन्होंने किसी भी सहकारी बैंकों को नहीं छोड़ा है। यदि माननीय सदस्य यह जानते के इच्छुक हैं कि कितना बकाया राशि है तो लगभग 1300 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 2,200 करोड़ रुपये की राशि अतिदेय है, जोकि लगभग 43 प्रतिशत बैठती है और सहकारी बैंकों के मामले में यह राशि 2000 करोड़ रुपये की है। व्यावसायिक बैंकों से कुल वसूली 56 प्रतिशत की है और यदि हम उन प्रोत्साहनों को ध्यान में रखें जिसका प्रस्ताव दिया गया है तो यह मात्र 40 प्रतिशत रह जाती है। ऋणों की कुल बकाया राशि को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी स्थिति आ गई है जबकि किसी भी सहकारी बैंक के लिए किसान को ऋण देना बहुत कठिन हो जाएगा जिसकी उसे आवश्यकता है। हमें यह देखना होगा कि हम इस तरह की स्थिति उत्पन्न करने में कहां तक रुचि रखते हैं। एक बार आप ऐसा कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए की हमने सभी ऋणों को माफ करने का निर्णय लिया है। आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद कोई भी बैंक का संचालक आपको कभी भी एक पाई भी ऋण नहीं देगा, वह यह अपेक्षा करेगा कि जब यह राशि बट्टे-खाते में डालनी है तो उसे निसन्देह इस संकट से बाहर निकालना होगा। यदि आप उन्हें संकट से बाहर निकालने में सक्षम नहीं होते, तो निसन्देह ही वह आपके आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेगा।

अत: मैं इस आंकड़े को प्रस्तुत करने को इच्छुक था क्योंकि अधिकांश राज्य सरकारों ने ब्याज में जो राजसहायता का वचन दिया था और जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया यह कुल राशि 205 करोड़ रुपये बैठती है। अब सभी सहकारी बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं नहीं जानता की यह एक जान-बूझ कर किया गया प्रयास है या लोगों द्वारा असावधानी रूप से ऐसी स्थिति पैदा की गयी है ताकि लोग अन्तत: इन साहूकारों के चंगुल में फंस जाएं और जिन्हें हम काला धन्धा करने वाली कम्पनी भी कहते हैं। ये ऐसी कम्पनियां हैं जो लेन-देन कर रही हैं और अत्यधिक ब्याज की दरें ले रही हैं। 7,500 रुपये तक मामले में हमने इसे 15 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत और फिर 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है···(व्यवधान)

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय आप कितना समय लेंगे ?

श्री एस० बी० चव्हाण : लगभग छः-सात मिनट और लूंगा।

सभापति महोदय : यदि सभा सहमत है, तो हम दस मिनट की समयावधि बढ़ाते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : इसलिए सभा की समयावधि दस मिनट बढ़ायी जाती है। मंत्री महोदय आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि इस प्रकार की स्थिति है तो यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। कुछ राज्यों में सहकारी संस्थाओं की स्थिति पहले ही अच्छी नहीं है इसके अतिरिक्त यदि ऐसा होगा तो मुझे विश्वास है कि वे अपने क्षेत्रों में सभी सहकारी संस्थाओं को समाप्त करना चाहते हैं और फिर केवल साहूकार ही लेन-देन करेंगे तथा काली कम्पनियों के ये धोखेबाज धन देने में रुचि लेंगे। उनके पास बाहुबल है उसकी सहायता से वे धन वसूल कर सकते हैं। सहकारी संस्थायें इस तरह से वसूल नहीं कर सकती हैं। वाणिज्य बैंकें भी इस प्रकार से वसूल नहीं कर सकते हैं। परन्तु अन्ततः हमें समूची अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखना है। मामलों के आधार पर मैं भली-भांति समझ सकता हूं। परन्तु यदि प्रत्येक व्यक्ति मुझसे कहेगा कि कृषि क्षेत्र में हमें सब कुछ माफ करना है तो यह बड़ा कठिन कार्य हैं। मैं नहीं सोचता कि सम्भवतः सरकार ऐसा कर सकती है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि कुछ लोगों को प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करना पड़ता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाढ़ें आती हैं, सूखा पड़ता है, रेगिस्तान है तथा डी० पी० ए० पी० क्षेत्र हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके सम्बन्ध में हम विचार कर सकते हैं। हमने इन क्षेत्रों के लिए कुछ योजनाएं भी बनायी हैं। इनके कार्यान्वियन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मैं नहीं समझता कि वे इन योजनाओं का, जो उनके लिए बनायी गयी हैं, पूरा लाभ उठा सकते हैं।

बैंकों को हानि पहुंचाए बिना ही हम एक बात पर विचार कर सकते हैं। हमारी दृष्टि में दो योजनाएं हैं। एक फसल बीमा योजना है मैं उसकी समीक्षा करना चाहता हूं। ऐसी योजनाएं चलायी गयी हैं परन्तु उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है इसलिए राज्य सरकारों, बैंकों और केन्द्रीय सरकार को सम्मिलित होना पड़ेगा तथा बीमांकिक आधार पर किस्त देनी पड़ेगी। फसल बीमा योजना से हमें 570 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है क्योंकि दो जिलों ने, जिनमें एक महाराष्ट्र में है तथा दूसरा गुजरात में है, झूठे दावे किए जिससे उन्हें धनराशि का भुगतान किया गया। परन्तु इससे समूची योजना की बदनामी हुई। एक ऐसा समय था जब हम इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या इस योजना को समाप्त कर दिया जाए। परन्तु अन्ततः हमने निष्कर्ष निकाला कि इसे अधिक व्यवहार्य बनाया जाए, सम्बन्धित लोगों से शामिल होने के लिए कहा जाए तथा उनसे बीमांकिक आधार पर किस्त वसूल की जाए। मुझे विश्वास है कि यह योजना निश्चित रूप से चालू रहेगी। इस प्रकार एक प्रकार से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बैंकों को उचित रूप से भुगतान किया जाए। इससे केवल किसान को ही सहायता नहीं मिलेगी बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से वह भी सहायता करेगा। हमारी दृष्टि में दूसरी योजना से निपटने के लिए ऋण कोष बनाने की है। पांच वर्ष, छः वर्ष अथवा आठ वर्ष में एक बार अभूतपूर्व सूखा पड़ता है। सम्भवतः आप किसान से इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान करने के लिए नहीं कह सकते हैं। इसलिए आपको कभी तीन वर्ष तक तथा कभी पांच वर्ष तक इन धनराशि को पुनः निर्धारित करना पड़ेगा ताकि सामान्य वर्ष आने पर उसके पास धन हो तथा भुगतान कर सके। यह सरकार के विचाराधीन दूसरी योजना है। इसलिए प्रधानमंत्री भी यह कह

रहे ९ कि यदि आवश्यकता हुई तो हम औद्योगिक क्षेत्र की तरह रियायतें देने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य कोई ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते जिसमें बी० आई० एफ० आर० अथवा किसी दूसरी एजेन्सी की वजह से किसी प्रकार की रियायत दी जाएगी। परन्तु ऐसा प्रत्येक मामलों में अलग-अलग निर्भर करता है। मैं नहीं समझता कि उद्योग को एक वर्ग में रूप मे कोई रियायत मिलेगी। क्या हम सोचते हैं कि बिजली के मामले में पारेषण की लागत के बिना बिजली के प्रति यूनिट की औसत उत्पादन लागत 80 पैसे आती है? अपने देश के किसानों से हम क्या वसूल करते हैं? केवल 17 पैसे प्रति यूनिट। हमें उत्पादन लागत का एक चौथाई भी नहीं मिल रहा है। यदि पारेषण लागत को और जोड़ दिया तो यह प्रति यूनिट एक रुपया अथवा इससे अधिक आएगी। परन्तु अभी हम उनसे 17 पैसे अथवा 18 पैसे ही वसूल कर रहे हैं। आपको इसकी गणना करनी पड़ेगी कि हम उन्हें कितनी राजसहायता दे रहे हैं। जैसाकि स्पष्ट है हम अपने बजट में सभी क्षेत्रों को 16,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। मैं प्रत्येक क्षेत्र की राजसहायता के सम्बन्ध में नहीं बता सकता। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। जहां तक उर्वरक का सम्बन्ध है, 3,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष राजसहायता दी जाएगी तथा पूरी योजना अवधि में अकेले उर्वरक पर हम 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। 1981 में यूरिया और डी० ए० पी० के जो मूल्य थे किसानों को उन्हीं मूल्यों पर दिया जाता है। इन मूल्यों में कुछ कमी की गयी परन्तु तत्पश्चात् इनमें वृद्धि की गयी लेकिन अभी वही मूल्य लिए जाते हैं जो 1981 में थे। हमें एक योजना अवधि में 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। बिजली के मामले में भी यदि हम इसके आधार पर गणना करें तो इसके अलग-अलग आंकड़े आते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण आदान सिंचाई सुविधाएं हैं। जहां तक सिंचाई सुविधा का सम्बन्ध है।

इसके बिना नहर का अनुरक्षण भी नहीं किया जा सकता है तथा कोई नया पूंजी कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है। लघु नहर का अनुरक्षण भी दुविधाजनक कार्य है इसलिए सम्पूर्ण कार्य विशेषज्ञ समिति को सौंप देना पड़ा। अब वह इसकी जांच करेगी। यदि कोई पुनर्विचार का मामला है तो यह कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है कि हम विचार न करें परन्तु उन्हें इसकी जांच करनी चाहिए तथा सरकार को सुझाव देना चाहिए कि सरकार को कौन सी नयी बातों पर ध्यान देना चाहिए तथा किसानों को कौन सी नयी रियायतें देने की आवश्यकता है। किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। परन्तु साथ ही बैंकों का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि बैंक इन लोगों से वसूली होने वाली सम्पूर्ण धनराशि को बट्टे-खाते डाल दें तो निस्संदेह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि कोई भी राज्य सरकार सम्भवतः सम्पूर्ण ऋणों को माफ करने अथवा राजसहायता देने के सम्बन्ध में सोच सकती है। मुझे विश्वास है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के, जो सहकारी संस्थाओं पर 1966 में लागू किया गया, पश्चात् यह किसी राज्य सरकार का कार्य नहीं है कि वे पहले तो निर्णय लें और फिर बाद में नाबार्ड या भारतीय रिजर्व बैंक को बताएं कि अन्ततः उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। वे इस प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते। 1966 के बाद बैंकिंग विनियमन कार्यान्वित किया है इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के निर्देश निश्चित रूप से अनिवार्य हैं और प्रत्येक को उनका पालन करना है। यह खुशी की बात है कि शुरूआत में अधिकांश राज्य सरकारों ने इस विचार को अपनाया परन्तु नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक को यह आश्वासन देने के बाद ऋण देने का आश्वासन दिया गया कि वे नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के सभी निर्देशों का पालन करेंगे और इसीलिए सम्पूर्ण कार्य पुनः शुरू किया गया।

— मुझे विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति यह समझता है कि दीर्घकालीन कठिनाइयां हैं। हमें समस्या समझनी चाहिए, उसके पश्चात् यदि सावधानीपूर्वक हम समझते हैं कि इसके बारे में कुछ करने की

आवश्यकता है तो हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे, हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। इसलिए प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम एक समिति का गठन करेंगे जो सब प्रश्नों की जांच करने के पश्चात् सरकार को सुझाव देगी कि क्या करने की आवश्यकता है। मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि हमने सब कुछ कर दिया है। अनेक ऐसे कार्य हैं जो किए जाने हैं। परन्तु यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से इन कार्यों को सावधानीपूर्वक करना है कि बैंकों और किसानों की कठिनाइयां कम हों ताकि वे कार्य कर सकें और उन्हें अधिक उत्पादन के लिए निर्धारित प्रोत्साहन मिल सके और इस प्रकार देश को उन कठिनाइयों से बचाया जा सके जिनकी वजह से तीन या चार वर्षों में सूखा की स्थिति पैदा होती है। परन्तु खाद्यान्नों के भण्डारों की अच्छी स्थिति होने के कारण हम विगत समय में सूखा की स्थिति का मुकाबला कर सके। इसीलिए किसानों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। परन्तु साथ ही बैंकिग ढांचे को प्रोत्साहन तथा संरक्षण देने की आवश्यकता है। इन दोनों बातों पर ध्यान देना पड़ेगा तथा इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। मैं और कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया।

सभापति महोदय : अब सभा शुक्रवार 18 अगस्त, 1989 को ग्यारह बजे म० पू० पर पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

7.40 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 18 अगस्त, 1989/27 श्रावण, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

दी स्टील स्लेट मैन्यु० कं० (प्रैस विभाग) अजमेरी गेट, दिल्ली-6